

धर्मपाल समग्र लेखन

३

भारतीय परम्परा मे असहयोग

धर्मपाल

अनुषाद

दुर्गा सिंह

इन्द्रिया काटदरे



धर्मपाल समग्र लेखन ३
भारतीय परम्परा में असाहयोग

लेखक

धर्मपाल

सम्पादक

इन्दुमति काटदरे

अनुवाद

दुर्गा सिंह

इन्दुमति काटदरे

संवाधिकार

पुनरुत्थान ट्रस्ट अहमदाबाद

प्रकाशक

पुनरुत्थान ट्रस्ट

४ यसुधरा सोसायटी आनन्दपार्क काकरिया अहमदाबाद - ૩૮૦૦૨૮

दूरभाष ૦૭૯ - ૨૫૩૨૨૬૫૫

मुद्रक

साधना मुद्रणालय ट्रस्ट

सिटी मिल कम्पाउण्ड काकरिया मार्ग अहमदाबाद - ૩૮૦૦૨૨

दूरभाष ૦૭૯ - ૨૫૪૬૭૭૯૦

मूल्य रु १५० ००

प्रति

१०००

प्रकाशन तिथि

पैश शुवल १ वर्षप्रतिपदा युगम् ५९०९

२० मार्च २००८

अनुक्रमणिका

मनोगत

सम्पादकीय

विभाग १ विम्बेषण	१
१ विषय प्रवेश ..	३
२ विवरण	१४
विभाग २ अभिलेख	५९
३ घटनाओं का अधिकृत वृत्तात	५३
४ नीति से पलायन की पद्धति	१३८
५ ईस्टैंप्ड स्थित सघालक अधिकारियों के साथ पत्राधार	१४६

धर्मपाल समग्र लेखन

ग्रन्थ सूची

- १ भारतीय पितृ मानस एवं काल
- २ १८ वीं शताब्दीमें भारतमें विज्ञान एवं सत्रज्ञान कलिपय समकालीन यूरोपीय वृत्तान्त
Indian Science and Technology in the Eighteenth Century
Some Contemporary European Accounts
- ३ भारतीय परम्परामें अराहयोग
Civil Disobedience in Indian Tradition
- ४ रमणीय वृक्ष १८ वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा
The Beautiful Tree Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century
- ५ पंचायत राज एवं भारतीय राजनीति तंत्र
Panchayat Raj and Indian Polity
- ६ भारत में गोहत्या का अंग्रेजी मूल
The British Origin of Cow Slaughter in India
- ७ भारतकी लूट एवं यदमामी १९ वीं शताब्दी की अंग्रेजों की जिहाद
Despoliation and Defaming of India
The Early Nineteenth Century of British crusade
- ८ गांधी को समझें
Understanding Gandhi
- ९ भारत की परम्परा
Essays In Tradition Recovery and Freedom
- १० भारत का पुनर्ज्ञात
Rediscovering India

मनोगत

गांधीजी के अगस्त १९४२ के अग्रेजों 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के कुछ समय पूर्व से ही मैं देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन से पूर्णरूप से प्रभावित हो चुका था। उस समय मैंने जीवन के बीस वर्ष पूरे किए थे। अगस्त १९४२ में हम दो चार मिन्ने जिनमें मिन्ने श्री जगदीश प्रसाद मित्तल प्रमुख थे उच्चाधेश से 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के लिए ही कांग्रेस के अधिकारी भारतीय सम्मेलन में भाग लेने मुम्बई गए। मैंने उससे पूर्व १९३० का लाहौर का कांग्रेस सम्मेलन देखा था परन्तु मुम्बई के सम्मेलन का स्वरूप और अपेक्षाएँ हमारे लिए एकदम नहीं थीं। सम्मेलन में हमें दर्शक के रूप में भाग लेने की अनुमति मिल गई। हमने वहाँ की सम्पूर्ण कार्यवाही देखी सभी भाषण सुने। ८ अगस्त की सायकाल का गांधीजी का सवा दो घण्टे का भाषण तो मुझे आज भी कुछ कुछ याद है। उन्होंने प्रथम डेढ़ घण्टा हिन्दी में भाषण दिया मिर पौन घण्टा अग्रेजी में। सम्मेलन में ५० हजार से अधिक भीड़ थी। सभी उपस्थित लोगों से सभी भारतवासियों से तथा विदेश के सभी देशों से गांधीजी का मुख्य निवेदन तो यही था कि वे सभी भारत और अग्रेजों के वार्तालाप में सहायक हों। हमारे जैसे अधिकाश लोगों ने उस समय विचार किया होगा कि आन्दोलन का प्रारम्भ तो कुछ समय बाद ही होगा।

परन्तु दूसरे ही दिन सवेरे ५-६ बजे से ही पूरे मुम्बई में हल्लघल शुरू हो गई। मुम्बई से बाहर जानेवाली रेलगाड़िया दोपहर के बाद तक बन्द रहीं। अग्रेज और भारतीय पुलिस व्यापक रूप से लोगों की गिरफ्तारी करती रही। अन्तत ९ अगस्त को शाम तक हमें दिल्ली जाने के लिए गाड़ी मिल गई। परन्तु रास्ते भर हल्लघल थी और गिरफ्तारिया हो रही थीं। हममें से अधिकाश लोग अपनी अपनी जगह पहुँचकर अग्रेजों भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू करनेवाले थे।

दिली पहुँचकर मैं अन्य साथियों के साथ आसपास के क्षेत्रों में घल रहे आन्दोलन में जुड़ गया। किसने महीने तक इसी में ही सलमन रहा। उस बीच अनेक गाँवों और कस्बों में भी गया। वहाँ लोगों के घरों में रहा। वहाँ से ही भारत के सामान्य जीवन

के साथ मेरा परिधय प्रारम्भ हुआ। दिसम्बर १९४२ में अनेक धनिष्ठ मित्रों ने सलाह दी की मुझे आन्दोलन के काम के लिए मुम्बई जाना चाहिए। इसलिए फरवरी १९४३ में मैं मुम्बई में गांधीजी के निकटस्थ स्थामी आनन्द ने मेरे रहने खाने की व्यवस्था की थी। वे अलग अलग लोगों से मेरा परिधय भी करते थे। वस्तुतः मेरा मुम्बई के साथ परिचय तो उनके कारण ही हुआ। मुम्बई में ही मैं श्रीमती सुधेता कृपलानी से भी एक दो घार मिला। उसी प्रकार गिरिधारी कृपलानी से मिलना हुआ। उस समय मैं खादी का घोती दुर्ता पहनता था और स्थामी आनन्द आदि के आग्रह के बाद भी मैंने कभी पतलून आदि नहीं पहना।

मार्च १९४२ में मैं मुम्बई से दिल्ली और उत्तरप्रदेश गया। अप्रैल १९४३ में दिल्ली के थोंडनीघोक पुलिस थाने में मेरी गिरफतारी हुई और लगभग दो महीने अलग-अलग थानों में रहा। वहाँ मेरी गहन पूछताछ हुई धमकाया भी गया। यद्यपि मार्टीट नहीं हुई। जून १९४३ में मुझे सरकार के आदेशानुसार दिल्ली से निष्कासित किया गया। एकमप्यं वर्ष बाद यह निष्कासन समाप्त हुआ।

लम्घे अरसे से मेरा मन गाँव में जाकर रहने और काम करने का था। मेरे एक पारिवारिक मित्र गोरखपुर जिले के एक हजार एकड़ जितने पिशाल फार्म के मैनेजर थे। उन्होंने मुझे फार्म पर आकर रहने के लिए निमत्रण दिया। यह फार्म सुन्दर तो था परन्तु यह तो वहाँ रहनेवालों से करकर परिश्रम करने की जगह थी। गाँव जैसा सामूहिकता का वातावरण वहाँ नहीं होता था। वहाँ गाँव के लोगों से मिलने यात करने का अवशर भी नहीं मिलता था। परन्तु एक यात मैंने देखी कि वहाँ लोग गरीब होने के बाद भी प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे।

एवं यर्थ बाद जून अध्यया जुलाई १९४४ में यह फार्म छोड़ यत्र मैं वापस आ गया। सरकात ही मेरठ के मित्रों में मुझे श्रीमती भीरावहन के पास जाने वी सलाह दी। भीरा यहन सङ्कटी के निफट एक आश्रम स्थापित करने का विधार यत्र रही थी। यात सुनकर मैंने पहले तो मना करने का प्रयास किया परन्तु मित्रों के आग्रह के बारप अद्यूत्तर १९४४ में मैं भीरावहन के पारा गया। सङ्कटी से हरिद्वार थी दिशा में रात आठ भील दूर गाँव वालों ने भीरा यहन को आश्रम निर्माण के लिए जमीन दी थी। आश्रम हरिद्वार से यारह भील दूर था। आश्रम का नाम दिया गया विनान आश्रम। यहीं से मेरा ग्रामजीवन और उराफे रहनसहन के राय परिधय शुरू हुआ। उन्हें कुशलताएँ और अपने व्यवहार, रहन राहन तथा उपाय दूष निकालने की योग्यता मुझे यहीं जानने

को मिली। मैं तीन वर्ष किसान आश्रम में रहा। उसके बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वसन का कार्य चलता था उसमें सहयोग देने के लिए मैं दिल्ली गया। उस दौरान मेरा अनेक लोगों के साथ परिषय हुआ। उसमें मुख्य थीं कमलादेवी चट्टोपाध्याय और ढों राममनोहर लोहिया। १९४७ से १९४९ के दौरान श्री रामस्वरूप श्री सीताराम गोयल श्री रामकृष्ण चाँदीवाले (उनके घर में मैं महीनों रहा) श्री नरेन्द्र दत्त श्रीमती स्वर्णा दत्त श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन श्री रूपनारायण श्री एस के सक्सेना श्री ब्रजमोहन तूफान श्री अमरेश सेन श्री गोपालकृष्ण आदि के साथ भी मित्रता हुई।

दिल्ली में भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों ने कहा कि फिलिस्तीन के यहौदी इज़रायल नामक छोटा देश बना रहे हैं। वहाँ सामूहिकता के आधार पर जीवन रचना के महत्वपूर्ण प्रयास हो रहे हैं। उन लोगों ने इन्हें आकर्षक ढग से उसका बर्जन किया कि मैंने इज़रायल जाकर यह देखकर आने का निर्णय किया। नवम्बर १९४९ में इज़रायल जाने के लिए मैं इस्लैण्ड गया। वहाँ आठदस महीने रह कर नवम्बर-दिसम्बर में मैं पत्नी फिलिस के साथ इज़रायल तथा अन्य अनेक देशों में गया। इज़रायल के लोगों ने जो कर दिखाया था वह तो बहुत प्रशसनीय और श्रेष्ठ कार्य था परन्तु भारतीय ग्रामरचना और भारतीय व्यवस्थाओं में उस का बहुत उपयोग नहीं है ऐसा भी लगा।

जनवरी १९५० में मैं और फिलिस हृषीकेश के निकट निर्माणाधीन भीराबहन के पशुलोक में पहुँच गये। वहाँ भीराबहनने मेरे अन्य मित्रों और सविशेष मार्क्सवादी मित्र जयप्रकाश शर्मा के साथ मिलकर एक नए छोटे गाँव की रचना की शुरुआत की थी। उसका नाम रखा गया 'बापूग्राम'। गाँव ५० घरों का था। उसमें सभी पहाड़ी और मैदानी जाति के लोग साथ रहेंगे ऐसा प्रयास किया था। यह भी ध्यान रखा गया कि लोग अत्यन्त गरीब हों। परन्तु उस के कारण गाँव की रचना का काम अधिक कठिन हो गया। गाँव के लोगों के कट बढ़े। गाँव में ५०० एकड़ जमीन थी किन्तु अनेक जगली जानवर भी वहाँ घूमते थे। हाथी भी वहाँ आता-जाता रहता। इस लिए प्रारम्भ में खेती भी बहुत दुष्कर थी। खेती में कुछ बचता ही नहीं था। आज भी यह गाँव जैसे तैसे टिका हुआ है। १९५७ से गाँव के साथ मेरा सम्बन्ध ठीक-ठीक बढ़ा। मैं विभिन्न पदायतों का अध्ययन करता था। इसलिए गाँव के लोगों की समझदारी और अपने प्रश्नों की ओर देखने और उसे हल करने का उनका दृष्टिकोण भलीभांति ध्यान में आने लगा। इस बात का भी एहसास होने लगा कि अपने अधिकाश शहरी और समृद्ध लोग गाँव को जानते ही नहीं। राजस्थान आधिप्रदेश तमिलनाडु उड़ीसा आदि राज्यों में तो यह एहसास सविशेष हुआ। इस एहसास के कारण ही मैं १९६४-६५ में सन् १९०० के आसपास के अग्रेजों

द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों के अध्ययन की ओर मुड़ा।

सनगम १७५० से १८५० तक अग्रेजों ने सरकारी अथवा गैर सरकारी स्तर पर इस्लैण्ड में रहने वाले अपने अधिकारियों तथा परिपितों को लिखे पत्रों की संख्या शायद करोड़ों दस्तावेजों में होगी। उसमें ८० से ८५ प्रतिशत की प्रतिलिपियां भारत के बोलकर्ता मद्रास मुम्बई दिल्ली लखनऊ आदि के अभिलेखागारों में थी हैं। लन्दन की ग्रिटिश इंडिया ऑफिस में और अन्य अनेक अभिलेखागारों में पौध से सात प्रतिशत ऐसे भी दस्तावेज होंगे जो भारत में नहीं होंगे। उसमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके अध्ययन से अग्रेजों ने भारत में क्या किया यह समझ में आता है। उस समय के इस्लैण्ड के समाज और शासन तत्र की यदि हमें जानकारी होगी तो अग्रेजों ने भारत में जो किया उसे समझने में सहायता मिल सकती है।

१९५७ से ही जब मैं एवार्ड (Association of Voluntary Agencies for Rural Development [AVARD]) का मंत्री बना तब से ही अनेक प्रकार से सीखने का अयरार मिला और अनेक व्यक्तियों की अनेक प्रकार से सहायता भी मिली। उसमें मुख्य थे श्री अष्टाराहय सहयमुद्दे और श्री जयप्रकाश नारायण। माणपुर के श्री आर के पाटिल ने भी १९५८ से १९८० तक इस काम में बहुत रुचि ली और अलग अलग ठंग से सहायता करते रहे। श्री आर के पाटिल पुराने आई सी एस थे योजना अध्योग के सदस्य थे पूर्व मध्यप्रदेश के मंत्री थे और विनोया जी के निकटवर्ती थे। १९७१ से गार्थी शासि प्रतिष्ठान के मंत्री श्री राधाकृष्ण का सहयोग भी यहुत मूल्यवान था। इसी प्रकार गार्थी विद्या संस्थान और पटना की अनुग्रह नारायण रिन्हा इन्स्टीट्यूट का भी सहयोग मिला। ठों ढी एस कोठारी भी शुल्क से ही उसमें लघि सेते थे।

१९७१ में 'इंडियन राष्ट्रन्तर एण्ड ट्रेनोलॉजी इन द एटी-थ सेन्चुरी Indian Science and Technology In the Eighteenth Century' और सिविल डिराओमिडियन्स इन इंडियन ट्रेडिशन' Civil Disobedience in Indian Tradition ऐसी दो पुस्तकें प्रकाशित हुईं। उनका विमोचन विधिविदातय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ठों दौलतसिंह कोठारी ने किया। पहले ही दिन से उस पुस्तक का परिघय करनेवाले प्रजा समाजवादी पक्ष के नेता और साहित्यकार श्री गणाराज रिन्हा विवेकनन्द येन्स फन्याकुमारी के श्री एन्नाय राम्हे और अमेरिया की दर्पत्ते यनिवरिटी पे प्रोफेसर यजिन ईरिंग थे। ईरिंग के मतानुसार 'सिविल डिराओमिडियन्स इन इंडियन ट्रेडिशन' मेरी रायसे उत्तम पुस्तक नहीं। श्री रामस्वरप्य और श्री ए बी घटर्जी जो आई सी एस थे और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्रा के संपिय थे उनके मतानुसार 'इंडियन राष्ट्रन्तर एण्ड

टेक्नोलॉजी इन द एटीन्थ सेन्चुरी' अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक थी। १९७१ से १९८५ के दौरान इन दोनों पुस्तकों का अनेक प्रकार से उपलब्ध होता रहा। देशभर में इसका उपलब्ध करनेवालों में मुख्य थे श्री जयप्रकाश नारायण श्री रामस्वरूप और राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ के श्री एकनाथ रानडे प्रोफेसर राजेन्द्रसिंह और वर्तमान सरसंघचालक श्री सुदर्शन जी।

अभी तक ये पुस्तकों मुख्य रूप से अंग्रेजी में ही हैं। उसका एक विशेष कारण यह है कि उसमें समाविष्ट दस्तावेज सन् १८०० के आसपास अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय लोगों ने अंग्रेजी में ही लिखे हैं। प्रारम्भ में ही यह सब हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा में प्रकाशित करना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन जब तक यह सब भारतीय भाषाओं में प्रकाशित नहीं होता तब तक सर्वसामान्य लोग दो सौ वर्ष पूर्व के भारत के विषय में न जान सकेंगे न समझ सकेंगे और न ही चर्चा कर सकेंगे।

इसलिए इन पुस्तकों का अब हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रकाशित हो रहा है यह बहुत प्रशंसनीय कार्य है।^१

मैं १९६६ तक अधिकाशत इस्लैण्ड और सविशेष लन्दन में रहा। उस समय भारत से सम्बन्धित वहाँ स्थित दस्तावेजों में से पांच अथवा दस प्रतिशत सामग्री का मैंने अवलोकन किया होगा। उनमें से कुछ मैंने ध्यान से देखे कुछ की हाथ से नकल उतार ली अनेकों की छायाप्रति बना ली। उस दौरान बीच बीच में भारत आकर कोलकाता लखनऊ मुम्बई दिल्ली और चेन्नई के अभिलेखागारों में भी कुछ नए दस्तावेज देखे।

उन दस्तावेजों के आधार पर अभी गुजरात से प्रकाशित हो रही अधिकाश पुस्तकों तैयार की गई हैं। ये पुस्तकें जिस प्रकार सन् १८०० के समय के भारत से सम्बन्धित हैं उसी प्रकार १८८० से १९०३ के दौरान गोहत्या के विरोध में हुए आन्दोलन के और १८८० के बाद के दस्तावेजों के आधार पर लिखी गई हैं। उनमें एकाध पुस्तक इस्लैण्ड और अमेरिका के समाज से भी सम्बन्धित है। इसकी सामग्री इस्लैण्ड में मिली है और यह पढ़ी गई पुस्तकों के आधार पर तैयार की गई है।

१९६० से शुरू हुए इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य दो सौ वर्ष पूर्व के भारतीय समाज को समझना ही था। लेकिन मात्र जानना समझना पर्याप्त नहीं है। उसका इतना महत्व भी नहीं है। महत्व तो यह जानने समझने का है कि अंग्रेजों से पूर्व का स्वतंत्र भारत जहाँ उसकी स्थानिक इकाइया अपनी अपनी दृष्टि और आवश्यकतानुसार अपना समाज चलाती थी। वह कैसा रहा होगा। अधानक १९६४-६५ में घेन्हर्स के एगमोर

अभिलेखागार में ऐसी सामग्री मुझे मिली और ऐसी ही सामग्री इस्टैण्ड में उससे भी सरलता से मिली। यदि मैं पोर्टुगल और हॉलैण्ड की भाषा जानता था १६ वीं १७ वीं सदी में वहाँ भी भारत के विषय में क्या लिखा गया है यह जान पाता। खोजने के बाद, भी घालीस वर्ष पूर्व भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के वर्णन नहीं मिले।

हमें तो गत दो तीन हजार वर्ष के भारत और उसके समाज को समझने की आवश्यकता है। हम जब उस तरह से समझेंगे तभी भारतीय समाज की पारस्परिक व्यवस्थाओं तत्रों कुशलताओं और आज की अपनी आवश्यकताओं और अपनी क्षमता के अनुसार पुनर्स्थापना की रीति भी जान लेंगे और समझ सेंगे।

भारत बहुत विशाल देश है। घार पाँच हजार वर्षों में पहोसी देश - ब्रह्मदेश श्रीलक्ष्मी धीन जापान कोरिया मंगोलिया इकोनोशिया वियतनाम कम्बोडिया मलेशिया अफगानिस्तान ईरान आदि के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। भारतीयों का स्वभाव और उनकी मान्यताएँ उन देशों के साथ यहुत मिलती जुलती हैं। सन् १५०० के बाद एशिया पर यूरोप का प्रभाव बढ़ उसके बाद उन सभी पहोसी देशों के साथ की पारस्परिकता लगभग समाप्त हो गई है। उसे पुनर्स्थापित करना जरूरी है। इसी प्रकार यूरोप खासकर इस्टैण्ड और अमेरिका के साथ तीन सौ घार सौ वर्षों से जो सम्बन्ध बढ़े हैं उनका भी समझ मूक्षकर फिर से मूल्याकन करना जरूरी है। यह हमारे लिए और उनके लिए भी श्रेयस्कर होगा। देशों को मिना जरूरत से एक दूसरे के अधिक निकट लाना अथवा एवं देश दूसरे देश की ओर ही देखता रहे यह भविष्य की दृष्टि से भी कष्टदायी साधित हो सकता है।

मफरसप्राप्ति

१४ जनवरी २००५

घौप शुद्ध ५ युगांड ५९०६

धर्मपाल

आश्रम प्रतिष्ठान

सेवाग्राम

जिला यर्थ (महाराष्ट्र)

^१ एवं इनका दुर्गमी अनुग्रह के लिये नियो न्हीं है। विनो अनुग्रह के लिये ही जरूरती ही ही भूला है अनुग्रह पर्याप्त बनाना है। यूर इन्डिया कियो ही है। नवाची के लिये उसका अनुग्रह नियम बना है। ^२

सम्पादकीय

१

सन् १९९२ के जनवरी मास में बैंग्रई में विद्याभारती का प्रधानाचार्य सम्मेलन था। उस सम्मेलन में श्री धर्मपालजी पधारे थे। उस समय पहली बार The Beautiful Tree के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। दो वर्ष बाद कोई स्वतूर में यह पुस्तक खरीद की और पढ़ी। पढ़कर आश्चर्य और आघात दोनों का अनुभव हुआ। आश्चर्य इस बात का कि हम इतने वयों से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हैं तो भी इस पुस्तक में निरूपित तथ्यों की लेशमात्र जानकारी हमें नहीं है। आघात इस बात का कि शिक्षा विषयक स्थिति ऐसी दारण है तो भी हम उस विषय में कुछ कर नहीं रहे हैं। जो चल रहा है उसे सह लेते हैं और उसे स्वीकृत बात ही मान लेते हैं।

तभी से उस पुस्तक का प्रथम हिन्दी में और बाद में गुजराती में अनुवाद करके अनेकानेक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों तक उसे पहुँचाने का विचार मन में बैठ गया। परन्तु वर्ष के बाद वर्ष बीतते गये। प्रवास की निरन्तरता और अन्यान्य कार्यों में व्यस्तता के कारण मन में स्थित विचार को मूर्त स्वरूप दे पाने का अवसर नहीं आया। इस बीच विद्या भारती विदर्भ ने इसका सक्षिप्त मराठी अनुवाद प्रकाशित किया। भारतीय विद्या मानस एवं काल ‘भारत का स्वधर्म’ जैसी पुस्तिकार्ये भी पढ़ने में आयी। अनेक कार्यकर्ता भी इसका अनुवाद होना चाहिये ऐसी बात करते रहे। इस बीच पूजनीय छितरुचि किजय महाराजजी ने गोवा के द अदर इंडिया बुक प्रेस’ द्वारा प्रकाशित पाद्य पुस्तकों का सच दिया और पढ़ने के लिये आग्रह भी किया। इन सभी बारों के निमित्त से अनुवाद भले ही नहीं हुआ परन्तु अनुवाद का विचार मन में जाग्रत ही रहा। उसका निरन्तर पोषण भी होता रहा। चार वर्ष पूर्व मुझे विद्याभारती की राष्ट्रीय विद्वत् परिषद के संयोजक का दायित्व मिला। तब मन में इस अनुवाद के विषय में निष्पत्ति सा हुआ। उस विषय में कुछ ठोस बातें होने लगी। अन्त में पुनरस्थान द्रस्ट इस अनुवाद का प्रकाशन करेगा ऐसा निष्पत्ति युगान्ध ५१०६ की व्यास पूर्णिमा को हुआ। सर्व प्रथम तो यह अनुवाद

हिन्दी में ही होना था। उसके बाद हिन्दी एवं गुजराती दोनों भाषाओं में करने का विवाद हुआ। परन्तु इस कार्य के व्याप को देखते हुए लगा कि दोनों कार्य एक साथ नहीं हो पायेंगे। एक के बाद एक करने पड़ेंगे।

साथ ही ऐसा भी लगा कि यह कैवल प्रकाशन के लिये प्रकाशन अनुबाद के लिये अनुबाद तो है नहीं। इसका उपयोग विद्वान्कर्णे और हमारे छात्रों तक इन बातों को पहुँचाने की कोई ठोस एवं व्यापक योजना बने इस हेतु से इस सामग्री का भारतीय भाषाओं में होना आवश्यक है। ऐसे ही कार्यों को यदि चालना देनी है तो प्रथम इसका केव्र रीमिट करके ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा। इस दृष्टिसे प्रथम इसका गुजराती अनुबाद प्रकाशित करना ही अधिक उपयोगी लगा।

निर्णय हुआ और तैयारी प्रारम्भ हुई। सर्व प्रथम श्री धर्मपालजी की अनुमति आवश्यक थी। हम उन्हें जानते थे परन्तु वे हमें नहीं जानते थे। परन्तु हमारे कार्य हमारी योजना और हमारी तैयारी जब उन्होंने देखी तब उन्होंने अनुमति प्रदान की। साथ ही उन्होंने अपनी और पुस्तकों के विषय में भी यताया। इन सभी पुस्तकों के अनुबाद का सुझाव भी दिया।

हम फिर ऐठे। फिर विद्यार हुआ। अन्त में निर्णय हुआ कि जब कर ही रहे हैं तो काम पूरा ही किया जाय।

इस प्रकार एक रो पाघ और पाघ से यारह पुस्तकों के अनुबाद की योजना आखिर बन गई।

योजना तो बन गई परन्तु आगे का काम बहा विस्तृत था। मिशन मिशन प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित मूल अंग्रेजी पुस्तकों प्राप्त करना उन्हें पढ़ना उनमें से चयन करना अनुबादक निर्धारित करना आदि समय सेनेवाला काम था। अनुबादक मिलते गये कई पापे अनुबादक खिसकते गये अनेपक्षित रूप से नये मिलते गये और अन्त में पुस्तक और अनुबादकों ये जोही बनकर कार्य प्रारम्भ हुआ और सन २००५ और युगाम्ब ५१०६ की वर्ष प्रतिपदा को कार्य सम्पन्न भी हो गया। १६ अप्रैल २००५ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय रारराघवालक माननीय सुदर्शनजी एवं स्वयं श्री धर्मपालजी की उपस्थिति में तथा अनेपक्षित रूप से बड़ी रात्रिया में उपस्थित शोतारामूह ऐ मध्य इन गुजराती पुस्तकों का सोकार्पण हुआ।

प्रकाशन ऐ माद भी इसी अच्छा प्रतिराद मिला। विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों ग्राम्यालयों में एवं विद्वानों तक इन पुस्तकों पो पहुँचाने में हमें पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। साथ ही रात्रि महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के अध्यापकों एवं

प्रधानाधार्यों के बीच इन पुस्तकों को लेकर गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ।

इसके बाद सभी ओर से हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने का आग्रह यदने लगा। स्वयं श्री धर्मपालजी भी इस कार्य के लिये प्रेरित करते रहे। अनेक वरिष्ठजन भी पूछताछ करते रहे। अन्त में इन ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन तय हुआ। गुजराती अनुवाद कार्य का अनुभव था इसलिये अनुवादक ढूँढ़ने में इतनी कठिनाई नहीं हुई। सौभाग्य से अच्छे लोग सरलता से मिलते गये और कार्य सम्पन्न होता गया। आज यह आपके सामने है।

इस सब में कुल दस पुस्तकें हैं। (१) भारतीय विच मानस एव काल (२) १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तत्त्वज्ञान (३) भरतीय परम्परा में असहयोग (४) रमणीय वृक्ष १८ वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा (५) पथायत राज एव भारतीय राजनीति तत्र (६) भारत में गोहस्त्या का अग्रेजी मूल (७) भारत की लूट एव वदनामी (८) गांधी को समझे (९) भारत की परम्परा एव (१०) भारत का पुनर्बोध। सर्व प्रथम पुस्तक १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एव तत्त्वज्ञान' १९७१ में प्रकाशित हुई थी और अन्तिम पुस्तक भारत का पुनर्बोध' सन् २००३ में। इनके विषय में तैयारी तो सन् १९६० से ही प्रारम्भ हो गई थी। इस प्रकार यह ग्रन्थसमूह घालीस से भी अधिक वर्षों के निरन्तर अध्ययन एव अनुसन्धान का परिणाम है।

२

विश्व में प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। यह पहचान उसकी जीवनशैली परम्परा मान्यताओं दैनन्दिन व्यवहार आदि के द्वारा निर्मित होती है। उसे ही सत्सृप्ति कहते हैं।

सामान्य रूप से विश्व में दो प्रकार की विचारशैली व्यवहारशैली दिखती हैं। एक शैली दूसरों को अपने जैसा बनाने की आकृक्षा रखती है। अपने जैसा ही बनाने के लिए यह जबर्दस्ती शोषण कर्त्त्वात्मक आदि करने में भी हिंदूकिंचाती नहीं यहा तक की ऐसा करने में दूसरा समाप्त हो जाय तो भी उसे परवाह नहीं। दूसरी शैली ऐसी है जो सभी के स्वत्व का समादर करती है उनके स्वत्व को बनाए रखने में सहायता करती है। ऐसा करने में दोनों एक दूसरे से प्रभायित होती हैं और सहज परिवर्तन होता रहता है फिर भी स्वत्व बना रहता है।

यह तो स्पष्ट है कि इन दोनों में से पहली यूरोपीय अध्यवा अमेरिकी शैली है तो दूसरी भारतीय। इन दोनों के लिए क्रमश 'पाक्षात्य' और 'प्राच्य' ऐसी अधिक व्यापक

सज्जा का प्रयोग हम करते हैं।

यह तो सर्वविदित है कि भारतीय सास्कृति यित्र में अति प्राचीन है। केवल प्राचीन ही नहीं तो समृद्ध सुव्यवस्थित सुसस्कृत और विकसित भी है।

परन्तु आज से ५०० वर्ष पूर्व यूरोप ने विस्तार करना शुरू किया। समग्र वित्त और फैल जाने की उसको आकाशा थी। विद्र के अन्य देशों के साथ भारत भी उसका स्वयं था। इलैण्ड में ईस्ट इंडिया कम्पनी बनी। वह भारत में आई। समुद्रतटीय प्रदेशों में उसने अपने व्यापारिक केन्द्र बनाए। उन केन्द्रों को फिले कम नाम और रूप दिया उनमें सैन्य भी रखा धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ प्रदेश जीतने और अपने घरजे में लेने का काम शुरू किया। साथ ही साथ ईसाईकरण भी शुरू किया। सन् १८२० तक लगभग सम्पूर्ण भारत अंग्रेजों के कब्जे में चला गया।

भारत के अपने जैसा बनाने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ की सभी व्यवस्थाओं प्रशासकीय और शासकीय सामाजिक और सास्कृतिक आर्थिक और व्यावसायिक शैक्षणिक और नागरिक को सोड़ना शुरू किया। उन्होंने नए कार्यदे कानून बनाए नई व्यवस्थाएं बनाई सरचनाओं का निर्माण किया। भई सामग्री और भई पद्धति ये रक्कानी की और जबरदस्ती से उसका अमल भी किया। यह भी सध है कि उन्होंने भारत में आकर जो कुछ किया उसमें से अधिकांश तो इलैण्डमें अस्तित्व में था। इसके कारण भारत दरिद्र होता गया। भारत में वर्षा सार्पण पैदा हुए। लोग स्थानी के स्थान पर दास बन गए। एक ऐसे विराट राष्ट्रसी अभानुपी व्यवस्था के पुर्व बन गये जिसे ये फिल्मुल मानते नहीं समझते नहीं और स्वीकार भी करते नहीं थे। यद्योऽपि यह उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था।

भारत की शिक्षाव्यवस्था की उपेक्षा करते करते उसे नट कर उराये स्थान पर यूरोपीय शिक्षा लागू करने प्रतिष्ठित करने का कार्य भारत को लोडने की प्रतिक्रिया में रिक्तमौर था। यद्योऽपि यूरोपीय शिक्षाप्राप्त लोगों के विद्यार मानस व्यवहार दृष्टिकोण सभी कुछ बदलने लगा। उसपा परिणाम राष्ट्राधिक शोषनीय और घातक हुआ। हमें गुलामी रास आने लगी। दैन्य अखरना बन्द हो गया। अंग्रेजों का दास बनने में ही हमें गौरव पा अनुभव होने लगा। जो भी यूरोपीय है वह विकसित है आधुनिक है ऐठ है और जो भी अपना है वह निकृष्ट है हीन है और सजास्पद है गया बीता है ऐसा हमें लाने सका। अपनी शिक्षण रास्थाओं में हम यही मानरिक्षा और यही पिद्यार एक में

बाद एक आनेवाली पीढ़ी को देते गए। इस गुलामी की मानसिकता के आगे अपनी विषेकशील और तेजस्वी बुद्धि भी दम गई। यूरोपीय या यूरोपीय जैसा बनना ही हमारी आकाशा बन गई। देश को ऐसा ही बनाने का प्रयास हम करने लगे। अपनी सरचनाएँ पद्धतिया संस्थाएँ ऐसी ही बन गई।

गांधीजी १९१५ में दक्षिण अफ्रिका से भारत आए तब भारत रेसा था। उन्होंने जनमानस को जगाया उसमें प्राण पूके चसकी भावनाओं को अपने बाजी और व्यवहार में अभिव्यक्त कर भारत के लिए योग्य हजारों वर्षों की परम्परा के अनुसार व्यवस्थाओं गतिविधियों और पद्धतियों को प्रतिष्ठित किया और भारत को फिर से भारत बनाने का प्रयास किया। स्वतंत्रता के साथ साथ स्वराज को भी लाने के लिए वे जूँझे।

परंतु स्वतंत्रता मात्र सत्ता का हस्तान्तरण (Transfer of Power) ही बन कर रह गया। उसके साथ स्वराज नहीं आया। सुराज्य की सो कल्पना भी नहीं कर सकते।

आज की अपनी सारी अनवस्था का मूल यह है। हम अपनी जीवनशैली चाहते ही नहीं हैं। स्वतंत्र भारत में भी हम यूरोप अमेरिका की ओर मुँह लगाये भेठे हैं। यूरोप के अनुयायी बनना ही हमें अच्छा लगता है।

परन्तु, यह क्या समग्र भारत का सच है ? नहीं भारत की अस्ती प्रतिशत जनसंख्या यूरोपीय विद्वार और शैली जानती भी नहीं और मानती भी नहीं है। उसका उसके साथ कुछ लेना देना भी नहीं है। उनके रीतिरिवाज मान्यताएँ पद्धतिया सब ऐसी की वैसी ही हैं। केवल शिक्षित लोग उन्हें पिछड़े और अधिविकासी कहकर आलोचना करते हैं उन्हें नीचा दिखाते हैं और अपने जैसा बनाना चाहते हैं। यही उनकी विकास और आधुनिकताकी कल्पना है।

भारत वस्तुत तो उन लोगों का बना हुआ है उन का है। परन्तु जो यीस प्रतिशत लोग हैं वे भारत पर शासन करते हैं। वे ही कायदे कानून बनाते हैं और न्याय करते हैं वे ही उद्योग चलाते हैं और कर योजना करते हैं। वे ही पदाते हैं और नौकरी देते हैं वे ही खानपान वेशभूषा भाषा और कला अपनाते हैं (जो यूरोपीय हैं) और उनको विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिष्ठित करते हैं। यहाँ के अस्ती प्रतिशत लोगों को वे पराये मानते हैं बोझ भानते हैं उनमें सुधार लाना चाहते हैं और वे सुधरते नहीं इसलिए उनकी आलोचना करते हैं। वे लोग स्वयं सो यूरोपीय जैसे बन ही गए हैं दूसरों को भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं। वे जैसे कि भारत को यूरोप के हाथों बेघना ही चाहते हैं जिन लोगों का भारत है वे तो उनकी गिनती में ही नहीं हैं।

इस परिस्थिति को हम यदि बदलना चाहते हैं तो हमें अध्ययन करना होगा -

स्वयं का अपने इतिहास का और अपने समाज का। भारत को तोड़ने की प्रक्रिया को जानना और समझना पड़ेगा। भारत का भारतीयत्व यह है कि स्मरण है कि जिस प्रकार बना हुआ है यह सब जानना और समझना पड़ेगा। मूल बातों को पहचानना होगा। देश के अस्सी प्रतिशत लोगों का स्वभाव उनकी आकाशाएँ उनकी व्यवहारशैली को जानना और समझना पड़ेगा। उनका मूल्याक्षर पक्षिमी मापदण्डों से नहीं अपितु अपने मापदण्डों से यहना पड़ेगा। उसका रक्षण पोषण और सर्वार्थन कैसे हो यह देखना पड़ेगा। भारत के लोगों में साहस सम्मान आत्मगौरव जाग्रत करना पड़ेगा। भारत के पुनरुत्थान में उनकी मुद्दि भावना कर्तृत्वशक्ति और कुशलताओं का उपयोग कर उन्हें सभे अर्थ में सहभागी बनाना पड़ेगा। यह सब हमें पाक्षात्य प्रकार की युनिवर्सिटीयों से नहीं अपितु सामान्य 'अशिक्षित' अर्धशिक्षित लोगों से सीखना होगा।

आज भी यूरोप यहने की इच्छा करनेवाला भारत द्वारा से प्रयास कर रहा है और कुठाओं का शिकार बन रहा है। भारतीय भारत उत्तम रहा है छटपटा रहा है और शोषित हो रहा है। भाष्य केवल इसना है कि क्षीणप्राण होने पर भी भारतीय भारत गतप्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी आशा है - उसे सही अर्थ में स्वाधीन बनाकर रामृद्ध और सुसंस्कृत बनाने की।

३

धर्मपालजी यी इन पुस्तकों में इन सभी प्रक्रियाओं का क्रमवद् विस्तृत निरूपण किया गया है। अंग्रेज भारत में आए उसके बाद उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए किन धारायाजियों को अपनाया कैसा छल और क्षेट्र किया यिन्होंने अत्याधार किए और किस प्रकार धीरे धीरे भारत टूटता गया किस प्रकार यद्दलती परिस्थितियों का अवशता से स्थीकर होता गया उसका अभिलेखों के प्रमाणों राहित विवरण इन ग्रन्थों में मिलता है। इंस्टैण्ड के और भारत ये अभिलेखागारों में बैठकर रात दिन उसकी भवत्व उत्तार सेने का परिश्रम कर धर्मपालजी ने अंग्रेज यलेयटरों गवर्नरों याइसरायों ने लिखे पत्रों रूपनाओं और आदेशों को एकत्रित किया है उनका अध्ययन कर के निष्कर्ष निकले हैं और एक अध्ययनशील और पिछल व्यक्ति ही वर सकता है ऐसे राहरा से स्पष्ट भाषा में हमारे लिये प्रस्तुत किया है। लगभग यासीस वर्ष के अध्ययन और शोषण यह प्रतीक्षा है।

परन्तु इसके कल्पन्यरूप हमारे लिए एक बड़ी धुनौरी निषष्टि होती है पर्याफि -

- आजपल विषयितात्मयों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास रो यह इतिहास भिन्न

है। हम तो अग्रेजों द्वारा तैयार किए और कराए गए इतिहास को पढ़ते हैं। यहों अग्रेजों ने ही लिखे लेखों के आधार पर निरूपित इतिहास है। विज्ञान और सत्रज्ञान की जो जानकारी उसमें है वह आज पढ़ाई ही नहीं जाती।

- कृषि अर्थव्यवस्था कर्पद्धति व्यवसाय कारीगरी आदि की अत्यत आश्वर्यकारक जानकारिया उसमें है। भारत को आर्थिक रूप में बेहाल और परावलम्बी बनानेवाला अर्थशास्त्र आज हम पढ़ते हैं। यहों दी गई जानकारियों में स्वाधीन भारत को स्वावलम्बन के मार्ग पर चल कर समृद्धि की ओर ले जानेवाले अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों की सामग्री हमें प्राप्त होती है।
- व्यक्ति को यिस प्रकार गौरवहीन बनाकर दीनहीन बना दिया जाता है इसका निरूपण है साथ ही उस सकट से कैसे निकला जा सकता है उसके सकेता भी है।

संस्कृति और समाजव्यवस्था के मानवीय स्वरूप पर किस प्रकार आग्रहित होता है किस प्रकार उसे यत्र के अधीन कर दिया जाता है इसका विस्तैरण यहों है। साथ ही उसके शिकार बनने से कैसे बचा जा सकता है उसके लिए दृढ़ता यिस प्रकार प्राप्त होती है इसका विचार भी प्राप्त होता है।

यह सब अपने लिए चुनौती इस रूप में है कि आज हम अनेक प्रकार से अज्ञान से ग्रस्त हैं।

हमारा अज्ञान कैसा है ?

शिक्षण विषय के वरिठ अध्यापक सहजस्लप से मानते हैं कि अग्रेज आए और अपने देश में शिक्षा आई। उन्हें जब यह कहा गया कि १८ वीं शती में भारत में लाखों की सख्त्या में प्राथमिक विद्यालय थे और चार सौ की जनसख्त्या पर एक विद्यालय था तो वे उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें जब The Beautiful Tree दिखाया गया तो उन्हें आश्वर्य हुआ (परन्तु रोमाच अथवा आनन्द नहीं हुआ।)

- शिक्षाधिकारी शिक्षासंघिव शिक्षा महाविद्यालय के अध्यापक अधिकाशत इन बातों से अनभिज्ञ हैं। कुछ जानते भी हैं तो यह जानकारी यहुत ही सतही है।

यह अज्ञान सार्वत्रिक है केवल शिक्षा विषयक ही नहीं अपितु सभी विषयों में है।

इसका अर्थ यह हुआ कि हम स्वयं को ही नहीं जानते अपने इतिहास को नहीं जानते स्वयं को हुई हानि को नहीं जानते और अज्ञानियों के स्वर्ग में रहते हैं। यह स्वर्ग भी अपना नहीं है। उस स्वर्ग में भी हम गुलाम हैं और पश्चिममुखापेक्षी पराधीन बनकर रह रहे हैं।

४

इस सकट से मुक्त होना है तो मार्ग है अध्ययन का। धर्मपालजी की पुस्तके अपने पास अध्ययन की सामग्री लेकर आई हैं हम सो रहे हैं तो हमें जगाने के लिए आई हैं जाग्रत हैं तो झकझोरने के लिए आई हैं दुर्बल हैं तो सबल बनाने के लिए आई हैं क्षीणप्राण हुए हैं तो प्राणवान बनाने के लिए आई हैं।

ये पुस्तकें विस्तके लिए हैं ?

ये पुस्तकें इतिहास अर्थशास्त्र समाजशास्त्र शिक्षाशास्त्र जिसे आज की भाषा में हूमेनिटीज कहते हैं उसके विद्वानों चिन्तकों शोधकों अध्यापकों और छात्रों के लिए हैं।

ये पुस्तकें भारत को सही मायने में स्वाधीन समृद्ध सुसस्कृत बुद्धिमान और कर्तृत्वदान बनाने की आकांक्षा रखने वाले यौद्धिकों सामान्यजनों सम्थाओं समाजों और कार्यकर्ताओं के लिए हैं।

ये पुस्तकें शोध करने वाले विद्वानों और शोधछात्रों के लिए हैं।

प्रश्न यह है कि इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद क्या करें ?

धर्मपालजी स्वयं कहते हैं कि पढ़कर क्षेत्र विद्या के उद्गार अथवा पुस्तकों की सामग्री एकत्रित करने के परिश्रम के लिए लेखक को शाबाशी देना पर्याप्त नहीं है। उसरो अपना सकट दूर नहीं होगा।

आवश्यकता है इस दिशा में शोध को आगे यड़ाने की भारत की १८ वीं १९ वीं शताब्दी से सम्बन्धित दस्तावेजों में से कदायित पाय सात प्रतिशत का ही अध्ययन इस में हुआ है। अभी भी लन्डन के भारत की केन्द्र सरकार के तथा राज्यों के अभिलेखागारों में ऐसे असंख्य दस्तावेज अध्ययन की प्रतीक्षा में हैं। उन सभी यम अध्ययन और शोध करने की योजना महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों शैक्षिक रांगठनों और सरकार मे करना आवश्यक है। आवश्यकता के अनुराग इस कार्य के लिए अध्ययन और शोध की स्थानीय और दैशी प्रकार की संस्थाएं भी बनाई जा सकती हैं।

इसके लिए ऐसे अध्ययनशील छात्रों की आवश्यकता है। इन छात्रों को मार्गदर्शन तथा सरकार प्राप्त हो यह देखना चाहिये।

अध्यारह

साथ ही एक साहसपूर्ण कदम उठाना जरुरी है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के इतिहास समाजशास्त्र अर्थशास्त्र आदि विषयों के अध्ययन मण्डल (बोर्ड ऑफ़ स्टडीज़) और विद्वत् परिषदों (एकेडमिक काउन्सिल) में इन विषयों पर धर्म होनी चाहिए और पाठ्यक्रमों में इसके आधार पर परिवर्तन करना चाहिए। युनिवर्सिटी ग्रन्थ निर्माण बोर्ड इसके आधार पर सन्दर्भ पुस्तकें तैयार कर सकते हैं। ऐसा होगा तभी जानेवाली पीढ़ी को यह जानकारी प्राप्त होगी। यह केवल जानकारी का विषय नहीं है यह परिवर्तन का आधार भी बनना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए व्यापक धर्म जहा सम्भव है ऐसी गोष्ठियों एवं चर्चा सत्रों का आयोजन करना चाहिए।

इसके आधार पर रूपान्तरण कर के जनसामान्य तक ये बातें पहुँचानी चाहिए। कथाएँ नाटक वित्र प्रदर्शनी तैयार कर उस समग्री का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। इससे जनसामान्य के मन में स्थित सुषुप्त भावनाओं और अनुभूतियों का यथार्थ प्रतिभाव प्राप्त होगा।

माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले किशोर और बाल छात्रों के लिए उपयोगी वाधनसामग्री इसके आधार पर तैयार की जा सकती है।

ऐसा एक प्रबल गौद्धिक जनमत तैयार करने की आवश्यकता है जो इसके आधार पर स्थार्थ निर्माण करे घलाये व्यवस्था का निर्माण करे। या तो सरकार के या सार्वजनिक स्तर पर व्यवस्था बदलने की और नहीं तो सभी व्यवस्थाओं को अपने नियन्त्रण से मुक्त कर जनसामान्यके अधीन करने की अनिवार्यता निर्माण करे। सदा लोकतत्र तो यही होगा।

बन्धन और जकड़न से जन सामान्य की शुद्धि को मुक्त करनेवाली लोगों के मानस कौशल उत्साह और मौलिकता को मार्ग देने वाली उनमें आत्मविद्यास का निर्माण करनेवाली और उनके आधार पर देश को फिर से उठाया और खड़ा किया जा सके इस हेतु उसका स्वत्व और सामर्थ्य जगानेवाली व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है।

इन पुस्तकों के प्रकाशन का यह प्रयोजन है।

श्री धर्मपालजी गाधीयुग में जन्मे पले। गाधीयुग के आन्दोलनों में उन्होंने भाग लिया रघनात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया भीराबहन के साथ वापूग्राम के निर्माण में वे सहभागी बने।

महात्मा गांधी के देशव्यापी ही नहीं तो विक्रमादि प्रभाव के बाद भी गांधीजी के अतिनिकट के अतिविधसनीय गांधीभक्त कहे जाने वाले लोग भी उन्हें नहीं समझ सके कुछ ने तो उन्हें समझने का प्रयास भी नहीं किया कुछ ने उन्हें समझा फिर भी उन्हें दरविनार कर सत्ता का स्वीकार कर भारत को यूरोप के तत्रानुस्त छलाया। उन नेताओं के जैसे ही विचार के लगभग दो घाँट लोग १९४७ में भारत में थे (आज उनकी संख्या शायद पाँच दस करोड़ हो गई है)। यह स्थिति देखकर उनके मन में जो मथन जागा उसने उन्हें इस अध्ययन के लिये प्रेरित किया। लन्दन के और भारत के अभिलेखागारों में से उन्होंने असख्य दस्तावेज एकत्रित किए, पठे उनका अध्ययन किया विश्लेषण किया और १८ वीं तथा १९ वीं शताब्दी के भारत का यथार्थ वित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। जीवन के पधास साठ वर्ष ये इस साधना में रहे।

ये पुस्तके मूल अंग्रेजी में हैं। उनका व्यापक अध्ययन होने के लिए ये भारतीय भाषाओं में हो यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। कुछ लेख हिन्दी में हैं और 'जनसंषो आदि ऐनिक मे और 'मधन' आदि सामग्रियों में प्रकाशित हुए हैं। मराठी सेतुगु, कश्मीर आदि भाषाओं में कुछ अनुवाद भी हुआ है परन्तु संपूर्ण और समग्र प्रयास तो गुजराती में ही प्रथम हुआ है। और अब हिन्दी में हो रहा है।

इस व्यापक शैक्षिक प्रयास का यह अनुवाद एक प्रथम चरण है।

६

इस ग्रन्थ श्रेणी में विविध विषय हैं। इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान है शासन और प्रशासन है लोकव्यवहार और राज्य व्यवहार है कृपि गोरक्षा वाणिज्य अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र भी है। इसमें भारत इर्लैंड और अमेरिका है। परन्तु सभी का फैलाविन्दु हैं गांधीजी कोंग्रेस सर्वसामान्य प्रजा और ब्रिटिश शासन।

और उनके भी केन्द्र में है भारत।

अत एक ही विषय विभिन्न स्तरों में विभिन्न सदर्मों के साथ चर्चा में आता रहता है। और फिर विभिन्न समय में विभिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार के श्रोताओं के सम्मुख और विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं के लिये भाषण और लेख भी यहां रामायित हैं। अत एक साथ पढ़ने पर उसमें पुनरावृति दिखाई देती है विचारोंकी घटनाओं की दृष्टान्तों की। सम्पादन करते समय पुनरावृति को यथासम्भव कम करने का प्रयास किया है। इसीके परिणाम स्वरूप गुजराती प्रकाशन में ११ पुस्तकें थीं और हिन्दी में १० हुई हैं। परन्तु विषय प्रतिपादन की आवश्यकता देखते हुए पुनरावृति कम करना हमेशा समय नहीं हुआ है।

फिर रार्पणा पुनरावृति दूर कर दरों नये दंग से पुनर्व्यवस्थित करना तो येदव्यारा

का कार्य हुआ। हमारे जैसे अल्प क्षमतावान लोगों के लिये यह अधिकारक्षेत्र के बाहर का कार्य है।

अत सुधी पाठकों के नीरक्षीर विवेक पर भरोसा करके सामग्री यथातथ स्वरूप में ही प्रस्तुत की है।

यहां दो प्रकार की सामग्री है। एक है प्रस्तुत विषय से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित यूरोप के अधिकारियों और बौद्धिकोंने प्रत्यक्षदर्शी प्रमाणों एव स्वानुभव के आधार पर विभिन्न प्रयोजन से प्रेरित होकर प्रस्तुत की हुई भारत विषयक जानकारी और दूसरी है धर्मपालजीने इस सामग्री का किया हुआ विस्तैषण उससे प्राप्त निष्कर्ष और उससे प्रकाशित ग्रिटिशरों के कार्यकलापों का कारनामों का अन्तरण।

इसमें प्रयुक्त भाषा दो सौ वर्ष पूर्व की अग्रेजी भाषा है सरकारी तत्र की है गैर साहित्यिक अफसरों की है उन्होंने भारत को जैसा जाना और समझा वैसा उसका निरूपण करनेवाली है। और धर्मपालजी की स्वयं की भाषा भी उससे पर्याप्त मात्रा में प्रभावित है।

फलत पढ़ते समय कहीं कहीं अनावश्यक रूप से लम्बी खींचनेवाली शैली का अनुभव आता है तो आश्चर्य नहीं।

और एक बात।

अग्रेजों ने भारत के विषय में जो लिखा यह हमारे मन मस्तिष्क पर इस प्रकार छा गया है कि उससे अलग अथवा उससे विपरीत कुछ भी लिखे जाने पर कोई उसे मानेगा ही नहीं यह भी सम्भव है। इसलिए यहाँ छोटी से छोटी बात का भी पूरा पूरा प्रमाण देने का प्रयास किया गया है। साथ ही इतिहास लेखन का तो यह सूत्र ही है कि नामूल लिख्यते किञ्चित् - विना प्रमाण सो कुछ भी लिखा ही नहीं जाता। परिणामतः यहाँ शैली आज की भाषा में कहा जाए तो सरकारी छापवाली और पाइट्यपूर्ण है शोध करनेवाले अध्येता की है।

प्रमाणों के विषयमें तो आज भी स्थिति यह है कि इसमें ग्रिटिशरों के स्वयं के द्वारा दिये गये प्रमाण हैं इसलिये पाठकों को मानना ही पड़ेगा इस विषय में हम आवस्त रह सकते हैं। (आज भी उसका सो इलाज करना जरूरी है।)

साथ ही पाठकों का एक वर्ग ऐसा है जो भारत के विषय में भावास्मक या भक्तिमात्र पूर्ण बातें पढ़ने का आदी है अथवा वैशिक परियोग्य में लिखा गया अर्थात् अमेरिका के दृष्टिकोण से लिखा गया विद्वार पढ़ने का आदी है। इस परियोग्य में विषय सम्बन्धी पारदर्शी ठोस तर्कनिष्ठ प्रस्तुति हमें इस ग्रन्थवाली में प्राप्त है। अनेक विषयों

में अनेक प्रकार से हमें बुद्धिनिष्ठ होने की आवश्यकता है इसकी प्रतीति भी हमें इसमें होती है।

४

अनुवादकों तथा जिन लोगों ने ये पुस्तकें मूल अंग्रेजी में पढ़ी हैं अथवा अनुवाद के विषय में जाना है उन सभी का सामान्य प्रतिभाव है कि इस काम में बहुत दिलम्ब हुआ है। यह बहुत पहले होना चाहिये था। अर्थात् सभी को यह कार्य अतिमहत्वपूर्ण लगा है। सभी पाठकों को भी ऐसा ही लगेगा ऐसा विश्वास है।

अनुवाद का यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। एक तो दो सौ वर्ष पूर्व की अंग्रेज अधिकारियों की भाषा फिर भारतीय परिवेश और परिप्रेक्ष्य को अंग्रेजी में उतारने और अपने तरीके से कहने के आयास को व्यक्त करने वाली भाषा और उसके ही रूप में सौ श्री धर्मपालजी की भी कुछ जटिल शैली पाठ्य और अनुवादक दोनों की परीक्षा देनेवाली है।

साथ ही यह भी सच है कि यह उपन्यास नहीं है गम्भीर वाघन है।

संधेप में कहा जाय तो यह १८ वीं और १९ वीं शताब्दी का दो सौ वर्ष का भारत का केवल राजकीय नहीं अपितु सास्कृतिक इतिहास है।

५

इस ग्रन्थावलि के गुजराती अनुवाद कार्य के श्री धर्मपालजी साथी रहे। उसका हिन्दी अनुवाद घल रहा था तथा वे समय समय पर पृच्छा करते रहे। परन्तु अद्यानक ही दि २४ अक्टूबर २००६ को उनका स्वर्गवास मुआ। स्वर्गवास के आठ दिन पूर्व सो उनके साथ बात हुई थी। आज हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन के अवसर पर वे अपने दीय में विद्यमान नहीं हैं। उनकी स्मृति को अभिवादन करके ही यह कार्य सम्पन्न हो रहा है।

६

इस ग्रन्थावलि के प्रकाशन में अनेकानेक व्यक्तियों का सहयोग एवं प्रेरणा रहे हैं। उन सभी के प्रति फृतज्ञता ज्ञापन करना हमारा सुखद कर्तव्य है।

अनेकानेक कार्यकर्ता एवं विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वर्योरोदक राघ ने सहसरकार्यवाह माननीय रुरेशजी सोनी की प्रेरणा मार्मदर्शन आग्रह एवं सहयोग के कारण रो ही इस ग्रन्थावलि का प्रकाशन सम्भव हुआ है। अत प्रथमत हम उनके आभारी हैं।

सभी अनुवादकों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी समय सीमा में अनुवाद कार्य पूर्ण किया तभी समय से प्रकाशन सम्मिल हो पाया। उनके परिश्रम के लिये हम उनके आभारी हैं।

यह ग्रन्थावलि गुजरात में प्रकाशित हो रही है। इसकी भाषा हिन्दी है। हिन्दी भाषी लोगों पर भी गुजराती का प्रभाव होना स्वाभाविक है। इसका परिष्कार करने के लिये हमें हिन्दीभाषी बोल के व्यक्तियों की आवश्यकता थी। जोधपुर के श्री भूपालजी और इन्दौर के श्री अरविंद जावडेफरजी ने इन पुस्तकों को साधन्त पढ़कर परिष्कार किया इसलिये हम उनके प्रति शुक्लशाता ज्ञापित करते हैं।

अच्छे मुद्रण के लिये साधना मुद्रणालय ट्रस्ट के श्री भरतभाई पटेल और श्री धर्मेश पटेल ने भी जो परिश्रम किया है इसके लिये हम उनके आभारी हैं।

‘पुनरुत्थान’ के सभी कार्यकर्ता तो तनमन से इसमें लगे ही हैं। इन सभी के सहयोग से ही इस ग्रन्थावलि का प्रकाशन हो रहा है।

१०

सुधी पाठक देश की वर्तमान समस्याओं के निराकरण की दिशा में विचार विमर्श करते समय नई पीढ़ी को इस देश के इतिहास में अग्रेजों की भूमिका का सही आकलन करना सिखाते समय इस ग्रन्थावलि की सामग्री का उपयोग कर सकेंगे तो हमारा यह प्रयास सार्थक होगा।

साथ ही निवेदन है कि इस ग्रन्थावलि में अनुवाद या मुद्रण के दोषों की ओर हमारा ध्यान अवश्य आकर्षित करें। हम उनके बहुत आभारी होंगे।

इति शुभम् ।

सम्पादक

वसन्त पवारी
युगाव्द ५९०८
२३ जनवरी २००७



विभाग १

विश्लेषण

- १ विषय प्रवेश
- २ दिवरण

१ विषय प्रवेश

परम्परागत रूप से भारतीयों का राजसच्चा अथवा सरकार के प्रति सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से ऐसा भाव होता है ? कुछ अपवादों को छोड़कर भारत के लोग विनम्र ढीले और सरल होते हैं। कोई बालक अपने माता पिता की ओर देखता है उस तरह ये सरकार की ओर देखते हैं। भारतीय इतिहास की पाठ्यपुस्तकें ऐसे ही उदाहरणों से भरी पड़ी हैं।

यद्यपि विणत अर्धशतक में नप्रता और सरलता की इस छवि के सत्य होने के प्रमाण नहीं मिलते। बहुतों को तो वास्तव में उस कथित परिवर्तन को देखकर दुःख होता है किन्तु उस परिवर्तन को स्वीकारें या उसकी निन्दा करें वे इस परिवर्तन के लिए यूरोप के भावशून्य विद्वारों के प्रसार और भारत के आम जीवन में महात्मा गांधी की भूमिका को कारण मानते हैं। उनके मतानुसार भारत के लोगों को महात्मा गांधी अथवा यूरोप के प्रमाण से दूर रखा होता तो वे पहले जैसे ही सरल और नम्र बने रहते।

२०वीं शताब्दी में सरकार के अन्याय निर्दृष्टा और फूर्ता का भारतीयों का विरोध दो प्रकार से घटक हुआ है। एक तो अनेक शस्त्रों की सहायता से और दूसरा नि शस्त्र। सशस्त्र विरोध कुछ व्यक्तियों अथवा अत्यधिक अनुशासित कार्यकर्ताओं के छोटे समूहों तक ही सीमित है। अर्विंद सावरकर भगतसिंह थन्ड्रेश्वर आजाद जैसे कुछ क्रातिकारी उनके समय में ऐसे सशस्त्र विरोध के साक्षात् प्रतीक रहे हैं। नि शस्त्र विरोध और प्रतिकार असहयोग सविनय कानूनभग और सत्याग्रह के नाम से भलीभांति परिधित है। इस दूसरे प्रकार के विरोध का मूल २०वीं शताब्दी में दिखाई देता है और उसका श्रेय महात्मा गांधी को प्राप्त है।

मुख्यतः असहयोग और सविनय कानूनभग के मूल के सबध में दो मत दिखाई देते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि गांधीजी ने इन शस्त्रों का उपयोग पहले दक्षिण अफ्रिका में और फिर भारत में किया। विद्वानों के एक समूह के अनुसार गांधीजी को इन हथियारों की प्रेरणा थोरो टोलस्टोय रस्किन से मिली। जब कि दूसरे समूह के

अनुसार असह्योग और सदिनय कानूनभग गाधीजी की स्वयं की ओज थी। यह उनकी सृजनशील प्रतिभा तथा उध आध्यात्मिकता का परिणाम था।

महात्मा गाधी के सदिनय कानूनभग के यूरोपीय अथवा अमेरिकी उद्भव के सबूध में अनेक निवेदन हुए हैं। एक विद्वान के मतानुसार सरकार की अन्यायपूर्ण सत्ता के विरुद्ध प्रतिकार के कर्त्तव्य का स्वनिवेदन थोरो के निबन्ध 'रेजिस्टेन्स टु रिप्रिल गवर्नमेन्ट' Resistance to Civil Government में मिलता है। यह निबन्ध भारत की सदिनय कानूनभग की क्राति का आधार बना था।¹ एक आधुनिक लेखक के मतानुसार गाधीजी को थोरो से असह्योग और रस्किन से सह्योग की प्रेरणा मिली थी।² एक अन्य लेखक के मतानुसार गाधीजी थोरो विलियम लॉयड गेरिसन और टॉलस्टॉर्ड से प्राप्त हुए पाठ को द्विचार्यित करने के लिए सीली के साथ सहमत हुए थे। पाठ यह था कि यदि ब्रिटिश सत्ता को प्राप्त भारतीयों का सह्योग वापस खींच लिया जायेगा तो उनकी सत्ता का पतन होगा।³

दूसरे मत के प्रचारकों की संख्या भी कम नहीं थी। उसमें अनेकों विद्वान गाधीजी की प्रेरणा को प्रश्नाद अथवा अन्य प्राचीन महानुभावों के उदाहरणों में देखते हैं। आर.आर. दिवाकर के अनुसार प्रश्नाद सोफेटिस आदि से प्रेरणा लेकर गाधीजी ने नित्यप्रति की समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यापक अर्ध धार्मिक सिद्धान्त उपनाया और उस प्रकार दुष्टा और अन्याय के विरुद्ध अर्हिसक रूप से लड़ने के लिए लोगों को एक नया शस्त्र दिया। धरना हड्डाल और देशत्याग (तमाम सम्पत्ति के साथ जमीन छोड़ देना) की भारतीय परपरा का ध्यान रखते हुए दिवाकर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनकी मुख्य विन्ता समुदाय अथवा समूह की नहीं अपितु व्यक्तियों की और सासारिक जीवन की थी। और दिवाकर बताते हैं कि भारत के इतिहास में आधुनिक हड्डाल जैसी दीर्घ समय तक चलनेवाली हड्डाल का कर्म उदाहरण नहीं है।⁴ महात्मा गाधी के राजकीय दर्शन के एक विश्लेषक के मतानुसार असह्योगपूर्ण प्रतिकार की गांधीजी की पद्धति मानवीय स्वतंत्रता पर आक्रमण के प्रतिकार के लिए हुई सामूहिक क्राति के इतिहास में नहीं थी।⁵ महात्मा गाधी के अन्य एक हाल ही के विद्यार्थी के अनुसार गाधीजी की असह्योग एवं सदिनय कानूनभग की पद्धति सहज रूप से विकसित हुई थी। उनके सामाजिक जीवन में यह व्यावहारिक दर्शन था।⁶

थोरो के उपर्युक्त निर्वाच ऑन द ड्युटी ऑफ रिप्रिल डिसओबिडियन्स' On the Duty of Civil Disobedience संबंधी एक अधात्म प्रस्तावना में इन दोनों मतभ्यों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रस्तावना के लेखक लिखते हैं :

सविनय कानूनभग सबधी थोरो का निबध असिहक आदोलन के विकास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। थोरो से पूर्व के समय में दुष्ट दुनिया में अपनी सही मान्यता पर अड़िग रहना चाहनेवाले व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा अधिकाशत यह सविनय कानूनभग का अमल होता था किन्तु राजकीय अथवा सामाजिक परिवर्तन के लिए सविनय कानूनभग का बहुत कम अथवा नहीं के बराबर विद्यार हुआ था। ६० वर्ष बाद महात्मा गांधी के लिये सविनय कानूनभग राजकीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामृद्धिक क्रांति का एक साधन बन गया था। उस समय भले ही थोरो के इस विचार के प्रति असहमति रही हो अथवा उसे मान्यता न मिली हो लेकिन थोरो ने इन दो हेतुओं के बीच के सङ्करण में सहायता की यह सत्य है।

काका कालेलकर^४ और आर पेयने^५ आदि अन्य लेखक भले ही गांधीजी के असहयोग तथा सविनय कानूनभग के शर्सों का मारत की प्राधीनता के साथ कुछ सबध होना मानते हों किन्तु कालेलकर को लगता है कि यह महात्मा गांधी का विश्व समुदाय को दिया गया अद्वितीय प्रदान था। यद्यपि कालेलकर को लगता है कि गांधीजी के बतन सौराष्ट्र में त्राणा धरना और बहारवटिया आदि थारें अमल में थीं और सम्प्रवतः उनका प्रभाव गांधीजी पर रहा हो।

प्राचीन भारतीय राजनीति तथा राजाओं के कर्तव्य तथा उनके अधिकारों पर हुए नवीन कार्य भी भारत के लोगों की सरलता के विद्यार के साथ असहमति का स्वर निकालते दिखाई देते हैं। अधिकाश मानते हैं कि राजा का अर्थ होता है जो खुश रखता है वह। राजा का प्रत्येक अधिकार कर्तव्य से ही आता था। यह कर्तव्य पूरा न करने पर वह अधिकार से विचित रहता था। महाभारत का एक श्लोक जो अनेक वार उद्घृत किया जाता है स्पष्ट कहता है

लोगों को एकत्रित होकर ऐसे फूर राजा को मार देना धाहिए जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता। जो कर वसूलता है और प्रजा की सम्पत्ति लूटता है सेकिन नेतृत्व नहीं करता। ऐसा राजा कलि का अवतार है। मैं गुम्हारी रक्षा यज्ञों^६ ऐसी घोषणा करने के बाद जो राजा उसकी प्रजा का रक्षण नहीं करता उसे जैसे पाण्डु कुरुं को मार दिया जाता है उसी प्रकार लोगों ने सघ बनाकर मार देना धाहिए।^७

प्राचीन समय में अथवा सुर्क या मुगलकाल में राजाप्रजा का जो भी सवध रहा हो जैम्स मिल के मतानुसार सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा अठाहवीं शताब्दी में भारत में राजा को उसकी प्रजा भययुक्त आदर देती थी।^८ और गांधीजी भी मानते

थे कि अपने नियम खराब हों या अच्छे उनका पालन करना ही चाहिए। ऐसी एक नई विद्यारथारा थी। ऐसा पहले के समय में कभी भी नहीं था। लोग नापसद कानून नहीं मानते थे।¹³ शातिपूर्ण प्रतिकार के विचार पर सूधम अवलोकन करते हुए गांधीजी ने कहा था-

वास्तविकता यह है कि भारत में जीवन के समाम क्षेत्रों में शातिपूर्ण प्रतिकर होता रहा है। जब अपने शासक हमें नाखुश करते हैं तब हम उन्हें सह्योग देना बद कर देते हैं। यह शातिपूर्ण अथवा परोक्ष प्रतिकार है।¹⁴

ऐसे असह्योग का स्वयं का प्रचलित उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा-

एक छोटे से राज्य में राजा के किसी आदेश से ग्रामवासी अन्याय की भास्त्वा का अनुभव करते थे। उस कारण से ग्रामवासी गाँव खाली करके जाने लगे। राजा हताश हो गया। उसने प्रजा से माफी मारी और आदेश वापस ले लिया। भारत में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलेंगे।¹⁵

उसका उल्लेख आवश्यक नहीं कि सविनय कानूनभग की गांधीजी की सोच मात्र उनके स्वयं में से ही उद्भूत हुई है। यूरोप और अमेरिका में वकालत के उनके ज्ञान ने उन्हे महत शावित प्रदान की ऐसी सभावना है। किन्तु असह्योग और सविनय कानूनभग भारत की ऐतिहासिक परम्परा होने के कारण से ही उनके नेतृत्व में अधिकाशतः उसका व्यापक प्रयोग किया जा सका।

ऐसा लगता है कि भारत के परपरागत इतिहासकारों की अपेक्षा अधिक महात्मा गांधी तथा मिल को भारत में प्रवर्तीमान राजा प्रजा के बीच के संबंध की सही जानकारी थी। भारत के इतिहास में बहुत पीछे गए विना अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी से समधित भारत और ब्रिटेन के सूत्रों एवं सामग्री की सुव्यवस्थित खोज से महात्मा गांधी और मिल के मतव्य की समाझ के पर्याप्त प्रमाण मिल सकते हैं। उससे ये भी सकेता मिलते हैं कि सरकार ये दमनफकरी और अत्याधारी कदम के सामने भारतीयों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सविनय कानूनभग और असह्योग की पक्षतियां प्रमुख थीं। सनदी अन्वेषण से भी सविनय कानूनभग तथा असह्योग के अनेकों उदाहरण मुखर रूप से बाहर आते हैं। ब्रिटेन के शासन में हुए पत्रव्यवहार में विशेष रूप से अधोरेखाकृत किया गया है। उदाः नवम्बर १८८० के ब्रिटिश गवर्नर और थौन्सिल मद्रास (अब घेरपई) के बीच हुई कार्याही में ब्रिटिश शासकों के तानाशाही कदम के पिरम्द मद्रास पटनम शहर में ग्रन्तिकारियों ने जो प्रतिकार किया उसको इस प्रकार लिया गया है-

शहर में जनता की एक जाति ने अनेक पत्र लिखे फिर चित्रकार एवं अन्य सेन्ट टॉमस के पास एकत्रित हुए। पत्र जिन्हें लिखे गए उनमें कम्पनी में नौकरी करने वाले दुमाधियों जैसे अनेकों को जो उनके समर्थन में बाहर नहीं आए हत्या की घमकी दी गई थी। फिर उन्होंने बैलों पर से कपड़ा फैफ कर दरी बिछाकर उन पर शहर में आने वाला सामान धूल में मिलाकर शहर में उन सभी धीजों का आना बढ़ कर दिया। फिर समग्र शहर को पेट्टा वैकटाडि द्वारा पर ढोल नगाड़े बजा बजा कर सूचना दी गई जिसमें घेनपटनम उर्फ मद्रास पटनम् में अनाज अथवा लकड़ी लाने पर मनाही की गई थी। जो लोग हमारे लिए घूल्हा जलाते थे उनके घर का बहिष्कार किया जाता और उन्हें चूल्हा जलाने के लिए अथवा उसके लिए चदा एकत्र करने पर मनाही की गई थी।^{११}

यह झगड़ा कुछ समय तक चला। ब्रिटिशरों ने काले पुर्तगालियों (ब्लैक पोर्टग्यूज़ - Block Portuguese) के अधिकार्दल की भर्ती की और कम विरोधी और अधिक विरोधी समूहों को एक दूसरे के सामने कर दिया। विरोधियों के पली बच्चों आदि की गिरफ्तारी की और विरोधियों से प्रमुख सौ जितने लोगों को भयानक सजा की घमकी दी। अत मैं यह झगड़ा कुछ समझौते के बाद समाप्त हुआ।

उसके बहुत समय बाद १८३०-३१ में क्लारा (क्लारिक) में एक आदोलन की घटना हुई। जिले के सहायक समाहर्ता ने लिखा

‘यहाँ परिस्थिति बिगड़ी जा रही है। पिछ्ले कुछ दिनों तक लोग शात थे। दिन प्रतिदिन उनके एकत्र होने का क्रम बदला जा रहा है। कल पैनूर में लगभग ११ ००० लोग एकत्रित हो गए थे। लगभग एक घण्टा पूर्व ३०० लोग यहाँ आए थे वे तहसीलदार की कब्जहरी में प्रविष्ट हुए और एक भी पैसा न देने की प्रतिबद्धता उन्होंने घ्यक्त की और कहा कि उन्हें दण्ड से पूर्ण माफ़ी चाहिए। तहसीलदार ने उन्हें कहा कि जमा बदी हल्की है और उन की फ़सल अच्छी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उस के बारे में कोई शिकायत नहीं है उन्हें सरकार से शिकायत है कि उनपर कार्य स्टेम्प नियन्त्रण नमक और तम्बाकू का एकाधिकार लगाया गया है उसे बापस लेना चाहिए।^{१२}

तहसीलदार को दी हुई सूचना के सदर्म में सहायक समाहर्ता ने लिखा :

मैंने उन्हें सभी लोगों को सूचना देने के लिए कहा है कि उनका प्रतिदिन इकट्ठा होना रोका जाए और सम्भव हो तो विभिन्न सालुकों में वितरित किए जाने वाले उत्तेजक पश्चों को भी रोका जाए।^{१३}

उसने आगे लिखा

'विसानों ने कहा कि उन सभी को 'सजा' नहीं दी जा सकती। एक पठ्यत्रकारी ने एक मोगनी को बहिष्कृत कर दिया थों कि उसने किंतु धुकाना शुरू किया। वर्तमान रोप फैल गया है और कुदापुर में भी शीघ्र ही फैल जाएगा। असतोष सरकार के विरुद्ध है भारी जमावदी के विरुद्ध नहीं। मैं मानता हूँ कि रोप की ज्वाला को शात करने के लिए शीघ्र उपाय करने घाहिए विन्तु उस जिले में एक भी कुसी उपलब्ध नहीं है। कल तहसीलदार भी यहाँ आने में बहुत कठिनाई का अनुभव हुआ।'¹⁹

महुत से स्थानों पर उस विरोध ने हिंसक रूप लिया। जिसको हिंसा कहा गया वह त्राणा यूर आदि का अवलम्बन था। उसे लोगों ने विरोध के साधन के रूप में अपनाया था। यस्तुतः जिस घटना को लेकर लोग हिंसा पर उत्तर आसे थे वह लपमा सरकार के आतक का प्रतिक्रिया था। जैसे कि महाराष्ट्र में १८२० से ४० के समय में विभिन्न प्रकार के 'बद' हुए थे।²⁰ (किस अवसर पर लोगों ने आतक की प्रतिक्रिया हिंसक प्रकार दी यह स्वतन्त्र अध्ययन का विषय है।)

समग्रतया ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध कानूनभग के अभियान जिसमें से एक को इस पुस्तक में दस्तावेज के रूपमें निलिपित किया गया है सफल नहीं रहा। इसके अनेक कारण होने घाहिए। अंशत ऐसे विरोधों की प्रभावशमता शासकों और शासितों के बीच मूल्यों की समानता के ऊपर आधारित होती है। भारतीय शासकों के स्थान पर ब्रिटिश शासन करने लो (फिर वह कानून के अनुसार ही अधिकार पर्दे के पीछे) तभी से मूल्यों की ऐसी समानता नहीं हो गई। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रिटीश शासकों की नैतिक अधिकार मानसिक दुनिया शासितों की दुनिया से सर्वथा विपरीत थी। ब्रिटिश शासन स्थापित होने तक प्रवर्तित 'दमन के विरुद्ध पिंडोह' को जेस्ट मिल 'रामान्य घलन' कहता है वह क्रमशः सत्ता के समक्ष विनाशर्त शरणागति में परिवर्तित होता गया। यीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गोपालकृष्ण गोखले के अनुसार 'ऐसा लगता था कि लोग केवल आज्ञा पालन करने के लिए ही जीते थे।'²¹

आगे बढ़ने से पहले अठारहवीं शताब्दी के उच्चराष्ट्र में तथा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत का शासन जिस प्रकार मिला हुआ उसका सधित सदर्भ देना उपयोगी होगा।

प्रबलित अभिप्राय से विरुद्ध १७८४ के बाद (यदि उससे पूर्व नहीं है तो) इस्ट इन्डिया कम्पनी ने भारत साधी हलेन्ड में होने वाले निर्णयों में शायद ही कोई बड़ी भूमिका निभाई थी। बहुत से किस्तों में भारत के लिए १७८४ के बाद से अति महत्वपूर्ण विस्तृत सूचनाओं का प्रथम भौतिक तैयार करने की जवाबदारी बोर्ड ऑफ कमिशनर्स की हो गई। यह बोर्ड ग्रिटिंश संसद में कानून पारित कर बनाया गया था। यह सरकार के सदस्यों द्वारा निर्भित था। यह बोर्ड १८५८ तक साधारणी से जवाबदारी निभाता रहा। १८५८ में इतना ही परिवर्तन आया कि कम्पनी की बाबूगीरी प्रकार की भूमिका का भी अन्त हो गया और उसका काम अब भारत के लिये राज्य संघिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इण्डिया) के विभाग को हस्तान्तरित किया गया।

बगाल राज्य में ग्रिटिंश प्रशासन तत्र का सर्वोच्च प्रमुख गवर्नर जनरल इन काउन्सिल था जो सरकार के अनेक विभागों की सहायता से काम करता था। १७५० में उसकी रचना भारत के लिए बोर्ड ऑफ कमिशनर्स की सूचना के आधार पर की गई थी। रहस्य राज्यकीय सेना लोक कर और न्यायिक विभाग ये सभी प्रमुख विभाग थे जिनका सचालन फोर्ट विलियम (अर्थात् कोलकाता) से होता था। (प्रमुख के रूप में काम करनेवाले कमान्डर इन चीफ गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में) गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की बैठक सप्ताह में एक निश्चित दिन किसी निश्चित विभाग की कार्यवाही के लिए होती थी और बैठक में उपस्थित उन विभागों के संघिव के द्वारा संबधित संस्था को बैठक में लिए गए निर्णयों तथा आदेशों की जानकारी दी जाती थी। और वह संघिव उसका रेकॉर्ड रखता था। उन विभागों के अतिरिक्त १७८५ में सूचनाओं द्वारा गवर्नर जनरल इन काउन्सिल के सहायक ऐसे अनेक बोर्ड की रचना की गई थी। सामान्य रूप से इन सभी संस्थाओं का प्रमुख काउन्सिल का एक सदस्य रहता था जो सरकार की अनेक व्यापक गतिविधियों का निदेशन और निरीक्षण करता था। उप संस्थाओं में भिलिटी बोर्ड और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (क्रमशः सेना और राजस्व विभाग) अधिक महत्वपूर्ण थे। (ऐसी ही व्यवस्था १७८५ में चेन्नाई और बॉम्बे राज्य में भी बनाई गई।)

उस समय (बगाल यिहार बनारस आदि में) जिला समाहर्ता का कार्य मुख्य रूप से राजस्व लगाने और वसूलने से संबधित ही था। जब कि पुलिस निरीक्षण (सुपरिनेन्टन्डेंस ऑफ पुलिस) तथा कानून और व्यवस्था के निश्चित कार्य जिला न्यायाधीश के रूप में पहचाने जाने वाले एक अलग अधिकारी के पास थे। सामान्य रूप से समाहर्ता को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सूचना देता था तथा पत्र व्यवहार करता था।

दूसरी और न्यायाधीश को गवर्नर जनरल इन कॉर्टनिल के न्यायिक विभाग द्वारा सूचना तथा पत्र प्राप्त होते थे। समाहर्ता तथा न्यायाधीश अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर अपने समधित कार्य में स्वतंत्र एवं सर्वोच्च थे। यद्यपि सर्वोच्च राज्य सत्र के साथ समधित रहने के प्रकार के आधार पर ऐसा लगता है कि उस समय न्यायाधीश समाहर्ता से कुछ अधिक सत्र का उपभोग करते थे। बनारस और समवत् अन्य जिलों में दो अन्य स्वतंत्र और उम्मीद सत्रहार्ड थीं। कोर्ट ऑवर अपील और सर्किट सत्र सेना स्स्था। उनके आपसी समध और अनेक अभिगमों में निहित भेद इस पुस्तक में समाविष्ट अभिलेखों में स्पष्ट दिखाई देते हैं।

विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच हुए पत्रव्यवहार से सम्बन्धित अभिलेख इस पुस्तक में दिए गए हैं। ये बनारस पटना सरन मुर्शिदाबाद तथा भागलपुर में १८१० और ११ में लोगों द्वारा ब्रिटिश सत्रा के विरुद्ध घलाए गये नागरिक अवज्ञा आदोलन जो आज अधिकांश भूले जा चुके हैं निरूपण हैं। आज वे लगभग भुल गए हैं। समाविष्ट किए गए सभी अभिलेख गांधीजी के पहले के असहयोग तथा भागरिक अवज्ञा के आदोलन के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इसी कारण से यहां उनकी विस्तार से घर्या की गई है।

१८१० में इलैण्ड की सत्रा की सूचना पर बगाल (फोर्ट विलियम) की सरकार ने बगाल विहार उडीसा बनारस के प्रातो में नए कर लादने का निर्णय किया और प्रदेशों को जल किया अथवा उन्हें अपने शासन में सम्मिलित कर दिया। (ये प्रदेश आज उत्तर प्रदेश के भाग हैं। इससे समधित एक कर जिसका सुझाव आर्थिक समिति ने दिया था वह घर और दूकानों का कर था। यह कर विनियम १५ १८१० द्वारा छह अक्टूबर १८१० को लागू किया गया। उस के आमुख फे अनुसार यह विनियम जनता से प्राप्त स्रोतों में सुधार के विधार से लागू किया गया था और बगाल विहार उडीसा तथा बनारस के प्रातो में अनेक घड़े तथा छोटे नगरों तक विस्तरित किया गया था। यह यह अस्ते से कोलकाता नगर के मकानों पर समाया हुआ था। इस विनियम के अनुसार निवास के रानी मकानों (मुवितप्राप्त भ्रेफी के अतिरिक्त) पर वार्षिक विनाये के ५ प्रतिशत तथा सभी दूकानों पर वार्षिक विनाये पा १० प्रतिशत कर लेने की व्यवस्था थी। मकान यिन रासायियों के घने हैं इसके साथ कर का कोई लेना देना नहीं था। जो मकान और दूकान विनाये पर दिया गया नहीं है अपितु मालिक स्वयं ही रहते हैं उन पर यह उसी प्रकार के पडोस ये अन्य मकानों (अथवा दूकानों) के लिए चुकाए जाने वाले विनाये से निश्चित किया जाना था।

जिन मकानों अथवा दूकानों को करमुहित दी गई थी उनमें सेना के जवानों के मकान बगले तथा अन्य इमारतें तथा धार्मिक निवासों तथा खाली मकानों अथवा दूकानों का समावेश होता था। कर प्रति माह एकत्रित किया जाना था। ऐसा आदेश था कि यदि चुकास्या न जाए तो प्रथम उपाय के रूप में घढ़े हुए कर की वसूली के लिए मकान (दूकान) अथवा मालिक की व्यक्तिगत धीर्जे बेच दी जाएँ। फिर भी यदि कुछ एकम बाकी रह जाए तो उस बाकी एकम को मालिक के स्थायी (अचल) सम्पत्ति तथा धीर्जे बेचकर वसूला जाए। वसूली के विरुद्ध न्यायालय में अपील अवश्य हो सकती थी किन्तु ऐसी अपील को हटोत्साहित करने के लिए न्यायाधीशों को अपील आधारहीन लगाने पर अपीलकर्ताओं को दफ्तित करने का अधिकार दिया गया था और उस दण्ड की राशि अपील करनेवाले की स्थिति के अनुसार होनी थी।

समाहर्ता को शुद्ध आय पर ५ प्रतिशत कमिशन' मिलता था। योगानुयोग उस समय समाहर्ताओं को मिलनेवाला ऐसा कमिशन असाधारण नहीं माना जाता था। समाहर्ताओं को भू राजस्व की शुद्ध आय पर भी ऐसा ही कमिशन मिलता था।

इस कर से कुल अनुमानित आय एक पूरे वर्ष में रु ३ लाख थी। तुलनात्मक दृष्टि से कहा जाए तो यह बहुत बड़ी आय नहीं थी। उस समय लादे गए विभिन्न नए अथवा अधिक कर से प्राप्त होने वाली कुल अपेक्षित आय में यह कर १० प्रतिशत हो ऐसी ही अपेक्षा थी। १८९०-९१ की बगाल राज्य की कुल कर आय (रु १० ६८ करोड़) के अनुपात में - जिसका अधिकाश हिस्ता ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त होता था - मकान कर की राशि नगण्य थी। किन्तु उस समय लादे गए अन्य करों के अनुपात में - जिसका अधिकाश भार नगरीय क्षेत्र पर पड़नेवाला था - यह कर व्यापक दिरोध का मुद्दा बन गया।

सर्व

- १ एसैर्विस्टोमौर्दिया ऑफ द सोशल सायन्सेस (Encyclopaedia of the Social Sciences) (१९६३) धर्ती पर आसेख मेक्स लर्नर
- २ अमृतानन्द चक्रवर्ती 'द सोनसम पिल्ग्रिम (The Lonesome Pilgrim) (१९६९) पृ ३२
- ३ सी.डी.एस ट्रैवनेसन 'द मेकिंग ऑफ द महात्मा (The making of the Mahatma) (१९६९) पृ ३६८ ९

- ४ अर आर दिकाकर 'सत्ता औंक सत्याग्रह (Saga of Satyagraha)' (१९६९) पृ ८-११
- ५ बुद्धदेव महात्म्य 'इयोस्यपूर्वन औंक द पोलिटिकल फिलोसोफी औंक गांधी (Evolution of the Political Philosophy of Gandhi)' (१९६९) पृ २८६
- ६ वीरी रमणमुर्ति 'मोन वौश्वलस्स इन पोलिटिक्स (Non Violence in Politics)' (१९५८) पृ १४८ छठ के संदर्भ 'ब्राह्म' के जानकार आधुनिक लेखकों में एक मात्र काकड़ कालेलकर सांगते हैं।
- ७ जीन होर्स थोरो : जीन द थोरी औंक द सिविल डिस ओविडियन्स (Thoreau On the Duty of Civil Disobedience) (१९६३) पृ १
- ८ काक कालेलकर 'इयोस्यपूर्वन औंक द फिलोसोफी औंक सत्याग्रह (Evolution of the Philosophy of Satyagraha)' (१९६९) 'गांधी दर्शन' (१८६९ १९६९) में प्रकाशित, अनन्दूर २ १९६९ फरवरी २ १९७० एक स्मृतिप्रच्छ
- ९ जार येवने 'व साफ़ा एक देव औंक महात्मा गांधी (The Life and Death of Mahatma Gandhi)' (१९६९) पृ २९०
- १० काका कालेलकर : वही
- ११ अरविंदार्थ हवारि फिलोलारमनायकम्। त वै राजकर्ति हन्तुः प्रजा: सत्त्वद्वय निर्षेष्म ॥ अहं यो रविंद्रेश्वराचार्य यो म रखति भूमिषः। स संहत्य निहत्ययः वैष्व सोम्याद आत्मुः॥ अनुधासन ६१ ३२ ३३ असत्त्वापिष्ठ साधिको वद्यो सोकस्य धर्माण्ड। शान्ति १२ १९ महाभास्त वीरी, काले द्वारा उद्दृढ़ 'हिस्ट्री औंक धर्मशास्त्र (History of Dharmashastra)' भाग ३ (१९४६) पृ २६४२
- १२ ऐप्स मिस एविडन्स टु हाउस औंक कॉमन्स कमिटी (Evidence to House of Commons Committee) हाउस औंक कॉमन्स पेपर्स (House of Commons Papers) १८३१ ३२ भाग १४ पृठ ६ ७
- १३ हिन्द स्वराज (१९४६) पृठ ५८
- १४ वही पृ ६०
- समय है कि गांधी जी द्वारा उत्तिवित गांव शहर लासी किए जाने के ऐसे कट्टव तथा १८९० ११ में मुर्दिंदशास्त्र में दिए एव प्रतिक्रिया के ऐसाम के पूर्ण में इस विभाग में दर्शक असाध्यों तथा नायरिक अवज्ञा के विभिन्न अन्य रूपी रो भी बहुत जागे हों। गांव लासी का जाने द्वारा अंतिम वटम गुरुवित करते हैं कि लासाम्ये और प्रजा के बीच अंतर बहुत अधा रा और लासां कमज़ोर पड़ते गए थे। लाजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए रिष्ट रहता था उस स्थिति रो यह स्थिति विन्युत विरुद्ध दिखती है। गांधीजी की युक्तावस्था में भारत के द्वारा प्रजा रो राम्पूर्ण रूप से अनांग रही होने की सम्भावना है। विन्युत विटा द्वारा पूर्ण रूप से अतन लासां के लाजने उसकम उपयोग सफलता के सन्दर्भ में वस्तुतः बहुत विष्यापारी इन बया होना चाहिए।
- १५ वही पृ ६१

- १६ फोर्ट सेन्ट एंथोर्च : 'डायरी एण्ड कन्सल्टेशन्स Diary and Consultations' नक्काश
१६८०
- १७ इन्डिया ऑफिस रेकॉर्ड्स (आई ओ आर.) 'बोर्डस कलेकशन्स' (Board's Collections)
एफ/४/खण्ड १४१५ में ५५८४४-ए सहायक समाजता प्रधान समाजता के प्रति कनारा
जनकरी १४ १८३१ पृ १५८ ६९
- १८ यही
★ नगरिक अवश्य के आधुनिक आदेशन में हुई हिंसा तथा उसके विरुद्ध काम लेने वाली
सभा द्वारा हुई प्रतिहिंसा गहन जौच की अपेक्षा करती है। 'कलेक्टिव वायलेन्स इन
यूरोपियन पर्सनेक्टिव (Collective Violence In European Perspective)' में
चार्ल्स टिलि के अनुसार अधिकांश दोनों उस समय हिंसक बन गये जब शासकों ने गैरकानूनी
किन्तु अहिंसक आदेशन को शोकने के लिए हस्तांत्रिक किया। आन्दोलन कर्ताओं की अपेक्षा
सैन्य अधिकारी पुलिस द्वारा हत्या और पिटाई अधिक हुई थी। उस पर टिप्पणी करते हुए
माझकल्प वाल्ड्सर भाबते हैं कि अमेरिका में भी ऐसा ही होता है। (सौजन्य : एसेज ऑन
डिसऑबिडियन्स वॉर एण्ड सिटीजनशिप (Essays on Disobedience War and
Citizenship १९८० पृ ३२)
- १९ यही
- २० महाराष्ट्र में लोगों ने श्रिटिरों के विरुद्ध लिए असत्य 'बथ' के विषय में प्रेसिडेंसी के राजकीय
और न्यायिक अधिकारों में बहुत सी समझी १८२० ४० के समय में मिलती है। उनमें एक
'पुस्तर बद' है जो रामोऽर्थीओं में १८२६ २८ में बड़े पैमाने पर आयोजित किया था।
- २१ ये मिल यही
- २२ एम रामकन्द्रराव बी ए. बी.एस एम.एल सी. (फैलाई १८१९) 'द डेक्सपेन्ट ऑफ
इन्डियन पोलिटी' पृ २११ पर गोपालकृष्ण गोखले को उद्देश किया है।

२ विवरण

यनारस की घटनाएँ

दिरोध यनारस से शुरू हुआ। यनारस उस समय उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर था। परम्परागत स्थान कार्यवाही वहाँ सबसे अधिक विद्यमान थी। यह स्वामानिक भी था। उस शहर में सरकारी सचाईदारों ने इस कारण वहाँ मकान कर लागू करने के लिए सत्काल कदम उठाया था। और उस कारण से वहाँ इसका विरोध भी उतना ही त्वरित गति से होना समय है।

उस कर के विरुद्ध जनसामान्य का तर्क निम्नानुलूप था। उसकी जानकारी दस्तावेज के रूप में सुरक्षित पत्रव्यवहारों और बनारसवासियों द्वारा कोर्ट में किए गए आवेदन से भी मिलती है। (जो कोर्ट ऑफ अपील और सर्किट कोर्टों द्वारा निरस्त की गई थी। इसके लिए एक ऐसा कारण भी दिया गया था कि उन आवेदनों का प्राप्त और उसमें निहित जानकारी अनादरयुक्त और धोम जनक है।)

१ भूतपूर्व मुल्तानों ने (सामान्यत मालगुजारी कहेजानेवाले) सरकार के अधिकारों को उसकी प्रजा द्वारा वशपरम्परागत रूप से अथवा हस्तान्तरण द्वारा प्राप्त निवास स्थानों पर लागू नहीं किया था। उसका कारण यह है कि निवास स्थान के रूप में सपरिएखनेवाला उसे येथता है तो उस विक्री को सामान्य प्रकार की विक्री में से मुक्त माना गया है। इसलिए इस प्रकार का कर समझ समाज के अधिकारों पर आधारण के समान है जो न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

२ साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि मकान यस पुलिस के लिए खर्च पूरा करने के लिए ही साधाया गया है। बंगाल और बिहार प्रासादों में तो पुलिस के लिए यर्थ स्टैम्प छ्यूटी और अन्य करों में से किया जाता है और बनारस में वह भू राजस्व से किया जाता है तो फिर यह पर कर लागू करने का उद्देश यहा है ?

३ यदि शास्त्रों का आपार लिया जाए तो यनारस शहर और उसके आसपास के पौय पोरा का द्वे धार्मिक स्थल माना जाता है और सरकार के

अधिनियम १५ १८१० अनुसार धार्मिक स्थलों को कर से मुक्ति दी गई है।

४ बनारस में लगभग ५० ००० मकान होंगे जिनमें से १/३ जितने तो हिन्दुओं और मुसलमानों के धार्मिक स्थल हैं। तथा ये मकान मुसलमानों और हिन्दुओं द्वारा दिए गए दान से बने हैं। इसलिए शेष मकानों पर कर कर तो फाटकश्वदी के खर्च को पूरा करने में अपर्याप्त होगा। इसलिए इस प्रकार कर अनेक लोगों को मुश्किल में डालने के लिए ही लागू किया गया है जो ठीक नहीं है और सरकार की शुभ भावना के अनुरूप भी नहीं है।

५ अनेक मकानमालिक तो ऐसे हैं कि वे अपने मकानों का जीर्णद्वार भी नहीं करा सकते या फिर से बिनवा नहीं सकते। इसलिए ये मकान जीर्णशीर्ण हालत में पड़े हैं। परिणाम स्वरूप जो मकान के किराए पर जी रहे हैं उनके लिए तो बहुत भारी मुसीबत खड़ी होती है। अत ऐसे लोग कर कहा से भर सकेंगे?

६ आपको तो आपके गरीब आदेदकों का कल्याण और सुख में वृद्धि हो ऐसा करना चाहिए इसके स्थान पर हमें कायदा होना या लाभ मिलना तो एक ओर रहा उसके विरुद्ध हमारे सर पर सतत एक या दूसरा बोझ लादा जा रहा है।

७ अभी तो बने रहना भी मुश्किल है। उसके लिए कोई साधन भी नहीं मिलता। उस पर स्टेम्प छ्यूटी कोर्ट फीस वाहन-व्यवहार और नगर-उपकर दोनों को असर हुआ है। दोनों त्रस्त हैं। उस पर यह नया कर तो घाव पर नमक छिड़कने के समान है। परिणाम स्वरूप हिन्दु और मुसलमान दोनों को बेदना और हताशा हो रही है। उसके साथ आपका उस ओर भी ध्यान खींचना जल्दी है कि उस प्रकार के सतत बढ़ते बोझ के कारण पिछले १० वर्ष में थीज वस्तुओं का भाव १६ गुना बढ़ गया है। उस स्थिति में जिनके पास जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं उनके लिए यह अतिरिक्त कर भरना किंस प्रकार समय है।

फर लागू करने में सर्वप्रथम बनारस के ही सांसाधीश थे। इसका कारण यह था कि उनके पास प्रशासनिक तथा सैन्य सहारा भी पर्याप्त मात्रा में था और उस दृष्टि से वे बहुत अधिक सुध्यवस्थित और सबल थे। सभवत इस कारण से ही अधवा किसी अन्य कारण से बनारस के समाहर्ता ने मकान का कर निश्चित करने के लिए उस कर के लागू होने के सात ही सप्ताह में उसे वसूलने के लिए शीघ्रता से और सूक्ष्मता से जाँथ के साथ कदम उठाने शुरू कर दिये थे। दिनांक २६ नवम्बर को तो बनारस के समाहर्ता ने बनारस के न्यायाधीश को मकान कर वसूल करने के लिए उनके निश्चय तथा उस हेतु प्रारम्भ किए गए अकन्न के बारे में जानकारी भी दे दी और

साथ ही उन्होंने प्रार्थना की कि उस कर के सबध में सूधना देनेवाली नकलों को अलग अलग थानों में लगा दिया जाए। साथ ही उन्होंने न्यायाधीश से यह भी प्रार्थना की कि कर का निर्धारण (अकल) हो तब निर्धारण कर्तवेयालों को समर्पित सहायता करने के लिए मोहल्लों में पुलिस को भी भेजें। दिनाक ६ दिसम्बर को समाहर्ता ने न्यायाधीश के अनेक सूधनाएँ भेजी थीं और थानेदारों आदि के द्वारा तत्काल सहायता प्राप्त हो इसके लिए भी प्रार्थना की थी। समाहर्ता के उस पत्र की दिनाक ११ दिसम्बर को ही न्यायाधीश ने उत्तर मिजवा दिया था और सूचित किया था कि उस प्रकार की सूचनाएँ दी जा सकती हैं। साथ ही यह भी बताया था कि उस समय तो निर्धारकों के साथ पुलिस भेजना पढ़े ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता। पिछे भी उन्होंने बलेवटर को यह भी आशवासन दिया था कि जिस किसी भकानमालिक के द्वारा आपके अधिकारियों को नियमानुसार कर्तव्यपालन में कोई अवरोध उपस्थित किया जाएगा तो ऐसी सूचना आपसे प्राप्त होते ही मैं पुलिसदल के अधिकारियों को आदेश का अमल करने में सहायक बनने के लिए निश्चित सूधना तत्काल ही दे दूँगा।

इस प्रकार अकल प्रारम्भ हो गया किन्तु उसका उतना ही विरोध भी होता रहा। अत वर्यवाहक न्यायाधीश ने दिनाक २५ दिसम्बर को कोलकाता में सरकार द्वारा सूचित किया कि :

मुझे सरकार के माननीय गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को जानकारी देनी है कि विनियम १५ १८९० अनुसार कर लागू करने की व्यवस्था के प्रति सार के सभी लोगों में अर्थात् उठेजना और विरोध फैलने से स्थिति गमीर बनी है।

भूमिका प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा था

लोगों में भारी जोशखरोशी रोष और हँगामा प्रवर्तित है वे दूकानें बद कर अपने दैनिक व्यापार धर्ये को छोड़ कर भारी सहयोग में एकत्रित हो रहे हैं और अपनी माग सत्काल पूरी करने के लिए मुझ पर दबाव यद्य रहे हैं। साथ ही मुझे कर निर्धारण यज्ञवेयाले कर्मणारियों को सरकार से आदेश मिलने सक रोके रखने के लिए समाहर्ता को निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। मैंने लोगों को रामझा दिया है कि उनके आवेदन सरकार को भेज दिए जाएं। परन्तु सरकार की ओर से कोई आदेश न मिलने तक यह विनियम यथावत सागू रहेगा। इसलिए उस सर्वथ में किसी भी प्रकार का अवरोध अध्यवा ऐसी अन्य किसी कार्यवाही का मैं विरोध ही करूँगा। प्रवर्तमान अशांति को स्वीकार कर ये मैंने उनके मन में अपेक्षा निर्माण की है जो निराशा में परिवर्तित हो कर करनिर्धारण से जो कठिनाई निर्माण हुई है उसे और यदा देगी।

उसके तीन दिन बाद उन्होंने दिनांक २८ को एक और पत्र भेजा

गत दिनांक २५ की शाम उपद्रवी लोगों की भीड़ नगर के विभिन्न स्थानों और सिक्कोल के बीच एकत्रित हो गई थी और उन्होंने उपद्रव शुरू किया था। यद्यपि अपने रक्षक दल को तत्काल जमा होते देखकर ही उपद्रव थमने लगा था। पुनः २६ की सुबह भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। और मेरी धारणा थी कि लोग बिखरकर शात होने लगे थे और नियन्त्रण में रहे थे।

परन्तु दोपहर के बाद सधर्ष की स्थिति फिर से निर्माण हुई। पूरे नगर में सभी लोगों के हिन्दू और मुसलमान एकत्रित हुए और जबतक मैं समाहर्ता को सीधे मिलकर सभी कर निर्धारिक कर्मचारियों को वापस न ले लूँ और कर समाप्त होगा ऐसा पक्ष आवासन न ला दूँ तब तक अपने सभी व्यवसाय बन्द रखने का निर्णय किया। उनकी ऐसी धारणा थी कि ऐसे सर्वसामान्य विवाद की व्यापक स्थिति के अस में वे उनकी इच्छानुसार राहत मेरे पास से लेकर ही रहेंगे। बनास्त नगर के लगभग सभी दर्गा के कारीगर लोग अर्थात् लोहार मिस्मी दर्जी नाई जुलाहे कहार आदि एकमत होकर उस सधर्ष में साथ थे और यह सधर्ष ऐसा जोर पकड़ता गया कि दिनांक २६ को तो अन्तिम सस्कार कर्त्तव्याले लोगोंने भी अपना काम बन्द करने के कारण कई शव बिना दाह सस्कार किए गए मैं बहाए जा चुके थे। उसमें से अनेक दर्गा के लोग बड़ी सख्त्या में अन्य लोगों के समूह के साथ नगर के एक निकट के स्थान पर एकत्रित हो गए थे और उन्होंने घोषित किया कि जब तक मैं उनके सधर्ष का मुद्दा स्वीकार न कर लूँ तब तक सैन्य दल के सिवाय उन्हें कोई हटा नहीं सकेगा।

३१ दिसम्बर को कार्यवाहक न्यायाधीश ने अपने सूचना सदैश में यह भी बताया था कि

कुछ हजार लोग तो रातदिन नगर में किसी एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं अपने अपने दर्गों में विभाजित हो जाते हैं और सधर्ष में जुड़ने में झिझकने वाले लोगों को दण्डित करते हैं। इस प्रकार इस विनियम के प्रति एक व्यापक विरोध और तिरस्कार दिखाई दे रहा है और यदि किसी भी व्यक्ति की ओर से इस साजिश से वापस लौटने का तनिक भी सकेत होने पर उसकी सार्वजनिक निन्दा और तिरस्कार किया जाता है यही नहीं तो उसे उसकी जाति से निष्कासित कर देने तक की स्थिति चर्पन हुई है।

अधिकारियों के ऐसे अनेक प्रयासों के बावजूद पठ्यत्र कायम था। उसी दीच कार्यवाहक समाहर्ता को न्यायाधीश ने कोर्ट ऑफ अपील और कोर्ट ऑफ सर्किट के

वरिष्ठ न्यायाधीश को अपने प्रवास से तत्काल वापस मुख्यालय में लौटने को कहा। कोर्ट ऑव् अपील और कोर्ट ऑव् सर्किट के न्यायाधीश वक्र बनास्स के राजा और स्थानीय समाज के अग्रणियों पर अच्छा प्रभुत्व था। समाहर्ता दिनांक १ जनवरी १८९१ के दिन वापस आ गया और दूसरे ही दिन उसने कलेक्शन में सरकार को लिखा। कार्यवाहक न्यायाधीश ने भी लिखा-

मकान कर लागू होते ही विदेश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और उसने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। सरकार का आदेश नहीं आता तब तक लोगों ने नगर छोड़ कर किसी एक स्थान पर इकट्ठा होकर वही बने रहने का निर्णय कर लिया है ऐसे या स्थानीय अधिकारियों की ओर से दिए जानेवाले किसी भी आश्वासन का जरा भी असर नहीं दिखता है। उन्हें केवल सरकार की ओर से करमाफिं के आदेश की प्रतीक्षा है। किसी भी स्थिति में कर नहीं भरने का उनका निर्णय है। उनका निर्णय यदलयाने के लिये कोई चाहने नहीं समझा सकेगा ऐसा मेरा विश्वास हो गया है।

समग्र प्रात में इस तरह लोग स्वाक्षित हो रहे हैं ऐसा मानने के लिए एक से अधिक कारण हैं। किसी अन्य कारण से एकत्रित हुए लोहारोंने तुरन्त ही इस पठमन्त्र में प्रमुख भूमिका स्थीकार कर ली और पूरे प्रान्त से बड़ी सख्त्या में यहाँ आ पहुंचे हैं। इससे प्रजा की कठिनाई बढ़ गई है। खेती पर इसका गम्भीर परिणाम होगा और असन्तुष्टों की सरद्या बढ़ेगी। साथ ही लोगों में यह धारणा भी बनी है कि आसपास के अन्य नगर के लोग भी बनारस के इस सर्वार्थ को समर्थन दे रहे हैं।

उसी दिन बनारस के समाहर्ता ने इस घटना के विषय में विस्तृत जानकारी दी और लिखा-

मुझे यतास्या गया कि सांगम २० ००० से भी अधिक लोग घरने पर दैठ गए हैं। उनकी मांग थी कि कर समाज नहीं होता तब तक ये हटेंगे नहीं। उनकी सख्त्या दिनप्रतिदिन बढ़ रही है। यद्योऽपि प्रत्येक समुदाय के अग्रणियों ने अपने बघुओं परे इसके लिए एकत्रित और एक होने के लिए कहा था। उसमें कोई एक पक्ष अधिकारी अधिक उत्साही अधिकारी अधिक दृढ़ था तो ये लोहार ही थे। वे यहूद उत्तेजित थे और अपने यांपयों यो उत्तेजित कर रहे थे। इतना ही नहीं तो दूर सुदूर से यापयों को काम छोड़ यार आने के लिए आहान दिया जाता था ताकि खेतीयाड़ी और जमीनदारी रक्षा जाने रो ये भी इस सर्वार्थ में जुहने के लिए बाध्य हो जाएँ और पूरा देश इस कर को कापिस लेने के विषय में दृढ़ निष्पत्ति हो जाए।

इन सोहारों के राथ अन्य जाति पथ और विदार के लोग जुड़ गये हैं और

आपस में सौगाथ ले दे रहे हैं ऐसी मेरी जानकारी है।

अभी तत्काल तो कोई प्रत्यक्ष हिंसा करने का उनका उद्देश्य नहीं लगता। बिना हथियार के रहने में ही उन्हें अपनी सुरक्षा लगती है। क्योंकि (उन्हे पक्षा विश्वास है) ऐसे शात अनाक्रामक दुश्मनों के विरुद्ध घातक शस्त्रों का उपयोग नहीं होगा। इन लोगों का ऐसा विश्वास ही अधिकाधिक लोगों को एकत्रित कर रहा है। वे समझते हैं कि नागरिक सत्ता उन्हें हटा नहीं सकती और सेना इसके लिए जाएगी नहीं।

उस विद्रोह के अन्य शहरों के साथ के समय का निर्देश करते हुए उसने बताया कि

मुझे कुछ विश्वसनीय अधिकार सूत्रों से पता चला है कि पटना के निवासियों ने बनास्स के निवासियों को ऐसा स्थिति भेजा है कि इन से उन्हें बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। अर्थात् वही सख्त्या में इकट्ठे होकर बनास्स के लोग उस कर का अच्छा विरोध दिखा सके हैं और यदि वे लोग अभीनावाद के लिये माफी प्राप्त करने में सफल होंगे तो पटना भी इस पक्षति का अनुसरण करेगा।

दिनांक ४ जनवरी तक परिस्थिति शात होती गई और कार्यवाहक न्यायाधीश अपने द्वारा उठाए गये कदमों से जैसे कि लोहारों को वापस बुलाने के लिये जमीदारों पर ढाले गये दबाव और अन्य अग्रगण्य नागरिकों की ओर से मदद से खुश था। फिर भी उसे लगता था कि

परन्तु सानुकूल लगनेवाली इस स्थिति पर अधिक विश्वास रखना उचित नहीं है क्योंकि धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य लोग अभी भी अपने इरादे में अविधल लगते हैं। ये लोग जनमानस को प्रमित कर समझाकर उक्सा रहे हैं। प्रत्येक जाति के अग्रणी को उनके समूह से कोई भी इस सगड़न से पीछे हटता दिखाई देने पर उसे जाति से निष्कासित करने के लिये माध्य किया जाता है। वे लोग नगर के सभी क्षेत्रों में अपने गुप्तचरों को दोषी को पकड़ने के लिए भेज रहे हैं। मैंने उस काम के लिए भेजे गए लोगों को पकड़ा भी है। यद्यपि उससे दूसरे लोगों को यह कृत्य करने से रोका नहीं जा सकता।

दिनांक ४ जनवरी तक परिस्थिति इस हृद तक सुधर गई कि कार्यवाहक न्यायाधीश बहुत सतोषपूर्वक स्पष्ट कर सका कि इस शहर के निवासी अथ सरकार की सत्ता के सामने उपर्युक्तता की स्थिति बनाए रखने के खतरों और आदोलन की अनुपयोगिता को समझ गए हैं। इसके साथ किस भयावह स्थिति पर पूर्ण नियत्रण पाया है इसका निरूपण करते हुए उसने लिखा

नगर के सभी प्रकार के लोग अपने वर्गों में नगर के किसी स्थान पर इकट्ठे हो गए थे अपने अपने वर्गों में विभाजित हो गए थे उद्देश्य सिद्ध नहीं होने तक वहा से न हटने की सौंगध उन्होंने खाई थी और दिनप्रतिदिन उनकी सख्त्या बढ़ रही थी और सकल्प दृढ़ होता जा रहा था। उन्होंने प्रान्त के हर गाव में धर्मपत्री पहुँचाने के लिए खास दूर्गों की नियुक्ति की और प्रत्येक परिवार से एक-एक व्यक्ति को बनारस भेजने का सन्देश दिया। हजारों लोहार कुप्री कोरी आवेश में आकर अपना घरबार छोड़ कर यहाँ इकट्ठे हुए। उसी समय नगरजन नगर छोड़ने लगे थे। जो लोग अनिष्टक थे उन लोगों को गृहस्थाग करने के लिये बाध्य किया जाता था और जो लोग उस सधर्ष में जुँड़ने में ठीलापन दिखाते थे उन को दण्डित किया जाता था। प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्तिने अपने अपने चोतों के अनुसार योगदान दिया और आवश्यक धनराशि भी जमा की। इस प्रकार जो लोग दैनिक कमाकर खाते थे ऐसे लोगों को मदद करने की व्यवस्था भी की जाती थी।

उसने आगे खुलासा किया

इस प्रकार इकट्ठे हुए लोगों के लिए ईघन सेल और अन्य उपयोगी सामग्री पहुँचाई जाती रही थी परन्तु तब नगर में अनाज के अतिरिक्त कोई वस्तु उपलब्ध नहीं थी। धार्मिक नेता धर्मभील लोगों पर के अपने प्रभाव से उन्हें एकजुट रखने का प्रयास करते थे। इस प्रकार पूरा समाज व्यापक बन रहा था। इसलिए पुलिस कर्मियों के लिए जो सौग सागर में जुँड़ना नहीं चाहते थे ऐसे कुछ लोगों को अलप कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करना मुश्किल होता था।

नाव धलानेवाले मुस्लिमों के सदर्भ में उन्होंने बताया कि

इधर मल्लाहों के उस सधर्ष में जुँड़ते ही नदी पार करने में दोनों ओर के सौगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जल व्यवहार लगभग उप्प हो गया था। उसलिए मुझे ठिठोरा पिटवाने की जरूरत पड़ी कि नाववाले यदि नाव बद रखेंगे तो सरकार नावों को जल कर लेगी। यह सुन कर नाव बाले अपने काम पर आ मए। दूसरी और अन्दोलन में सम्मिलित विभिन्न वर्गों के कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़कर अत्यन्त कठोर दण्ड दिया। ऐसा दण्ड बार बार दिया गया जिसे देखकर शेष सौगोंने अपराध करना छोड़ दिया।

उसके अतिरिक्त कठिनाईयों और धकान के अनुभवों और उस सब्द में उन्हों दी गई सीख के बारे में चर्चेख करते हुए उन्होंने लिखा था कि

वे समझते हैं कि पिछर जाने के बाद ही सरकार के हस्तक्षेप की आशा की

जा सकती है। अतः उन्होंने इसलिए आदोलन के सभी वर्ग के लोगों को दैनन्दिन व्यवसायों में वापस लग जाने के लिये समझाने हेतु सबकुछ करने की सिद्धता प्रदर्शित की। परिणाम स्वरूप बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दिया। कल और आज नगर की कई दूकानें खुल गईं और दैनन्दिन उपयोग की घीज वस्तुएं मिलने लगीं। बड़ी सख्त्या में लोग अपने व्यवसायों में वापस लौटे हैं और विद्रोह लगभग शात सा हो गया है। मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों में तो जमाव टूटने लगेगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।

इस बीघ उससे पूर्व की स्थिति विषयक रिपोर्ट कोलकाता सरकार को पहुँच गया था। इस घटना के सबध में गवर्नर जनरल इन कारन्सिल को ५ जनवरी को सबसे पहली सूचना मिली। उस समय दिनांक ३१ दिसम्बर के दस्तावेज मिलने की स्वीकृति देने के साथ तथा बनारस से प्राप्त आदेशों की भी स्वीकृति देते हुए सरकार ने सूचित किया कि कर दूर करने के लिए कोई ठोस कारण उन्हें नहीं दिखता है। सरकार का मानना था कि कर हटाने के लिए होनेवाले दणे और आदोलन के सामने घुटने टेकना सामान्य नीति के सिद्धान्त की दृष्टि से बहुत ही बेतुका माना जाएगा। इसलिए कार्यवाहक न्यायाधीश द्वारा उठाए गए कदम को उचित मानते हुए सरकार द्वारा पत्र में और भी स्पष्टता की गई कि

यद्यपि इस प्रसिद्धि के साथ लोगों को यह भी बता देना चाहिए कि सरकार के निर्णय अथवा आदेशों का अब इसके बाद कोई भी विरोध करेगा तो गमीर खतरा या आपत्ति को निमत्रण देगा। साथ ही यह भी बताया जाए कि (सरकार) अपने विवेक से उचित लाभ या माफी देने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करेगी। परन्तु गवर्नर जनरल उन कारन्सिल गैरकानूनी जमावों के दबाव अथवा उनके आदेशों अथवा दणों अथवा शोर मचानेवाली सभाओं या कार्यक्रमों के सामने झुकनेवाली नहीं है।

इसके लिए उचित सलमता सो यही हो सकती है कि लोगों को फाटकबदी से मुक्त किया जाएँ वयोंकि यह फाटकबदी के लिए धौकीदारों का वेतन उनके दरवाजों की मरम्मत के लिए स्वैच्छिक दान दिया है और उसकी व्यवस्था में भी योगदान दिया है। इसलिए उस सबध में उसके बाद के खर्चे-सरकार के सामान्य कोष से ही आविष्टि किये जाएँ। सरकार के इस कदम के समाचार सेना के अधिकारियों के साथ मत्रज्ञ करने के बाद और उचित व्यवस्था करने के उपरान्त लोगों को पहुँचाये जाएँ। साथ ही पूर्व के अनुच्छेद में दर्शाए हुए सरकार के विषयार भी उन्हें पहुँचाये जाएँ।

स्थिति की गमीरता विषयक २ जनवरी का रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकारने ७ जनवरी को सैन्यबल क्र किस प्रकार उपयोग किया जाए इस समय में सूचनाएं भेजीं।

सरकार को लगता था कि सरकार के सत्राधीशों द्वारा सीधी घोषणा होते ही लोग सही मार्ग पर आ जाएं। अथवा तो उन्हें ऐसे गैरकानूनी वृत्त्य जारी रखने से उनपर वे किन्तु नी कठिनाई आ सकती है इसकी समझ आयेगी। इसके साथ सरकार द्वारा तैयार किया गया घोषणापत्र भी जोड़ा गया था जिसका किंस समय उपयोग करना वह बनारस के सत्राधीशों के विवेक पर निर्भर था। इसके साथ ही सरकार ने घोषित कर दिया कि उसे इस विनियम को वापस लेने का कोई ठोस कारण नहीं दिखाई देता था। इसके साथ सरकार के घोषणापत्र में दतात्या गया था कि न्यायाधीश और समाझूर्ता को कर्तव्यपालन में सहायता करने के लिए सेना के ऑफिसर कमान्डिंग को आदेश दे दिया गया है। समापन में लिखा गया

गवर्नर जनरल इन कारन्सिल पूरी सदेदना और सहानुभूति के साथ कम्बून का उत्थान करने वाले हठी या जिद्दी लोगों को घेतावनी देना चाहते हैं कि उनका ऐसा व्यवहार जारी रहेगा तो वह राजद्रोह माना जाएगा और वे अपने लिए गमीर स्थिति के निमित्त करेंगे। सरकार प्रत्येक आवेदन पर पर्याप्त ध्यान दे रही है तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए प्रयत्नशील है यह बात सर्वज्ञात है परन्तु यह नहीं घलाया जा सकता कि अधिकारियों के सभी उचित प्रयासों की अवमानना कर लोग ऐसे गैर कानूनी जमाव निर्माण करके उपद्रव मचाएं।

जनवरी ७ इस घोषणापत्र के प्रसिद्ध करने की तारीख से जनवरी ११ के बीच (इलैण्ड के निवेशक सत्राधीशों को १२ जनवरी १८९१ को लिखे गये राजस्व पत्र के अनुसार) गमीरता से विचारणा करने पर गवर्नर जनरल उन कारन्सिल को लगता था कि इस कर में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। जो सुधार उस कर के अमल से जिन पर इस कर का सर्वाधिक असर पड़ सकता है ऐसे लोगों की स्थिति का विधार कर इस सुधार के समय में सोचा गया है। परिणाम स्वरूप दिनांक ४ जनवरी को न्यायाधीश की ओर से कुछ चल्साह प्रेरक रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने उसके दिनांक ११ के दो पत्रों द्वारा बनारस के सत्राधीशों का धार्मिक स्थानों से सर्वधित कानून की धारा के प्रति ध्यान आकर्षित किया था और एकदम निष्ठली कथा के लोगों के निवास स्थानों को उस कर से मुक्ति देने का निर्णय भी स्पष्ट कर दिया था। और जिसकी फीमत लगभग न के बराबर है ऐसे निवास स्थानों से सरकार का आय प्राप्त करने का हेतु हो ही नहीं सकता।

सरकार के इस मनोभाव को जनसामान्य के समव विस्तृत करते हुए उसमें जोड़ा गया

वर्तमान आदेशों की सूचना के साथ विभिन्न दर्गों के लोग जिन्हें उस व्यवस्था से लाभ होने वाला है उन्हें यह किस प्रकार पहुँचे उसका आपको ध्यान रखना है। उसके लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ कोई छीलापन न हो और लोगों की भावना और स्वमान को ठेस न पहुँचे यह भी देखें क्योंकि इस समय सरकार के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है।

मान्यवर यह अवश्य चाहते हैं कि यदि लोग उनके राजद्वारा अथवा अपराधी कृत्यों को स्थानीय अधिकारियों के समक्ष कम्बूल करने अथवा मान लेने के लिए राजी होते हैं तो उन्हें कर्मचारिता दे दें।

बनारस की जनता द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन को सरकार के दिनाक ५ जनवरी के आदेश द्वारा सर्वथा अस्वीकृत कर दिया गया है यह समाचार बनारस की जनता को दिनाक १३ जनवरी को प्राप्त हुआ। इसके बाद १४ जनवरी से जनता फिर एकत्रित होने लगी। इस बीच दिनाक ७ को सरकार द्वारा प्रकाशित घोषणापत्र भी बनारस की जनता तक पहुँच गया था और जनता अपनी अन्यायपूर्ण कार्यवाही से वापस लोटेगी ऐसा मानकर कार्यवाहक न्यायाधीश ने सरकार को बताया कि वह घोषणापत्र दिनाक १८ के दिन वे प्रकाशित करना चाहते हैं। परन्तु (बनारस के) सेना के ऑफिसर कमान्डिंग ने बताया था कि जब तक लखनऊ से ज्यादा सैन्य उन्हें प्राप्त नहीं होता तब तक (प्रशासन सत्र को) आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए वे असमर्थ हैं। उस बीच दिनाक ११ के (धार्मिक सम्प्रदायों को कर मुक्ति देने समर्थी) सरकार के आदेश बनारस के सकारीशों तक पहुँच गए थे परन्तु कार्यवाहक न्यायाधीश को लगा कि

जो लोग इस प्रकार के अनुचित और अन्यायी कार्यकलापों में लगे हैं वे प्रसन्न तो नहीं ही हैं। फिर भी ऐसे लोगों को सरकार का सदाशय क्या है यह भी समझाने की समावना भी नहीं है।

दो दिन बाद दिनाक २० को न्यायाधीश ने बताया कि परिस्थिति में विशेष अन्तर नहीं आया' है इसलिए 'बहुत सुधार की उन्हें बहुत कम आशा' है। उन्हें तो सबसे अधिक यिन्ता अधिक दलों के आने की थी जिससे वे सरकार के आदेशों का अप्रभाव कर सकें। विशेष में उन्हें लगता था कि दिन प्रतिदिन ऐसे लोगों को बिखेरने का महत्व भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही उनकी राजद्रोही और अनावश्यक गतिविधियों को समाप्त करने के लिए बाध्य करने की जरूरत भी बढ़ती जा रही' है। उसने आगे कहा

मेरा दृढ़ मत है कि राज्यसत्रा की अवमानना करने की यही स्थिति यदि बनी रहती है तो प्रजा को देश की सरकार के प्रति जो आदर की भावना होनी चाहिये वह दिनप्रतिदिन कम होती जाएगी। (अभी भी वह कम हुई ही है।)

इसी पत्र में उन्होंने और भी स्पष्ट किया कि

सरकार के विनियम १५ १८९० को चालू रखने के प्रस्ताव की जानकारी होते ही अत्यन्त आपत्तिजनक और उपेजनापूर्ण पर्व मुहूर्मों में वितरित होने से गे। ऐसे दो पर्वों की नकल सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको भेज रहा हू। मैंने ऐसे पर्व प्राप्त कर देने वाले लोगों को ५०० रुपये का इनाम घोषित किया है। मैं आशा करता हूं कि पर्वों की सामग्री और प्रयोजन देखते हुए यह इनाम ज्यादा नहीं समेगा।

इस प्रकार साधारणीयों के द्वारा किए गए अमाप प्रयासों के कारण जनता की एकता और विश्वास क्रमशः टूटते गए। ऐसा लगा कि न्यायाधीश की हताशा ही थी। उस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के कुछ ही दिनों में बनारस के साधारणीयों के प्रयासों का प्रमाण दिखाने लगा था। इसके बाद न्यायाधीश ने बताया कि (बनारस के) लोगों ने एक समूह में मिलकर कोलकाता जाने का विचार किया है और मार्ग में उन धर्हरों के शामिल कर लेने की योजना है जहाँ मकान कर लागू किया गया है। तथा इस समूह में प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति को जुड़ने के लिए बता दिया गया है अध्या अपने प्रतिनिधि को भेजने के लिए कहा गया है। जो यह भी नहीं कर सकते उन्हें अपनी शरित के अनुरूप इस अभियान के लिए योगदान देने के लिए बताया गया है जिससे जो (कोलकाता) जाना चाहते हैं उन के सर्वे में सहायता हो।

बात यह मुद्दे पर आई तब बहुत कम लोग जाने के लिए तैयार हुए क्यों कि रास्ते में विच्छ थे। दूसरे उस योजना में योगदान देने के लिये भी तैयार नहीं थे क्यों कि वे समझ गए थे कि उनका उद्देश्य कभी पूरा होनेवाला नहीं था।

इसी बीच कोर्ट ऑफ अपील और सर्किट समक्ष प्रस्तुत यीं गई एक अन्य अपील के बारे में भी निर्णय आ गया

यह आवेदन ऐसे लोगों ने प्रस्तुत किये हैं जो (देश के) विनियम के विरोध में दृष्टापूर्वक सघ की रथना कर एकत्रित हुए हैं जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है। इस आवेदन की बीली और भावना अवमानना युक्त है। यह भी उसे मान्य करने का एक कारण है।

न्यायाधीश के अनुसार इन सभी घटनाओं के कारण (जनता में) मतभेद और विरोध शुरू हुए। बहुतों ने समर्थन वापस ले लिया। परिजामस्वरूप जनता की

नैतिक ताक्षत टूट गई। इस स्थिति में कुछ पुराने और निष्ठावान सरकारी कर्मचारियों ने अद्भुत सेवा निभाई जिससे प्रजा की उलझन बढ़ती ही चली और अतत उन्होंने बनारस के राजा की सहायता से सरकार की कृपा की मांग की। यद्यपि जनता द्वाक्षु अवश्य गई थी फिर भी परिस्थिति सामान्य से कहीं भिन्न थी। उसके बाद भी कार्यवाहक न्यायाधीश ने अपने दिनांक २८ जनवरी के रिपोर्ट में उस सामान्य माफी के बारे में सुझाव दिया था क्योंकि नगर में रहनेवाले प्रत्येक नागरिक का हृदय उसके साथ जुड़ा है और 'सचा' को पुष्टि प्रदान करनेवाला कदम तो शायद यहुत पहले ही लिया जा चुका है।

कार्यवाहक न्यायाधीश की रिपोर्ट को ध्यानमें रखते हुए, सरकार दिनांक ८ फरवरी को जनता द्वारा स्वीकार की गई ताबेदारी का अत्यन्त सतोषपूर्वक स्वीकार करती है और न्यायाधीश की कार्यवाही का समर्थन करती है। साथ ही जिन लोगों ने सरकार को समर्थन दिया था उन्हें खिलावत देने का निर्णय किया गया है। साथ ही फाटकबन्दी को समाप्त न करने के सरकार के पूर्व के निर्णय को यथावत् रखने का न्यायाधीश का सुझाव भी स्वीकर्म मानती है तथा घरों और दूकानों पर लिये जानेवाली कर के समान राशि जिन्होंने फाटकबन्दी में भी दी है उन्हें उस राशि से माफी कर देने के लिए भी तैयार है। फिर भी सामान्य माफी विषयक न्यायाधीश के सुझाव को अस्वीकार्य करते हुए सरकार ने बताया था कि

राजद्रोही और अन्यायपूर्ण आवरण करनेवाले बनारस के लोगों को आम माफी देना मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को उचित नहीं लगता है। उल्टे उनका तो मत ऐसा है कि इस प्रकार का आवरण भविष्य में फिर से न हो इसलिये इन अपराधियों को ऐसा उदाहरण रूप दण्ड देना चाहिये कि और कोई इस प्रकार का आवरण करने का साहस न करे। उनके उपर सीधा सीधा मुकदमा चलाना चाहिये। परन्तु मान्यवर का मानना है कि ऐसे मुकदमे सख्त्या में अधिक नहीं होने चाहिये। मान्यवर का यह आशय ध्यान में रखते हुए आप ऐसे लोगों के नाम दें जिनके विरुद्ध आप मुकदमा दायर कर सकते हैं साथ ही इन लोगों के नाम देने के लिये कौन से आधार हैं उसकी भी विस्तृत जानकारी दें।

परन्तु साथ ही न्यायाधीश को यह भी बताना जरूरी है कि उस प्रकार की कानूनी कार्यवाही भयादित सख्त्या में ही होनी चाहिए।

उस दीप जनता को द्विकाने के लिए बनारस के राजा ने और अन्य वकादार सरकारी मौकरों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही उससे भी आगे निकल गई थी। दिनांक

७ फरवरी के दिन बनारस के राजा द्वारा बनारस के निवासियों ने प्रस्तुत किया हुआ आवेदन न्यायाधीश को दिया गया जो उसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस आवेदन को अतिम आवेदन बताते हुए आवेदन के शब्दों में ही आवेदकों ने दिस लोड्डीशप इन कारचन्सिल को अति नष्टतापूर्वक बताया कि कानूनभग करने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 'इसके स्थान पर दिनाक १३ जनवरी को न्यायाधीश द्वारा प्रकाशित घोषणापत्र को पूर्ण रूप से शिरोमान्य मानकर उसे ईश्वरीय आदेत की तरह स्वीकृत करके सरकार की महेरवानी में सम्पूर्ण श्रद्धा के साथ हम उठ सड़े हुए थे और अपने निवास स्थान पर चले गए थे'।

फिर भी सरकार ने अपने जनवरी ११ के आदेत की मर्यादा से जरा भी महसूस हुए (बनारस के) निवासियों के आवेदन की ओर ध्यान देना उवित नहीं समझा। पहले के सुधार के साथ यह आदेत एक सप्ताह बाद दिनाक २३ फरवरी को न्यायाधीश ने बनारस के राजा और अग्रगाय्य निवासियों को भेज दिया था। न्यायाधीश ने उसी दिन एक घोषणापत्र प्रकाशित करते हुए बताया कि अब शिकम्पत अथवा असतोष का कोई कारण नहीं बढ़ा है।

बनारस के अग्रगाय्य निवासियों ने सरकार के इस निर्णय को भाष्य का पत्ता मानकर स्वीकृत किया और उस के विषयमें जो आवेदन उन लोगों ने बनारस के राजा के माध्यम से सरकार को भेजा था तथापि वे न्यायाधीश के अभिप्राय के साथ सहमत नहीं थे। उसके लगभग एक वर्ष बीतने के बाद दिनाक २८ दिसम्बर १८११ के दिन समाजस्त्र ने रिपोर्ट दिया

प्रारंभ में मैंने मेरे अधिकारियों को सभी मालिक तथा किराएदारों जिनके मकान का निधरिण हो चुका है उसकी विस्तृत जानकारी लाने के लिए कहा। इसके लिए एक नोट भेजा जिसमें प्रत्येक मकान के किराए की दर और निश्चित की गई कर की राशि की जानकारी का पत्रक तैयार करने के लिए कहा। साथ ही एक घोषणा करवाई कि यदि किसी व्यक्ति को किराए की दर अथवा उसमें दर्शाए कर के संबंध में कोई विरोध है तो उसकी जानकारी दी जाए। ऐसा भी विवार किया गया कि उनसे जल्सी पूछताछ कर उसका हल निकालने का प्रयास किया जाए। घोषणा में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए और उसके निवारण के लिए नगर में सप्ताह का एक दिन निश्चित करके बताया गया। किसी भी मकान मालिक अथवा किराएदार ने इसकी ओर न तो कोई व्यान दिया अथवा न तो किसी ने कोई आवेदन दिया या विरोध किया। अधिकार लोग धिडे हुए थे और उन्होंने निर्धारिकरण को अपना

काम करने दिया। हाँ किन्तु ये कर सबधी जरूरी किसी भी प्रश्न का उत्तर देना टालते रहे। वे इस नियम से खुश नहीं थे यह दर्शने के लिए ऐसा करते थे। उनकी धारणा थी कि निर्धारिक और कार्यकारी अधिकारी सम्पत्ति आदि सब देखकर समझकर करनिर्धारण करेंगे। सीधा विरोध नहीं कर सके तो सहमत भी नहीं लगे।

फिर भी अधिकारियों की सात्वना के लिये समाहर्ता ने कहा

यद्यपि नगर के कुछ रिहायशी इलाकों में कुछ अपवाद रूप घटना तो ऐसी घटी कि सरकार के कुछ कर्मचारी और बाद में अन्य किसी प्रकार से सरकार से सम्बन्धित अथवा तो स्वेच्छा से ही निषा दर्शने के इच्छुक कुछ लोग अपने मकानों की जानकारी का तैयार किया गया पत्रक और किंतु ए की जानकारी कर निर्धारण के लिए प्रस्तुत करते हुए दिखाई दिए।

फिर भी ऐसे अपवाद बहुत सात्वना नहीं दे सकते थे। उसलिए उसके बाद के रिपोर्ट में समाहर्ता ने आग्रहपूर्वक बताया कि सावधानी के अनिवार्य कदम के रूप में यहाँ स्थित सैन्य दल से अतिरिक्त दल नहीं आने तक कर की वसूली शुरू नहीं की जा सकती।

उस प्रकार सहयोग न देने की मनोवृत्ति (जनता की) तो फरवरी के प्रारम्भ में ही स्पष्ट हो गई थी। निवासियों का अतिम आवेदन सरकार को भेजते हुए न्यायाधीश ने बताया

‘मुझे लगता है कि वे लोग जिस मुद्दे और उसके लिए उठाए गए कदम के सबध में आपत्ति कर रहे हैं वह सरकार के व्यवहार के बारे में है कर निर्धारण या उसकी वसूली से सम्बन्धित नहीं है। नगर के लोग तो मानते हैं कि यह तो एक नए प्रकार का परिवर्तन है। देश और प्रात के हित में किसी भी सरकार को इस प्रकार का लागू करने का अधिकार नहीं है और यदि लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो कर बढ़ता ही जाएगा और फिर तो लोग जिसे अपना समझते हैं उसे भी धीरे धीरे कर के दायरे में सम्पत्ति कर लिया जाएगा। इसलिए मुझे सदैह है कि ये लोग अपने कदम के सबध में पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं होंगे।

पटना की घटनाएँ

अब दूसरे शहरों की और देखें। बनारस के समाहर्ता ने दिनांक २ जनवरी के पत्र में बताया था कि अन्य शहरों के निवासी भी बनारस की घटनाओं को देख रहे थे। पटना के न्यायाधीश ने भी दिनांक २ जनवरी को नगर के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किये

गये कर के विरुद्ध के आवेदनों को सरकार के प्रति भेज दिया था। सरकार ने दिनांक ८ जनवरी को (न्यायाधीश को) लिखित उत्तर दिया कि ये आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। लेकिन साथ ही न्यायाधीश को सावधान करते हुए लिखा था कि बनासर जैसी समाई अथवा आवेदनों को अन्य नगरों के (पटना के) निवासियों तक फैलने से रोकने के लिए नरम और समाधानकारी कदम उठाए जाएं वयों कि इससे साधित आगे की घबराई का आधार बनासर ही होगा। उस के साथ सरकार मे उसे यह भी बताया कि ऐसी किसी भी कार्यवाही को रोकने के लिए उनकी सत्ता एवं संसाधनों का समझदारी से पूरा उपयोग करें परन्तु किसी भी प्रकार की 'विषोभक बैठक अथवा गैरकानूनी गुप्तता' के विषय में सरकार को तत्काल जानकारी दें।

सरन की घटनाएँ

एक सप्ताह बाद ९ जनवरी को सरन के न्यायाधीश द्वारा सरकार को लिखकर बताने का अवसर आया जिसमें उसने शहर के निवासियों का आवेदन प्रस्तुत करने के साथ बताया

जब समाझोत्तरा ने निर्धारण कर्मचारियों को भेजा तब इतनी भयानक सकल्पना स्थिति उत्पन्न हो गई कि हमें सचेत हो जाना पड़ा और मेरे लिये सम्भव था वह सम करने के बाद भी सभी दुकानें बद करा दी गईं। कुछ गभीर पटना घटने के संकेत प्राप्त होने लगे।

इस प्रकार का आकलन करने के लिए अपनी आशंकाओं के बारे में उसने बताया

'यहाँ सैन्य बल नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारी को शोपा न देनेवाला या अपमानजनक कुछ भी नहीं कर सकता था। अतः मुझे समाझोत्तरा को कहना पड़ा कि सरकार की ओर से मुझे आदेश प्राप्त नहीं होता तथ तक निर्धारण का कार्य रोक दें।'

इस सबध में सरकार की ओर से सूचना मिली कि सरन के निवासियों को ऐसा कोई भी संकेत न दें कि उन्हें कर से दिनांक ११ जनवरी को किए गए सुपार या दिनांक १८ जनवरी के दिन प्रकाशित हुए उसके सिवाय सामान्य भाषी मिलेंगी। इसके साथ सरकार मे और भी स्पष्ट किया कि

'गवर्नर जनरल इन कारन्सिल को नहीं सगता है कि विशेष स्पष्ट से यदि उभयं निर्दिष्ट पदार्थ से कर सामूहिक निवासियों की प्रक्रिया शुरू की जाएँगी तो सरन के सामूहिक

खुला विरोध करेंगे।

ऐसा मतावय रखने के बावजूद सरकार ने इस प्रकार के निर्देश दिये

फिर भी वास्तव में ऐसी आत्यतिक स्थिति का निर्माण होता है (अथवा सेना को बुलानी पड़ती है) तो आवश्यकतानुसार दीनापुर से सैन्य सहायता प्राप्त करें ताकि स्थानीय अधिकारियों को विनियम के अनुसार अपनी कार्यवाही निभाने में सहायता प्राप्त हो।

मुर्शिदाबाद की घटनाएँ

इसी प्रकार के अत्याचार उसके विरुद्ध मनोभाव और उसके लिए सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं का मुर्शिदाबाद में दिनांक २ मार्च को पुनरुत्पत्ति हुआ था परन्तु यहाँ की स्थिति अधिक गम्भीर थी। दिनांक २५ फरवरी को ही निवासियों के दो आवेदनों के साथ न्यायाधीश ने लिखा

एकत्रित लोगों में अग्रणी व्यापारी इस कर का विरोध करने के स्थान पर अपने घर और दूकान से निकल कर मेरे पास आए थे। उनमें से कुछ लोगों ने योजना के अनुसार किया भी परन्तु मुझे खुशी है कि मैं उन्हें अपने अपने स्थानों पर वापस लौटने के लिए समझा सका हूँ।

शहर छोड़ देने की उनकी मनोवृत्ति प्रबल बनती दिखी इसलिये उसने लिखा इस आवेदन की भाषा आपचिजनक लगने पर भी उन्हें आपके पास पहुँचाना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ और 'इसके बदले मैं जो महाजन अपने मकान छोड़कर खेतों में रहने चले गए हैं उन्होंने निवास स्थानों में वापस लौटने का वदन दिया है'। आपचिजनक शब्दों से युक्त आवेदन इस प्रकार था'

ईश्वर की कृपा से एक अग्रेज सजन जानता है कि दुनिया के किसी भी राजा ने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया नहीं है। (क्योंकि) सर्वश्वितमान अपने सूजनों को यातना से बचाता रहता है विगत कुछ वर्षों में हमारे दुर्भाग्य से हम पर आक्रमण और अत्याचार हो रहे हैं। एक तो सतत महामारी के कारण शहर के लोग मर रहे हैं और समवत् आधे लोग ही बचे हैं। दूसरा टारनस्थूटी और कस्टम के कर इतने अधिक हैं कि सौ रुपए कीमत की सम्पत्ति दो सौ रुपए के भाव से खरीदनी पड़ती है। कर का दर दुगुना और समवत् घार गुना हो गया है और यदि कोई अपनी सम्पत्ति शहर से दूर आसपास के प्रदेश में ले जाना चाहे तो उस पर और कर चुकाए मिना नहीं ले जा सकता। साथ ही मकान कर और दूकान कर के लप में एक नया अस्थायाचार आ

पढ़ा है। वास्तव में सरकार का यह आदेश बज़ाधात ही है

अपने रिपोर्ट के समापन में न्यायाधीश ने बताया कि 'उस मकान कर से उत्पन्न असतोष के सब्द में मुझे कहना ही पड़ेगा कि यह बहुत गहरा और बहुत ही व्यापक है। समाज के प्रत्येक वर्ग के और प्रस्तेक प्रकार के लोगों में यह व्याप हो रहा है। इस के कारण कोई दगा भड़क उठता है तो इस स्थिति में क्या कदम उठाया जाए इस सबंध में सरकार से सूचनाएँ भी मार्गी थीं।

यद्यपि वास्तव में तो मुर्शिदाबाद के न्यायाधीश को उर था ऐसा कोई दगा भड़का नहीं था परन्तु भागलपुर की घटनाओं के दौरान भी देखा गया था उस प्रकार ७ महीने बाद भी कर वसूल नहीं किया जा सकता था। न्यायिक और राजस्व विभाग के समिति के रूप में दायित्व निभानेवाले बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू के एक वरिट सदस्य जो सेवा निवृत्त होने वाले थे उन्होंने निवृत्ति पूर्व दिनाक १९ अक्टूबर को एक अन्य सर्वमें यह प्रश्न फिर से उठाया था। यह अधिकारी ही पहले दिए गए (मकान कर से सबधित) आदेश और सूचनाएँ तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे तथा वे आदेश और सूचनाएँ उनके हस्ताक्षर से ही प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने स्वयं ही मकान कर के सबंध में लिखा है कि

'पूर्वानुभव से ऐसा लगता है कि कोलकाता और आसपास के उपनिवेशों के अलावा अन्य स्थानों पर कर सरकार का उत्तेज्य नहीं हो सकता। अन्य स्थानों में (विशेष रूप से शहरों में) मैंने जो कुछ सुना है उससे मैं मानता हूँ कि कर के बारे में तीव्र रोप प्रवर्तमान है। अत यह रोप थमने तक यह वर्ष बीत जाने देना चाहिए।'

परिणाम स्वरूप 'उसका असर अधिकतम इतना हो सकता है कि सरकार को केवल २ या ३ लाख रुपए की बलि देनी पड़ेगी' इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि 'जनता के विशाल वर्ग की भावनाओं को ध्यान में रखकर उसे शात करने के लिए' इस कर को घातू नहीं रखना चाहिए। इस सुझाव को सरकार ने दिनांक २२ अक्टूबर को स्वीकार किया था और बोर्ड ऑफ़ रेवन्यू को बताया भी गया था कि

'यहाँ प्रेसीडेन्ट इन काउन्सिल विनियम १५ १८९० की व्यवस्था से मकान पर कर लागू करने का उपाय रोक देने के लिए तैयार हुए हैं और इस सर्वमें वे सूचना देने के लिए भी सहमत हुए हैं कि प्रथम तो जहाँ भी मकान बार का कम पूरा नहीं हुआ है वहाँ इसे रोक दें। जहाँ भी यह कर लागू हो चुका है उसे रोक दें और अपवादस्वरूप जहाँ भी इस कर के विरोध में हो हस्ता हुआ है वहाँ मान्यता दी

इच्छा है कि इसे सोकने की पुष्टि के लिए आप आवश्यक आदेश प्रकाशित करें।

साथ ही इस आदेश में जिला समाहर्ताओं को अपने जिलों की स्थिति के विषय में सरकार को त्वरित सूचित कर देने के लिये बताया गया ताकि 'उनके प्राप्त होते ही जहाँ बल प्रयोग कर के समग्र या अश रूप में कर वसूलने को बाध्यता न हो वहाँ उस कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर देने के अन्तिम आदेश प्रसारित किये जा सकें'।

भागलपुर की घटनाएँ

भागलपुर में तो इस कर के विरुद्ध असाधारण विरोध हुआ था। दिनांक २ अक्टूबर को भागलपुर के समाहर्ता ने बताया

परसों ३० सितम्बर और सोमवार होने से कर वसूली का काम शुरू करना था किन्तु तहसीलदार के आते ही सभी ने दूकानें और घर बद कर दिये। कल सरकारी अधिकारी कुछ प्रगति नहीं कर सके और उसी शाम में जब मेरे केलेज में निकला तब कुछ हजार लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े दिखाई दिए यद्यपि ये लोक किसी भी प्रकार के उत्पात अथवा उथम नहीं मचाते थे किन्तु अपनी परिस्थिति का वर्णन कर जोर शोर से कर भरने के सबध में अपनी असर्वर्थता दर्शा रहे थे।

दूसरे दिन न्यायाधीश ने भी सरकार को एक पत्र भेजकर इस वास्तविकता की पुष्टि की थी। दूकानें बद करने की घटना का विवरण देते हुए न्यायाधीश ने बताया

अतत कल सुबह मैंने कई अग्रणियों को बुलाकर उन्हें समझाया कि उनका यह व्यवहार कितना गलत था और सरकार के आदेशों का इस प्रकार विरोध करना कितना निरर्थक था। उन लोगों ने एक आवाज़ में बताया कि सब घरबार और शहर छोड़ देंगे। किन्तु जिस के विषय में वे कुछ भी नहीं समझते हैं ऐसा कर स्वैच्छिक रूप से नहीं भरेंगे।

न्यायाधीश ने और भी बताया कि उनका विरोध होने पर भी मुर्शिदाबाद में अथवा किसी नजदीक के जिले में यदि कर की वसूली शुरू होगी तो ये कर भरने के लिए तैयार हैं। इससे कुछ समय के लिए कर वसूली स्थगित करने के लिए समाहर्ता को सूचना देना उन्हें अधिक उचित लगा। समाहर्ता को न्यायाधीश की यह सूचना अपने कार्य में हस्तखेप के समान लगी और ऐसा लगा कि कुछ गैरकानूनी तत्वों के एकत्रित होने से ही वे सचा के मूल में प्रहार करने के लिए तैयार हुए हैं। सरकार को उसकी रैयत पर सचा जमानी ही चाहिए इसलिए उन्होंने सरकार का मार्गदर्शन भी

माणा। सरकार को दिनाक ११ अक्टूबर को उस संवध में विचार कर न्यायाधीश की कार्यवाही को अस्वीकार्य बताते हुए समाहर्ता के मतभ्य के साथ सहमति बताई और कहा कि कर वसूल करना स्थगित करने की कार्यवाही भागलपुर की जनता के और मुश्तिधावाद तथा पटना की और अन्य स्थानों की जनता के समूह बनाने के लिए उत्तेजना देने जैसी है। इसलिए उन्होंने न्यायाधीश को आदेश दिया कि उन्हें दिए पर आदेश तत्काल निरस्त करें और वह भी पूर्णत सार्कजनिक रूप में बताएँ। इतना ही नहीं तो मकान कर वसूलने में समाहर्ता को सर्व प्रकार की सहायता और समर्थन दें।

सरकार का यह आदेश दिनाक २० अक्टूबर के आसपास भागलपुर पहुंचा। दिनाक २१ अक्टूबर शात्रि के १० बजे समाहर्ता ने सरकार के बताया

'मुझे आपको सूचित करते हुए अख्यन्त दुख हो रहा है कि मकान कर वसूल करने की कार्यवाही हाथ में लेते ही कल शाम मुझ पर भारी हमला हुआ। इट पत्थर और फेंकी जा सकने वाली सभी वस्तुए मेरे (सिर) ऊपर फेंकी गई।

मुझे मुह और सिर पर घाव लगे हैं और यदि मैं मि स्लास के मकान में भाग नहीं गया होता तो मुझे बधाने वाला कोई भी नहीं था।

इस घटना के संबध में न्यायाधीश और उसके सहायक (जो बाद में सहायक न्यायाधीश बना) ने जो रिपोर्ट दी है- वह उससे सर्वधा अलग थी। न्यायाधीश ने अपने १५ नवम्बर के पत्र में लिखा था कि यह मानने के लिए उनके पास पर्याप्त कारबंड हैं कि (इन कारणों की बाद में शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने पुष्टि की थी) उन्हें (समाहर्ता) यदि भीड़ के उक्साया न होता तो इस प्रकार कज हमला भी होता। समाहर्ता बताते हैं कि वे मकान कर वसूलने का काम कर रहे थे तब उनके उपर हमला हुआ था परन्तु वे सत्य से परे बात प्रस्तुत कर रहे हैं। इस समय किया गया यह निष्कर्ष सरकार को 'जल्दबाजी में तत्काल तैयार किए गए निषेद्दन में होने वाली क्षतियों का साम उठाने के बराबर' लगा था।

तो भी कथित तथ्य की साहजिक अस्पष्टता कोलकता स्थित सरकार को स्वीकार्य नहीं थी। उन्होंने तो कर वसूली के समय उनके उपर हुए हमले के संबंध में समाहर्ता ने जो जानकारी दी थी उसे ही सही मान लिया और दिनाक ११ अक्टूबर को उन्हें पहले भेजे गए आदेश को अपनाते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव बना लिया और न्यायाधीश को निलम्बित कर दिया वयोंकि सरकार को लगा कि यदि न्यायाधीश ने मकान कर वसूलने में व्यस्त समाहर्ता को पर्याप्त सहायता भेजी होती और आम शांति दर्दी रहे इस हेतु से सावधानीपूर्वक कदम पहले से ही उठाये गये होते तो भागलपुर

के स्थानीय निवासियों ने समाहर्ता के प्रति ऐसा अपमानजनक और आक्रामक कृत्य जो उन्होंने अपने पत्र में बताया था किया ही न होता। इतना ही नहीं तो सरकार ने दिनाक २९ अक्टूबर १८९१ को इंग्लैन्ड को लिख भेजा कि न्यायाधीश के पद को समालने के लिए वहाँ से एक अधिक समर्थ और कार्यप्रवण व्यक्ति को भेज दें साथ ही ऐसी भी इच्छा व्यक्त की कि वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कर वसूली के लिए कृतनिश्चयी हो।

इस समय यह उल्लेखनीय है कि यह नियेदन भेजने के केवल थार दिन पूर्व ही इस कर को पूर्ण रूप से नाश्वद करने की अनिवार्यता समझ में आ गई थी। अतः सरकार ने उस समय भागलपुर में कर वसूल करने में समाहर्ता और उनके अधिकारियों को सहायता करने के लिए तथा पुलिस को भी सहायता करने के लिए अतिरिक्त सेना की पलटन भेजना चाहिए भागलपुर में इस अद्देश को पहुंचने से पूर्व वहाँ शाति स्थापित हो गई थी। फिर भी विरोध को कैसे समाप्त करें या कुचल ढालें यह प्रश्न तो स्थानीय सचाईदारों के लिये निरन्तर सिरदर्द और विन्ता का विषय बना हुआ था। इसका एक कारण स्थिति को समालने के विषय में न्यायाधीश और समाहर्ता के अलग अलग मतव्य भी थे। समाहर्ता सरकार की सचा को प्रभावी रूप में स्थापित करने के लिए अधक परिश्रम की आवश्यकता है ऐसा मानते थे जब कि न्यायाधीश जो वास्तव में पुलिस और सेना के कार्य के लिए उत्तरदायी थे वे शातिमय और अपेक्षाकृत कम उग्र मार्ग पसद करते थे।

भागलपुर की जनता की दिनाक २२ को हुई समा के विषय में न्यायाधीश ने दिनाक २४ को रिपोर्ट भेजा

‘यद्यपि इतने से काम न चलने से मैं हिल हाउस पहुंचा और शाहजहां पर एकत्रित लोगों को बिखरने के लिए अधिक ट्रूप भेजा। वहाँ मैंने कुछ समय रक्कम उन लोगों के आने की प्रतीक्षा की। लगभग आठ हजार लोग वहाँ आ गए। उनके हाथ में हथियार जैसा कुछ नहीं था। इन लोगों के अग्रणी भीड़ के बीच होने से तत्काल उन लोगों को पकड़ना समय नहीं था। तब बताया गया कि वे वहाँ पर किसी अन्त्येष्टि के लिए एकत्रित हुए थे। फिर उन्हें बार बार घेतावनी दिये जाने पर कि अधिक समय इकट्ठा रहेंगे तो गोली चलाई जाएगी वे बिखर गए। फिर उन्होंने मुझे एक आवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना की जिसके लिए मैंने मकान कर दसूलना रोक नहीं जाएगा। इस शर्त पर अनुमति दी। यह आवेदन उन्हें मुझे पूर्ण सम्मान के साथ कोर्ट में देना

होगा यह भी बताया। सब चले गए फिर भी उसमें से तीन लोग रहे। कुछ मुनक्कर और कारीगर के अतिरिक्त वृद्ध महिला और बालक भी रहे। मैंने उनमें से कुछ के साथ बात की। उसमें उन्होंने बताया कि यदि वे लोग चले जाएं तो जो रहे हैं वे उन पर गुस्सा होंगे। मैंने उन्हें ऐसा नहीं होने देने का आश्वासन देते ही वे वहाँ से चले गए और अपने अपने घर वापस लौट गए।

इस सवध में हिल रेन्जर्स के कमार्डिंग अफरसर ने लिखा

‘जब प्रमुख लोग कल शाम को वहाँ से वापस लौट गये तब महिलाएँ और दूसरे वहाँ खड़े रहे। उन्हें गोली छलने का कोई ढर नहीं था। उसके विपरीत वे चाहते थे कि उन पर भले ही गोली छले। इसलिए उन्होंने न्यायाधीश को सलाह दी कि जब वे लोग आपको आवेदन देने आएं तो आवश्यक पूरा सैन्य दल उस समय वहाँ उपस्थित हो रखें। अथवा इन लोगों को वहाँ आने ही न दें। साथ ही यह भी न भूलें कि उनका आवेदन तभी स्थीकार करें जब आप उसके अनुरूप कार्यवाही कर सकें अन्यथा अस्तीकार करें।

दूसरे दिन न्यायाधीश ने सरकार को लिखा कि इस प्रकार का आवेदन देने के लिये कल तक तो कोई नहीं आया था। दिनांक २३ की शाम को सैन्य सहायता भी ली गई और उसके २४ घटे बाद समाहर्ता ने लिखा कि ‘कल रात जो घटना हो उसने समग्र चिन्ह पलट दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आसपास के जिलों के न्यायाधीशों को लिखा कि ‘उनके जिलों से भागलपुर की ओर आनेवाले १० से अधिक लोगों के समूह को रोकें और सन्देहास्पद लगनेवाले स्थानीय लोगों के प्रत्येक सदेश व्यवहार को भी रोककर वापस भेजें।’ इस शांति स्थापना के सत्कात बाद ही कुछ गलतफहमी फैलने लगी थी। सरकार के दिनांक २२ अक्टूबर के इस कर वसूली को स्थगित करने के आशय के प्रस्ताव के बाद बोर्ड ऑफ रेकन्यू ने भागलपुर के समाहर्ता को कर द्वासूली बद करने को कहा। भागलपुर को दी गई इस सूचना की सरकार द्वारा उग्र आलोचना की गई और कर वसूली पुनः शुरू की गई।

जनवरी १८९२ में जानकारी दी गई कि भागलपुर में निवास करनेवाले यूरोपीयों ने यह कर भरने से इन्कार किया था। सरकार को भी लगा कि यूरोपीयों से इस प्रकार का कर वसूलना उपित नहीं है। इसलिए सरकार ने जिले में रहनेवाले यूरोपीयों से कर वसूल न करने की बात कही। इससे पूर्व भी कोलकाता के बाहरी इलाकों में रहनेवाले यूरोपीयों ने कर भरने से इन्कार किया ही था। और एडवोकेट जनरल में भी यताया था कि संपत्ति जस करके भी यह कर वसूल किया जा सकता

है या नहीं इस विषय में उन्हें सन्देह है। परिणामस्वरूप अन्य शहरों से कर की वसूली बद करने के बाद भी कोलकता के बाहरी इलाकों में हो रही वसूली भी स्थगित करने का निर्णय सरकार ने लिया। जनवरी २१ १८९२ के दिन यह आदेश निकालने के साथ ही सरकार ने बोर्ड ऑफ् रेवन्यू को बताया कि गवर्नर जनरल इन कारन्सिल द्वारा उस समध में विचार विमर्श किये जाने के बाद विनियम १५ १८९० को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित करने का विचार बना है। यह निरस्त करने वाला विनियम दिनांक ८ मई १८९२ को विनियम ७ १८९२ के रूप में पारित किया गया था।

मकान कर के विरोध के विषय में इस्टेंड को सर्व प्रथम जानकारी बगाल सरकार ने अपने राजस्व पत्र दिनांक १२ फरवरी १८९१ द्वारा भेजी थी। उसकी रसीद और उस पर विचार के परिणाम स्वरूप क्रमांक २१८ १८९१-१२ दिनांक २३ मई १८९२ का मसौदा तैयार किया गया था। (जिसे बोर्ड ऑफ् कमिशनर्स फॉर अफेयर्स ऑफ् इन्डिया द्वारा अतिम रूप देने से पूर्व ही हटा दिया गया था इसका कारण यह था कि मकान कर समाप्त करना है तो उससे सम्बंधित परिच्छेद निरर्थक होंगे।) यह मूल मसौदा इस प्रकार है

‘समग्र विषय पर बहुत विमर्श एवं गमीर विचार के बाद सब को विश्वास हो गया होगा कि हम मकान कर समाप्त करने की सूचना देना उचित भानते हैं किन्तु समवत्त यह भानकर कि उससे यह भी भान लेने की गलती हो सकती है कि अपनी सरकार अशांति और विद्रोह की स्थिति के सामने झुक गई है। और इससे स्थानीय लोगों को और अधिक सूट मानने की प्रेरणा मिल सकती है। हम कर विषयक पूरे सिद्धान्त को छोड़ने की स्थिति में आ सकते हैं। जिन वस्तुओं से स्थायी और अधिक कर मिल सकता है ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने का एक विस्तृत ढांचा बना सकते हैं। यह ढांचा ऐसा हो कि स्थानीय लोगों को अत्याचारी न लगे। हम आशा कर सकते हैं कि आपने जिन बदल के विषय में विचार किया था और जिस मकानकर के विरुद्ध शिकायत दूर यसने की योजना कर रहे थे वह मकान कर आपके १२ फरवरी १८९१ के पत्र के दिन से ही शातिपूर्ण रूप में वसूल किया जा रहा है।

इस परिच्छेद में और भी बताया गया था

परन्तु यदि बदल नहीं किए जाते तो यह कर स्थानीय प्रजा में अत्यन्त विपरीत भाव और पूर्वाग्रह निर्माण कर देता। और भविष्य में अत्यन्त असन्तोष और संघर्ष निर्माण कर देता। अस: आपने यथाशीघ्र उसे वापस लेने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह काम सरकार की सच्चा के साथ दिना समझौता किए करना चाहिए।

परन्तु कोलकाता स्थित सरकार को इन भावनाओं को बताने की आवश्यकता ही नहीं थी। कोलकाता की सरकार भी समान रूप से विचार करती थी और याहाँ थी कि 'करनामूदी सरकार की सत्ता के साथ महत स्पष्ट रूप से समझौता किये बिना ही होनी चाहिये।

लन्दन की सरकार के इस आशय के खरीते से महीनों पूर्व बगाल का दि. १४ दिसम्बर १८११ का राजस्व पत्र दर्ज करता है-

'इन सभी तर्कों के निष्कर्ष स्वरूप कर घालू रखना उचित नहीं था। वर्योंकि (यह कर) सरकार की ज़रूरत पूरी करने के लिए लोगों के विरोध की भावना को दबाकर सरकार का आधिपत्य मान्य करवाने जैसा था। इस विषय में लोगों ने तो बिना तर्त समर्थन किया ही था। उसे ध्यान में ले कर ही हमने तत्काल ही कर समाप्त न कर के रेवन्यू बोर्ड को प्रस्ताव भेजने के बाद भी कोई कूट या लाभ देने की बात भी स्थगित की। इससे विपरीत जहाँ विरोध था वहाँ उनका आदेश होने तक कर वसूलना घालू रहा।'

३

अभिलेखों में जिसका स्पष्ट निरूपण मिलता है उस बनारस और अन्य स्थानों के सन् १८१०-११ के विरोध की कथा सन् १९२० और १९३० के दशकों के नागरिक अवज्ञा और अन्य स्थानों के सन् १८१०-११ के विरोध के मुख्य तत्वों के ध्यान में लेना उपयोगी रहेगा।

विरोध का तात्कालिक कारण मकान पर लागू किया गया था। परन्तु असन्तोष और धृष्टि इस कर के लागू होने से यहुत वर्षों पूर्व से उभर रही थी। सन् १८१० में तो ये इलाके ५० से भी अधिक वर्षों से ब्रिटिश आधिपत्य में थे। बनारस भागलपुर मुर्शिदाबाद आदि स्थानों का जनसमाज सरकार के करतूतों के प्रति आशकित होने लगा था। बनारस के लोगों ने यहाँ उस प्रकार मकान कर 'घाय' के ऊपर भरक छिल्कने' के बराबर था। मुर्शिदाबाद के लोगों को यह एक 'नया अत्याधार' लगा था। उन्होंने कहा था कि 'इसने हमारे ऊपर विनाशक स्फोट बनकर आधात किया था।

बनारस के नागरिक अवज्ञा सांठन के प्रमुख तत्त्व इस प्रकार थे-

१ दुकानों आदि का बन्द होना और समस्त गतिविधिया ठप्प हो जाना इतनी हद तक पहुंचा था कि मृतदेहों को भी गंगा में यहा दिया जाता था वर्योंकि अन्तिम

सत्स्कार करने हेतु मनुष्य मिलना असमव था।

२ लोग हजारों की सख्त्या में 'धरना' के लिये निरन्तर इकट्ठे होते थे। (एक अनुमान से तो कई दिनों सक यह सख्त्या २०००००० थी) 'चन्होंने घोषित किया था कि जब तक कर यापस नहीं लिया जाएगा वे हटेंगे नहीं।

३ विभिन्न कारीगरों और दस्तकारों ने अपने अपने व्याकसायिक सागठनों का सकलन कर प्रतिरोध की योजना बनाई थी।

४ लोहार उस समय शक्तिशाली और सुसंगठित समूह था। इस आन्दोलन का नेतृत्व उनके पास था। उन्होंने अन्य प्रदेशों से भी लोहारों को इस आन्दोलन में जुड़ने के लिये बुलाया था।

५ मध्याह्नों ने भी अपना काम पूर्ण रूप से बन्द कर दिया था।

६ लक्ष्य सिद्ध होने से पूर्व हटेंगे नहीं ऐसी शपथ लेकर ही लोग एकत्रित हो रहे थे।

७ 'बनारस के सम्मेलन में शामिल होने के लिये परिवार से कम से कम एक व्यक्तिने आना चाहिये ऐसी धर्मपत्री का प्रदेश के सभी गाँवों में वितरण करने के लिये दूत भेजे गये थे।

८ आन्दोलन जारी रखने के लिये और जिनका निर्वाह दैनन्दिन रोजगारी पर अलता था उनके परिवारों की सहायता के लिये हर जाति के हर व्यक्ति ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दिया था।

९ लोगों की एकमति बनाये रखने के लिये सर्तों ने भी अपने प्रभाव का उपयोग किया था।

१० समूह इतना सर्वसमावेशी था कि उससे अलग होने की इच्छा करनेवाले को अपमान और ढाटडफट होने से पुलिस भी बचा नहीं सकती थी।

११ बनारस के गली मोहर्रों में विरोध प्रदर्शित करनेवाले फलक लगे थे। न्यायाधीश के मतानुसार ये फलक अत्यन्त आवेपाई और भढ़काऊ थे। 'जो भी ऐसा फलक या पत्रक खोज कर लायेगा उसे ५०० रुपए का पुरस्कार' उसने घोषित किया था।

अपने अशस्य प्रतिरोध में स्वयं लोप यथा कहते थे इसका व्यौह देते हुए समाजर्ता ने कहा

'ऐसा करना उनके लिये बहुत स्वामायिक था। इस पद्धति से विरोध यन्त्रना इस यात का सकेता था कि उनमें और राज्य को सचा में कोई दुरमनी भी थी। ऐसी

सन्दर्भ में नकारे गये आवेदन में इस उपिति को उद्धृत किया गया था। आपके हाता जिसका पौष्ण हुआ है उससे मुक्ति पाने के लिये मैं किससे निवेदन करूँ। आप ही से जिन्होंने मुझ पर यह लादा है। शासक और शासित के सम्बन्धों की विस सकल्पना को लेकर ये जी रहे हैं और आज भी उनके मानस में अवस्थित है वह दो दोनों के बीच में निरन्तर आदानप्रदान की थी। इस विरोध में भी बनारस के लोग जो कुछ भी कर रहे थे उसका प्रतिषेध इस प्रकार के सम्बन्ध ही थे जो विरोध की पद्धति और परिणाम को भी प्रभावित करते थे।

बहुत विलम्ब से भारत के लोगों को समझ में आया की विरोध की इस पारपरकि पद्धति का अवलम्बन करना व्यर्थ है क्यों कि जिन के प्रति यह विरोध किया जा रहा है वे सर्वथा भिन्न और अपरिवित मूल्यों के लोग हैं और भारत के लोगों और इन में कोई समानता नहीं है। यह साक्षात्कार या तो उन्हें हिंसा की ओर मोह सकता था या फिर वे अधिकाधिक निष्क्रिय और अन्तर्मुख बन जाते थे।

पटना सरन मुशिरिदाबाद (भले ही कम तीव्र) और भागलपुर की घटनाओं और बनारस की घटनाओं में पूर्ण समानता है। भागलपुर में भी जहा समाहर्ता स्थान और समय का होश गवाकर ब्रिटिश 'जस्टिस ऑफ़ पीस' जैसा ही व्यवहार करने लगा तब बहुत आफ्रोशपूर्ण होने पर भी लोग शान्त रहे। हजारों की सच्चा में वे पूर्ण अवस्था रूप में छान्छे होते रहे। 'यदों और महिलाओं को भी योली धलने का भय नहीं वा यही नहीं वे चाहते थे कि गोली ढले।

समयावल (१८९०-१२) को यदि एक सौ या एक सौ दस वर्ष आगे बढ़ाया जाए कर यह अभिधान बदल दिया जाए और जरा कुछ वाचिक बदल किये जाएं तो यह निलपण आज भी जो लोगों के स्मरण में है उन १९२०-३० के नामिक अवश्या आन्दोलन को लागू हो सकता है। जिस प्रकार लोगों ने अपने आप को संगठित किया जिन उपायों का उन्होंने अवलम्बन किया अपनी एकता बनाये रखने के लिये जो योजना बनाई और जिस आधारभूत तरफ से आन्दोलन का जन्म हुआ - वह सब दोनों समय में एक ही था।

फिर भी एक महत्वपूर्ण अन्तर है। सन् १८९० ११ में लोग स्वयं प्रेरणा से व्यवहार करते थे परन्तु एक शतक के बाद भारत के लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। दोनों के बीच जो एक शतक गुजरा था (अन्य स्थानों पर कुछ वर्ष कम या अधिक) उसने लोगों के साहस और विश्वास को सौंचा लिया था। कम से कम सतह पर सो यही दिखता था। सोग अत्यधिक भील अन्तर्मुख और दम्भ बन गये थे। महारथा यांगी ने

इस स्थिति से लोगों को बाहर निकाल कर उनमें साहस और विश्वास पैदा किये थे।

महात्मा गांधी ने जब विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों को चढ़ाया तब उनके असहयोग और नागरिक अवज्ञा का व्यापक प्रसार और आत्मन्त्तिक सफलता का एक कारण तो यह हो सकता है कि दीसर्वी शताब्दी के अग्रेज शासक अपेक्षाकृत सहदय और विद्वारशील हुए थे। स्वयं गांधीजी के व्यक्तित्व का प्रभाव भी एक कारण हो सकता है जिससे प्रेरित होकर अनेक अग्रेज अधिकारी सोचने लगे थे और निजी वातालापों में बोलने लगे थे कि उनके शासन ने भारत को कितना नुकसान पहचाया था। उनकी सुलना में अठारहवीं शताब्दी के उच्चरार्थ और उन्नीसर्वी शताब्दी के ब्रिटिश शासक अत्यन्त आसुरी और अमानवीय शासन प्रणाली के दूत थे इतना ही नहीं तो व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर उनका आवरण भी उतना ही बर्बर और नृशस्त्र था। किस कारण से यह परिवर्तन हुआ यह एक स्वतन्त्र अध्ययन का विषय है।

४

सन् १८९०-९१ में बनारस और अन्य नगरों में हुए विरोधों की कथा में भारत के लोगों द्वारा सरकार अथवा अन्य सत्ताधीशों के किये जानेवाले विरोधों के सभी प्रकारों का समावेश नहीं होता है। अठारहवीं और उन्नीसर्वी शताब्दी के (और यदि उससे भी पूर्व के अस्तित्व में हों और प्राप्त भी हों) अभिलेखों का सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने पर विरोध के अन्य स्वरूप और उसके प्रमुख लक्षणों की जानकारी मिल सकती है। परन्तु निस्सन्देह रूप से एक बात तो प्रस्थापित होती ही है कि अन्याय के विरुद्ध असहयोग और नागरिक अवज्ञा का अवलम्बन करना भारत की परम्परा में है। इससे गांधीजी के इस कथन की सत्यता भी सिद्ध होती है कि जीवन की प्रत्येक बात में भारत के लोग अक्रिय प्रतिरोध का ही अवलम्बन करते हैं। शासक जब हमें नाराज करते हैं तब हम उन्हें सहयोग करना बन्द कर देते हैं। यह इस बात को भी सूझित करता है कि कुछ निषिद्ध घटनाओं की जानकारी के परिणाम स्वरूप अथवा अन्तर्दृष्टि से गांधीजी को यह परम्परा अच्छी सरह से ज्ञात थी।

असहयोग और नागरिक अवज्ञा भारत की परम्परा में हैं इसका वर्तमान भारत में क्या कोई प्रयोजन है ? लेखक का मतव्य है कि इसका लोगों और सरकार अथवा अन्य सत्ताधीश दोनों के लिये प्रयोजन है। प्रजा और सरकार के आपसी सम्बन्धों के बीच में तो इसकी निषायिक भूमिका है और आज भी भारतीय राजनीतितन्त्र निर्विघ्न और निर्बाध घलने के लिये तथा उसके स्वास्थ्य के लिये इन दोनों तात्पर्यों की विधायक

अनिवार्यता है।

आगे बढ़ने से पूर्व दो शताधियों के ब्रिटिश शासन की ओर से किराती में प्राप्त हुए वर्तमान राजनीतितन्त्र के दो प्रमुख लक्षणों का निर्देश करना उपयोगी होता।

प्रथम है सरकार के सन्दर्भ में लोगों का स्थान वया है इस विषय में अद्वैती एवं उक्तीसर्वी शताधी की ब्रिटिशों की धारणा और अभिगामों का ही स्वीकार और प्रचलन।

अभिलेखों में स्पष्ट दिखता है कि १८१०-११ में सत्ताधीश बार बार कह रहे हैं कि लोगों ने 'जन अधिकारियों के प्रति बिना शर्त अधीनता स्वीकार कर सेनी चाहिये' 'सरकार ने लोगों की मांग या आपत्ति के प्रभाव में आकर द्वृकन्ता भी चाहिये' सरकार को यदि द्वृकन्ता ही पड़ता है तो वह 'सरकार की सत्ताशीलता के साथ अत्यन्त स्पष्ट रूप से समझौता बिश्वे बिना' होना चाहिये। भागलपुर के समाइट्स के लिये भी कर वसूली स्थगित इसलिये करनी है कि अनियन्त्रित भीष सरकार दी प्रजा के ऊपर जो सत्ता होनी चाहिये उसके मूल में ही आधार कर रही है। २० जनवरी १८११ को स्थिति की जानकारी देते हुए बनारस का न्यायाधीश भी यही बहु अधिक देदना से कर रहा है। वह लिखता है

'मेरा दृढ़ भत है कि राज्यसत्ता की अवधानना करने की यही स्थिति यदि वही रहती है तो प्रजा को देश की सरकार के प्रति जो आदर की भावना होनी चाहिये वह दिनप्रतिदिन कम होती जाएगी। (अभी भी वह कम हुई ही है।) भारत सरकार के वर्तमान नियम अधिनियम और कानूनों में यही भावनाएँ और धरणाएँ प्रतिष्ठित हैं।

दूसरा महत्वा गांधी के प्रयासों के बायजूद भारत के सर्वजनसमाज में साहस और विद्वास समान रूप से परिलक्षित नहीं होता है। बहुताश को तो इसका स्पर्श ठक नहीं हुआ है। अथवा कदाचित बनारस के लोगों की तरह एक बार दबा दिये जाने के बाद प्रज्वलित ज्योरि पुन शान्त हो जाती है उसी तरह उदास शान्ति में रूप जाते हैं यद्यों कि उन्हें लगता है कि भर्ते ही वे 'प्रतिरोध नहीं कर सके तो भी वे सम्भव नहीं होंगे।

सन् १९४७ से ही स्वतंत्र भारत में असहयोग और नागरिक अवक्षा का वया प्रयोजन है इस विषय पर क्रियाद घल रहा है। सामाजिक और राजनीतिय स्पन्दनरूप रखनेवाले हेज रपतारवाले परिवर्तन के पश्चात सहित भारतीय राजनीतितन्त्र से सरोकार रखनेवाले सभी को यह प्रब्र उद्देशित कर रहा है। एक पक्ष का फत है कि लोगों के प्रतिनिधियों से उनी धारासमाएँ हैं ऐसे स्वतन्त्र देश में असहयोग और नागरिक

अवज्ञा का कोई स्थान नहीं है। दूसरा पक्ष मानता है कि कुछ निश्चित स्थितियों में इनका अवलम्बन किया जा सकता है। परन्तु उन स्थितियों के विषय में भी विवाद है। कुछ का मत है कि सर्वस्वीकृत प्रतिमानों के सन्दर्भ में ही इनका अवलम्बन मान्य करना चाहिये। अन्य कुछ लोगों का मत है कि इस प्रकार के सर्वस्वीकृत प्रतिमानों को बदलने के लिये भी असहयोग और नागरिक अवज्ञा का अवलम्बन किया जा सकता है।

परन्तु यह विवाद नया नहीं है। इस शताब्दी (शीसवीं शताब्दी) के प्रारम्भ में जब असहयोग और नागरिक अवज्ञा की कल्पना पुनर्जागृत की गई तभी से यह विवाद चल रहा है। सरकार के तन्त्र में जुड़े हुए लोगों के अतिरिक्त इसका विरोध करनेवालों में प्रमुख व्यक्ति थे श्रीनिवास शास्त्री और रवीन्द्रनाथ ठाकुर। उखाड़ फैक्ट्रे की विस्थापित करने की देश में अराजक की स्थिति निर्माण करने की कमनून की अवमानना करने की व्यवस्था और नियुक्त सरकार को नष्ट करने की किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति के प्रति श्रीनिवास शास्त्री आशकित थे।^{३५} रवीन्द्रनाथ ठाकुर को उसके आचरण में जो खतरा निहित था उसका भय था। उन्हें लगता था कि यह भारत के गौरव के अनुरूप नहीं है।^{३६}

इसका अत्यधिक उग्र और बहुवर्चित विरोध श्री आर पी पराजपे ने दिसम्बर २६ १९२४ के लखनऊ के इण्डियन नेशनल लिबरल फैक्ट्रेशन के अध्यक्षीय भाषण में किया। असहयोग और नागरिक अवज्ञा के विरोधियों के विचारों और अभिगमों को परिलक्षित करनेवाला होने के कारण से उसे यहाँ कुछ विस्तार से उद्घृत करना उचित होगा। श्री पराजपे ने कहा

अर्धशिक्षित लोगों के मानस में राष्ट्रमयित के श्रेष्ठ प्रकार के रूप में जिस नागरिक अवज्ञा की सकल्पना प्रस्थापित की जा रही है वह वर्तमान अन्तिमवादी प्रवार का अत्यन्त उत्पाती स्वरूप है। सत्याग्रह असहयोग नागरिक अवज्ञा आदि के नाम से उसकी अत्यन्त परिश्रमपूर्वक स्थापना की जा रही है। उसका विनाशक प्रभाव अभी से दिखने लगा है.. पक्ष या प्रतिपक्ष में अनिवार्य रूप से हिंसा भड़क उठती है यह सम्भव है कि कभी कभी वह सरकार के विरुद्ध उपयोगी साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है परन्तु जनमानस पर उसका सार्वकालिक परिणाम होता है। कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान का भाव हमेशा के लिये नष्ट हो जाता है और प्रजा में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको लगाने लगता है कि तथाकथित देशभक्तों का अनुकरण कर दें भी अपने आप को देशभक्त फैलवा सकते हैं। यह

स्परण में रखना आवश्यक है कि 'महात्माओं' 'मौलियियों' और 'देशबन्धुओं' की कल्पनाएँ साकार हो जाने के बाद भी जनमानस में कानून और व्यवस्था के प्रति अनादर का भाव बना ही रहेगा। उन्हें (प्रणेताओं को) समझ में आयेगा कि सरकार के लिये उनकी ही जिम्मेदारी होने के बावजूद आज जो बीज उन्होंने बोये हैं वे कस ऐसे दीमक बन जाएंगे जिससे छुटकारा पाना असम्भव हो जाएगा। मुझे लम्ता है कि क्षणिक समस्याग्रस्त लाभ प्राप्त करने के लिये अपने ही लिये अनवरत अनन्त परेशानियों का मार्ग प्रशस्त करने की इससे अधिक अदूरदृष्टि युक्त नीति की क्षेत्र मिसाल नहीं है। कर नहीं चुकाने के आन्दोलन से अन्तिमवादी नेताओं को रोमांच होता होगा... तो भी किसी भी सरकार में कर तो डालने ही पड़ेंगे और लोगों ने चुकाने ही पड़ेंगे। परन्तु लोगों को यदि सिखाया गया है कि कर चुकाने का निवेद फसा ही श्रेष्ठ देशभवित है तो भविष्य की सरकार का काम चलना असम्भव हो जाएगा।

परन्तु जैसे जैसे समय बीतता गया और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद के एक मात्र प्रतीक बन गये इस प्रकार के दिरोधों की मुखरता कम होती गई। कुछ व्यक्तियों के कुछ विशेष रूप में होनेवाली इन तत्त्वों की अभिव्यक्ति के लिये असहमति होने पर भी १९३० के मध्य से असहयोग और मागारिक अवझा अन्याय का प्रतिकार करने की भारतीय पद्धति के रूप में प्रस्थापित हो गये। परन्तु भारत में ब्रिटिश शासन के अन्त के साथ शासी ठाकुर पराजये आदि के दृष्टिकोण फिर से उभर कर सामने आ पर। और जैसे कि स्वाभाविक अपेक्षा की जा सकती है विशेष या असहमति ऐसे लोगों के द्वारा जताई जाती है जो शासनतन्त्र से जुड़े होते हैं। इसका एक विविध पहलू यह है कि विशेष या असहमति जतानेवाले अनेक लोग स्वयं पूर्वकाल में गांधीजी के असहयोग और नागरिक अवझा के आन्दोलनों के सहमारी थे। साथ ही इस नये परिवर्तित अभिगम के चुनौती देनेवाले जननेताओं की भी कमी नहीं थी। इस चुनौती के स्वल्प का सार ये थी कृपलानी के निम्नलिखित उद्दरण में देखा जा सकता है। दिसम्बर १९५३ में कृपलानी ने कहा

'कोंग्रेस के मांधाराओं के इस नये से विकसित विचार का मैं खंडन करता कि सोकरतन्त्र में सत्याग्रह का कोई स्थान नहीं है। गांधीजी के द्वारा प्रवर्तित सरथाग्रह कोई राजनीतिक शर्व मात्र नहीं है। उसका प्रयोग आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी ही सकता है और मित्रों और परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी ही सकता है। गांधीजी ने उसे जीवन के रिद्धान्त के रूप में पुरस्कृत किया है। अत इसका लोकतन्त्र में कोई स्थान नहीं है यह कहना हास्यास्पद होगा। हमारे जैसे नौकरशाही और कैन्ट्रीकृत'

लोकतन्त्र के सन्दर्भ में तो यह विशेष रूप से हास्यास्पद होगा।

उन्होंने आगे कहा

सारे के सारे प्रत्र अगले छुनाव तक शेके नहीं सखे जा सकते। उन्हें स्थानीय आपतिया मानकर उनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती क्यों कि लोगों के एक वर्ग के लिये ये प्रत्र जीवन मरण के हो सकते हैं। सत्याग्रह को नकारने का अर्थ होगा दीर्घकाल तक आपखुदी की अप्रतिरोधात्मक अधीनता।²⁴

यह नये प्रकार का विरोध और असहमति अधिक जटिल और कम चर्चा है। इनमें से अधिकाश लोग असहयोग और नागरिक अवज्ञा को पूर्ण रूप से नकारते नहीं हैं। श्री के सन्तानम् कहते हैं उस प्रकार से ये लोकतान्त्रिक सरकार में इन्हें अप्राप्तिक और हानिकारक मानते हैं।²⁵ के सन्तानम् के अनुसार कुछ खास अपवादात्मक किस्सों को छोड़ 'लोकतान्त्रिक सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह न्यायोचित नहीं है।²⁶ सन् १९५५ में श्री यु.एन टेबर ने कहा था (चस समय वे भारतीय शास्त्रीय कौण्ड्रेस के अध्यक्ष थे) उसके अनुसार लोकतन्त्र या लोकतान्त्रिक पद्धति से चलनेवाली संस्थाओं के सन्दर्भ में सामान्य रूप से सत्याग्रह का बहुत कम वजूद है।²⁷ परन्तु सन्तानम् जैसे लोगों को भी अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा हेतु विशिष्ट परिस्थिति में व्यक्तियों द्वारा सत्याग्रह का अवलम्बन करने की आवश्यकता महसूस होती है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.बी. गजेन्द्रगढ़कर भी इसी मत के लगते हैं। अभी अभी मार्च १९६७ में ही उन्होंने कहा

'लोकतन्त्र में भी सत्याग्रह और असहयोग को विधिसम्मत शस्त्र माना जाना चाहिये वशर्ते उनका प्रयोग शेष सारे उपाय नाकाम हो जाने के बाद अन्तिम आलम्बन के रूप में हो।'²⁸

इस प्रकार १९२० के दशक से वर्तमान विरोध तात्पत्र भिन्न स्वरूप का है। एक ओर अधिकार के पदों पर और जिम्मेदारी निभानेवाले लोग असहयोग और नागरिक अवज्ञा को बहुत पसंद नहीं करते हैं तो दूसरी ओर भारत में इसे व्यापक मान्यता प्राप्त होने लगी है। मान्यता यह है कि ये लोकतन्त्र के लिये धातक नहीं अपितु सहायक हैं। श्री के सन्तानम् का विचार है कि 'लोकतान्त्रिक शासकों को समझना चाहिये कि सही रूप में सत्याग्रह सही रूप के लोकतन्त्र के लिये पूरक है।'²⁹ आज कदायित् ही कोई इस विचार का विरोध करेगा। फिर भी शासन तत्र को धलानेवाले या अन्य अधिकार के पदों का निर्वाह करनेवाले लोगों के मानस में अभी यह उत्तरना थाकी है। विचित्र लग सकता है परन्तु इसी दुमत के कारण से आज असहयोग और

नागरिक अवज्ञा तुष्टि बातों के साथ उलझ गये हैं।

अपने अकलोफलों का निहितार्थ क्या हो सकता है इसकी पूर्ण जानकारी के बिना ही यु एन डेवर और के सन्तानम् ने केन्द्रवर्ती मुद्दे की ओर सकेत किया है। श्री डेवर के अनुसार (लोकतन्त्र के सन्दर्भ में) राज्य या सविधान के मूल को नह करनेवाले कानून अथवा गतिविधि स्थायी होने लगती हैं तभी सत्याग्रह का प्रश्न सद्ग होता है^{३४} सन्तानम् के अनुसार लोगों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा हेतु सत्याग्रह त्वरित उपलब्ध शर्त है।^{३५} इन लोगों की गलती यह हुई है कि उन्होंने 'राज्य अथवा सविधान के आधार' और 'मूलभूत अधिकार' किसे कहते हैं इसकी बहुत ही गोपनिय व्याख्या की है।

राज्य का कौन सा आचरण राज्य को ही नह करता है ? मूलभूत अधिकारों का नकार किसे कहते हैं ? केवल कानूनी तौर पर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जा सकते। एक ही स्पष्ट उदाहरण लें व्यापक मुख्यमंत्री और असुरक्षा राज्य और सविधान के मूल में आधार कर रही है साथ ही सविधान प्रदत्त अत्यन्त मूलभूत मानवीय अधिकारों पर भी आधार कर रही है। देश के लगभग ४० प्रतिशत लोगों के लिये मुख्यमंत्री जीना दुश्वार कर देनेवाली परिस्थिति और असुरक्षा राज्य या राज्य के सविधान का यस्तूत नहीं है। वह तो विगत दोस्री वर्षों की उपज है। फिर भी इन सकर्टों को और कोई नहीं तो उनको सारे जनसमाज में बाट देने का भी उपाय करके नाश्वृद करने को राज्य की अनिष्टा या असंयेदनशीलता भारत के राज्य और संविधान के मूल में ही आधार कर रही है। मुख्यमंत्री और असुरक्षा को नाश्वृद करने में असहयोग और नामांकित अवज्ञा का प्रयोग (काम करने के अधिकार का प्रभावी प्रावधान और देरोजगारी वृद्धावस्था रूपावस्था और पुण्यता में सार्वजनिक सहायता की सविधान सम्मत मांग कर के) घर्तमान विष्वस को रोक सकता था। समय रहते आज भी उसका प्रयोग करके लाभान्वित हुआ जा सकता है।

ट्रिटिश इस प्रकार के विरोध की ओर ध्यान नहीं देते थे इसका मुख्य कारण यह है कि लगभग यहां से जाने तक भी अपने भारत के शासन की वैधता के बारे में उनका मानस निषित नहीं था। उनसे पूर्व के शासकों के मन में अपने शासन की वैधता के बारे में पूर्ण निषितता थी। अत लोगों के विरोध या मांग के सम्बन्ध मुक्तना या उसके अनुसार अपनी व्यवस्था को बदलना यो छोड़ना अपने शासन की वैधता के प्रति चुनौती है ऐसा वे नहीं मानते थे। उस्टे इस प्रकार प्रजा की मांग या विरोध का स्वीकर करके उसके अनुरूप बदल देना उनकी स्वयं की ओर प्रजा की दृष्टि में

शासन को अधिक न्यायोचित सिद्ध करता था। केवल प्रजा के द्वारा स्वीकृति और प्रस्थापित न्यायपूर्ण अधिकारयुक्त शासक ही इस प्रकार से प्रजा के प्रति अधीनता दर्शा सकता था या अपनी नीति को वापस ले सकता था।

दूसरी ओर भारत के कुछ हिस्सों में शासितों ने भले ही ब्रिटिशों के शासन का स्वीकार किया हो तो भी स्वयं ब्रिटिशों को शासन करने का अपना न्यायिक अधिकार है ऐसा नहीं लगता था। सैन्य बल से प्रजा पर विजय प्राप्त करने के सिवाय और किसी प्रकार की वैधता या मान्यता उनके पास नहीं थी। यह सच है कि उनकी विजय अत्यन्त घटुरता और सैन्यबल का कम से कम उपयोग करके प्राप्त हुई थी। परन्तु यह कम से कम भी उतना कम नहीं था।

पूरे के पूरे ब्रिटिश शासनकाल में यह अधैथता की भावना प्रवर्तमान रही। रोबर्ट क्लाईव टॉमस मनरो जहौंन माल्कम और चाल्स मेटकाफ जैसे एकदूसरे से अलग अलग प्रवृत्ति के और अलग अलग समय में भारत में रहनेवाले व्यक्तियों के मनमें यही भावना अवस्थित थी। १८५७ के वर्ष ने इसे और स्पष्ट कर दिया। रोबर्ट क्लाईव के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन का मूल सिद्धान्त हमारा स्वामित्व और हमारा प्रभाव हमने प्राप्त किया हुआ है अत उसे बल प्रयोग के द्वारा बनाए रखना चाहिये देश के राजाओं को भय दिखाकर दश में रखना चाहिये।^{३०} ५७ वर्ष बाद मेटकाफ का भी इससे अलग मतव्य नहीं था। उल्टे वह और भी मुख्तर था। सन् १८२९ की एक टिप्पणी में उसने लिखा-

पूर्व में कभी नहीं थे इतने आज हम भारत में शक्तिशाली दिख रहे हैं। फिर भी पतन कभी भी हो सकता है। जब वह शुरू होगा अत्यन्त त्वरित होगा। और हमने इस विशाल भारतीय साम्राज्य की विजय के बारे में जितना आश्वर्य नहीं हुआ था उतना या उससे अधिक आश्वर्य कितनी शीघ्रता से उसका अन्त हो जाएगा यह देखकर होगा।^{३१}

मेटकाफ आगे लिखता है

इतनी क्षणभगुरता का कारण यह है कि हमारा आधिपत्य वास्तविक ताकत पर नहीं अपितु केवल धारणा पर आधारित है। हमारी समग्र वास्तविक ताकत तो अधीन किये गये भारत में यत्र तत्र अवस्थित सेना की युरोपीय पलटन में है। उन्हीं लोगों के हृदय हमारे साथ हैं। सकट के समय में केवल उन्हीं पर भरोसा किया जा सकता है।

हमारी सारी सैनिकी या नागरिक देशी संस्थाएँ केवल भाष्य के अधीन हैं। वे

अपना जीवनयापन करने के लिये हमारी चाकरी कर रहे हैं। सामान्यत वे घट्टघट्टी करते हैं। जिनसे उन्हें पोषण मिलता है उनकी चाकरी अच्छे से कर्त्ती चाहिए यह उनका जीवनभूल्य है इसलिये सकटपूर्ण स्थिति में वे निषापूर्ज आकरज भी करते हैं। परन्तु अपने अन्तर्मन में वे हमारे प्रति व्यापक असन्तोष का भाव पाले हुए हैं। यह भाव हमारे खराब शासन के कारण से नहीं है अपितु स्वाभाविक अदम्य धृणा के कारण है। उनका ही शब्दप्रयोग किया जाए तो हवा का जारा सा रुक्ष बदसते ही और अपने विरुद्ध स्थिर होते ही हम उनसे सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकते। मत्ते ही लग्जे प्रति समर्पण के कुछ भव्य परन्तु अपवाद स्वरूप उदाहरण हों उत्तर से दक्षिण तक पूरे के पूरे भारत में लोग हमारे विरुद्ध संगठित हो जाएंगे।^{३९}

मैटकाफ ने आगे लिखा

'हमारे लिये सब से बड़ा भय रुसी आक्रमण का नहीं है। भास्ता के सोरों के मन से हमारी अजेयता का भाव शिथिल होने का भय सब से बड़ा है। हमारे प्रति उनके मनमें अत्यधिक द्वेष है। वह द्वेष ही हमें निर्मूल करेगा। जो घटनाएँ घट रहीं उनके परिणाम स्वरूप ऐसा दण कभी नी आ सकता है।^{४०}

कुछ मास पूर्व मैटकाफ ने परामर्श दिया था भारतीय जनसमाज के प्रभावशील तबकम समान हित और समान भावनाओं के साथ हमारी सरकार में नई खुदमा तब तक भारत में हम जहें नहीं जमा सकते परिणामत हमारा शासन अस्थन्त असुरक्षित ही रहेगा ऐसा मेरा निश्चित भव है' और उसने हमारे देशवासियों को भास्त में स्थिरतापूर्वक स्थापित करने में सहूलियत हो इस हेतु से योजनाबद्द पद्धति से जो भी हो सकता है वह सब करने का आग्रह किया था।

स्थिति का इस प्रकार का आकलन भारत में अवस्थित सभी अंग्रेज समान लूप से करते थे इसलिये वह सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन में परिवर्तित होता था। परिकाम यह था कि 'यूरोपीय पलटन' और अजेयता की 'छाप' को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की मान्यता या वैधता नहीं होने से प्रियता किसी भी प्रकार के लोगों के विरोध के सम्बुद्ध भूक भी नहीं सकते थे या कोई राहत भी नहीं दे सकते थे। उनको लगता था कि किसी भी प्रकार की राहत देने से और अधिक राहत की अपेक्षा जाहत हमें और उससे हो उनकी सरकार के सारे सिद्धान्त छिपविच्छिप हो जाएंगे। इसलिये जहां भी व्यूहरचना के तहत या परिस्थिति भी विवरता से राहत देना अनिवार्य था वहां भी 'सरकार की सदा के साथ स्थानान्तरिता में सभे इस प्रकार से' व्यवहार करना था।

राज्य का बाचा गलत नहीं हो सकता (इसी प्रकार सत्ता और प्रभाव के अन्य केन्द्र भी) यह सिद्धान्त ब्रिटिशरों द्वारा प्रस्थापित किया गया और ब्रिटिश सत्ता के जाने के बाद भारत में आज भी उसी प्रकार से प्रस्थापित है। यह सब है कि अपने आप को अत्यन्त असुरक्षित मानने के कारण यह बाधा विरोध करनेवालों की शिकायतें सुनने के लिये प्रस्तुत हो जाता है। परन्तु ऐसा वह तथ करता है जब विरोध करनेवाले अपना विरोध छोड़ने या स्थगित करने के लिये प्रस्तुत हो जाएँ। इस प्रकार राज्य की कभी गलती नहीं होती इस सिद्धान्त का वास्तव में त्याग करने के बाद भी उसे ऐसा बनानेवाले नियम विनियम और कानून उसी रूप में अभी भी अवस्थित हैं। ये नियम विनियम और कानून ही राज्य को वैधता और पवित्रता प्रदान करते हैं। इस सारी रचना ने राज्य को अत्यन्त भयावह स्थिति में पहुंचा दिया है। वह न केवल राज्य और प्रजा के बीच अविवास दुश्मनी और अपरिव्य बनाए रखता है अपितु प्रजा को यह मानने के लिये प्रेरित करता है कि यिनां हिंसा पर उत्तर आए उन्हें कोई सुनेगा नहीं। विद्रोह विरोध हत्या और पुलीस गोलीबारी की अनेक घटनाओं से भरेपूरे विगत कुछ घर्षों का कालखण्ड इसी बात को सत्य सिद्ध करता है।

१९४७ से पूर्व का पराजये रवीन्द्रनाथ और श्रीनिवास शास्त्री जैसे लोगों का अध्यक्ष राज्य के ढांचे से जुड़े लोगों के असहयोग और नागरिक अवक्षा के विरोध और सैद्धान्तिक निषेध के मूल राज्य का बाधा गलत न होने के ब्रिटिश सिद्धान्त में हैं। कितना ही क्षीण और हास्यास्पद मानें तो भी यह सिद्धान्त अभी मरा हुआ मानकर दफनाया नहीं गया है। इसकी जड़ें भले ही हिल रही हों तो भी बनी हुई हैं। राज्यसंस्था के साथ जुड़े हुए अनेक लोग और वर्तमान भारतीय राज्यतत्र के विषय में सिद्धान्त निरूपण करनेवाले विद्वान् इन जड़ों को पोषण दे रहे हैं।

अत यह स्वीकार किया जाता है कि विदेशी शासन के विरुद्ध में प्रयोग किये जाने के लिये असहयोग और नागरिक अवक्षा न्यायोधित और सर्कसगत साधन हैं परन्तु स्वदेशी शासन के विरुद्ध प्रयुक्त किये जाएँ तब वे ऐसे नहीं हैं। इसी सन्दर्भ में भारत के विभिन्न नेता (इतिहास राजनीतिशास्त्र आदि का उल्लेख न करें तो भी) सामान्य रूप से वर्गविहीन और समतावादी समाज और कल्याण राज्य के पक्षधर होते हैं तो भी वर्तमान राज्यव्यवस्था की कोई गलती नहीं होती इसी सिद्धान्त के पुरस्कर्ता जैसा व्यवहार करते हैं।

इस प्रकार का सिद्धान्त और उसका समर्थन गांधीजी ने अपने सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवन में जो भी कहा उसके विरुद्ध जाता है। इतना ही नहीं पारपरिक रूप

- १२ द ट्राइम्स औंप इन्डिया सितम्बर २१ १८५५ यूएन ऐवर का लेख : 'द रेननस एंड सर्विक्स'
- १३ के सन्तानम 'सर्विक्स एंड द स्टेट' १८६० पृ ६४
- १४ भारत का संविधान अनुष्ठेय ८२

किनोबा भारत जैसे बिमोदर और कानून के शासन का सम्मान करने वाले व्यक्तिगतों के मतानुसार भी जिस स्थिति में कानून द्वारा किसी कर्म को उद्दिष्ट छलपाया या हो जाए जनसामान्य का अभिप्राय भी उस और हो परन्तु उसका अफल न होता हो तब सर्विक्स का आश्रय लेना उचित कहा जा सकता है। ('सर्विक्स रिवार' पृ ६५) अभी तो देह ने निहित व्यापक मुख्यमंत्री और अमुख्यमंत्री से अधिक कठौं दूसरी स्थिति विवादास्पद ही नहीं है। उसे दूर करने के लिए कनून की सम्मति और तरफदारी तो गवर्नर के संविधान में ही दी गई है।

- १८५७ तक तो ऐसी परिस्थिति थी कि प्रति चार भास्तीय एक यूरोपीय था। कभी कभी तो प्रति छ भास्तीय एक यूरोपीयन सेना में था परन्तु १८५७ बाद परिस्थिति में ऐसा परिवर्तन आया कि प्रति दो भास्तीय एक यूरोपीयन सेना में था और यह परिस्थिति १८०० तक चालू रही। १८५७ में ४५ १०८ जिनने यूरोपीय सैनिक थे। १८०८ में वह संख्या बढ़कर ८२ ८६६ हो रही। १८०२ में ४५ ४०२ जबकि १८५६ में २ ३५ ४११ भास्तीय थे। १८०२ में १ ४८ ८२६ भास्तीय थे। (सिटिया पासिंयामेटरी पैपर्स १८०८ ग्रंथ ४४)
१५. आई ओ. आर. प्रासिस ऐपर्स एस.एल युरर्ड १२ पृ ३७ 'हिन्ट्स ऑंड ए प्रेसिटिक्स सिस्टम फोर द एक्सेक्यूटिव इंडिया' (सन १८७२)
१६. संघर्ष प्रस्तिक रेकोर्ड ऑफिस : एसनबरो ऐपर्स : पी आर ओ. ३८ C ८१ भाग २ २ कार्यवाही दि. १८ अक्टूबर १८२८ सी. जे. मेटकाफ
१७. संघर्ष प्रस्तिक रेकोर्ड ऑफिस : एसनबरो ऐपर्स : पी आर ओ. ३० C ८१ भाग १ २ कार्यवाही दि. ११ अक्टूबर १८२९ वास्तव जे मेटकाफ
१८. वही
१९. डल्लम डिपार्टमेंट ऑंड प्रेसिटिक्स एग्जेक्यूटिव एंड डिप्लोमेटिक : अर्ल ग्रे ऐपर्स: बोर्ड ३६ पाईल १ कार्यवाही दि. १८ फरवरी १८२८ सी.जे. मेटकाफ

विभाग २

अभिलेख

- ३ घटनाओं का अधिकृत सूचात
 - क बनारस की घटनाए
 - ख पटना की घटनाए
 - ग सरन की घटनाए
 - घ भागलपुर की घटनाए
- ४ नीति से पलायन के कदमों की रीतरसम
- ५ ईस्टेण्ड में रहनेवाले सचालक अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार

३ घटनाओं का अधिकृत वृत्तात

क बनारस की घटनाएँ

१ क १ बनारस के समाहर्ता का कार्यवाहक न्यायाधीश को पत्र

२६-११-१८१०

उमल्यू उमल्यू बर्ड एस्क
कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस

महोदय

विनियम १५ १८१० के तहत बनारस के मकानों और दुकानों पर कर लागू किया गया है उसकी वसूली के लिये आपके सहयोग की अपेक्षा है जिससे इस कर के विषय में यथासभव अधिक मात्रा में प्रचार किया जा सके। ऐसा करने से जिन्होंने कर छुकाना है उनको इस विनियम की जानकारी मिलेगी और कर निर्धारण के बाद जब उनसे वह मागा जाएगा तब उसे छुकाने में अनुकूलता रहेगी। वे जब मुझसे कर के दर के विषय में पूछेंगे तब उचर देने में सहूलियत रहेगी। इस हेतु से घरों के किसाये किन्तने हैं और उस पर कर लगाने का प्रतिशत क्या है यह जानना भी मेरे लिये आवश्यक है जिससे मैं कर की राशि निर्धारित कर सकूँ और इसके प्रति जगनेवाली सभवित धृणा या शिकायतों से यथासभव बद सकूँ।

उस हेतु से मेरा प्रस्ताव है कि और एक या थो सम्माननीय व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त किया जाए जो प्रत्येक मोहस्ते के घरों और दुकानों का अकन करें और ऐसी व्यवस्थित जानकारी एकत्रित करें जिसमें प्रत्येक के किनारे की दरों की जानकारी शामिल की जा चुकी हो।

मकानभालिक और उसमें रहनेवालों को प्रवर्तमान विनियम लागू करने के समय में जरूरी नोटिस पहुँचाने के बाद दिए जाने वाले और वसूल विश्र गए किनारे के बारे में सही जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उसके बाद मेरी धारणा है कि मेरे अधिकारियों

को वसूल करने योग्य कर की मात्रा निश्चित करने हेतु उन स्कैंपों में व्यवितणत सर्वेषण के लिए बारबार जाना नहीं पड़ेगा।

यदि कोई मकानमालिक की ओर से कोई अवरोध या बाधा उत्पन्न करने की कोई घटना घटेगी तो मैं स्वयं मेरे अधिकारियों के साथ जुड़ जाऊँगा जिससे मेरी मूर्ख सम्मति के बिना ये कोई कदम न उठा लें। फिर भी यदि स्थिति बिगड़ेगी तो मैं आपको व्यवितणत रूप से निवेदन करते हुए उस घटना के सबध में आपकी समर्पणी भी प्रस्तु कर लूँगा।

यदि इस काम के लिए भेजे गए अधिकारियों के साथ एक पुलिस अधिकारी भी प्रत्येक मोहल्ले और विस्तार के लिए भेजा जाता है तो मकानों और दूकानों की सज्जा लेते समय किसी भी प्रकार के विवाद अथवा विरोध के समय उनकी उपस्थिति से सहायता मिलेगी और उस कर को लागू करने की समग्र प्रक्रिया के लिए वे उपयोगी सिद्ध होंगे।

उसके साथ नगर और उपनगर के कुछ थानों के लिए पूर्वोक्त विनियम की लगभग दस भाषातरित प्रतिया भेजना चाहता हूँ। उससे अधिक प्रतिया बाद में आवश्यकतानुसार भेजी जा सकती है। उससे करदाता उसका अपने तरीके से अध्ययन कर सकेंगे जो हमें भी उपयोगी होगा।

उसी प्रकार मैं आपको प्रत्येक मोहल्ले में मूल्य निर्धारण के लिए भेजे पर अधिकारियों के और जिन मोहल्लों में भेजना चाहता हूँ उन मोहल्लों के नाम भी भेज दूँगा।

सूधित विनियम की धारा ४ जो इस कर के लिए रधी गई है और विनियम १० १८१० के द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण हुआ है उस सन्दर्भ में आपसे उच्चन ख्यूटी के समाहर्ता द्वारा किये गये सीमाकरण से भी मुझे अवगत किया जाए जो अंतिम विनियम की धारा ७ के अनुसार सम्पन्नित सभी को मान्य है।

बनारस समाहर्ता कार्यालय
नवम्बर २६ १८१०

आपका आज्ञाकर्ता
उत्तम्य ओ सेलमन
समाहर्ता

१ क २ बनारस के समाहर्ता का कार्यवाहक न्यायाधीश को पत्र

६-१२-१८९०

झलयू झलयू बर्ड एस्क
कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस

महोदय

गत दिनांक २६ के मेरे पत्र के सदर्भ में आपको सूचित कर रहा हूँ कि मकानों को क्रमाक देने का काम शुरू कर दिया गया है। (यह काम केवल सख्त्या गिनने के लिए शुरू किया गया है क्रमाक उस मकान पर लगाना उथित नहीं माना है क्योंकि ऐसा करने से शायद मकानमालिकों को आपत्तिजनक लगेगा) बनारस नगर में यह काम श्रीमान मुहम्मद तकी खान नामक एक स्थानिक सजन को सौंपा गया है जो कुशल और गणमान्य व्यक्ति है और विश्वास है कि वह यह काम पूर्ण ईमानदारी पूर्वक तथा सरकार तथा स्थानिक निवासियों को ध्यान में रखकर कर सकेगा।

मुझे आपसे अतिशीघ्र एक सहायता की आवश्यकता है। आप मुझे नगर सथा उपनगर के धानेदारों के लिए अनुमति भेज दें कि वे सभी समय आने पर मुहम्मद तकी खान तथा उसके साथियों को सहायता तथा सहयोग दें। यह परवाना मैं मुहम्मद तकी खान को देना चाहता हूँ। वह जब उनके विभाग में जाएगा तब यह परवाना प्रत्येक धानेदार को भेज देगा। उसके साथ ही वह प्रत्येक मोहस्त्रे में भेजे जाने वाले मुसुदियों (सहायक कर्मचारियों) के नाम भी उन्हें भेज देगा। मुझे लगता है कि वह तलुआ नाला से काम शुरू करेगा।

आपका आग्राकारी
झलयू औ सेलमन
समाहर्ता

बनारस समाहर्ता कार्यालय
दिसम्बर ६ १८९०

१ क ३ कार्यवाहक न्यायाधीश का बनारस के समाहर्ता को पत्र

११-१२-१८९०

झलयू औ सेलमन एस्क
समाहर्ता बनारस

महोदय

मुझे आपका गत दिनांक २६ तथा अभी दि ६ के पत्र मिले हैं जिसकी रसीद सादर भेज रहा हूँ।

२ विनियम १५ १८९० की प्रति नगर के सभी थारों में भेज दी है और थानेदारों को आदेश भी है कि जो कोई भी इस प्रति को पढ़ने समझने के लिए मारे उसे दें।

३ थानेदारों को ऐसा आदेश भी दिया गया है कि वे मकान के कर का निधरण करने के लिए जानेवाले कर्मचारी को अपने अपने वार्डमें अपने स्थानिक अनुमतियों के आधार पर जानकारी एकत्रित कर के दें और उन सभी कर्मचारियों को यह भी बता दें कि वे विनियम १५ १८९० के अनुरूप सरकार के अधिकृत अधिकारी के रूप में अपना कर्तव्य करें।

४ आपको बता दें कि उन स्थानिक पुलिस अधिकारियों को उस काम में नियुक्त अधिकारियों के साथ तैनात करने का विषार नहीं किया है क्योंकि उस काम में उन लोगों का हस्तक्षेप नगर के निवासियों को कदाचित पसंद न आए अथवा उसका विरोध भी हो। यद्यपि स्थानिक निवासियों अथवा मकान मालिकों की ओर से आपके अधिकारियों के कानूनी कर्तव्य निभाने के कार्य में अवरोध निर्माण किया जाएगा अथवा विरोध किया जाएगा। तब स्वाभाविक रूप से ही आपकी ओर से जानकारी मिलने के साथ ही मैं पुलिस अधिकारियों को आपको आवश्यक सहायता करने के लिये स्पष्ट आदेश देंगा।

५ उसके साथ ही मैं आपको टारन छूटी समाहर्ता द्वारा विनियम १० १८९० की धारा ८ की जो नकल मुझे मिली है वह आपको भेज रहा हूँ।

आपका

बनारस

दिसम्बर ११ १८९०

उम्मलयू उम्मलयू बर्ठ
कार्यवाहक न्यायाधीश

१ का ४ कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस का सरकार को पत्र

२५-१२ १८९०

जी डोब्स्वेल एस्क

सरकार के सदिव

न्याय विभाग

फोर्ट पिलियम

महोदय

मुझे सरकार के माननीय गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को जानकारी देनी है

कि विनियम १५ १८९० के अनुसार कर लागू करने की व्यवस्था के प्रति नगर के सभी लोगों में अत्यधिक उत्तेजना और विरोध फैलने से स्थिति गमीर बनी है।

२ स्थानीय निवासियों ने मुझे सामूहिक रूप से आवेदन दिए हैं। (आवेदनों की प्रतिलिपि आज की ढाक में अलग से भेज रहा हू) लोगों की भीड़ ने मुझे घेर कर स्थिति से सरकार को अवगत कराने के लिए बाध्य किया था।

३ ये सभी आवेदन बनारस को उपर्युक्त विनियम द्वारा लागू किए गए मकानकर से माफी देने के सबध में दिए गए हैं। उसमें आवेदकों ने कर सह पाने की अपनी असमर्थता का उल्लेख किया है। आवेदन में उन्होंने यह भी बताया है कि व्यापार में गतिरोधी की स्थिति निर्माण होने से रोजगार भी कम हुआ है। उसके अतिरिक्त विनियम १० १८९० अनुसार नगर कर के कारण कुछ उपयोगी वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। नगरवासियों के मकानों का पुलिस सहायता के लिए (निधि एकत्रित करने) हेतु तो मूल्य निर्धारण होता ही है जो कदाचित हिन्दुस्तान में बनारस के छोड़ और कहीं नहीं हो रहा है।

४ उस सबध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि रोजगार मिलना मुश्किल होने और उपयोगी वस्तुओं के भाव गिर जाने के साथ उस नगर के लोगों पर लागू किए गए कर से विशेष रूप में माफी देने का कोई उचित कारण न होने पर भी उस विनियम से अन्य नगरों को दी गई माफी को सम्मुख रखकर समान न्याय के अनुरूप माफी घाने का आवेदन भी आ सकता है।

५ उस सबध में ऐसा लगता है कि आवेदकों को कुछ छूट या माफी दी जा सकती है क्योंकि उनके मकानों पर पुलिस निधि के निमित्त से कर तो लागू है ही। नगर में अनेक फाटकों पर स्थानिक पहरेदार का निमाव उस बोर्ड के स्थानिक निवासियों द्वारा ही होता है। उसका खर्च बोर्ड के प्रत्येक घर द्वारा समान हिस्से से दिया जा रहा है। लगभग १० २४१ मकानों का अकन हुआ है। इस व्यवस्था के अनुसार उनसे १ ३३४-६-१० १/२ की राशि एकत्रित होती है। यह राशि बहुत बड़ी लगती है और मकानमालिकों पर इसका बहुत ही बोज पड़ रहा है ऐसा लगता है। इसके अतिरिक्त कर की प्रस्तावित राशि तो है ही जिससे ये माफी चाहते हैं।

६ लोगों में भारी जोशखरोशी रोष और हगामा प्रदर्शित है वे दूफाने यद यह अपने दैनिक व्यापार धरे को छोड़ कर भारी सख्त्या में एकत्रित हो रहे हैं और अपनी मांग सत्काल पूरी करने के लिए मुझ पर दबाव बढ़ा रहे हैं। साथ ही मुझे कर निर्धारण करनेवाले कर्मधारियों को सरकार से आदेश मिलने तक रोके रखने के लिए समाहर्ता

को निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। मैंने सोगों को समझा दिया है कि उनके आदेश सरकार को भेज दिए जाएँ। परन्तु सरकार की ओर से कोई आदेश न मिलने तक यह विनियम यथावत लागू रहेगा। इसलिए उस सबध में किसी भी प्रकार का अकर्षण अथवा ऐसी अन्य किसी कार्यवाही का मैं विरोध ही करूँगा। प्रवर्तमान अशांति को स्वीकार कर के मैंने उनके मन में अपेक्षा निर्माण की है जो निराशा में परिवर्तित हो कर करनिधरिण से जो कठिनाई निर्माण हुई है उसे और बढ़ा देगी।

७ आज सायकाल के सघर्ष और विरोध की स्थिति इतनी खराब थी कि मुझे लगा कि मुझे सैन्य सहायता के लिए मेजर जनरल मेडोनाल्ड को सूचना देनी ही पड़ेगी। यद्यपि रात्रि तक लोग बिखरने लगे और मुझे संतुष्ट हूँ कि मैं उन्हें सघर्ष का रास्ता छोड़ कर अपने अपने कामकाज और व्यक्तिय पर वापस लौट जाने के सिर समझा सकूँगा।

आपका आशाकरी
बनारस
ठबल्यू ठबल्यू इंड
कार्यवाहक न्यायाधीश

दिसम्बर २५ १८९० साल ८००

१ क ५ कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस का सरकार को पत्र

२८-१२ १८९०

महोदय

दिनांक २५ को मैंने आपको बनारस के निवासियों द्वारा छिड़े सघर्ष और सभी निवासियों में उठे आळोश की स्थिति के सबध में सूचना देते हुए पत्र लिखा था जिसमें उसे शात करने के लिए मैंने जो उपाय सोचे थे उस का भी उल्लेख किया था।

२ गत दिनांक २५ की शाम उपद्रवी लोगों की भीड़ नगर के विभिन्न स्थानों और सिक्केल के शीव एकत्रित हो गई थी और उन्होंने उपद्रव शुरू किया था। यद्यपि अपने रक्षक दल को तत्काल जमा होते देखकर ही उपद्रव थमने लगा था। पुनः २६ की सुबह भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। और मेरी धारणा बनी कि लोग बिखरकर शात होने लगे थे और नियन्त्रण में रहे थे।

३ परन्तु दोपहर के बाद सघर्ष की स्थिति फिर से निर्माण हुई। पूरे नगर में सभी घाँसों के हिन्दू और मुसलमान एकत्रित हुए और जबतक मैं समाहर्ता को सीधे मिलकर सभी कर निर्धारिक कर्मचारियों को बापस न से लूँ और कर समाप्त होना ऐसा पक्षा आशासन न ला दूँ तब तक अपने सभी व्यक्तिय बन्ध रखने पर निर्णय किया।

उनकी ऐसी धारणा थी कि ऐसे सर्वसामान्य विवाद की व्यापक स्थिति के अत में वे उनकी इच्छानुसार राहत मेरे से लेकर ही रहेंगे। बनासपुर नगर के लगभग सभी वर्ग के कारीगर लोग अर्थात् लोहार निस्त्री दर्जी नाई जुलाई कहार आदि एकमत होकर उस संघर्ष में साथ थे और यह संघर्ष ऐसा जोर पकड़ता गया कि दिनांक २६ को तो अन्तिम सस्कार करनेवाले लोगोंने भी अपना काम बन्द करने के कारण कोई शब्द बिना दाह सस्कार किए गगा में बहाए जा चुके थे। उसमें से अनेक वर्ग के लोग बड़ी सख्त्या में अन्य लोगों के समूह के साथ नगर के एक निकट के स्थान पर एकत्रित हो गए थे और उन्होंने घोषित किया कि जब तक मैं उनके संघर्ष का मुद्दा स्वीकार न कर लूँ तब तक सैन्य बल के सिवाय उन्हें कोई हटा नहीं सकेगा।

४ मुझे समाजर्ता के पास भेज कर सरकार का आदेश आने से पूर्व कर निष्ठारिक कर्मचारियों को वापस बुलाना तो उनका केवल पहला ही उद्देश्य था। उन्होंने निष्ठारि किया है कि सरकार का आदेश कुछ भी हो बलप्रयोग के बिना वे कर नहीं परेंगे। मैंने उन लोगों को स्पष्ट बता दिया कि जैसा वे धाहते हैं उस प्रकार से हस्तक्षेप करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है और सरकार का निर्णय आने तक उन्होंने शाति और धैर्य रखना ही होगा। परन्तु वे लोग ऐसा मानते थे कि यदि निष्ठारिय करने वाले कर्मचारी अभी नहीं तो बाद में कभी भी नहीं हटाए जायेंगे और यदि ऐसा विरोध चालू नहीं रहेगा तो फिर कर में कोई राहत प्राप्त नहीं की जा सकेगी। वे कर भरना तो स्वीकार नहीं कर सकते थे।

५ यदि मैं ऐसे एकत्रित हो गए लोगों के जोर से संघर्ष कर्ताओं द्वाय की गई मार्गों के सामने झुकूगा तो मुझे लगता है कि सरकार की सरांश से समझौता कर रहा हूँ और ऐसा करने से मैं ऐसे लोगों को भविष्य में अन्य किसी भी असन्तोष के मुद्दे पर ऐसा कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ। इसलिए मेरा मतव्य है कि मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं ऐसी मार्गों को मान्य न करूँ और सरकार की सूचना न मिलने तक स्थिति का सामना करता रहूँ। तब तक मैं इस रोष को शात करने के लिए समझाने के यथासमव्य प्रयास करूँगा। सैन्य बल का तब सक प्रयोग करना टालता रहूँगा। जब तक मेरे उपरी अधिकारी ऐसा करने का समर्थन देते रहेंगे।

६ भीड़ के समस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर मैंने उनको मेरे आदेशों को समझाया और कहा कि मैं धाहता हूँ कि इनका पालन हो। मैंने यह भी कहा कि वे अपने काम पर वापस लौटें और सरकार का निर्णय आने सक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। मैंने विभिन्न वर्ग के चौधरियों को बुलाकर उनके लोगों को उस भीड़बाजी से

वापस लौटने के संबंध में एक आधारसहित बना कर उस पर हस्ताक्षर करने को कह और अपने घर वापस जाकर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। ऐसी ही एक आचार सहित बनाकर विभिन्न वर्ग के अग्रणियों को भेजने की ओर इरादा है और जो कोई उस पर हस्ताक्षर नहीं करता उसे दण्ड देने का भी प्रस्ताव है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से अवश्य कोई लाभ होगा और कुछ दिनों में लोगों को जब ऐसा लगने लगेगा कि उनका विरोध और झगड़ा अनुप्रित था सम अतंत्र है जाएगी और अपने व्यवसाय में वापस लौटकर कानून से रहकर सब बातें मानने लगेंगी।

७ जिले के समाहर्ता अमीर अनुपस्थित होने से मुझे ऐसा लगा है कि मैं इन्हीं जल्दी से वापस लौटने का परामर्श दूँ, क्योंकि यहाँ के स्थानीय कर निर्धारकों के इस सदेदनशील स्थिति में उनके विवेक के आधार पर मुक्त नहीं छोड़ देना चाहिए। इस संबंध में उन्हें लिखे हुए मेरे एक पत्र की प्रति तथा उससे पूर्व हमारे बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रति भी भेज रहा हूँ।

८ इसके साथ मेजर जनरल बेकडोनाल और मेरे बीच दिनांक २५ तथा २६ को हुए पत्रव्यवहार की प्रति भी भेज रहा हूँ, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता की मांग भी मैं करूँगा उसकी पूर्व सूचना है।

९ दिनांक २५ की भेरी भागदौड़ के बीच मैं आपको आवेदनों का अनुवाद भरी भेज सका और उसके लिये कमा प्रार्थना करना भी चूक गया हूँ। यद्यपि तत्पश्च जल्दी अनुवाद मैंने सरकार को भेज दिया है।

१० अब उस विषय में तीन आवेदनों का अनुवाद और शेष आवेदनों का भावानुवाद भेज रहा हूँ। मेरे मतानुसार यह पर्याप्त है। मुझे आशा है कि अनुवाद विषयक मेरी गलती को मेरे अन्य कर्तव्यों के बोज को ध्यान में रखते हुए सरकार मुझे क्षमा करेंगे।

आपका आशाकारी
झल्यू झल्यू बड़
कार्यवाहक न्यायाधीश

बनारस

दिसम्बर २८ १८९०

१ क ६ कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस का सरकार को पत्र

३१-१२-१८९०

महोदय

आपको भेजे मेरे विगत पत्र के बाद मैंने मेरा समग्र ध्यान जरा भी सिप्पित न

होकर बनारस के निवासियों के रोष को शात करने पर और उन्हें सरकार की ओर से उनके इस विषय सबधी आवेदनों के प्रति कोई निर्णय आने तक अपने अपने दैनन्दिन व्यवसायों में लग जाने के लिए समझाने पर केन्द्रित किया है।

२ परन्तु मेरे सभी प्रयास विफल रहे हैं। सभी वर्ग के लोग अपने घर्घे घद करके फैठ गए हैं। उससे लोगों में भारी असुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। उपयोग की प्रत्येक धीज वस्तु की प्राप्ति अत्यन्त मुश्किल बन गई है और उनकी कीमतें भी खूब बढ़ी हैं। उससे गरीब प्रजा बहुत दुखी हो गई है। कुछ हजार लोग तो रातदिन नगर में किसी एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं अपने अपने वर्गों में विभाजित हो जाते हैं और सधर्ष में जुहने में द्विजाकने वाले लोगों को दण्डित करते हैं। इस प्रकार इस विनियम के प्रति एक व्यापक विरोध और तिरस्कार दिखाई दे रहा है और यदि किसी भी व्यक्ति की ओर से इस साजिश से वापस लौटने का तनिक भी सकेत होने पर उसकी सार्वजनिक निन्दा और तिरस्कार किया जाता है यही नहीं तो उसे उसकी जाति से निष्कासित कर देने तक की स्थिति उत्पन्न हुई है।

३ इस स्थिति में ऐसा लगता है कि लोगों ने तब तक सधर्ष धालू रखने का निर्णय ले लिया है जब तक सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आता। उनको आशा है कि (सरकार को) यह विनियम समाप्त करना ही पड़ेगा। मैंने उनका विरोध शान्त करने के लिए अत्यन्त सुलहकारी व्यवहार करने का प्रयास किया है। लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं अनेक बार गया हूँ और मेरे अधिकार के अनुरूप हर तरह से सभी को अपने अपने काम घर्घे पर लग जाने के लिए समझाने का प्रयास करता रहा हूँ। मैंने बनारस के राजा को अग्रणी व्यापारियों को और यहाँ के गणमान्य निवासियों को पत्र लिखकर व्यक्तिगत रूपसे प्रार्थना की है कि वे अपने पद का उपयोग कर लोगों को शात होकर बिखर जाने के लिए समझाएँ।

४ परन्तु जब सभी प्रयत्न विफल हो रहे हैं तब घनी आवादीयाले तथा विशाल नगर में निरन्तर रूप से बनी इस प्रकार की सार्वजनिक अशान्तिपूर्ण स्थिति को ध्यान में लेना अनिवार्य है। मैंने अब निर्णय किया और मैंने स्वयं भेजर जनरल ऐक्योनाल्ड से मिलकर लोगों की मानसिकता के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया और किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति निर्माण होते ही तैयार रहने के लिए सूचित किया। हमने नामदार की रेजिमेन्ट को भेजने का निर्णय किया और मैं आशा करता हूँ

कि इसे सरकार की मान्यता प्राप्त होगी। हमारे पत्रव्यवहार की प्रतिया सादर भेज रख हूँ।

आपका

बनारस

उम्मल्लू उम्मल्लू वह

दिसम्बर ३१ १८९०

कार्यवाहक न्यायाधीश

**१ क ६ (क) मेजर जनरल मेवडोनाल्ड का
बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश को पत्र**

३१ १२ १८९०

महोदय

आज सुषुप्त अपने शीघ्र हुई बातधीत में आपने बनारस नगर के निवासियों में जो रोष व्याप्त है उसकी सूचना दी तथा अपना अभिप्राय भी बताया कि लोगों का रोष और अधिक भड़क सकता है और समवतः हिंसा पर चर्चार आ सकता है। उस विषय में मैं मानता हूँ कि स्थल पर अभी तैनात दल अपर्याप्त और असहमति है। अत अस यदि अब भी वैसा ही सोच रहे हैं तो इस प्रकार आपकी ओर से प्रत्युचर मिलते ही सरकारी रेजिमेन्ट की ६७वीं टुकड़ी भेजने का आदेश देंगा। उस विषय में आपके अपनी आवश्यकता के विषय में सभी सूचनाएँ देनी होंगी जिससे प्रस्थान कर्त्तव्यात्मक सैनिक बल को आवश्यक सामग्री के साथ भेजने की व्यवस्था कर्य सकूँ।

बनारस

आपका आश्रमसभी

दोपहर १२ ३०

जे मेवडोनाल्ड

दिसम्बर ३१ १८९०

मेजर जनरल

१ क ७ बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

२ १ १८९१

महोदय

गत दिनाक ३१ के आपको भेजे गए मेरे दृतगति पत्र से मान्यवर गवर्नर जनरल इन कारन्तिल यहाँ प्रवर्तमान उस स्थिति से वाकिफ हुए होंगे जिस से तत्काल उस नगर में मुझे नामदार की ६७वीं रेजिमेन्ट मणियाने की तरकाल आवश्यकता पड़ी थी।

२ मैं बहुत ही धिन्तित हो कर कहता हूँ कि मरान कर लागू होते ही कियोग दिनों दिन बदला जा रहा है और उसने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। सरकार की

आदेश नहीं आता तब तक लोगों ने नगर छोड़ कर किसी एक स्थान पर इकट्ठा होकर वही दबे रहने का निर्णय कर लिया है मेरे या स्थानीय अधिकारियों की ओर से दिए जानेवाले किसी भी आशवासन का जरा भी असर नहीं दिखता है। उन्हें केवल सरकार की ओर से करमाफी के आदेश की प्रतीक्षा है। किसी भी स्थिति में कर नहीं भरने का उनका निर्णय है। उनका निर्णय बदलवाने के लिये कोई उन्हें नहीं समझा सकेगा ऐसा भेरा विकास हो गया है।

३ समग्र प्रात में इस तरह लोग सगटित हो रहे हैं ऐसा मानने के लिए एक से अधिक कारण हैं। किसी अन्य कारण से एकत्रित हुए लोहरों ने तुरन्त ही इस षष्ठ्यन्त्र में प्रमुख भूमिका स्वीकार कर ली और वे पूरे प्रान्त से बड़ी सख्त्या में यहा आ पहुचे हैं। इससे प्रजा की कठिनाई बढ़ गई है। खेती पर इसका गम्भीर परिणाम होगा और असन्तुष्टों की सख्त्य बढ़ेगी। साथ ही लोगों में यह धारणा भी बनी है कि आसपास के अन्य नगर के लोग भी बनारस के इस सर्वार्थ को समर्थन दे रहे हैं।

४ इस स्थिति को देखते हुए स्पष्ट लगता है कि अब यह विनियम लागू करवाने का काम केवल सैन्य बल ही करा सकता है। उस करके प्रति लोगों की धृणा इतनी तीव्र है कि लोगों को इस कर को सपूर्ण वापस लिये दिना सतोष नहीं होगा। लोगों के मन में इस बात वो लेकर जरा भी सद्देह नहीं है कि कर प्रस्ताव को कुछ परिवर्तन और सुधार के साथ लागू किया जाएगा सो गम्भीर स्थिति निर्माण होगी।

५ जिन लोगों का यहाँ के लोगों पर प्रभाव है ऐसे अग्रणियों का सहयोग भी मुझे नहीं मिल रहा है क्यों कि उनकी ऐसी इच्छा नहीं है। उन सभी को इस आन्दोलन की सफलता की घाह होने के कारण वे ऐसा कुछ करेंगे नहीं। गवर्नर जनरल के पैद्यकितक संघिव बूक का व्यवितागत प्रभाव समवत् सफल हो सकता है। अत ऐसे उन्हें सर्किट से यथाशीघ्र वापस लौटने के लिये बता दिया है और मुझे आशा है कि लोगों में उनके पद और व्यक्तित्व के प्रति आदर होने के कारण लोग ध्यानपूर्वक उन्हें सुनेंगे।

बनारस

जनवरी २ १८९१

आपका आज्ञाकारी
उम्मल्यू उम्मल्यू बर्ड
कार्यवाहक न्यायाधीश

१ क ८ वनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

४ १ १८९१

महोदय

महामहिम गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को आदरपूर्वक सूचित कर रहा हूँ कि गत दिनांक २ के भेरे पत्र के बाद नगर की स्थिति में लागड़ा कोई अन्तर नहीं है।

२ मुझे बताते हुए आनन्द हो रहा है कि समग्र प्रान्त में फैले हुड़ इस पश्चिमन का कोई विपरीत परिणाम हो उससे पूर्व ही उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। मुझे जैसी खबर मिली कि आसपास के परगनों से लुहार एकत्रित हो रहे हैं तत्काल ही मैंने जमीनदारों को उनके ही उपर आपणि आनेवाली है यह समझकर अपने अधिकार उस उत्पात के विरुद्ध उपयोग करने के लिये बताया। मैंने उनसे अपेक्षा की कि वे सभी लोहारों को अपने अपने स्थान पर जाकर काम शुरू करने के लिए बाध्य करें और लोगों को बहकने वाली गलत सूखनाओं का प्रतिरोध करें। मैंने जितने भी जमीनदारों के साथ बात की वे सभी मुझसे सहमत हुए और उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग किया। मुझे इस मामले में सर्ईदपुर के जागीरदार बाबू शियनारायण सिंह की जो सहायता मिली है उसके लिए मैं उनका श्रद्ध स्वीकार करता हूँ। उनके प्रभाव से नगर के बाजार को बचाने में जो सहयोग मिला है उस के लिए मैं उनका श्रद्धी हूँ। पुलिस को प्राप्त उनके समर्थन से ही नगर की अनाज मढ़ी बिल्कुल ही बथ गई है। उससे नगर में अनाज का भण्डार सामान्य भाव पर ही मिलता रहा है जब कि दूसरी धीज वस्तुरूप मिलती ही नहीं थी।

३ सरकार की ओर से कुछ आदेश आने की अपेक्षा से एकत्रित हुए लोगों में अब थोड़ी निराशा फैलने लगी है और वे दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ तो कभी कभार अपने निवासों पर वापस लौटने लगे हैं। मेरा मानना है कि अब तक इन लोगों को नगर के कुछ प्रमुख लोगों का समर्थन था जो उन लोगों को ईंधन और अनाज किराना (घर गृहस्थी का सामान) प्रदान करते रहे किन्तु उन लोगों का स्रोत भी खाली होने का आभास होते ही नुकसान के प्रति धिन्तित होने लगे हैं और इस प्रकार के व्यवहार से उनके परिवारों को किराना नुकसान होगा यह उनकी समझ में आने लगा है।

४ परन्तु सानुकूल सामनेवाली इस स्थिति पर अधिक विश्वास रखना उपर्युक्त नहीं है यद्योंकि धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य लोग अभी भी अपने इरादे में

अविघल लगते हैं। ये लोग जनमानस को भ्रमित कर समझाकर उक्सा रहे हैं। प्रत्येक जाति के अग्रणी को उनके समूह से कोई भी इस सगठन से पीछे हटा दिखाई देने पर उसे जाति से निष्कासित करने के लिये बाध्य किया जाता है। ऐसे लोग नगर के सभी क्षेत्रों में अपने गुप्तघरों को दोषी को पकड़ने के लिए भेज रहे हैं। मैंने उस काम के लिए भेजे गए लोगों को पकड़ा भी है। यद्यपि उससे दूसरे लोगों को यह कृत्य करने से रोका नहीं जा सकता।

५ सरकार की ओर से किसी निर्णय के आने तक पुलिस की सहायता से मैं मेरे अधिकार से बहुत कुछ कर लूँगा। इसमें अभी तक तो मैं सफल रहा हूँ। यह सधर्घ जिस तरह चल रहा है वह देखते हुए लगता है कि बल प्रयोग से अभी भी दूर रहा जा सकता है। इस तरह हमें अधिक कुछ गवाना भी नहीं है तथा ऐसा कर के मैं सरकार जो और जैसा घाहती है वह सरलता से कर सकूँगा।

आपका आश्वासकारी

छम्ल्यू छम्ल्यू बर्ड

कार्यवाहक न्यायाधीश

बनारस

जनवरी ४ १८९१

१ क ९ बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

८-१-१८९१

महोदय

अत्यंत सतोषपूर्वक मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को सूचित कर रहा हूँ कि नगरवासियों को अब सरकार की सत्ता का अनादर और अवमानना करना घालू रखने की निरर्थकता और भयावहता समझ में आने लगी है।

२ वाहित परिणाम प्राप्त होने की स्थिति अब निर्माण हुई है उसे समझाने के लिए इस मास के प्रारम्भ से जो सकटपूर्ण स्थिति निर्माण हुई थी उसका अधिक सूखमतापूर्वक वर्षन करना जो अभी तक मैंने नहीं किया है। नगर के सभी प्रकार के लोग अपने अपने वर्गों में नगर के किसी स्थान पर इकट्ठे हो गए थे अपने अपने वर्गों में विभाजित हो गए थे उद्देश्य सिद्ध नहीं होने तक वहां से न हटने की सौगत उन्होंने खाई थी और दिनप्रतिदिन उनकी सख्त्य बढ़ रही थी और सकल्प दृढ़ होता जा रहा था। उन्होंने प्रान्त के हर गाव में धर्मपत्री पहुँचाने के लिए खास दूतों की नियुक्ति की और प्रत्येक परिवार से एक-एक व्यवित को बनारस भेजने का सन्देश दिया। हजारों लोहार कुण्डी कोरी आवेश में आकर अपना घरबार छोड़ कर यहाँ इकट्ठे

हुए। उसी समय नगरजन नगर छोड़ने लगे थे। जो लोग अनिष्टक थे उन लोगों को गृहत्याग करने के लिये बाध्य किया जाता था और जो लोग उस सधर्व में जुहने में वीलापन दिखाते थे उन को दण्डित किया जाता था। प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्तिने अपने अपने स्रोतों के अनुसार योगदान दिया और आवश्यक धनराशि भी जमा की। इस प्रकार जो लोग दैनिक कमाकर खाते थे ऐसे लोगों को मदद करने की व्यवस्था भी की जाती थी।

३ इस प्रकार इकट्ठे हुए लोगों के लिए ईघन तेल और अन्य उपयोगी सामग्री पहुंचाई जाती रही थी परन्तु सब नगर में अनाज के अतिरिक्त कोई वस्तु उपलब्ध नहीं थी। धार्मिक नेता धर्मभीरु लोगों पर के अपने प्रभाव से उन्हें एक्स्चुट रखने का प्रयास करते थे। इस प्रकार पूरा सगठन व्यापक बन रहा था। इसलिए पुलिस कर्मियों के लिए जो लोग सगठन में जुहना नहीं थाहते थे ऐसे कुछ लोगों को अलम कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करना मुश्किल होता था। जो स्थिति घल रही थी और गत दिनांक ३ तक रही उसमें क्षणिक उन्माद दिखाई देता था।

४ दिनांक ३ से राजद्रोह की गतिविधियों के विरुद्ध होते हैं ऐसे जो कदम उठाए गए उनका प्रभाव दिखाई देने लगा। जमीनदार सावधान हो गए और उन्होंने तत्काल रिंडोरा पिटवाया अपने लोग बुलवाकर अपने बहुत से करोड़ी कुप्रवी और लोहारों को अपने अपने स्थान पर वापरा बुला लिया। दूसरी ओर धर्मपत्री पहुंचने वालों में से कई लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और उस प्रकार के उपद्रव नियन्त्रण में लेने के लिए उन्हें बढ़ी बनाने का दौर जारी रखा।

५ जैसे ही मुझे सगा कि नगर के कुछ इलाकों में एकत्र होनेवाले लोगों में मार्मी और उथ कहाने वाले लोग आ रहे हैं मैंने मेरे लोगों को उस सास्ते पर सैनात कर ऐसे लोगों का नाम लिखना शुरू करवाया और फिर उन्हें यताशा कि वे मेरे आदेश की अवमानना कर रहे हैं। इससे उनमें से अनेक लोग कम होने लगे। उसी प्रकार उस्ते पर पुलिस के अधिकारियों को रख दिया और सामग्री की आपूर्ति कैन और कहाँ से कर रहा है उस पर मजर सखना शुरू किया। परिणाम स्वरूप बहुत से अग्रणी अपना योगदान धीरे धीरे घटाने लगे।

६ इधर मल्साहों के उस सधर्व में जुहते ही मटी पार करने में दोनों ओर के लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जल व्यवहार सामग्री ठप्प हो गया था। उसलिए मुझे रिंडोरा पिटवाने की जल्लरत पड़ी कि नावाले यदि भाव बंद रखेंगे तो सरकार नावों को जास कर लेगी। यह सुन कर भाव वाले अपने काम पर आ

गए। दूसरी और आन्दोलन में सम्मिलित विभिन्न वर्गों के कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़कर अत्यन्त कठोर दण्ड दिया। ऐसा दण्ड बार बार दिया गया जिसे देखकर शेष लोगों ने अपराध करना छोड़ दिया।

७ इन दण्डों से तथा घर से दूर रहने से चीजवस्तुओं के अभाव से लोग थकने लगे और उन्हें अपने प्रयासों की निरर्थकता समझ में आने लगी और सल्लाह कम होने लगी। इस स्थिति का लाभ उठाकर मैंने आन्दोलन के प्रणेताओं के रूप में मैं जिनको जानता था उन अग्रणियों को प्रत्यक्ष बुलाकर उन्हें विखर जाने के लिये समझाने का निष्पत्ति किया।

८ उनमें अधिकाश समझदार हैं। वे समझते हैं कि विखर जाने के बाद ही सरकार के हस्तबेप की आशा की जा सकती है। अत उन्होंने आन्दोलन के सभी वर्ग के लोगों को दैनन्दिन व्यवसायों में वापस लग जाने के लिये समझाने हेतु सब कुछ कर्त्त्व की सिद्धता प्रदर्शित की। परिणाम स्वरूप बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दिया। कल और आज नगर की कई दूकानें खुल गईं और दैनन्दिन उपयोग की धीज वस्तुएँ मिलने लगीं। बड़ी सल्लाह में लोग अपने व्यवसायों में वापस लौटे हैं और विद्रोह लगभग शात सा हो गया है। मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों में तो जमाव दूटने लगेगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।

आपका आज्ञाकारी
ठम्ल्यू ठम्ल्यू बर्ड
कार्यवाहक न्यायाधीश

यनारस

जनवरी ८ १८९१

१ क १० यनारस के समाहर्ता का सरकार को पत्र

२-१-१८९१

सचिव

मण्डल सरकार राजस्व विभाग

फोर्ट विलियम

महोदय

नगर के कार्यवाहक न्यायाधीश ने सरयार को पत्र लिखा है जो विनियम १५ १८९० लागू करने के विरोध में लोगों द्वारा किये गये निष्पत्ति और उस निष्पत्ति की तर्फहीनता एवं निरर्थकता विषयक जानकारी देनेवाला पत्र लिखा है।

मकानकर लागू करते समय नर्सी सावधानी और विचार पूर्वक कौन सी पद्धति

अपनाई जाए इस विषय में मेरे विघार प्रदर्शित करनेवाले कार्यवाहक न्यायाधीश और मेरे बीच में हुए पत्रव्यवहार की प्रति साथ में सादर भेज रहा हूं।

न्यायाधीश के बुलाने पर जिले के अन्दरूनी किसी स्थान से मैं कल साप्तकल वापस आया। मुझे बताया गया कि लगभग २० ००० से भी अधिक लोग धरने पर हैं गए हैं। उनकी मांग थी कि कर समाज नहीं होता तब तक वे हटेंगे नहीं। उनकी सत्या दिनप्रतिदिन बढ़ रही है क्योंकि प्रत्येक समुदाय के अग्रणियों ने अपने दमुओं के इसके लिए एकत्रित और एक होने के लिए कहा था। उसमें कोई एक पथ अथवा अभिक उत्साही अथवा अधिक दृढ़ था सो वे लोहार ही थे। वे बहुत उत्सेजित थे और अपने बाधवों को उत्सेजित कर रहे थे। इतना ही नहीं तो दूर सुदूर से बाधवों को कम छोड़ कर आने के लिए आग्नान दिया जाता था ताकि खेतीबासी और जमीनदारी रक्ष जाने से वे भी इस सघर्ष में जुँड़ने के लिए याध्य हो जाएं और पूरा देश इस कर के कापिस लेने के विषय में दृढ़ निष्ठय हो जाए।

इन लोहारों के साथ अन्य जाति पथ और विघार के लोग जुड़ गये हैं और आपस में सौगंध ले दे रहे हैं ऐसी मेरी जानकारी है।

अभी तत्काल तो कोई प्रत्यक्ष हिंसा करने का उनका उद्देश्य नहीं लगता। यिन छहियार के रहने में ही उन्हें अपनी सुरक्षा लगती है। क्योंकि (उन्हें पक्ष विश्वास है) ऐसे शत अनाक्रामक दुश्मनों के विरुद्ध घातक शस्त्रों का उपयोग नहीं होगा। इन लोगों का ऐसा विकास ही अधिकाधिक लोगों को एकत्रित कर रहा है। वे समझते हैं कि नागरिक सभा उन्हें हट्ट नहीं सकती और सेना इसके लिए जाएगी नहीं।

समस्त नागरिक अधिकारियों ने चेतावनी देने और समझाने का प्रयास किया है। कार्यवाहक न्यायाधीश ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति और समझ को सनिक भी छूक किया यिन लगा दिया है लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। लोग कहते हैं कि वे सरकार के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार से छूकने का उनका मानस नहीं है।

यदि लोग नहीं छुकते हैं तो उनके पास दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक हिंस्यार के पल पर प्रतिरोध और दूसरा देश छोड़ देना। देश छोड़ने की यार बार धमकी वो दे दे रहे हैं फिर भी मुझे नहीं लगता है कि वैसा होगा। क्यों कि जैसे ही जमाव यिखरता है आन्दोलन का जादू समाज हो जाएगा। उन लोगों की पारस्परिक सहयोग की शपथ और मर मिट्टने की जुआन भी भूल जाएगी और राम कोई अपने स्वार्थ का

विचार करने लग जाएँगे। लेकिन कुछ लोगों के घातक बलिदान के बिना उस भीड़ को बिखेरना अत्यन्त मुश्किल लगता है। जैसा मैंने पहले बताया है ये लोग प्रतिरोध की सझाया या सकेत के प्रति धृष्टि ही है। आज मेरे साथ बहुत से लोहार थे और मैंने उन्हें समझाया कि सूचित कर उन्हें भारी नहीं पढ़ेगा। यह भी समझाया कि उन लोगों पर फाटकबद्दी और मकानकर दोनों का बोझ नहींआएगा। यदि वे अपनी मजलिस छोड़कर अपने अपने घर जाएँगे तो मैं प्रत्येक व्यक्ति की कर अधिक होने की शिकायत स्वयं सुनूगा और यथा सभव उनके लाभ का विचार करूँगा। उत्तर में उन लोगों ने कहा कि वे सब एक और अटूट हैं और यदि उन्हें पव कहेगा तो वे फिर दूसरे दिन मुझे मिलेंगे।

अभी तो वे शात हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं परन्तु सरकार का आदेश आने से पूर्ण उन्हें यदि बिखेरा नहीं गया तो उनकी निराशा उनसे क्या करवाएगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। साथ ही व्यवसाय और कारीगरी के पूर्ण रूप से रुक जाने से और पूरे देश में उस बड़ी का प्रसार होने से आज तक जिनका इस प्रकार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसे जमीनधारकों में भी हलचल पैदा हो जाएगी।

दुख की बात तो यह है कि अश्वसेना सुलभ नहीं थी जो बिना किसी भी प्रकार के कर्त्त्वेताम के भीड़ को बिखेर सके अथवा जहा भीड़ इकट्ठी हो उसे खदेह सके क्यों कि उनका कोई सारदार या नेता नजर नहीं आता था जिसे बुलाकर व्यक्तिगत रूप से पटाया जा सके। यद्यपि इन्हें अत्यन्त गुप्त रूप से मदद मिलती होगी और ये मदद करनेवाले लोग नगर में प्रमाणी एवं प्रतिष्ठित होंगे परन्तु उनमें कोई भी खतरा उठाकर अपने व्यक्तिगत चरित्र को नुकसान पहुँचाकर कुछ नहीं करना शाह्ता था जिससे सधर्ष के बाद किसी भी तरह से परेशानी हो। सरकार ने भीड़ के इस व्यवहार को ध्यान में रखकर पूरे देश के लिये बने कानून को वापस लेना या शिथिल करना अनपेक्षित होगा इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि निरर्थक आषेदनों को अमान्य करें और उस सदर्ष में जो जरूरी है वह सब करें।

मुझे कुछ विश्वसनीय अधिकार सूत्रों से पता चला है कि पटना के निवासियों ने बनारस के निवासियों को लिख भेजा है कि से उन्हें बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। अर्थात् यही सम्भाया में इकट्ठे होकर बनारस के लोग उस कर का अच्छा विरोध दिखा सके हैं और यदि वे लोग अमीनाबाद के लिये माफी प्राप्त करने में सफल होंगे तो पटना भी इस पद्धति का अनुसरण करेगा।

उससे समझा जा सकता है कि यह सधबल कितना व्यापक है। बनारस स्कूल नीद का पत्थर बनेगा जिस पर दूसरे नगर खड़े होंगे।

आपका आज्ञाकर्ता

बनारस

ठम्ब्यू ओ सेतम्भ

जनवरी २ १८११

समर्पण

१ क ११ सरकार का कार्यदाहक न्यायाधीश बनारस को पत्र

५ १ १८११

महोदय

मुझे मान्यकर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की ओर से आप से प्राप्त एवं दिनांक २५ २८ तथा ३१ के पत्रों तथा उसके साथ के सलग्रकों की रसीद भेजने की सूचना मिली है।

२ गवर्नर जनरल उन काउन्सिल को विनियम १५ १८१० के तहत नक्शे के मकान पर लागू किए गए कर हटाने के लिए कोई उचित कारब नहीं लगता है। उसके साथ काउन्सिलीय महोदय को ऐसा लगता है कि ऐसे दो और भीड़ के सम्मेलन का बली देना उचित कदम नहीं होगा क्योंकि उसे हटाने की कोई सामान्य नीति नहीं बनी है।

३ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल प्रवर्तमान स्थिति में आपके द्वारा लिए एवं कदमों का अनुमोदन करते हैं। मान्यकर चाहते हैं कि आप दृढ़ता और वैर्यपूर्वक अम तक जैसे करते रहें हैं वैसे ही करते रहें और समाजता को यह विनियम लागू करने के लिए अपना इस तरह का समर्थन घातू रखें।

४ आवेदकों ने अपने क्रिरोध में बताया है कि उन लोगों को चौकीदारी और काटकच्चदी के सुधार कार्य के खर्च के लिए धन तो देना ही पढ़ता है जो अन्य नक्शे में निवासियों को नहीं देना पड़ता। सरकार को लगता है कि विनियम १५ १८१० के तहत लगाया गया मकान कर कुछ लोगों के लिए भारी पड़ेगा। इसलिए सरकार एवं आशय है कि उन्हें पूर्व के कर से मुक्ति देकर काटकच्चदी कर सरकार के अन्य सेवा से छुकाया जाए। उस संबंध में आप यह कर चालू रखने के लिए शांति हैं ऐसे लोगों यजे समझाएँ और आपके शांति के लिए जो उचित लगे उस प्रकार बनारस के लोगों के दर्दों को रोकने और स्थानीय अधिकारियों के प्रति विरोध को शात बरने के लिए

प्रयास करें। सरकार को लगता है कि प्रवर्तमान स्थिति में भेजर जनरल मेकडोनाल्ड को भी सरकार के अभिप्राय से अवगत कराया जाए जिससे आपके अथवा समाहर्ता के अधिकार के प्रति किसी भी प्रकार के विरोध पर दबाव ढाला जाए अथवा शांति से जीनेवाले लोगों के समुदाय को हिंसा द्वारा कट पहुँचाने के प्रयास को निष्प्रभावी बनाने के लिए जो भी आवश्यक है किया जाए अथवा भीड़ को बिखेसने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए या उनके नेताओं को बन्दी बनाया जाए अपराधियों के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया जाए या जनता को सरकार के कर वसूलने के पक्षे इरादे की जानकारी दी जाए या फाटकबदी से मुक्ति की जानकारी देते समय जो कुछ भी व्यवस्था करना आवश्यक हो वह की जाए। यद्यपि इस प्रसिद्धि के साथ लोगों को यह भी बता देना चाहिए कि सरकार के निर्णय अथवा आदेशों का अब इसके बाद कोई भी विरोध करेगा तो गमीर खतरा या आपत्ति को निमत्रण देगा। साथ ही यह भी बताया जाए कि (सरकार) अपने विवेक से उचित लाभ या माफी देने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करेगी परन्तु गवर्नर जनरल उन काउन्सिल गैरकानूनी जमाओं के दबाव अथवा उनके आवेदनों अथवा दगों अथवा शौर मचानेवाली सभाओं या कार्यक्रमों के सामने क्षुकलेवाली नहीं है।

५ आप बनारस के राजा अथवा अन्य अग्नियों के वर्द्धस्व एवं प्रभाव का अपने तरीके से अवश्य उपयोग कर सकते हैं और लोग जिसमें प्रवृत्त हैं ऐसे दगे फज्जाद अथवा राजद्रोह की घटना रोकने या दबा देने के लिए उनकी सहायता ले सकते हैं।

आपका आकाशकारी

जी सोहस्येल

सरकार के सचिव

काउन्सिल कक्ष
जनवरी ५ १८११

१ क १२ बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश को सरकार का पत्र

७-११-१८११

महोदय

मुझे मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने आपके गत दिनाक २ के पत्र की रसीद भेजने की सूचना दी है।

२ मेरा गत दिनाक ५ का पत्र आपको अवगत कराएगा कि विनियम १५ १८१० की व्यवस्था निरस्त न करने का सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है। उस पत्र में आपको सरकार की उस भावना का भी उल्लेख मिलेगा जिसमें सरकार अनुष्ठित

आवेदन देकर उसके निर्णय में अवरोध उत्पन्न करनेवाली भीड़ (आवश्यकतानुसार इन प्रयोग द्वारा भी) तितर बितर करना बिल्कुल उचित समझती है और जल्दत पढ़ने पर उसके (भीड़ के) नेताओं को बन्दी बना कर उस अपराध के लिए मुकद्दमा फूला सकती है। गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की इच्छा है कि आप ठीक से समझ लें कि उपरोक्त आदेश का प्रयोगन यही है कि आप सेना की मदद लेकर ऐसे लोगों को छाप गिरफ्तार कर लें जो बिखर जाने के आपके अनुरोध के प्रति ध्यान नहीं देते हैं और राजद्रोह जैसी स्थिति निर्माण करने में आगे रह कर भाग ले रहे हैं।

३ सरकार के आदेशों एवं विनियमों का पालन करवाने के लिये और स्थानीय अधिकारियों की प्रतिभा सुरक्षित करने के लिये अत्यन्त अनिष्टा से गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को देश के सैन्य बल का प्रयोग करने की विवशता निर्माण हुई है। अतः नामदार गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की सलाह है कि आप तभा समाहर्ता ने फिल्म लोगों को समझाकर या धमकाकर वर्तमान राजद्रोह की गतिविधियों से परावृत्त करने के लिये जो भी सम्भव है वह सब फुछ करना चाहिए और जब तक प्रत्यधि हिंसा का आवरण नहीं होता और सेना अथवा नागरिक अधिकारियों पर हमला नहीं होता तब तक सेना ने शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिये। आपसे अपेक्षा है कि आप मैर जनरल मैक्डोनाल्ड को पूर्व आदेश की सूचना दें ताकि वर्तमान स्थिति में आवश्यक पड़ने पर तुरन्त उचित कार्यवाही के लिये वे अपनी सेना के साथ हीयार रहें।

४ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने आपने मिश्रुक को अपने मुख्यालय में वापस लौटने की प्रार्थना की उसे भान्य रखते हुए अनुमोदन किया है जिससे वे अपने सम्पूर्ण प्रभाव का उपयोग कर बनारस के राजा और अन्य अग्रणियों को वर्तमान विषय रही स्थिति को शांत करने के लिए मदद करने के लिए समझाएँ। उसके लिए गवर्नर जनरल स्थित राजा को भी अलग एक पत्र भेजनेवाले हैं।

५ सरकार द्वारा गत दिनांक ५ को सूचित आदेश से बनारस के समाहर्ता को अवगत कराएँ। साथ ही आज वहाँ के विभिन्न सरकारी अधिकारियों को भी सरकार के इस प्रस्ताव की जानकारी देना जरूरी है कि मकान कर की व्यवस्था सार्व करने का निर्णय हो चुका है।

६ मान्यवर काउन्सिल को यह भी लग रहा है कि स्वयं सरकार के अधिकारियों के द्वारा कर के सम्बन्ध में की गई घोषणा ही शायद लोगों के अपने अन्यायी आवरण से परावृत्त करेगी अथवा इसना तो जल्द उनकी समझ में आएगा यि उसके माद भी यदि लोग फानून की अवमानना चालू रखेंगे तो अपने ही अहिंस के

निमत्रण देंगे। घोषणा की आग्रेजी परियन और हिन्दुस्तानी भाषा में नक्ल भेजने की भी मुझे सूचना मिली है। अब घोषणा प्रकाशित करने तक में जनरल मैकडोनाल्ड ने सैन्यबल किसने समय अथवा अवधि तक रखना उस बात का निर्णय आप अपने फ़िदेक से करेंगे।

आपका आशाकारी
जी डोडस्वेल
सरकार के सचिव
न्यायतत्र विभाग

काउन्सिल कक्ष
जनवरी ७ १८११

१ क १२ (क) फोर्ट विनियम का ऐलान

जनवरी ७ १८११

गवर्नर जनरल इन काउन्सिल द्वारा प्रकाशित ऐलान

बगाल बिहार उडीसा और बनारस के प्रात और जीते अथवा समर्पित प्रातों के अनेक शहरों तथा नगरों के मकानों तथा दूकानों पर हल्का और सामान्य कर निधारित किया गया है जो विनियम १५ १८१० से लागू किया जा रहा है। गवर्नर जनरल इन काउन्सिल के ध्यान में आया है कि बनारस नगर के कुछ लोग इकट्ठे मिलकर भीड़ जैसे उपद्रव मचाकर उस विनियम का गैरकानूनी रीति से विरोध कर रहे हैं। दूसरी और गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने उस सबधर्मे उन्हें प्राप्त आवेदनों पर पूरा विचार करने के बाद बताया है कि इस विनियम को वापस लेने के लिए पर्याप्त कारण उन्होंने बताया नहीं है। इसलिए ऐसे आवेदन करनेवाले विभिन्न वर्ग के लोग तथा बनारस की समस्त प्रजा को सूचित किया जाता है कि उस विषय में न्यायाधीश तथा समाजर्ता को आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं कि वे विनियम को वास्तव में असली बनाएं। इसके साथ ही उस प्रात के द्वप कमान्डर को भी जरूरी आदेश अलग से दिया गया है कि वे न्यायाधीश तथा समाजर्ता को उनका कर्तव्य निभाने के लिये आवश्यक सहायता करें खासकर उन्हें उपद्रव करनेवाली अथवा दगा करनेवाली गैरकानूनी सभाओं को खिलाने सभा में भाग लेनेवाले अथवा ऐसे समूहों को मददकर्ता लोगों को गिरफ्तार कर न्यायाधीश के समक्ष छाड़ा करें और इस प्रकार उन्हें पर्याप्त सहायता करें।

गवर्नर जनरल इन काउन्सिल पूरी सवैदना और सहानुभूति के साथ कानून का उल्लंघन करने वाले हठी या जिद्दी लोगों को धेतावनी देना चाहते हैं कि उनका ऐसा व्यवहार जारी रहेगा तो वह राजद्रोह माना जाएगा और ये अपने लिए गमीर स्थिति को

निमित्रित करेंगे। सरकार प्रत्येक आवेदन पर पर्याप्त ध्यान दे रही है तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को पर्याप्त सुरक्षा देने के लिए प्रयत्नशील है यह बात सर्वज्ञात है परन्तु यह नहीं घोषित किया जा सकता कि अधिकारियों के सभी उचित प्रयासों की अवगति कर लोग ऐसे गैरकानूनी जमाव निर्माण करके उपद्रव मध्याएँ।

गवर्नर जनरल उन काउन्सिल के आदेश से।

१ क १३ बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश को सरकार का पत्र

११-१-१८११

महोदय

मुझे आपके गत दिनांक ४ के पत्र की रसीद के साथ ही यह भी बताने की सूचना दी गई है कि बनारस का विद्रोह और विरोध अब शान्त हो रहा है यह जनकर मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को अत्यधिक सतोष हुआ है।

२ आपके पत्र के चौथे अनुच्छेद में आपने बताया है कि 'परन्तु सानुकूल लगानेवाली वर्तमान स्थिति पर अधिक विश्वास करना उचित नहीं है क्योंकि सोरों के धार्मिक भेता अभी भी उनके हशादे में अविश्वल लग रहे हैं।

३ विनियम १५ १८१० अनुच्छेद १ के खण्ड ६ में घोषित किया गया है कि सभी धार्मिक भवनों को उस भक्ति कर से मुक्त रखा गया है। इस व्यवस्था के सदर्भ में भविष्य में घोषित होने वाले विनियम में अधिक स्पष्ट रूप से बताना जल्दी हो पाया है। परन्तु इस दौरान मान्यवर नामदार धाहरे हैं कि उस विनियम को लागू करते समय उस कर्मुकित का साम व्यापक और उदारतापूर्वक ढंग जिससे उस से पूर्व दिए गए आदेशों का उचित रूप से पालन किया जा सकेगा। मान्यवर यह भी धाहरे हैं कि आप सबपित समाजों की समति से कर्मुकित दी गई है ऐसे देवास्त्रों की सूचना भेजें जिससे आगामी विनियम में उस बात का विस्तार पूर्वक उल्लेख और स्पष्टीकरण किया जा सके।

४ गवर्नर इन काउन्सिल को प्रवर्तमान स्थिति में श्रीमान यादू शिवनारायण सिंह की प्रशासनीय सेवा से अत्यधिक प्रसन्नता और सतोष हुआ है। आप उन्हें अवश्य बताएं कि गवर्नर जनरल ने शिवनारायणसिंह को खिलायत देने का निश्चय किया है जो कि उन्होंने बाजार में आपूर्ति घासू रखने में और सार्वजनिक शांति की स्थिति बनाए रखने में जो प्रशासनीय योगदान दिया है उसके पुरस्कार के स्वरूप सरकार की ओर से दिया जाएगा।

५ मुझे यह भी बताने की सूचना मिली है कि गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने प्रवर्तमान स्थिति में आपने जो भी कदम उठाया है उसका समग्ररूप से अनुमोदन किया है। मान्यवर इन काउन्सिल को गलत मार्ग पर जाने वाले लोगों के प्रति आपकी कार्यवाही दृढ़ फिर भी महुत ही समझदारी और सुरक्षापूर्वक की थी ऐसा भी लगता है।

आपका आज्ञाकारी

जी डोडस्वेल

सरकार के संथित

न्यायित्र विभाग

काउन्सिल कश्च

जनवरी ११ १८९१

१ क १४ कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस को सरकार का पत्र

१-१-१८९१

महोदय

आज की तारीख को मेरे अगले पत्र के सधान में मुझे आप को यह बताने की सूचना मिली है कि विनियम १५ १८९० की व्यवस्था सागू करते समय ध्यान में रखना है कि उपर्युक्त विनियम की व्यवस्था लागू करने में सरकार का आशय यह नहीं है कि निचले स्तर के लोग उस मकान कर के प्रभाव में आएं। अर्थात् ऐसे वर्ग के लोग इस कर को भरने के कारण ही सकट में आ जाएं क्योंकि उनके मकानों की कीमत ही शायद उतनी बड़ी न हो। ऐसे लोग सरकार की गिनती में हैं ही नहीं।

२ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल अभी सुरत तो किसाये की वार्षिक उपज निश्चित करने के मत के नहीं हैं इसलिए उपर्युक्त मकानों को करमुकित देने की निश्चित पद्धति भी निर्धारित नहीं हो सकती है। परन्तु मान्यवर ने अभी तक इस घारे में सरकार का दृष्टिकोण सभी को समझाने के लिए कहा है। वर्तमान आदेशों की सूचना के साथ विभिन्न वर्गों के लोग जिन्हें उस व्यवस्था से साम छोनेवाला है उन्हें यह किस प्रकार पहुँचे उसका आपको ध्यान रखना है। उसके लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ कोई ढीलापन न हो और लोगों की भावना और स्वमाने को देस न पहुँचे यह भी देखें क्योंकि इस समय सरकार के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है। अब शायद स्थिति यद्देखी अथवा बदल घुकी हो किन्तु जब सरकारी आदेश हुए हैं तब गवर्नर जनरल इन काउन्सिल आपको कोई विशेष अनुदेश देने की स्थिति में नहीं है। परन्तु मान्यवर यह अवश्य धाहते हैं कि यदि लोग उनके राजद्वाह अथवा अपराधी कृत्यों को स्थानीय अधिकारियों के समक्ष कम्बूल करने अथवा मान लेने के लिए राजी होते हैं तो उचित करमुकित दे दें।

३ उसके साथ आपको यह पत्र समाहर्ता को भी पहुँचाने की सलाह है जिससे उन्हें निधरिण के कामकाज के लिए जरुरी मार्गदर्शन मिलेगा। यद्यपि उन्हें उस विषय की अन्य आवश्यक सूचनाएँ यथास्थिति सामान्य प्रभाली के अनुसार बोर्ड और कमिशनर के द्वारा भेज दी जाएंगी।

आपका आज्ञाकारी
जी होडस्वेल
सरकार के सचिव
न्यायत्र विभाग

काउन्सिल कक्ष

जनवरी ११ १८११

१ क १५ बनारस के समाहर्ता को सरकार का पत्र

७-१-१८११

महोदय

मुझे माननीय गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की ओर से गत दिनांक २ का आपका पत्र मिलने की सूचना देने को कहा गया है और विनियम १५ १८१० की व्यवस्था लागू करने के सबध में बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश को आदेश भेजा जा चुका है।

कार्यवाहक न्यायाधीश ने इच्छा व्यक्त की है कि सरकार की ओर से जो कुछ अनुदेश हैं वे आपको भेज दिये जाए। प्राप्ति की पुष्टि करने की कृपा करें।

आपका आज्ञाकारी
जी होडस्वेल
सरकार के सचिव
राजस्व विभाग

काउन्सिल कक्ष

जनवरी ७ १८११

१ क १६ कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस का सरकार का पत्र

१८-१-१८११

महोदय

सरकार के विधारार्थ इसके साथ जल्दी दस्तावेज शीघ्र भेज रहा हूँ।

२ मेरे गत दिनांक ८ के पत्र में मैंने रातोंप के साथ रिपोर्ट किया था कि नार की प्रजा का रोप और सधर्य की स्थिति पर्याप्त भात्रा में शात हो रही है। मैंने यह भी विश्वास व्यक्त किया था कि सरकार के आदेश के विरोध में रागडिल हुए सोग शीघ्र ही अलग हो जाएंगे। इसके लिए लोगों के साथ जो व्यवहार और वर्ताव किया चराके

आधार पर मैंने गत दिनांक १३ तक सब ठीक कर लेने का निश्चय किया था। मैंने जब विनियम १५, १८१० को बापस न लेने के बारे में सरकार के प्रस्ताव की जानकारी बनारस के अग्रणी नागरिकों को दी तब मेरा विचार था कि लोगों को मनाने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने की स्थिति नहीं आएगी।

(चनको वितरित की गई घोषित प्रचार पत्र की नकल इसके साथ सलग है)

३ सरकार का प्रस्ताव लोगों में पहुँचाने के दूसरे दिन से ही लोग एकत्रित होने लगे। प्रत्यक्ष रूप से ही एक समूह में प्रेसिडेन्सी तक आवेदन पहुँचाने हेतु वे एकत्रित हो गए थे। इस स्थिति में मुझे सरकार का प्रचारपत्र मिला तब मुझे लगा कि उससे लोगों को गलत तरीके अपनाने से परावृत्त किया जा सकेगा। मेरे विचार में उसे प्रकाशित किया जाए। दूसरी ओर मेजर जनरल मैकडोनाल्ड मुझे आवश्यकतानुसार समर्थन देने की स्थिति में नहीं है ऐसा सौचते थे। यह बात उन्हें श्री हुक के साथ हुई मैठक में समझायी गयी। मैंने सरकार के अनुदेश के अनुसार उनका अभिमत बनाना जरूरी समझा यद्यपि लोग विरोध करेंगे ऐसा मानने का कोई कारण भी नहीं था। वे हिंसा का आवरण करेंगे अथवा सरकारी अधिकारियों पर हमला करेंगे इसकी भी समावना नहीं थी।

४ मेजर जनरल मैकडोनाल्ड की धारणा थी कि लखनऊ से कोई सहायता आ जाएगी परन्तु मुझे जानकारी थी कि ४४ अथवा आठ दिन में यह समव नहीं था। यद्यपि इस बीच मैं मेरे अधिकार से यथासमव सब कुछ फस्ता और सार्वजनिक सेवाओं का जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करने का प्रयास करूँगा।

५ जो लोग इस प्रकार के अनुचित और अन्यायी कार्यकलापों में लगे हैं वे प्रसम तो नहीं ही हैं। फिर भी ऐसे लोगों को सरकार या सदाशय क्या है यह समझाने की समावना भी नहीं है। मैंने समाहर्ता को कर निर्धारित करने के लिए तत्काल मार्गदर्शक जरूरी रूचनाएँ दी हैं। फिर भी मैंने सरकारी अधिकारियों को समझाया कि समझौते के दिना ऐसा फस्ता समव नहीं लगता है। जब तक लोगों को सरकार की ओर से जानकारी नहीं मिलती और लोगों को उनके राजदौही और अपराधी कृत्यों को सरकार द्वारा माफ किये जाने के विषय में जानकारी नहीं मिलती तब तक लोग सहयोग न भी दें।

आपका आशाकारी

ठस्ट्यू ठस्ट्यू शर्फ

यजर्यकाहक न्यायाधीश

१ क १६ (क) मेजर जनरल मैकडोनाल्ड का कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस को पत्र

१२-१-१८९९

महोदय

आपके आज के ही पत्र की स्तीद सादर भेज रहा हूँ। साथ ही मुझे सरकार के न्यायित्र विभाग के सचिव के आपके नाम भेजे गए पत्र की नकल भी प्राप्त हुई है जिसमें मकान कर लागू करने की सरकार की इच्छा व्यक्त की गई है और मुझे बताया गया है कि आपकी या समाहर्ता की सत्ता के विरोध को देखा देने के लिये आवश्यक व्यवस्था करनी है और आपकी इच्छा और सुविधा के अनुसार आपके साथ प्रत्यध भेट करके इस योजना को क्रियान्वित करना है। आपसे भेट करने हेतु मैं कल सुबह ८०० बजे श्री बूक के निवासस्थान पर उपस्थित रहूँगा। उपर्युक्त व्यवस्था करने से पूर्व कुछ विषयों की स्पष्ट और पूर्ण जानकारी आवश्यक होगी।

जनमानस का वर्तमान मिजाज ऐसा है सरकार के निर्णय की घोषणा होने पर भीड़ क्या करेगी हमें उसका प्रतिरोध करना चाहिये या भीड़ को दिखेरना चाहिये और सरकार को पुनः निवेदन करना चाहिये फाटकबंदी निरस्त होने की जानकारी मिलने पर आपके अभिप्राय में स्थिति ऐसी बनेगी हो सकता है कि फटकबंदी निरस्त होने से नगर और उपनगर के अलग पड़ने की स्थिति न रहने से लोग बिखर कर अपने अपने घर चले जाएँ या ऐसा न भी हो घोषणा से पूर्व इसकी जानकारी देना उपर्युक्त है या नहीं जो जमाव के छुये सूत्रधार हैं उनके नाम वर्णन और अन्य जानकारी चाहिये दया उनमें गोसाई भी हैं हैं तो यिस सम्बन्धाय के दया राजपूत होंगे ये अगर होंगे तो गोसाइयों के साथ मिल जाएंगे इस भीड़ में मराठे भी होंगे मुसलमानों की तरह ये भी लडाकू होते हैं और जल्दी हथियार उठा लेते हैं दया हो सकता है ये महाराजा अमृतसिंहजी के कहने से निश्चिय रहें सरकार के आदेश के अनुपालन के विषय में बनारस के राजा का सख्त फैसा रहेगा इस विषय में आपकी दया चाही है।

इस प्रकार के विभिन्न विन्दुओं पर आपसे कुछ लिखित विषयार प्राप्त होने पर मुझे खुशी होगी।

आपका आशाकारी

जे मैकडोनाल्ड

मेजर जनरल

१ क १६ (स) मि शुक्र के निवासस्थान पर दिनाक १३ जनवरी १८९१ को श्री वर्ड कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस तथा मेजर जनरल मैकडोनाल्ड नगर के कमान्डिंग अधिकारी के दीप हुए विधार विमर्श का सार्वश

जनमानस का सरकार के प्रति मिजाज विधायक नहीं लग रहा है। नगरीय और ग्रामीण लोग एकमत और एकजूट हैं। वे जिसका विरोध कर रहे हैं उसे हटाने के लिए दृढ़सकल्प हैं। सभी वर्ग के लोग उच्च या नीच हिन्दु या मुसलमान जुलाई राजपूत गोसाई आदि सभी एकमत हैं एक ही उद्देश्य पूरा करने के लिए उन्होंने सौंगध खाई है। कार्यवाहक न्यायाधीश का मत था कि इन लोगों की विरोध प्रदर्शन के लिए कोई हिस्क गतिविधि अपनाने की पूर्वयोजना नहीं है परन्तु सभवत वे सरकार को दमन या हिंसा के लिए उत्तेजित करने का इरादा रखते हैं ताकि सरकार पर अत्याधार करने का आरोप कोलकता उच्च न्यायालय के समक्ष किया जा सके। ऐसी किसी स्थिति का निर्माण नहीं होने देना चाहिये। लोगों को मुक्त छोड़ कर सरकार के आदेश को वेरोकटोक (निर्विरोध) लागू करें। लोग नि दात्व होंगे इसलिए सरकारी आदेशों का असर उनके मन पर पड़ेगा। किसी भी स्थिति में उपद्रव या अशांति का निर्माण होने पर चौथे ट्रूप को बुलाया जा सकता है।

कार्यवाहक न्यायाधीश का ऐसा भी अभिप्राय था कि महाराजा अमृतराव के आश्रित तटस्थ रहेंगे और स्वयं महाराजा को भी आमंत्रित किया जाएगा तो वे सरकार की मदद करेंगे। परन्तु बनारस के राजा से सहायता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। श्री वर्ड द्वारा यह वार्तालाप लिखा गया और श्री श्रूक द्वारा मेजर जनरल मैकडोनाल्ड को पहुंचाया गया।

ठस्ट्यू ठस्ट्यू वर्ड
कार्यवाहक न्यायाधीश

१ क १६(सी) दिनाक १८ जनवरी १८९१ शुक्रवार को मेजर जनरल मैकडोनाल्ड और श्री ठस्ट्यू ठस्ट्यू वर्ड के दीप आयोजित थैठक में श्री वर्ड अगली सुबह सरकार के गत दिनाक ७ के ऐसान को घोषित करने के बारे में सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति से प्रस्ताव रख रहे हैं।

मेजर जनरल मैकडोनाल्ड अपना विरोध व्यक्त करते हुए यताते हैं कि चौथी रेजिमेण्ट नेटिव इन्फॉर्मी की चौथी कुम्क न पहुंचे तब तक सरकार का आदेश जल्दबाजी में लागू न करें जबतक मि वर्ड आश्वासन न दें कि सेना उस समय में आपत्ति

नहीं उठाएँगी और वे खुद (मि बर्ड) अपनी जवाबदारी पर मेजर जनरल के पास आयी जो है वह सब तैनात करने के लिए कहे तब तक आदेश लागू न करें। मेजर जनरल मि बर्ड को बताते हैं कि उनके पास अभी स्वयंसेवकों की चार क्षणी सहित ५०० रु अधिक बदूकधारी नहीं हैं। न्यायाधीश की उर्ध्वी रेजिमेन्ट तो लाई ही नहीं जा सकती सिवाय इसके कि स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जाए। मेजर जनरल के मतानुसार खतरा तो यहुत अधिक था वयोंकि यदि द्वाषण धार्मिक अग्रणी का रवत बहता है तो परिणाम गम्भीर हो सकता है। मेजर जनरल ने पहले की बैठक में जो कहा वही दोहराया कि लोग खुद भीले पड़े हुए लगें और स्वयं पिखर जाएँ तो उन्हें जाने दें।

मेजर जनरल जो कहते हैं उसके विपरीत ही श्री बर्ड बताते हैं। उनके मतानुसार यदि लोग वापस लौटने लगे हैं तो स्पष्ट आशय यही होगा कि लोग घरों में वापस लौट रहे हैं। उसका अर्थ यह भी निकलता है कि लोग राजीखुशी से सरकार के प्रस्थापित आदेश को सिर भाथे घढ़ा रहे हैं। किन्तु मेजर जनरल का यदि यही अभिप्राय है तो मि बर्ड को खोद है कि वे उनके साथ सहमत नहीं हैं। मि बर्ड के मतानुसार तो ये लोग वापस लौट कर कलकत्ता जाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। मिस्टर बर्ड स्वयं गत दिनाक १६ के मेजर जनरल को लिखे पत्र में व्यक्त मताव्य का पुन उचारण करना उथित समझते हैं। (मूल में उस पत्र की तरीख १६ दशाई वर्ष है।) जैसा कहा गया है कि राजपूत और दूसरे लडाकू जाति के लोग सरकार का आदेश लागू होते ही सधर्व में आईं फिर भी मेजर जनरल जो कह रहे हैं उसके साथ मि बर्ड अपने मतानुसार यिन्हीं भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए अधिकार न होने से सरकार का ऐलान घोषित नहीं किया जा सकता।

उक्तर में मेजर जनरल को यहना पढ़ा कि लोग वापस जा रहे हैं यह कहने का अर्थ यह नहीं है कि वे कहाँ जाते हैं अपने घर अथवा और कहीं।

जे मेक्डोनाल्ड मेजर जनरल

ठम्ल्यू, ठम्ल्यू बर्ड कार्यवाहक न्यायाधीश

यात्रीत लिखी वर्ष और निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर कराए गए।

ठम्ल्यू बुक

जे डी. एस्सिन

ठम्ल्यू ओ सेलमन

हस्ताक्षर करने के बाद मेजर जनरल ने बताया कि फिर भी क्षी बर्ड ऐसा सोचते हैं कि मेजर जनरल के पास जो कुछ यत है वह जब जरूरत हो तब मुलाना

है तो श्री बर्ड ऐसा करें और मेजर जनरल को बुला लें। मेजर जनरल मैकडोनाल्ड उनकी इच्छा के अनुकूल होंगे।

जे मैकडोनाल्ड
मेजर जनरल
(साथी उपरि लिखित)

१ के १७ बनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

२०-१-१८९१

महोदय

मैंने विगत दिनों में एक्सप्रेस पत्र भेजा उसके बाद नगर की स्थिति में शायद ही कोई अन्तर आया है। लोग अभी भी जैसे मिलते थे वैसे ही इकट्ठे हो रहे हैं। और वे थक नहीं जाते या निराश नहीं हो जाते हैं तब तक स्थिति अनुकूल बनने के और सरकार के आदेश का क्रियान्वयन करने के कोई आसार नहीं लगते हैं।

२ सरकार के विनियम १५ १८९० को घालू रखने के प्रस्ताव की जानकारी होते ही अत्यन्त आपत्तिजनक और उत्तेजनापूर्ण पर्चे मुहळों में वितरित होने लगे। एसे दो पर्चों की सात नकल सरकार के समझ प्रस्तुत करने के लिए आपको भेज रहा हू। मैंने ऐसे पर्चे प्राप्त कर देने वाले लोगों को ५०० रुपये का इनाम घोषित किया है। मैं आशा करता हूं कि पर्चे की सामग्री और प्रयोजन देखते हुए यह इनाम ज्यादा नहीं लगेगा।

३ वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्वाभाविक ही है कि कर निर्धारण कार्य में नहीं के बराबर प्रगति हो सकती है। प्रतिदिन लोगों को विख्नेना और अपने राजद्रोही और अन्यायपूर्ण व्यवहार को छोड़ने के लिये विवश करना ही महत्वपूर्ण कर्तव्य बनता जा रहा है। जैसा कि मेजर जनरल मैकडोनाल्ड मानते हैं कि इसके लिए अतिरिक्त मदद अनिवार्य हो गई है अब मुझे भी इस बात की जल्दी है कि यह मदद आ जाए और मैं सरकार का आदेश लागू कर दें। मेरा दृढ़ मत है कि राज्यसभा की अवस्थना करने की यही स्थिति यदि दिनी रहती है तो प्रजा को देश की सरकार के प्रति जो आदर की भावना होनी चाहिये वह दिनप्रतिदिन कम होती जाएगी। (अभी भी वह कम हुई ही है।)

आपका आज्ञाकारी

उम्म्यू उम्म्यू बर्ड

कार्यवाहक न्यायाधीश

१ क १८ कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस का सरकार को पत्र

२८-१ १८११

महोदय

गत दिनांक १८ तथा २० के मेरे पत्र से मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को जानकारी प्राप्त हुई होगी कि किन परिस्थितियों में मुझे सरकार का आदेश लागू करने से रोका गया और मैं किस प्रकार उलझ गया।

२ सरकार के अधिकारियों की खुले आम अवमानना और अपमान कर उनका आदेश नहीं माना गया। सभी के सभी नगरजन योजनापूर्वक अवगणना और अनादर पर उत्तर आये। जनसामान्य सरकार के आदेश का प्रसिरोध करने के लिए निष्ठपूर्वक इकट्ठा हुआ और अपनी मांग का स्वीकार करवाने पर सुली भीड़ की गति से आशोलित हो रहा था। वे समूह में कोलकाता जाने के घमकी दे रहे थे उनके ही जैसे अन्य नगरों के लोगों को भी साथ ले जाने का कह रहे थे और ओर आगर उनकी घमकी का परिणाम नहीं मिला तो उसे कृतिरूप देने का भी उनका संकल्प था।

३ लोगों को जैसे जैसे लगाने लगा कि कोलकाता जाने से कुछ नहीं होगा घमकी को कृतिरूप देने की योजना बनाने लगे। उन्होंने निश्चित किया कि प्रत्येक घर से या तो मुखिया स्वयं जाए अथवा उसके प्रतिनिधि को ऐजें अथवा पिर अन्य जो कोई उसके स्थान पर जानेवाला हो उसका खर्च अपनी हीसियत के अनुसार बहन करे।

४ धार्मिक नेताओं ने लोगों के अंधविशदास और पूर्वग्रिहों को बढ़ाने हेतु अपना प्रभाव जमाने और इस निर्भय को समर्थन देने के लिये सब कुछ कर लिया फरन्तु उनके सभी प्रपञ्च असफल हो गए। यात जब मुझे पर आई सब यहुत कम लोग जाने के लिए तैयार हुए वर्षों कि रास्ते में विघ्न थे। दूसरे उस योजना में योगदान देने के लिये भी ये तैयार नहीं थे वर्षों कि वे समझ गए थे कि उनका चट्टेश्वर कभी पूरा होनेवाला नहीं था।

५ ऐसी हताशा कि स्थिति से उन लोगों में काफी उत्तम निर्माण हुई और अतर्वे वे अधिकारियों को दूसरा आवेदन देने के लिए नए रिये से तैयार हुए। उन्होंने ऐसा एक आवेदन प्रान्तीय न्यायालय के न्यायाधीश को दिया। (आवेदन या अनुवाद सलग कर रहा हूँ) उन्हें आशा थी कि न्यायालय के हस्तक्षेप से उनके पक्ष में वोर्ड हल निकलेगा।

६ इस आवेदन को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिए जाने से उनकी कठिनाई यह गई। कुछ समझदार और विचारशील लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। लोगों को लगाने लगा कि अब वे ऐसी मुस्किल में फ़ज़े हैं कि उससे सम्मान पूर्वक उमरना मुस्किल होगा। वे समझ चुके थे कि सरकार अब ऐसी अनुचित लडाई या दगा फत्ताद या भीड़ के सामने छुकेगी नहीं। परन्तु अपने अपराध को जानते हुए जो सजा मिलेगी उससे भयभीत और जिसे लेकर वे विरोध करने के लिये जमा हुए थे उस उद्देश्य को छोड़ने से जो बदनामी होगी उसके भय के कारण वे एक साथ रहने के लिये विवश थे।

७ इस प्रकार के अनुकूल वातावरण में सैयद अकबर अलीखन नामक एक सनिह बुजुर्ग सरकारी सेवक की उत्साहपूर्ण मेहनत और मिश्रुक और महाराजा अमृतराव के बीच के सम्पर्कसूत्र मौलवी अद्वृल कादिरखान के सहयोग से भीड़ की योजना असफल बन गई और उनकी उलझन अधिक गहरी हुई। अतमें लोग उलझन और अनिष्ट्य से ग्रस्त होकर मानने लगे कि इनकी पूरी कार्यवाही को जाननेवाली सरकार से उनके उद्देश्य की पूर्ति होना तो दूर उन्हें भयकर दण्ड मिलेगा।

८ ऐसी घारणाओं और तकों के परिणाम स्वरूप वे आदेश मान लेने का मन बनाने लगे। उन्होंने मुझे २३ तारीख को कहलवाया कि यदि मैं स्वयं उन्हें समझाऊं तो वे सब कुछ छोड़ कर बिखर जाने की इच्छा स्खते हैं। परन्तु सरकारी अधिकारियों के साथ उनका पूर्व में जो अवाञ्छित व्यवहार रहा था उसे देखते हुए मुझे उनसे मिलना उचित नहीं लगा और मैंने उनका प्रस्ताव मान्य नहीं किया। उसके स्थान पर सैयद अकबर अली खान ने एक योजना प्रस्तुत की जिसकी सफलता निश्चित लगती थी। मुझे उसके अनुरूप तत्काल कार्यवाही करने का अवसर भी मिल गया।

९ मि श्रुक मेरा पत्र मिलते ही मुख्यालय में वापस पहुंच गए थे और मुझे सहायता करने लगे थे। उन्होंने अपना पूरा प्रभाव लगाकर स्थानिक अग्रणियों को विगड़ी स्थिति को दबा देने के लिए काम पर लगा दिया। बनारस के राजा अपने गाव के निवास से नगर में वापस लौटे और वे लोगों को उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक बनने के लिये प्रेरित करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए। दुराघरण इसी प्रकार से बना रहा तो लोगों को फिस प्रकार के सकर्त्ता का सामना करना पड़ेगा यह भी वे कुशलता पूर्वक समझा सके।

१० यह सारा मामला उपर्युक्त नौ व्यक्ति - सैयद अकबर अली खान और अद्वृल कादिर खान - की मध्यस्थिता से सफलतापूर्वक निपटाया गया। लोगों को

१ क १९ यनारस के कार्यवाहक न्यायाधीश को सरकार का पत्र

४ २ १८११

कार्यवाहक न्यायाधीश

यनारस

महोदय

मुझे गत दिनाक ८ १८ २० और २८ के आपके पत्र और उसके साथ के सलगकों की स्तीद देने की सूचना मान्यवर गवर्नर जनरल इस काउन्सिल की ओर से मिली है।

२ दि ८ १८ और २० के पत्रों पर अलम कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

३ गत २८ के पत्र के सदर्भ में गवर्नर जनरल इन काउन्सिल आपके पत्र की जानकारी से सहुष हैं कि विनियम १५ १८१० की व्यवस्था का विरोध करने के लिए एकवित हुए लोग अपने उद्देश्यों में सफलता म होने पर विखर गए हैं और लोग अधिकारियों के समक्ष सूक्ष्म गए हैं।

४ ऐसे महसूपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने जय भी जो कदम उठाया है उसका गवर्नर जनरल इन काउन्सिल अनुमोदन करते हैं।

५ मान्यवर यनारस के राजा ने सार्वजनिक हितमें अपने दिव्यास और तत्परता का जो प्रमाण दिया है उसके लिए अस्थिरिक सतोष का अनुभव करते हैं। उन्होंने यनारस के लोगों को अनुधित राह पर जाकर राजद्रोह का आघरण कर सरकारी की सत्ता को चुनौती देकर यदले में सकटग्रास्त होने से बचाने के लिए, सलाहकार की जो भूमिका निभाई है उसकी मान्यवर दखल लेते हैं। मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल राजा साहब को एक पत्र लिखकर भेजनेयाले हैं। उस पत्र के साथ सरकार उनके मूल्यवान व्यवहार से किनाना आदरपूर्ण प्रशंसा का भाव रखती है उसके संकेत के रूप में खिलात भी भेजने वाली है।

६ राजद्रोही और अन्यायपूर्ण आघरण करनेवाले यनारस के लोगों को आम मास्ति देना मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल यो उधित महीं लगता है। उनका तो मत ऐसा है कि इस प्रकार का आघरण भविष्य में फिर से न हो इसलिये इन अपराधियों को ऐसा उदाहरण रूप दण्ड देना चाहिये कि और कोई इस प्रकार का आपरण करने का साहस न करे। उनके ऊपर सीधा सीधा मुकदमा चलाना चाहिये।

परन्तु मान्यवर का मानना है कि ऐसे मुकद्दमे संख्या में अधिक नहीं होने चाहिये। मान्यवर का यह आशय ध्यान में स्थित हुए आप ऐसे लोगों के नाम दें जिनके विरुद्ध आप मुकद्दमा दायर कर सकते हैं। साथ ही इन लोगों के नाम देने के लिये कौन से आधार हैं उसकी भी विस्तृत जानकारी दें।

८ सरकार के गत दिनांक ५ के फाटकबंदी विषयक आदेश में जो सुधार आपने सूचित किए हैं उसके लिए कोई आपत्ति होने की जानकारी या खबर मान्यवर को नहीं है। बोर्ड ऑफ़ कमिश्नर इस सदर्भ में बनारस के समाजस्त्री को लेकर आपके प्रस्ताव के अनुसार करने के लिये जल्दी सूचना देगा अथवा बोर्ड में उसका स्वीकार करने के सबूध में कोई आपत्ति है तो उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी।

९ गवर्नर जनरल इन कारन्सिल ने आपके सहायक श्री म्लीन के कर्तव्यपूर्ण सहयोग की दखल ली है।

१० बनारस में अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई उसका सामना करने के लिए आपको जो कुछ दायित्व दिये गए उनको आपने जिस दृष्टि और समझदारी पूर्वक निभाया है उसके लिए मान्यवर कारन्सिल सतोष के साथ प्रशस्ता व्यक्त करते हैं।

आपका आज्ञाकारी
जी डॉक्सवेल
कारन्सिल एक्शन
फरवरी ४ १८९९

सरकार के सचिव
न्यायपत्र विभाग

१ क २० कार्यवाहक न्यायाधीश बनारस का सरकारश्री को पत्र

७-२-१८९९

जी डॉक्सवेल
सरकारश्री के सचिव न्यायपत्र विभाग
फोर्ट विलियम

महोदय

इसके साथ बनारस के राजा ने उसके प्रजाजनों के नाम से जो आवेदन आपको पहुंचाने के लिए मुझे दिया है वह मैं आपके विचार और आदेश के निमित्त भेज रहा हूँ।

२ यह आवेदन १५ १८९० की व्यवस्था के अनुसार अंतिम प्रयास के रूप में सरकारश्री को भेजा जा रहा है। इस विषय में स्थानिक प्राधिकारियों को किए गए

आवेदन आवेदकों के बताए अनुसार नामजूर किए गये थे। वे मान्यवर के समक्ष प्रस्तुत भी किए गए और आवेदक मान्यवर के निर्णय से पूर्ण स्वप्से अवगत भी हैं। उन्हें निर्णय की जानकारी भी हो चुकी है फिर भी इस समय आवेदन को बाप्स कर देना मुद्रिमतापूर्ण नहीं माना जाएगा। ऐसा करने से शायद असतोष रोष और अतिर उठेजना का बाताकरण स्वत्पन्न होगा।

३ अब जब यह समस्त प्रकरण सरकार के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है तब आवेदन की जानकारी के सबध में मैंने अधिक कुछ कहना निर्वर्थक ही होगा फिर भी सरकार की जानकारी के लिए और विशेष रूप से मेरे मतानुसार लोगों की भावना के बारे में अवश्य कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे लोग जिस मुट्ठे और उसके लिए चठाए गए कदम के सबध में आपत्ति कर रहे हैं वह कर निर्धारण या उसकी वसूली से संबंधित मुद्दा नहीं है। नागर के लोग तो मानते हैं कि यह तो एक नए प्रकार का परिवर्तन है। देश और प्रात के हित में किसी भी सरकार को इस प्रकार का कर तागू करने का अधिकार नहीं है और यदि लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो कर बढ़ता ही जाएगा और फिर तो लोग जिसे अपना समझते हैं उसे भी धीरे धीरे कर के दायरे में सम्प्रतिकरण कर लिया जाएगा। इसलिए मुझे सदृश है कि ये लोग अपने कदम के संबंध में पुनर्विद्धार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। संभवतः विनियम की व्यवस्था के अतार्ति जो कर निश्चित किया जाता है उसे स्थापित कर और विनियम में बताया या है उसके अनुसार भयानित हेतु पर ही सीमित रखना घोषित किया जा सके तो यह लोगों के लिए सतोप्रद होगा। सामान्य भावना तो कर के दिर्घी की ही लगती है और सामान्य सभी नियासी ऐसे किसी कर के सामने छुकने को तैयार नहीं लगते हैं। फिर भी यह देशहित में उपयोगी होने की यात यदि समझाई जाए तो कदाचित् उसमें राहभागी होने के लिए तैयार हो भी जाए। ऐसी किसी भी वसूली के लिए भले ही वे आदी न हों तो भी तैयार हो जाएं।

४ मैंने इस आवेदन की सूचनाओं के बारे में कुछ भी कहने से असम रहना ही पस्त दिया है वयोंकि स्पष्ट रूप से ही यह आवेदन ऊर्ध्वे अधिकारियों को किया जाता है और मेरे लिए यिना सरकार का रख जाने आवेदकों द्वारा आपत्ति वीजों वाले लिखी गई है उनके बारे में कुछ कहना या लिखना हस्तक्षेप माना जाएगा। इसी रिक्षात के अनुसार सरकार ने गत दिनांक ११ के आदेश के अनुस्पष्ट निश्चित वर्ग यो मुश्यित हेने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके बारे में लोगों यों बताने से भी मैं दूर रह हूँ। दूसरी ओर यिनी शर्त के सरकार जो निश्चित यन्त्री है उसे

प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने की सिद्धता दर्शाई है। जिसमें सूचित स्थिति स्थापित करने योग्य लगती हो यदि सरकार की ओर से मजूरी दी जाए त ऐसा विचार करें।

५ अब मुझे मात्र इतना ही कहना है कि आपके द्वारा अतिम पत्र भेजे जाने के बाद नगरजन शांतिपूर्वक रहेंगे। मुझे लगता है कि उन लोगों ने शांत रहना निश्चित कर लिया है।

आपका आशाकारी

बनारस

फरवरी ७ १८९९

ठम्ल्यू ठम्ल्यू बर्ड
कार्यकारी न्यायाधीश

१ क २१ कार्यकारी न्यायाधीश बनारस को सरकार का पत्र

१६-२-१८९९

कार्यकारी न्यायाधीश

बनारस

महोदय

मुझे आपके गत दिनाक ७ के पत्र की स्तीद देने के लिए मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही बनारस के नगरवासियों का आवेदन भी मिला है।

२ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को लगता है कि आपने सरकार को आवेदन भेजकर आपके स्तर की जवाबदारी के अनुरूप काम किया है। साथ ही मान्यवर काउन्सिल को आपके द्वारा बताई गई स्थिति के सबध में कोई ऐसा कारण नहीं दिखता है जिसकी वजह से इस समय कर में सुधार समधी कोई बातचीत रोक देनी चाहिये। वे मानते हैं कि विनियम १५ १८९० के अन्तर्गत प्रस्थापित नियम की सीमा में ही बदल विषयक कोई बातचीत या विचार हो सकता है। इस विषय में लोगों को पत्र के चतुर स्वरूप में बताया भी जा सकता है। फाटक बड़ी व्यक्तिगत विषयक सभी जानकारियों तथा धार्मिक नेताओं के कर्मुकित विषयक प्रस्ताव के बारे में समाहर्ता को बोर्ड ऑफ कमिश्नर के निर्देश के रूप में जानकारी दी जाएगी और इस विषय में सरकार ने जो प्रस्ताव किए हैं उससे भी अवगत कराया जाएगा।

३ इससे पूर्व की टिप्पणियों और आदेशों के बाद शायद ही उसमें कुछ जोड़ने के लिये रहेगा। अत गवर्नर जनरल इन काउन्सिल बनारसवासियों के आवेदन के बारे में कुछ करना उचित नहीं समझते।

इसलिए इसके बाद के कर विषयक किसी भी आवेदन अथवा असत्य के सन्दर्भ में मान्यकर कारन्सिल का अभिमत निराकरण है ऐसा समझ लिया जाए।

आपका आज्ञाकारी

कारन्सिल कक्ष

जनवरी १६ १८९९

जी डॉहस्टेल

सरकार के सचिव

न्यायतत्र विभाग

१ क २२ बनारस के न्यायाधीश का पत्र सरकार के प्रति

२३-२ १८९९

जी डॉहस्टेल एस्क

सरकार श्री के सचिव न्यायतत्र विभाग

फोर्ट विलियम

महोदय

गत दिनांक १६ को सरकार के कार्यकारी न्यायाधीश द्वारा भेजे गए बनारस वासियों के आवेदन के प्रति आदेश द्वारा मुझे यहां समर्थन मिला है।

२ आज सबैरे ही बनारस के राजा नगर के कुछ अग्रगण्य लोगों के साथ अपने आवेदन के राष्ट्र में मिलने आए थे और पूर्वोक्त प्रश्न के प्रति आदेश के राष्ट्र में मुझसे कुछ जानना चाहते थे। साथ ही विनियम १५ १८९० के सदर्भ में जो परिवर्तन स्थीकरण करने की बात है और फाटकर्डी के बारे में सरकारश्री के गत दिनांक ५ के जो सुझाव आए हैं वे जानने के इष्टघुक थे।

३ सरकारश्री के इससे पूर्व के कुछ मुद्दे थे उससे सलमन प्रधार पत्र के अनुरूप शब्दशः असिस्टेन्ट न्यायाधीश की उपस्थिति में सबको बताया। बाद में इसकी प्रतिलिपि रावकी जानकारी के लिए नगर में प्रकाशित की गई थी। जिसका अंग्रेजी अनुवाद भेज रहा हूँ।

४ यब लोग खुले आम कानूनमण कर शजद्दोह का आपरण करते थे तब ही पूर्वोक्त नोटिस रोके रखने के कदम से मुझे लोगों को समझाने का जवाब मिला जिसका विरोध भी कम हुआ और सभीने अपने हित में मुझे सुना सेकिन यह प्रस्ताव पार्मिंग नेताओं और निम्नवर्गीय लोगों के लिये सामकारी था और यह प्रस्ताव ऐसे समय पर आया जब लोग सरकार से इस कर को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए आवेदन दे रहे थे। इन आवेदनों को सर्वथा अलग तरीके से अर्थात् अपमानना अथवा

तिरस्कार के रूप में ही लिये जाने के कारण से तुरत ही नामज्ञर कर दिया गया। यदि आवेदन लेकर उसकी किसी बात या भावना को सुना गया होता तो असलोष तिरस्कार अथवा सभी लोक अधिकारियों की आज तक जो अवमानना हुई उसका निवारण करना सरकार के लिए समझ हो सकता था।

५ अब मैं निश्चित अभिप्राय के रूप में तो नहीं किन्तु उनके धार्मिक नेताओं को जो मुकित दी गई है उसका लोगों के मन पर जो असर हुआ है उसे देखकर कह सकता हूँ कि लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बहुत समुद्र लग रहे थे।

न्यायाधीश कार्यालय

आपका आङ्गाक्षरी

मनस्स

एडवर्ड वॉट्सन

फरवरी २३ १८११

न्यायाधीश

१ क २२ (ए) प्रधार पत्र

मकान कर के सबध में बनारसवासियों का महाराजा उदित नारायण सिंह द्वारा कार्यकारी न्यायाधीश डम्ल्यू. डम्ल्यू. वर्ड को दिया गया आवेदनपत्र दिनांक ७ फरवरी को गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को एक पत्र द्वारा दिया गया। इस आवेदन पर सरकार का आदेश जारी हुआ है कि गवर्नर जनरल इन काउन्सिल बनारसवासियों का आवेदन मान्य नहीं कर सकते हैं। इस लिए सभी को इस प्रकार कर चुकाना होगा।

विनियम १५ १८१० की घारा ६ के खण्ड १ के अनुसार यह निश्चित किया जाता है कि धार्मिक भवनों को कर से मुकित रहेगी। इस व्यवस्था को भविष्य के विनियम में विस्तृत रूप से समापिट किया जाएगा। तब तक गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की इच्छा है कि विनियम की इस व्यवस्था से बड़ी सख्त्या में लोगों को मुकित का लाभ मिलता है इसकी और ध्यान दिया जाए और इस से पूर्व की घटनाओं का उचित रूप से पालन कराया जाए। इस सबध में समाहर्ता के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार किया जाए जिसमें सरकार के वर्तमान आदेश के अनुसर करमुकित के पात्र धार्मिक भवनों की जानकारी का समावेश किया गया हो। इस जानकारी के आधार पर विनियम के भविष्य के सस्करण में जानकारी दी जा सकती है।

दूसरा सरकार का यह फूरदा नहीं है कि निष्ठले स्तर के लोगों को आवास कर के लिए निशाना बनाया जाए वर्त्तों कि उनकी आय कर चुकाने के लिये पर्याप्त नहीं होती।

तीसरा दिनांक ५ जनवरी १८११ के प्रस्ताव में निश्चित किया गया है कि

पनारस के निवासियों को फाटकबदी धौकीदार और उसके मरम्मत आदि खर्च में यहुत अधिक रकम चुकानी पड़ती थी। उसमें से मुवित दी जाए और उस खर्च के सार्वजनिक फँड से भरपाई किया जाए। इस विषय में प्रस्ताव पारित होते ही उसकी जानकारी उस मास की दिनांक १३ के प्रधार पत्र में दी गई थी। बाद में सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव आया कि फाटकबदी से सम्बन्धित खर्च सार्वजनिक फँड से चुकाने के स्थान पर मकान के किराए के निधरिण में मकानमालिक मकानधारक को किराया निधरिण के समय जो बाद मिलता है और वे मोहल्ले कर के माल्यम से अपने हिस्से में आने वाली रकम चुकाते रहे हैं उस मकान को कर मुवित दी जाए। इससे लोगों में सतोष और प्रसन्नता व्याप होगी। इसके उघर में सरकारी आदेश यह अस्या कि फाटकबदी विषयक ५ जनवरी के आदेश में इस विषय में अगर कुछ सुधार करना है तो उस विषय में कहीं से आपसि आई है ऐसा सरकार के ध्यान में नहीं आया है। इस समय में इस के पूर्व में आयेदों आए हुए मानने या कोई आपसि उपस्थित की गई हो तो उसकी रिपोर्ट भेजने के लिये बोर्ड ऑफ कमिश्नर समाहर्ता की बताएँ।

इसके बाद दिनांक १६ फरवरी के सरकार के आदेश जिसमें फाटकबदी के बारे में तथा धार्मिक नेताओं अथवा (भवनों के) तथा अर्किधन गरीब लोगों को कर से मुवित देने की व्यवस्था के आदेश थे उसे बोर्ड ऑफ कमिश्नर को भेज दिया है और उससे संबंधित सारी व्यवस्था बोर्ड की सूचना के अनुरूप समाहर्ता करेंगे।

इसलिए शिकायत अथवा असतोष का कोई कारण नहीं थयता है।

एस्ट्रेंड वॉट्सन
न्यायाधीश

१ क २३ पूर्व कार्यदाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

२३-२-१८९९

जी डोहस्टेल एस्ट्र

सरकार के संविधय न्यायतत्र विभाग

फोर्ट विलियम

महोदय

गत दिनांक १६ का सरकार का आदेश देखकर मैं यहुत व्यथित हुआ कि मान्यदर याउन्निल ने मेरे द्वारा वर्णित परिस्थिति के सदर्भ में कोई यास्तापिक घट्ट की ओर ध्यान नहीं दिया और प्रवर्तमान परिस्थिति में कर में यिए जाने वाले सुधारों

को घोषित नहीं करने के मेरे निर्णय को मान्य नहीं रखा।

२ मैंने गत दिनांक ७ को आप को लिखे पत्र के अनुछेद ४ में जो भाव व्यक्त किये थे वे सर्वथा अनुचित होने की टिप्पणी आते ही मैं दुर्माल्यपूर्ण स्थिति में फैसला गया हूँ ऐसा लगता है। इस सबध में इस प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ-

३ गत दिनांक ७ को मेरे द्वारा प्रेषित पत्र का उद्देश्य केवल इतना ही था कि लोगों को कर में किए गए सुधारों की ज्ञानकारी तम तक न दी जाए जब तक सरकार की ओर से उनके आवेदन का उत्तर नहीं आता। इससे लोगों को यह मानने का कारण नहीं मिलेगा कि यह सुधार उनके गैरकानूनी अथवा हो बल्ला पूर्ण प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप नहीं अपितु वे इसके प्रतिसाद और समर्थन के परिणाम स्वरूप सरकार का उत्तर है। फिर तो एक नीतिविषयक बात ही थी कि घोषणा को सरकार के प्रस्ताव तक या अपील पर अतिम आदेश आने तक रोके रखना। उक्त आवेदन अत्यन्त शाति और आदर पूर्ण ढंग से किया गया था। इससे सरकार के गत दिनांक ११ के आदेश से और मुझे दिए गए विवेकाधिकार से रोके रखना उचित और आवश्यक लगा ताकि लोग स्थानिक अधिकारियों के प्रति आदरपूर्ण रहें।

४ मुझे लगता है कि मैंने नीतियों और सिद्धांतों का आदर करते हुए जो कुछ कार्यवाही की है उसके सबध में कोई सदेह नहीं रहेगा। फिर भी कुछ चिंता तो रहती ही है। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा लिए गए निर्णय को व्यापक समर्थन और प्रशस्ता मिलेगी लेकिन उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। यद्यपि ऐसी आपात् स्थिति में गवर्नर जनरल इन कारन्सिल ने इसे मान्य रख कर मेरा सम्मान किया है।

बनारस

आपका आङ्गाकारी

फरवरी २३ १८९९

डम्ब्ल्यू. डम्ब्ल्यू. बर्ड

पूर्व कार्यवाहक न्यायाधीश

१ क २४ बनारस के न्यायाधीश को सरकार का पत्र

६-३-१८९९

न्यायाधीश

सिटी ऑफ बनारस

महोदय

मुझे आपका गत दिनांक २३ का तथा उसी दिनांक का सहायक न्यायाधीश का पत्र भिलने की रसीद देने की सूचना मिली है।

२ आपके स्वयं के पत्र में बताए गए विषय के सबध में कोई टिप्पणी या आदेश नहीं है।

३ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने मिस्टर बर्ड ने शुभाशयपूर्वक आवास कर के सुधारों की सूचना देना स्थगित रखने के लिए जो कदम सूचित किया था उसके प्रति पूर्ण सतोष व्यक्त किया है। इस विषय में उन्हें उनके सदाशय और निर्मल भास्तु सबधी तनिक भी व्यथा पहुंचाने का इरादा न है और न था। यद्यपि इस सबध में सरकार की जो भावना है उस सबध में अधिक कुछ कहने अथवा स्पष्ट करने की आवश्यकता लगती नहीं है।

काउन्सिल फक्त

आपका आशाकारी

मार्च ६ १८९९

जी डॉल्स्वेल

१ क २५ मकान कर लागू करने के विषय में समाहर्ता की रिपोर्ट

२८-१२-१८९९

(सारांश)

प्रारम्भ में मैंने मेरे अधिकारियों को सभी मालिक तथा किसानों जिनके मकान का निर्धारण हो चुका है उसकी विस्तृत जानकारी लाने के लिए कहा। इसके लिए एक नोट ऐजा जिसमें प्रत्येक मकान के किराए की दर और निश्चित की गई कर की राशि की जानकारी का भवक तैयार करने के लिए कहा। साथ ही एक घोषणा करवाई कि यदि किसी व्यक्ति को किराए की दर अथवा उसमें दर्शाए गए कर के सबध में कोई विरोध है तो उसकी जानकारी दी जाए। ऐसा भी विवार किया गया कि उनसे जरूरी पूछताछ कर उसका हल निकालने का प्रयास किया जाए। घोषणा में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए और उसके निवारण के लिए नगर में सप्ताह कम एक दिन निश्चित करके बताया गया। किसी भी मकान मालिक अथवा किसान द्वारा ने इसकी ओर न तो कोई ध्यान दिया अथवा न तो किसी ने कोई आवेदन किया या विरोध किया। अधिकाश लोग यिठे हुए थे और चुप रहे और उन्होंने निर्धारिकों को अपना काम करने दिया। हाँ किन्तु ये कर सबधी जरूरी किसी भी प्रस्तुत का उत्तर देना टॉलरे रहे। वे इस नियम से खुश नहीं थे यह दर्शाने के लिए ऐसा करते थे। उनकी धारणा थी कि निर्धारिक और कार्यकारी अधिकारी सम्पर्क आदि सब देखकर समझकर करनिर्धारण करेंगे। सीधा विरोध नहीं कर सके तो सहमत भी नहीं सगे। हाँ कुछ टैटा फिसाद करनेवाले लोग कर अधिकारियों का विरोध करते रहे किन्तु अधिकारियों के

विनप्र व्यवहार और जिसे मैंने इस काम का दायित्व दिया था उस मुहम्मद तकी खान की चेतावनी और समझाने से झगड़ा या दगल होना रोका जा सका और बिना पुलिस की किसी सहायता या दखल के सब कुछ सरलता से सम्पन्न हुआ।

यद्यपि नगर के कुछ रिहायशी इलाकों में कुछ अपवाद रूप घटना तो ऐसी घटी कि सरकार के कुछ कर्मचारी और बाद में अन्य किसी प्रकार से सरकार से सम्बन्धित अथवा तो स्वेच्छा से ही निहा दशने के इष्टुक कुछ लोग अपने मकानों की जानकारी का तैयार किया गया भत्रक और फिराए की जानकारी कर निर्धारण के लिए प्रस्तुत करते हुए दिखाई दिए।

इस प्रकार विनियम द्वारा मुकित दी गई है अथवा अन्यथा मुकित प्राप्त है उनको छोड़ सभी मकानों की पूर्ण जानकारी तैयार की गई है यद्यपि उसमें ऐसी बहुत सी झमारतें भी हैं जिनका करनिर्धारण या वसूली करना या नहीं करना इस विषय में सन्देह हो सकता है।

अब वर्तमान स्थिति देखकर लगता है कि कर वसूल करने के सब्द में हमें अधिक जानकारी की आवश्यकता पड़ती। मैंने कार्यवाही की उस समय जो समस्याएँ आई थीं उनके रहते सरकार यह सागू कर सकेनी इस विषय में मुझे सदेह है। सरकार को कस्यावित् लाभ होगा तो भी वह नहीं के बराबर और लगभग ५ लाख लोगों का विरोध - जिसे दबाना अत्यन्त दुष्कर है - देख कर इस सदर्भ में मेरा कुछ अलग अभिप्राय देना अपरिहार्य ही है कि (कर) निर्धारण अथवा निरस्ती की जानकारी एक और तो लोग आभारवश हो कर स्वीकार करेंगे सब निर्धारण की प्रक्रिया ऐसे सभी स्थानों पर भी जारी रखी जाए जहाँ आदेश प्राप्त होते ही कोई विरोध अथवा हो-इल्ला नहीं होगा। उसके बारे में नीति विषयक निर्णय करना होगा। अभी तो ऐसा कोई विरोध नहीं है किन्तु मैं अथवा मेरी धारणा के अनुसार न्यायाधीश भी कहने की स्थिति में नहीं है कि कर वास्तव में लागू किया जाएगा तब भी ऐसी ही स्थिति रहेगी अथवा नहीं। निर्धारण प्रक्रिया के समय मैंने उन लोगों की मूक नारजगी का अनुभव किया है उसे देखते हुए कह सकता हूँ कि निर्धारण होने तक शात रहना उन्होंने निश्चित ही कर लिया था किन्तु इस समय आपसे मैं विवश होकर अनुरोध करता हूँ कि कर वसूली बिना पर्याप्त सैन्य दलों की उपस्थिति ये न करें। अभी जितना सैन्य दल है वह फर्जी नहीं है।

ख पटना की घटनाएँ

१ ख १ पटना के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

महोदय

पटना शहर के निवासियों में कुछ लोगों की ओर से विनियम १५ १८९० के प्रावधान के अनुसार जो मकान कर लागू किया जानेवाला है उससे मुकित प्राप्त करने के बारे में मुझे प्राप्त १२ आवेदन पत्र को भेज रहा हूँ, जिसे आप मान्यवर मर्कर जनरल इन कार्डिनल को विवार तथा उचित आदेश हेतु अग्रेषित करें यही निवेदन है।

पटना

२ जनवरी १८९१

आपका आङ्ग्रेजी
आर. आर. गार्डनर
कार्यवाहक न्यायाधीश

१ ख २ पटना के कार्यवाहक न्यायाधीश को सरकार को पत्र

२-१-१८९१

महोदय

मुझे गवर्नर जनरल इन कार्डिनल ने गत दिनांक २ के आपके पत्र की स्तीढ़ि देने की सूचना दी है जिसके साथ विनियम १५ १८९० के अनुसार मकान कर लागू होने के बारे में पटना के निवासियों की ओर से आपको प्राप्त और आप के द्वारा अग्रेषित आवेदन भी मिले हैं।

२ गवर्नर जनरल इन कार्डिनल ने हाल में ही बनारस के निवासियों की ओर से इसी विषय पर प्राप्त आवेदन पर बहुत ही विचारपूर्वक निर्णय दिया है। इसलिए आपको भी सूचित किया जाता है कि विनियम १५ १८९० की व्यवस्था वापस लेना उचित नहीं है। सम्बन्धित प्रान्तों को शहर में इस व्यवस्थाको लागू करने के आदेश भी भेजे जा चुके हैं। इस आधार पर मान्यवर कार्डिनल का कहना है कि आप तथा समाजों मिलकर अपने नगर की इस प्रकार की जानकारी एकत्रित कर शीघ्र ही तैयार रखें। इस विनियम की व्यवस्था वर्णों और किस प्रकार अधिक किस समय लोगों को देता दी जाए वह सब आप की विवेकानुद्धि पर छोड़ना चाहित लगता है। यद्यपि आपके मार्गदर्शन के लिए मुझे यह बताने की भी सूचना है कि इस प्रक्रिया को प्रारम्भ करते

समय लोगों में रोष पैदा हो ऐसा कुछ न होने दें सर्यम और समझदारी से काम लें ताकि लोग भझक कर एकत्रित अथवा सागरित होकर पटना में इस कर को लागू करने में अवरोध पैदा न करें या विरोध न करें।

बनारस में जब मत्रणा हुई और उनके विचार के प्रति असहमति और विरोध व्यक्त हुआ तब स्थानिक सभी वगों के साथ सौम्यतापूर्वक व्यवहार करते हुए इस व्यक्स्था के प्रति आवेदन देने का प्रावधान होने की सात्वना देकर स्थिति से निपटा गया था।

३ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को विश्वास है कि उपरोक्त आदेश और आपकी विवेकमुद्दि पत्र में उल्लिखित इस विनियम को लागू करने के लिये पर्याप्त रहेगा। अत अब समवत अन्य कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं रहेगी अथवा सरकारी अधिकारियों को अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी कोई गैरकानूनी अथवा उपद्रवकारी समा अथवा अन्य किसी यद्यन्त्र के परिणाम स्वरूप कोई विरोध की घटना घटती है (बनारस में बहुत घटती है) तो मान्यवर आहो है कि ऐसी स्थिति की जानकारी तुस्त यहा भेजी जाए। साथ ही ऐसी स्थिति में आपको दिये गये अधिकार के तहत बहुत ही सोध कियार कर समझदारी और सावधानी पूर्वक आवश्यकता के अनुरूप उपाय करें। सार्वजनिक शाति बनाए रखें।

काउन्सिल कक्ष

८ जनवरी १८९१

आपका आङ्गाकारी
सरकार का सधिय
न्यायसत्र विभाग

ग सरन की घटनाएँ

१ ग १ सरन के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

१ १ १८९९

महोदय

आपको मेरा अनुरोध है कि आप मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल के बताएँ कि मकान कर के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अहवाल यह है कि इसे लेकर लोगों में बहुत नाराज़गी है। यहाँ के लोग क्रोधित हो चठे हैं और उन्होंने मुझे आवेदन दिया है जिसे अनुबाद सहित भेज रहा हूँ।

२ जब समाहर्ता ने निर्धारण कर्मधारियों को भेजा तब इतनी भयानक स्कॉटमय स्थिति उत्पन्न हो गई कि हमें सचेत हो जाना पड़ा और मेरे लिये सम्भव था वह सब करने के बाद भी सभी दुकानें बद करा दी गईं। कुछ गमीर घटना घटने के सकेत प्राप्त होने लगे।

३ यहाँ सैन्य बल नहीं है। अत ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारी को जोपा न देनेवाला या अपमानजनक कुछ भी नहीं कर सकता था। अतत मुझे समाहर्ता को कहना पड़ा कि सरकार की ओर से मुझे आदेश प्राप्त नहीं होता तब तक निर्धारण का कार्य रोक दें।

४ मैं मानता हूँ कि इस स्थिति में मेरी समझ और विवेक के अनुसार मैंने जो किया है वह आपको मान्य होगा।

आपका आङ्गाकारी

एव छमलास

कार्यवाहक न्यायाधीश

सरन जिला

८ जनवरी १८९९

१ ग २ कार्यवाहक न्यायाधीश सरन को सरकार का पत्र

१८-१-१८९९

महोदय

मुझे मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने आपका गत दिनांक १ का पत्र तथा साथ ही सरन के निवासियों के मकान कर विषयक आपको दिये गये आवेदन की स्तीव देने की सूचना मिली है।

२ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को अब ऐसा लगता है कि विनियम १५ १८९० के प्रावधानों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सरन के निवासियों के मन में ऐसी आशा किंवित् भी न जगने दें कि निषित किये गये कर में कोई छूट या भुक्ति मिल पायेगी। यद्यपि प्रावधान किया गया है कि गरीब और भिक्षुक अथवा पुजारी आदि लोगों को मुक्ति दी जाएगी। मुझे आपको इस विषय में बोर्ड ऑफ़ ऐवन्यू को लिखे पत्र की प्रतिलिपि भेजने की भी सूचना है जो आपने समाहर्ता को देना है ताकि कर निर्धारण के विषय में उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

३ गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को नहीं लगता है कि विशेष रूप से यदि उपरि निर्दिष्ट पद्धति से कर लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो सरन के लोग उसका खुला विरोध करेंगे। साथ ही मान्यवर यह भी धाहतें हैं कि यदि लोग सरकार की सचा को चुनौती देते हैं अथवा विरोध दर्शाते हैं या अन्य कोई गैरकानूनी अर्थहीन गतिविधि में उलझते हैं तो समझदारी एवं धैर्य से उन्हें समझाने का प्रयास अवश्य करें फिर भी वास्तव में ऐसी स्थिति का निर्माण होता है (अथवा सेना को बुलानी पड़ती है) तो आवश्यकतानुसार दीनापुर से सैन्य सहायता प्राप्त करें ताकि स्थानीय अधिकारियों को विनियम के अनुसार अपनी कार्यवाही निभाने में सहायता प्राप्त हो।

आपका आज्ञाकर्ता

जी डोहस्येल
सरकार के सचिव

काउन्सिल कक्ष

१८ जनवरी १८९१

घ मुशिदावाद की घटनाएँ

१ घ १ मुशिदावाद के कार्यवाहक न्यायाधीश का सरकार को पत्र

२५-२-१८९९

जी सोहस्येल
सरकार के सचिव
न्यायतंत्र विभाग
फोर्ट विलियम
महोदय

मान्यवर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को सूचना देना मेरा कर्तव्य है कि हाल ही में नियम बनाकर मकान कर वसूल करने के प्रावधान के तहत वसूली कर्यवाही का प्रारम्भ करते ही नगर में भारी असतोष फैल गया है। शहर में स्थिति बिगड़ने के आसार हैं जो चिन्ता का विषय है।

एकत्रित लोगों में अग्रणी व्यापारी इस कर का विरोध करने के स्थान पर अपने घर और दूकान से निकल कर मेरे पास आए थे। उनमें से कुछ लोगों ने योजना के अनुसार किया भी परन्तु मुझे सूची है कि मैं उन्हें अपने अपने स्थान पर वापस लौटने के लिए समझा सका हूँ।

इसके बाद इस विषय पर मुझे प्राप्त आवेदन मैं आपको भेज रहा हूँ। उनमें एक परियन मैं है अत उसका अनुवाद भी भेज रहा हूँ। ये मुझे गत दिनाक २१ को मिले। ये आवेदन नगरवासियों की भावना का आभास देनेवाले हैं। कगाली में लिखे आवेदन पर जीनाज और उसके आसपास के लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। उनमें लिखी विषयवस्तु एक ही प्रकार की होने के कारण अनुवाद नहीं भेजा है।

अधानक ही शहर में अनाज के भाव बढ़ जाने से आरम्भ लगा किन्तु तत्फल कोई कारण नहीं मिला। अत कारण जानने के लिए मैंने अग्रणी महाजनों को बुलाया। उनका कहना था कि टाउन ब्यूटी और मकान कर की समावना के कारण शहर में अनाज के आने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही उन्होंने परियन में लिखा आवेदन आप तक पहुँचाने की प्रार्थना की।

इस आवेदन में प्रयुक्त शब्द उचित नहीं लगे इस लिये मैंने भेजना उचित मर्ही समझा। मैंने उन्हें बताया कि टाउनब्यूटी सो पिछले आठ महीनों से लगू है और

भकान कर जो अभी लागू नहीं हुआ है उसे अनाज के भाव वृद्धि का कारण नहीं बनाया जा सकता। इस विषय में मुझे अनेकों शिकायतें मिली थीं अतः मेरे अधिकार के अनुसार और समाहर्ता और कस्टम तथा महसूल विभाग को साथ रख कर आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर्त्तवा ऐसा उन लोगों को बताया है।

आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा बुला लेने का अनुरोध कर उन्होंने दिया ली। इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाएँ इस की चर्चा वे मुझसे करना चाहते थे। कल अहीं सच्चाय में लोगोंने मेरे पास आकर विगत दिन परिधिन भाषा में दिया हुआ आवेदन बाली भाषा में दिया। वे चाहते थे कि मैं उसे शीघ्र ही आप के पास भेज दू। उनकी नार छोड़कर जानेकी तैयारी मैंने देखी इसलिये आवेदन की भाषा आपत्तिजनक होने पर भी उसे मैं आपके पास भेजना मेरा कर्तव्य समझता हूँ। मेरे इस अनुकूल ध्यवहार के बदले में वे जो मैदान में और खेतों में आ गये थे वहाँ से अपने अपने घरों में जाना उन्होंने मान्य किया और अनाज के भाव कम करने के लिये सहमत हुए।

मुझे लगता है कि भकान कर के कारण जो असतोष पैला है वह खूब गहरा और ध्यापक है और प्रत्येक वर्ग के लोगों में फैला हुआ लगता है। यह असतोष रोष की ज्वाला बन जाए उससे पूर्व आपकी ओर से पर्याप्त मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

आपका आज्ञाकारी

आर. दर्नर

कार्यवाहक न्यायाधीश

मुर्शिदाबाद

२५ फरवरी १८९१

१ घ १ (अ) मुर्शिदाबाद शहर के निवासियों का आवेदन

६-

२९-२-१८९१

(सारांश)

ईश्वर थीं कृष्ण से एक अग्रेज सज्जन जानता है कि दुनिया के किसी भी राजा ने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया नहीं है। (क्योंकि) सर्वशिवितमान अपने सूजनों को यातना से बचाता रहता है विगत कुछ वर्षों में हमारे दुर्भाग्य से हम पर आक्रमण और अत्याचार हो रहे हैं। एक तो सतत महामारी के कारण शहर के लोग मर रहे हैं और सभवत आधे लोग ही बचे हैं। दूसरा टाउनहूटी और कस्टम के कर इतने अधिक हैं कि सौ रुपए कीमत की सम्पत्ति दो सौ रुपए के भाव से खरीदनी पड़ती है। फर क्या दर दुगुना और सभवत चार गुना हो गया है और यदि कोई अपनी सम्पत्ति शहर से दूर आसपास के प्रदेश में ले जाना चाहे तो उस पर और कर छुकाए दिना नहीं ले

रोकने का अवसर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि परिणाम विपरीत होगा। मेरे विचार में न्यायाधीश को यह विनियम लागू होने देना चाहिए था। मेरे अभिप्राय की प्रतीक्षा कर कानून न माननेवालों के लिए निर्धारित दण्ड देना शुल किया जाए या नहीं उसका विचार और उसके परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। ऐसा करने के बजाय क्यों कि कुछ उच्चरूप लोग इकट्ठे हो गये हैं इसलिये प्रथम चरण में ही इसके विरुद्ध कार्यवाही करना सरकार की सचिव के मूल में आघात करने के समान है। और उनके पत्र में जो सिद्धान्त प्रस्तुत किया है उसका अनुसरण अन्य न्यायाधीश भी करेंगे तो मुझे पूछें दें कि कौन से जिले में कब कर वसूली शुल होगी।

जिला भागलपुर
समाहर्ता की कधहरी
२ अक्टूबर १८११

आपका आशाकारी
एक हैमिल्टन
समाहर्ता

१ च २ न्यायाधीश का समाहर्ता भागलपुर को पत्र

२-१० १८११

समाहर्ता भागलपुर

महोदय

आपको इसके साथ भक्षन कर वसूल करने की प्रक्रिया का विवरण पत्र भेज रहा हूँ जिसे मेरे मतानुसार कुछ दिन के लिए स्थगित करने की जरूरत है।

नगर के सभी लोग दूकान आदि बद कर हल्ला भवाते हुए एकमत्रित हुए। लोगों ने मुझे बताया कि मुरीदाबाद और आसपास के अन्य जिलों में ऐसा कर अभी वसूला नहीं है किन्तु जैसे ही यह निश्चित हो जाएगा कि मुरीदाबाद और आसपास के जिलों में वसूली शुरू हो गई है वे लोग भी कर भरने को तैयार हैं।

इसलिए नगर में शाति बनी रहे उस हेतु से इसके साथ का ऑर्डर मेरी जवाबदेही के साथ आपको भेज रहा हूँ।

जिला भागलपुर फौजदारी अदालत
२ अक्टूबर १८११

आपका आशाकारी
जे सेनफर्ड

१ च ३ न्यायाधीश भागलपुर का सरकार को पत्र

३-१०-१८९९

जी डेस्ट्रेल

सरकार के सचिव

न्यायित्र विभाग फोर्ट विलियम

महोदय

कल मकान कर वसूली के विषय की प्रक्रिया के सबध में समाहर्ता को मैंने जो पत्र भेजा है उसकी प्रतिलिपि आपको भेजना आवश्यक समझता हूँ। यद्यपि ऐसा करने का मेरा अधिकार है पिछे भी ऐसा करने के पीछे जो उद्देश्य रहा है यह आपकी जानकारी और विचार के लिए रखना चाहता हूँ। आशा है इसके लिए सरकार मेरी निंदा तो नहीं ही करेगी।

२ परसों जब मैं भागलपुर शहर में निकला तब मैंने देखा कि सभी टूकानें बन्द थीं और हजारों की सख्त्या में लोग इकट्ठा होकर हो हल्ला भग्ना रहे थे गलियों में घूम कर उचित करने की मांग कर रहे थे। मैंने पूछा तब पता चला कि वे समाहर्ता के अधिकारियों द्वारा मकान कर वसूलने के कारण ऐसा घटनाकाल बन रहे थे।

३ अतत कल सुबह मैंने कई अग्रणियों को बुलाकर उन्हें समझाया कि उनका यह घटनाकाल था और सरकार के आदेशों का इस प्रकार विरोध करना कितना निरर्थक था। उन लोगों ने एक आवाज में बताया कि सब घरबार और शहर छोड़ देंगे। किन्तु जिस के विषय में ये कुछ भी नहीं समझते हैं ऐसा कर स्वैच्छिक रूप से नहीं भरेंगे। उनके मतानुसार इस जिलेमें (जो इस डिवीजन का सबसे छोटा जिला है) जब तक मुरिदाबाद और आसपास के जिलों में वसूली शुरू न हो तब तक कर वसूला जाना तो भारी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उससे विशेषाधिकार छिनता हुआ ही लोगों यद्यपि मुरिदाबाद जिले में कर वसूली शुरू होते ही वे कर भरने के लिए तैयार होंगे।

इस स्थिति में जेल के कैदी भी लगभग दो दिन से अन्न खाया कर रहे हैं। इससे मुझे लगा कि मैंने जो कदम उठाया वह उठाना जरूरी था। उसके विकल्प में कल का प्रयोग समवत् स्थिति को अधिक बिगाढ़ देता। मैं किर एक बार आशा घटत करता हूँ कि मेरा यह कदम (आपको) निंदा या आलोचना के योग्य नहीं लगेगा।

जिला भागलपुर
फौजदारी अदालत

आपका आज्ञाकारी
जे सेनफर्ड न्यायाधीश
३ अक्टूबर १८९९

१ च ४ बोर्ड ऑफ रेवन्यू को सरकार का पत्र

११-१० १८११

टिप्पणी न्यायत्र विभाग की आज की भागलपुर की मकान कर सबधी कार्यवाही का पठन किया जाए। सचिव को गत दिनाक ११ के दिन निम्नानुसार पत्र लिखने की सूचना मिली है।

बोर्ड ऑफ रेवन्यू

श्रीमान्

मुझे मान्यवर हिंज एक्सलेन्सी वाइस प्रेसिडेन्ट इन कारन्सिल ने आपके पत्र दिनाक ४ के पत्र की रसीद देने की सूचना दी और भागलपुर के न्यायाधीश की ओर से मकान कर विषयक पत्र की प्रतिलिपि आप सब की जानकारी के लिए भेजने की सूचना मिली है।

आपका आङ्गाकारी

जी डोस्ट्वेल

सरकार के सचिव

महसूल विभाग

फोर्ट विलियम

११ अक्टूबर १८११

१ च ५ न्यायाधीश भागलपुर को सरकार का पत्र

११-१० १८११

न्यायाधीश भागलपुर

मुझे आपका गत दिनाक ३ का पत्र तथा उससे सलमन पत्रों की रसीद देने की सूचना मिली है तथा हिंज एक्स एन्ड वाइस प्रेसिडेन्ट इन कारन्सिल मकान कर वसुल करने के विषय पर आपने समाहर्ता को जो आदेश दिया उसे सर्वथा अमान्य करते हैं। मान्यवर को इस से भी अधिक आश्वर्य हस बात का हुआ कि कहीं भी कोई हो हल्ला हो या सरकारी अधिकारी का कोई विरोध हो इसके बारे में सरकार ने जो कोई अनुदेश अथवा व्यवस्था दी है वह बनारस पटना और अन्य दूसरे न्यायाधीशों को दी गई व्यवस्था जैसी ही है (अलग कैसे हो सकती है ?) आप यह जानते ही होंगे (तो) फिर आपने उसकी निहित भावना से विपरीत कैसे सोचा ? सरकार को यह कदम सर्वथा अविकेक्ष्यूण लगता है। इससे तो भागलपुर मुर्खिदाबाद और पटना के लोगों में उत्तेजना बढ़ जाएगी।

२ इसलिए मान्यवर वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल की इच्छा है कि यह पत्र मिलते ही आप समाहर्ता को लिखित रूप में भेजा हुआ आदेश सदको जानकारी हो जाए इस प्रकार वापस खींच लें।

३ मान्यवर ऐसा भी चाहते हैं कि मकान कर वसूल करने से संबंधित समाहर्ता को अधिकार दिये गए हैं उसके अनुरूप दायित्व निभाने में आप उनकी सम्पूर्ण सहायता करें और समर्थन देते रहें।

काउन्सिल कक्ष

आपका आज्ञाकारी

११ अक्टूबर १८९९

जी डोहस्वेल

सरकार के सचिव

प्रति रखाना रेवन्यू बोर्ड को उनके इस ८ अप्रैल के रेवन्यू कार्यवाही के सदर्श के उत्तर में उनकी जानकारी के लिए।

१ च ६ समाहर्ता भागलपुर का सरकार को पत्र

२१-१०-१८९९

सोमवार रात्रि में

समय १० ३०

जी. डोहस्वेल

सरकार के सचिव

फोर्ट विलियम

मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यन्त दुख हो रहा है कि मकान कर वसूल करने की कार्यवाही हाथ में लेने पर कल शाम मुझ पर भारी हमला हुआ। इट पत्थर और फेंकी जा सकने वाली सभी वस्तुएँ मेरे (सिर) ऊपर फेंकी गईं।

२ मुझे मुह और सिर पर घाव लगे हैं और यदि मैं मि म्लास के मकान में भग नहीं गया होता तो मुझे बद्धनेवाला कोई भी नहीं था।

मुझे लगता है मैंने तो मेरा कर्तव्य ही निभाया है और निभाता ही रहूँगा। किन्तु (अब) अन्य किसी प्रकार से मेरी जिन्दगी बलि घढ जाएगी।

आपको बताना जरूरी है कि आज २ बजे मैंने न्यायाधीश को सरकारी बकील के माध्यम से जानकारी दी कि कुछ लोग (जिनके नाम आवेदन में दिए हुए हैं) मकान कर धुकाने अथवा उनकी सम्पत्ति जप्त करने देने से इन्कार कर रहे हैं। यद्यपि कुछ इसके लिए तैयार हुए किन्तु ऐसे लोगों को जबर्दस्ती भी काबू में रखना जरूरी था। मेरा आवेदन जो मैंने किसी घटना अथवा उपद्रव रोकने के उद्देश्य से किया था उस पर ध्यान देने के स्थान पर उन्होंने मुझे सायकाल ५ बजे मौखिक उत्तर दे दिया कि

वे दूसरे दिन जाव कराएंगे। आज शाम को ही गङ्गाड़ हो गई। यद्यपि इसमें कुछ भी नया नहीं था पिछले तीन घार दिन से लोगों की भीड़ वही उमड़ आती है और शराब या मिठाई लेकर शोरशराया करती है। क्या उन्हें रोकने के लिए कोई कदम महीने उठाया जाना चाहिये ? आश्वर्य तो तब हुआ जब सामान्य रूप से इन स्थानों पर पुलिस कर्मचारी चक्कर लगाते हैं किन्तु घटना की उस शाम कोई आया नहीं। मैं गम्भीर रूप से घायल हूँ। सभव होगा तो मैं सम्पूर्ण जानकारी कल भेज दूँगा। मैं एक महस्वपूर्ण बात बताना भूल गया कि उस शाम मेरे कैरेज में लेफ्ट न्यूजन्ट मेरे साथ ही थे।

आपका आङ्ग्रेजी
एक हेमिल्टन समाहर्ता

२१ अक्टूबर १८९९

यह पत्र मिलेगा तब न्यूजन्ट कोलकत्ता में ही होंगे।

१ अ ४ समाहर्ता भागलपुर का सरकार को पत्र

२२-१० १८९९

जी डोस्ट्यूल
सरकार के सचिव
फोर्ट विलियम

द्रुतगामी

महोदय

मैंने कल रात आपको द्रुतगामी पत्र लिखा है। यह मैं आपको नाव में भेज रहा हूँ ताकि आपको शीघ्र भिल जाए क्योंकि यहाँ जो गङ्गाड़ी उत्पन्न हुई है वह अब गम्भीर रूप घारण कर रही है। अभी तक भीड़ बिखरी नहीं है।

आपका आङ्ग्रेजी
एक हेमिल्टन समाहर्ता

२२ अक्टूबर १८९९

१ च ८ समाहर्ता भागलपुर का सरकार को पत्र

जी डोहस्टेल

२३-१०-१८९९

सरकार के सचिव

फोर्ट विलियम

महोदय

मैंने आपको परस्ती रात एक एक्सप्रेस पत्र लिखा है जिसकी प्रतिलिपि नाव से भेजी है। उसमें मकान कर के विरोध में और विशेष रूप से मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में लिखा था। मैं जब यह पत्र नाव में भेज रहा था तब न्यायाधीश शाहजगी में सेना के साथ भीड़ के सामने थे। कल रात न्यायाधीश निवृत्त हुए और कमान्डिंग ऑफिसर उनकी पलटन के साथ वापस लौट गए। यद्यपि उसका अधिक कुछ असर नहीं हुआ फिर भी मैंने कल न्यायाधीश को तत्काल लिखने (न १) का प्रयास किया जिसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। सभवत इसलिए कि वे सेना के साथ भीड़ जिस दिशा में गई होमी उस तरफ गए हों। मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। इसलिए मैंने आज सुबह फिर से लिखने (न २) का विचार किया। उसका मुझे जवाब (न ३) मिला और साथ ही पर्शियन में लिखे (४ ५ ६) सलमन पत्र भी मिले। इस समय में मेरा जवाब (७ अ इ) जोड़ रहा हूँ। न्यायाधीश के पत्र (न ३) की विषयकस्तु, उसकी जो घोषणा अभी अभी मिली है उससे भिन्न ही है। उसमें वे स्पष्ट कहते हैं कि अब वे विनियम को लागू करने का जो अधिकार रखते हैं उसका कल से प्रयोग नहीं करेंगे। अत यह ठीक हो जाएगा। इस स्थिति में मुझे सरकार के आदेश को लागू करने के लिए कथा करना कथा नहीं करना इस समय में यद्युत दुविधा का अनुभव हो रहा है। इस स्थिति में मैं मेरी ओर से कोई कूट या ढील नहीं दूगा जिससे प्रकर्त्तामान परिस्थिति को बढ़ावा मिले किन्तु इस समय मुझे न्यायाधीश की ओर से जिस प्रकार के समर्थन और सहायता की आवश्यकता है उस सदर्म में मैं हताश हूँ। अत सरकार की ओर से कोई निर्णयात्मक आदेश मिले इसकी अत्यधिक आवश्यकता लगती है।

समाहर्ता ऑफिस

आपका आङ्गाकारी

जिला भागलपुर

एक हेमिस्टन समाहर्ता

२३ अक्टूबर १८९९

एक्सप्रेस

१ च ८ (अ) भागलपुर के समाहर्ता का न्यायाधीश को पत्र

२३-१० १८११

जे सेनफर्ड एस्क
न्यायाधीश भागलपुर
महोदय

गत दिनांक के पत्र के सदर्भ में मैं आपको यह बताने की प्रार्थना कर रहा हूँ कि विनियम १५ १८१० सबधी मकान कर वसूल करने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाने का विधार किया है।

मैंने मेरे प्रस्ताव में यह कर भरने की मनाही कर्त्तवालों के नाम दर्शाए हैं। अत विनियम १५ १८१० के खण्ड १२ की धारा २ अनुसार शेष कर वसूल करने के लिए पुलिस बल की सहायता की जा सकती है। आज जब हो हल्ला मचाते लोग एकत्रित नहीं हुए तब मेरे मतानुसार यह विनियम लागू करने के लिये उचित घटावरण है। अतः बाकीदारों की सम्पत्ति जद्दी में लेने का कदम उठाने में आप यथा सहायता कर सकते हैं यह शाम तक मुझे बताए।

भागलपुर - समाहर्ता ऑफिस

आपका आश्नाकारी

२३ अक्टूबर १८११

आर. हेमिल्टन समाहर्ता

मैंने तहसीलदार और नायद समाहर्ता को आपके पास भेजा है जिनके साथ आपके पुलिस अधिकारी जा सकेंगे।

(साके बारह बजे)

एफ हेमिल्टन

१ च ८ (आ) न्यायाधीश भागलपुर को समाहर्ता का पत्र

जे सेनफर्ड एस्क

२३ १०-१८११

जिला न्यायाधीश भागलपुर

महोदय

आज प्रातः के मेरे पत्र का लिखित उत्तर देने की आपसे प्रार्थना करने की अनुमति चाहता हूँ, जो मुझे व्यक्तिगत फेरशानी हुई इस सबध में थी। इस बारे में दोषियों को बदी बनाने के लिए सरकारी वकील ने कार्यवाही शुरू की है।

आपका आश्नाकारी

जिला भागलपुर
समाहर्ता ऑफिस

एफ हेमिल्टन
समाहर्ता

१ च ८ (इ) समाहर्ता भागलपुर को न्यायाधीश का पत्र

२३-१०-१८११

सर एक हेमिल्टन

समाहर्ता भागलपुर

महोदय

आपको पता ही होगा कि अभी मेरा समग्र ध्यान शाति बनाए रखने पर केन्द्रित है। पूर्वोक्त विनियम लागू करने के बारे में मेरे मतानुसार मुझे कोई ठोस विवार मिल जाएगा तो तुरन्त ही आपको बताऊँगा।

इस बीघ मेरे नज़ीर की रिपोर्ट तथा उस पर मेरे आदेश की प्रतिलिपि तथा इस समय जो विज्ञप्ति देनी है उसकी भी प्रतिलिपि भेज रहा हूँ। कल जो अधि सूचना निकली है उसकी प्रतिलिपि आपके पास है ही।

आपको बताने की अनुमति चाहता हूँ कि विनियम ७ १९८८ की धारा १० और ११ लागू करना सेना की मदद के बिना केवल मेरे पुलिस कर्मचारियों का काम नहीं। इसलिए पर्याप्त सेना की टुकड़ी आएं और मुझे मुक्त रूप से काम करने देने की स्थिति बने तब तक मुझे लगता है कि बल प्रयोग करना टालना चाहिए। इस सदर्म में मैं आपको उचित समय पर बता दूँगा।

भागलपुर

आपका आज्ञाकारी

२३ अक्टूबर १८११

जे सेनफर्ड न्यायाधीश

१ च ८ (ई) न्यायाधीश भागलपुर को समाहर्ता का पत्र

२३-१०-१८११

जे सेनफर्ड

विला भविस्ट्रॉट भागलपुर

महोदय

मुझे अभी ही आपका आज का पत्र मिला।

२ यदि सेना की सहायता की आवश्यकता होती तो मुझे लगता है कि आप यह विनियम लागू करने के लिए सीधा ही कदम उठाते क्योंकि उस समय सेना की टुकड़ी वहीं पर थी। मेरे मतानुसार तो लगता है कि बाकीदारों पर जप्ती लाने के लिए इससे अधिक अच्छा अवसर नहीं हो सकता। क्यों कि लोग भी बहुत कम हो गए थे

और अधिकारियों के समर्थन में प्रभावक प्रयास हुआ होता तो भीड़ द्वारा हो हल्ला या मारकाट होने की समावना नहीं के बराबर थी। मैं आपके पत्र की प्रतिलिपि अविलम्ब प्रेसीडेन्ट को भेज देने का विचार कर रहा हूँ।

समाहर्ता ऑफिस

२३ अक्टूबर १८९१

आपका आग्राकरी

एक हेमिल्टन समाहर्ता

१ च १ भागलपुर के समाहर्ता का सरकार को पत्र

२३ १०-१८९१

जी डोस्ट्रेल

सरकार के सचिव

फोर्ट विलियम

महोदय

मैंने आज ८ बजे आपको पत्र भेजा। बाद में तुरन्त ही न्यायाधीश को बताएँ सैन्य बल मेजर लिट्टल जहौन के संरक्षण में सेना साधु के मकान पर पहुँची जो दोषी है और वही आज की स्थिति भड़काने वाला भी है। उसके पास से मकान कर के रूपमें ली जाने वाली शाशि लेने पहुँचा। न्यायाधीश के मतानुसार केवल पुलिस बल से ही यह विनियम लागू करना समव नहीं था।

२ विनियम १५ १८९० के खण्ड १२ की धारा २ तथा विनियम ७ १७८८ की धारा १० के अनुलम सेना को साधु के मकान का बाहर का दरवाजा मलपूर्वक छोलना पड़ा जिससे उसकी सम्पत्ति जम्हर की जा सके। इसके बाद उसका बैलेन्स का पत्रक बनाया गया और फिर हम वहाँ से वापस लौटे।

३ न्यायाधीश को घर में अनेक हथियार मिले जिसके आधार पर सरकार को उसे जम्हर करने के लिए कहा जा सकता है।

आपका आग्राकरी

एक हेमिल्टन

समाहर्ता

जिला भागलपुर

समाहर्ता ऑफिस

रात्रि ८ बजे

२३ अक्टूबर १८९१

१ च १० समाहर्ता भागलपुर का सरकार को पत्र

२४-१०-१८९९

जी डोहस्टेल एस्क

सरकार के सचिव

महोदय

कल रात का मेरा एक्सप्रेस पत्र (आपको सेना की सहायता से कर वसूली की जानकारी देनेवाला) था। यह आदमी भागलपुर का घनाघ्य व्यक्ति और नेता था। आगे समाचार यह है कि भागलपुर के अनेक अन्य लोग भी कर भरना टाल रहे थे। इसलिए मैंने न्यायाधीश और सेना की सहायता दुकड़ी को काम पूरा करने के लिए कहा और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम अभी आधे तक ही पहुँचे थे कि सूदना मिली कि पूरी राशि किसी भी प्रकार के विरोध या अवरोध के बिना अग्रणियों ने भर दी थी। शेष लोग विशेष रूप से निचले वर्ग के लोग तो अनुमान से भी जल्दी से पैसा भर रहे थे। वे तो सुबह से ही पैसा भरने के लिए आ जाते हैं। यह बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि सभी दूकानें खुल गई हैं और अब भीढ़ जमा नहीं हो रही है। इस प्रकार कल रात के परिवर्तन से समग्र स्थिति बदल गई है।

भागलपुर

रात्रि ८-००

२४ अक्टूबर १८९९

आपका आशाकारी

एफ हैमिल्टन

समाहर्ता

१ च ११ न्यायाधीश भागलपुर का सरकार को पत्र

२४-१०-१८९९

जी डोहस्टेल एस्क

सरकार के सचिव न्यायित्र विभाग

फोर्ट विलियम

महोदय

आपको मैंने दिनांक २२ रात्रि को देर में एक्सप्रेस पत्र लिखा वह दिनभर की री भागदौद और थकावट में जल्दबाजी में लिखा हुआ पत्र था। उस पत्र में बहुत सी टेनाओं के सबध में उल्लेख करना बाकी रह गया था जिसे अब बताने की मैं आपसे तुम्हति लौंगा।

२ आपके दिनांक ११ के पत्र में अनुच्छेद २ तथा ३ का जो आदेश था उसे लोगों को बताने के लिए मैंने क्या किया यह यताचल्ना। फिर हिल हाउस की जो फैलक मैंने मुलाई और समाहर्ता पर जो हमला हुआ और जिस स्थिति में डॉ म्लास के घर में भाग आए उसके बाद रात में जो व्यवस्था की गई उसकी जानकारी भी दूँगा। उसके बाद दिनांक २२ की सुबह शाति बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम और फिर भीड़ को बिखेरने के लिए और विशेष रूप से व्यवस्था करने के बाद भी दो न हों इस हेतु उपयोग में लाए गए तौरतरीकों की विस्तृत सूचना दूँगा।

३ आपके पत्र द्वारा मुझे प्राप्त सूचना के बाद मैंने तत्काल ढोल पिटाकर ढिंडोरा प्रसिद्ध किया था और फिर मैंने मेरा आदेश वापस लेने के लिए की हुई कार्यवाही की सूधना समाहर्ता को दी।

४ दोपहर लगभग ४ बजे (दिनांक २१) मुझे सरकारी वकील द्वारा १६ देनदारों को जेल में छालने की एक दरखास्त मिली। उसमें देनदारों के नाम हाशिए में बताए गए थे। मेरे मतानुसार इस कदम से लोग हिल हाउस पर एकत्रित हो गए। उसका बढ़ी और अन्त में समाहर्ता पर हमला हुआ।

५ इस रामय कोतवाल की लापरवाही से मैं बहुत ही नाश्चुश हूँ, यद्यपि उन्होंने कभी नहीं भाना कि मेरे आदेश तनिक फठोर और तत्काल पालन करने के लिए थे अथवा तो उस समय वहाँ कोई पुलिस कर्मचारी भी उपस्थित नहीं था और मैं उस समय कुछ देर के लिए डॉ म्लास के घर पर था इस कारण से मुझे ऐसा लगा हो। डॉ म्लास के घर के आसपास पूर्व पत्र में बताए अनुसार लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। यद्यपि यह भीड़ बारबार घेतावनी देने के बाद बिखर गई थी और उस के बाद तो समग्र शहर लगभग फृतना शात हो गया था कि सैन्य सहायता को एक द्रुप को जेल के लिए रोक कर वापस भेजना पड़ा। फिर मैंने मेरे असिस्टेन्ट यूर्विंग को कोतवाली भेजा जहाँ उन्हें सावधानी के रूप में रातभर रखना था।

६ उस मध्यरात्रि में मुझे मि यूर्विंग ने रिपोर्ट भेजा कि कोतवाल वहाँ मरी है। २२ की सुबह मैंने एकत्र होकर हो हल्ता मवाने अथवा उत्पात करनेवाले लोगों को रोकने का कदम उठाया।

७ मैंने एक ढिंडोरा घोषित किया जिसकी प्रतिलिपि इसके साथ है और एक प्रस्ताव (समाहर्ता मेरे भेजे हुए प्रस्ताव में जिनका नाम था) उन्हें बताते हुए भेजा कि जो मेरे मतानुसार दो फूसाद में संलग्न थे। मैंने कोतवाल को निलंबित किया जो पूरी रात कोतवाली में अनुपस्थित रह कर नशे में चूर स्थिति में सुबह ४ बजे अपने चूपूरे

से वापस आया था। मैंने सभी हथियार और लाठी छहा जब विश्वा और इस सदर्म में किसीने विरोध करने पर कार्यवाही के लिए एक छोटे दल को सुबह से हिल हाउस पर तैनात किया।

८ यद्यपि लोग सुबह इकड़े तो हुए किन्तु वहाँ सेना देख कर शान्त रहे और शाहजगी की ओर मुड़े। उसी समय मैंने मेरे असिस्टेन्ट को पुलिस अधिकारियों के साथ लोगों को बिखेरने के लिए वहाँ भेजा था। यद्यपि इतने से काम न चलने से मैं हिल हाउस पहुचा और शाहजगी पर एकत्रित लोगों को बिखेरने के लिए अधिक ट्रुप भेजा। वहाँ मैंने कुछ समय रुककर उन लोगों के आने की प्रतीक्षा की। लगभग आठ हजार लोग वहाँ आ गए उनके हाथ में हथियार जैसा कुछ नहीं था। इन लोगों के अग्रणी भीड़ के बीच होने से तत्काल उन लोगों को पकड़ना समय नहीं था। तब बताया गया कि वे वहाँ पर किसी अन्यथेहि के लिए एकत्रित हुए थे। फिर उन्हें बार बार पैतावनी दिये जाने पर कि अधिक समय इकट्ठा रहेंगे तो गोली चलाई जाएगी वे बिखर गए। फिर उन्होंने मुझे एक आवेदन स्थीकार करने की प्रार्थना की जिसके लिए मैंने मकान कर वसूलना रोका नहीं जाएगा इस शर्त पर अनुमति दी। यह आवेदन उन्हें मुझे पूर्ण सम्मान के साथ कोर्ट में देना होगा यह भी बताया। सब चले गए फिर भी उसमें से तीन लोग रुके। कुछ बुनकर और कारीगर के अतिरिक्त वृद्ध महिला और बालक भी रुके। मैंने उसमें से कुछ के साथ बात की। उसमें उन्होंने बताया कि यदि वे लोग चले जाएं तो जो रुके हैं वे उन पर गुस्सा होंगे। मैंने उन्हें ऐसा नहीं होने देने का आश्वासन देते ही वे वहाँ से चले गए और अपने घर वापस लौट गए।

९ अब यह स्थान बिल्कुल शात लग रहा था इसलिए मैंने ट्रुपों को विदा यित्या वर्योंकि उन लोगों को भी कुछ आराम अथवा नाश्ता पानी की जरूरत थी। लोग अब इकट्ठा नहीं होंगे ऐसा विचार कर मैंने सावधानी के लिए पिछली रात जो व्यवस्था की भी वही करके मैं वापस घर आया और आकर २२ तारीख का पत्र लिखा।

१० रात में थोड़ी भेजामारी हुई थी फिर भी समाहर्ता का प्रस्ताव ध्यान में रखकर मैंने मेजर लिटल जहौन को पत्र (क्र ६) लिखा और उसके उत्तर के रूप में मुझे पत्र (क्र ७ ८) मिला। दूसरे दिन सुबह मैं शहर में गया और सब शात देखा। वापस आकर मैंने मेजर लिटल को पत्र लिखा (न ९)। उसके बाद अनुमानत अगले दिन ऐसे ही बहुत से ठिंडोरे पिटवाये। मैंने कोतवाल तथा अन्य पुलिस के लोगों को लोग भीड़ न करें इस हेतु तैनात किया। लगा कि शराब की बहुत सी दूकानें अगले दिन खुली थीं। मैंने उसके लिए मनाही की थी। मैंने समाहर्ता को फिर से उन्हें पद

कराने का आदेश दिया। सबैरे शाहजुगी के पास कुछ लोग इकड़े हुए किन्तु कलेक्टर और उनके लोगों ने उन्हें भागा दिया। दोपहर होने तक मुझे कोई आवेदन नहीं मिला। और अगली शाम की अपेक्षा कुछ कम सच्चा मैं लोग एकत्र हुए। अत ऐने मि यूर्पिंग को सदैश भेजकर उन्हें यथा समव विखोरने के लिए कहा। यद्यपि इससे काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन मुझे सेना के रूप मैं कट्टम उठाने लायक कोई नेता भीड़ मैं नहीं था। एक ओर जम्ती घालू रखने की मेरी योजना थी जिसके कारण लोगों का उपद्रव फूह हो जाएगा ऐसी घारणा थी। मैंने जम्ती करने का विचार किया। इसके लिए शाम को थार बजे मैं समाहर्ता को साथ लेकर गया। (सलमन फन्न मैं इसका उल्लेख है) दुपों को नगर मैं धोस्फी धोस्फी दूर पर रैनात किया। विनियम ७ १७९९ के दूसरे अनुच्छेद और १५ १८१० के खण्ड १२ के अनुसार जम्त करने वाले सबसे बड़े देनदार लक्षकी जाहु के घर पर टूट पड़े। वहाँ से लगभग रुपया ४२५ की जम्ती की गई। इस जम्ती की सामग्री तत्काल वापस दे दी गई वयोंकि देनदार का नौकर आकर पैसा दे गया। घर मैं निले हथियार सुरक्षित रख दिए गए। घर मैं महिलाओं को छोड़ कोई व्यक्तित्व उपस्थित नहीं था। अत मैंने सोचा कि कुछ लोग कहीं छिपे होने थाहिए। इस कट्टम का असर ऐसा हुआ कि पूरी भीड़ विखर गई। उनमें से कोई वहाँ आता नहीं लगा और शाहजुगी के बाकी सब लोग मकान कर भरने के लिए तैयार हुए।

जिला भागलपुर

आपका आशाकारी

जे सेनफोर्ड

न्यायाधीश

फौजदारी अदालत

२४ अक्टूबर १८११

नोट : १ मैंने समाहर्ता पर हमला करने वाले की खबर देने वाले को ५००/- रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा भी की है जिसका उल्लेख मेरे इस फन्न मैं किया गया है।

२ मैं मानता हूँ कि परियन पत्रों का भावान्तर न भेजने के बारे मैं समय का अभाव ही प्रमुख कारण है जिसे मान्यवर नज़रअंदाज करेंगे।

१ अ ११ (अ) मेजर लिटल जहॉन का न्यायाधीश को पत्र

२३-१०-१८९९

जे सेनफर्ड एस्क
न्यायाधीश भागलपुर
महोदय

आपके आज के पत्र के सदर्प में मैंने बताया है कि हिल रेजर्स की सहायता की १६० जितने अलग अलग जवानों की दार कम्पनिया नगर के रक्षण के लिए उपलब्ध है और वे आज जो भीड़ थी उसे बिखेरने के लिए पर्याप्त है। यद्यपि भीड़ बही थी लेकिन १६ जितने दगलखोरों को काढ़ू करने के लिए पर्याप्त थी। परन्तु यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि भीड़ के पास शस्त्र नहीं थे। अगर वे भाग कर नगर से शस्त्र लेकर आते तो अपने सैनिक इन विद्रोहियों को परास्त करने में सक्षम नहीं थी। उस भीड़ को बिखेरना सरल नहीं था। अपने सैनिक छ्यूटी की निरन्तरता से खाना न मिलने से परेशान हो उठते।

यहाँ के स्थानीय कोर्ट के अधिकारी इस दगलखोरी की योजना के सबूथ में ठीक तरह से आपको जानकारी दे सकते हैं। अत आवश्यक उपाय तुरन्त किये जा सकते हैं। जब भीड़ के अग्रणी घले गए तब शेष महिलाओं और बालकों में सैन्य के गुस्से का ऊर नहीं दिखाई देता था। वे देख लेने के मूँह में थे। परन्तु मेरा विचार है कि अग्रणी वहाँ उपस्थित न हों तब बलप्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि उन्हें पकड़ लेने से मामला शात होगा तो ऐसा करने में विलब नहीं करना चाहिए।

यदि आप कल शाम आवेदन करनेवालों से मिलने की इच्छा रखते हैं तो मेरे विचार से जरूरी रक्षण व्यवस्था बनाए रखें किन्तु भीड़ साथ या सामने न आए तो युसु अध्यम होगा। उन लोगों का आवेदन तभी लें जब आप उस विषय में कुछ कर सकते हैं। मैं पूरे दल को छोटे छोटे जट्ठों में बाट देने के बत का नहीं हूँ। वर्योंकि यूरोपीय अधिकारियों की सहायता मिलने की सम्भावना नहीं है। और मैंने जान लिया है कि हिलमेन पहाड़ी सैनिक हिन्दुस्तानियों के साथ इस स्थिति में काम करने के जादी नहीं है।

इतनी जानकारी देने के बाद मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे यदि दर्लों के साथ

कोतवाली पहुचना है तो किसने बजे वहाँ पहुचना है इसका समय बताने की कृपा करें।
 सुबह ९ बजे आपका आशाकरी
 २३ अक्टूबर १८९९ पी लिटल जहौर
 कमार्डिंग हिलसेन्ऱर

१ च ११(आ) भागलपुर के न्यायाधीश का अन्य न्यायाधीशों को पत्र

२३ १० १८९९

न्यायाधीश
पास पड़ोस के जिले

महोदय

मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको जिस पद्धति से उचित लगे उस पद्धति से आपके जिलों से १० या उससे अधिक लोगों को भागलपुर की ओर किसी भी प्रकार के शस्त्र के साथ आने से रोकने के लिए प्रयास करें।

२ मेरी इस प्रार्थना का कारण यह है कि कुछ दिन पूर्व लोग भीड़ में एक होकर मकान कर भरने के विरोध में उपद्रव मचाने में लगे थे। अत भेरा मानना है कि ऐसी भीड़ के अग्रणी दूसरे जिलों से भी लोगों को इकट्ठा करने का सम्भव प्रयास करेंगे।

३ मेरी यह भी प्रार्थना है कि इस समय वहाँ स्थानिक लोगों के बीच किसी रहस्यमय गतिविधि या सचार की जानकारी मिलने पर मुझे अवश्य सूचित करें।

जिला भागलपुर
फौजदारी अदालत
२३ अक्टूबर १८९९

आपका आशाकरी
जे रोनफर्ड
न्यायाधीश

१ च १२ न्यायाधीश भागलपुर या सरकार को पत्र

२४ १०-१८९९

जी डोस्ट्वेल एस्टक
सरकार के सक्रिय न्यायतत्र विभाग
फोर्ट विलियम
महोदय
आज मैंने जब आज के दिनाक का मेरा रिपोर्ट पूरा किया तब मुझे भगा कि

मकान कर वसूल करने के लिए विरोध लगभग समाप्त होने को है। लगभग ९ बजे मुझे समाहर्ता का एक सदेश (सलमन पत्र - १) मिला जिसमें मुझे तुरत ही सहायता भेजने के लिए बताया गया था।

२ लगभग घार बजे मैं और समाहर्ता सेना सहित देनदारों के घर की ओर दौड़ पड़े किन्तु हमारे पहुंचने से पूर्व ही बहुत से लोगों ने कर चुका दिया था। अत मैंने कमान्डिंग ऑफिसर को ट्रूप रोक देने के लिए कहा और कोतवाल को समाहर्ता के साथ भेजकर शेष लोगों से कर वसूलने की व्यवस्था की।

३ कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने के बाद कर की पूरी राशी आ गई और मैंने कमान्डिंग ऑफिसर को ट्रूप के साथ वापस लौटने के लिए कह दिया।

४ आनन्द की बात यह है कि नगर की अधिकाश दूकानें अब खुल गई हैं अतः मुझे नहीं लगता कि अब कोई उपद्रव होगा।

जिला भागलपुर
फैजदारी अदालत
समयकाल ७-००
२४ अक्टूबर १८९९

आपका आज्ञाकारी
जे सेनफर्ड
न्यायाधीश

१ च १३ समाहर्ता भागलपुर का सरकार को पत्र

२४-१०-१८९९

जी होस्टेल
सरकार के सचिव
फौर्ट विलियम
महोदय

मुझे इस बात का सतोष है कि कर वसूली बिना किसी भी विरोध या आक्षेप के की गई। लोग तत्परता से धन छुकाते हैं और दूकान कारोबार भी खुल रहे हैं।

समाहर्ता ऑफिस
भागलपुर
समयकाल ६-००
२५ अक्टूबर १८९९

आपका आज्ञाकारी
फ्रेड्रिक हेमिल्टन
समाहर्ता

१ च १४ समाहर्ता भागलपुर का सरकार को पत्र

२६ ९० १८१०

जी डोहस्टेल

सरकार के सचिव

फोर्ट विलियम

महोदय

मुझे बताते हुए हर्व हो रहा है कि मकान कर वसूल करने में अब कोई रक्कावट नहीं आती। ताहसीलदार का रिपोर्ट भेज रहा हूँ जो इस बात का प्रमाण है।

समाहर्ता ऑफिस

आपका

भागलपुर

फ्रैंड्रिक हैमिल्टन

समाहर्ता

२६ अक्टूबर १८११

१ च १५ समाहर्ता भागलपुर का सा २९-९०-१८१० का रिपोर्ट जिसमें
उन पर हमले होने का उल्लेख है - उस पर सरकार का प्रस्ताव

२६-९० १८११

वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल इससे पूर्व के पत्र की जानकारी पर विचार कर रहता है कि गत दिनांक ११ को भागलपुर के न्यायाधीश ने मकान कर वसूल करना रक्कावाया उस घटना को उन्होंने अवांछित माना है। वास्तव में देखा जाए तो न्यायाधीश की ओर से समाहर्ता को कर वसूल करने में आवश्यक मदद और समर्थन मिलना चाहिए था किन्तु ऐसा न करके उसने सार्वजनिक सेवा के प्रति अशोभनीय व्यवहार किया है। वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल को विश्वास है कि यदि पत्र मिलते ही न्यायाधीश ने शांति बनाए रखने के आवश्यक उपाय किए होते और समाहर्ता ने स्थानिक अधिकारियों का सहयोग किया होता और अधिकारियों को मकान कर वसूल करने के सबध में सौंपी गई रुप्यूटि अदा करने में सहायता की होती तो भागलपुर के सोग पत्र में बासाए अनुसार समाहर्ता उनके अधिकारी अथवा सरकार का ऐसा अपमान करने का साहस नहीं करते।

उपर्युक्त जानकारी के अनुसार वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल को मि सेनफर्ड को भागलपुर के न्यायाधीश के पद पर से निलंबित करने की अनिवार्यता सारी

है। उनके उस स्थान के पद का कार्यभार सम्भालने के लिए मि एच शेक्सपियर को नियुक्त करने का निश्चय किया है। अन्य आदेश होने तक वे (मि शेक्सपियर) भागलपुर के न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे।

अस यह आदेश दिया जाता है कि मि सेनफर्ड मि शेक्सपियर के आते ही अपने पद का कार्यभार संभालें।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सेनफर्ड यह जान लें कि वे अपने पूर्वोक्त आकरण के बारे में जो कुछ भी स्थिति उत्पन्न हुई है उसका बयान देना धाहें तो अवश्य दें परन्तु उनके साथ कार्यवाहक न्यायाधीश और समाहर्ता की सम्मुक्त कैरियर भी भेजनी होगी जिससे घाइस प्रेसिडेन्ट इन कारन्सिल समग्र रूप से विघार कर निर्णय कर सकें कि उन्हें न्यायाधीश न्यायाधीश जैसे दायित्वपूर्ण पद पर वापस लिया जाए या नहीं।

आगे आदेश यह भी है कि मि शेक्सपियर पूर्व में अधिसूचित विनियमों को ध्यान में रखते हुए उनके पालन में सर्वक रहेंगे क्योंकि उसमें हुई असावधानी के परिणामस्वरूप ही तो उन्हें अभी फैप्प्यूट्रेशन पर आने का अवसर मिला है। इस विषय में अर्थात् समाहर्ता द्वारा निर्धारित किया गया कर जो बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने भी मान्य रखा है उसे लागू करने में वाचित भूमिका निभानी है।

यह भी आदेश है कि उनके विभाग की ओर से कमांडर इन धीफ को भेजी जाने वाली कार्यवाही की सूचना के बारे में हिन्द्र एक्सेलेन्सी की इच्छा है कि उन्हें बताया जाए कि भागलपुरमें उपलब्ध हिलरेन्जर ट्रूपों के अतिरिक्त लशकरी दलों की आवश्यकता रहेगी या नहीं। इस विषय में समाहर्ता तथा पुलिस अधिकारियों के अधिकार्यों को महत्व देकर सार्वजनिक सेवा के हित में निश्चित किया जाए। आवश्यक लगता है तो जरूरी आदेश प्राप्त करें।

यह भी आदेश है कि उपर्युक्त आदेश से बोर्ड ऑफ रेवन्यू और भागलपुर के समाहर्ता को अवगत किया जाय।

जी डॉस्ट्रेल
सरकार के संघिव
न्यायतंत्र विभाग

१ च १६ भागलपुर के समाहर्ता को सरकार का पत्र

२९-१०-१८९९

समाहर्ता भागलपुर

महोदय

मान्यवर वाइस प्रेसिडेन्ट इन कार्डिनेल ने आपके नींवे द्वारा फ्रॉ और सलान पत्रों के मिलने की सूचना देने के लिए सूचित किया है। एक पत्र दिनाक २१ का दो पत्र दिनाक २३ और एक पत्र दिनाक २४ का प्राप्त हुआ है।

२ मान्यवर को इस विषय में अत्यधिक सतोष हुआ है कि अतत भागलपुर जिसे मैं सरकारी आधिपत्य पुन स्थापित हो गया और कर वसूल करने की व्यवस्था लागू हो गई।

३ ऊपरि वर्णित स्थिति में यह जरूरी सगता है कि मि यूर्विंग मि सेनफर्ड से कार्यमार सम्झाल लें और अन्य आदेश आने तक न्यायाधीश के रूप में पदभार वहन करें। इस विषय में मि यूर्विंग को लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि आपकी ज्ञानकारी के लिए भेजी जा रही है।

४ अभी जो सामान्य स्थिति सर्जित हुई है इस दौरान कर्यबोर्ड में कर्तव्य निभाया सरकार के हित में जो कर दिखाया उसके लिए वाइस प्रेसिडेन्ट इन कार्डिनेल प्रशस्तापूर्वक सतोष घ्यक्त करते हैं।

जी डेहूल्स
सरकार के सचिव
न्यायतंत्र विभाग

कार्डिनेल कथ

२४ अक्टूबर १८९९

आदेश है कि मि शेक्सपियर को बताया जाए कि भागलपुर के समाहर्ता और न्यायाधीश की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भागलपुर में सरकारी शुल्कमत पुन स्थापित हो गई है और मकान यज चुकाना शुल्क हो गया है। वाइस प्रेसिडेन्ट इन कार्डिनेल गत २६ के उम्हें भागलपुर के न्यायाधीश और न्यायाधीश के स्वयं में डेव्यूट करने वाले आदेश को रद करते हैं।

१ घ १७ भागलपुर के न्यायाधीश का सरकार को पत्र

३१-१०-१८१०

जी डोहस्वेल

सरकार के सचिव

न्यायत्र विभाग फोर्ट बिलियम

महोदय

आपको जिला समाहर्ता के रिपोर्ट मिलते ही सरकार का जो आदेश प्राप्त हुआ है उससे मुझे अत्यधिक खेद लगा और हसाशा का अनुभव हुआ है। क्योंकि रिपोर्ट में भागलपुर के निवासियों की ओर से भकान कर छुकाने के सबध में विरोध के कारण उनके स्वय को तथा सरकार के अधिकारियों को खतरा होने की आशका व्यक्त की गई थी।

२ यह वृषांत स्पष्टरूप से ऐसी स्थिति में लिखा गया प्रतीत होता है कि जब समाहर्ता स्वय ऐसी मनोदशा में हों या जब सरकार स्वय अथवा उसके उच्च अधिकारी भी रोष और अपमान का भोग बनते हुए अनुभव करते हों। ऐसे बातावरण में समाहर्ता का बहुत अधिक रोष में होना और काम लेते समय किसी भी अधिकारी की स्थिति ऐसी होना स्वामानिक है। मैं इस समय सरकार की नाराजगी से तनिक विफरीत करने का आत्मविकास रखता हूँ। सरकार सपूर्ण न्याय से उन हकीकतों पर विषय करेंगे कि उस परिस्थिति में मेरी कार्यवाही उस दृष्टि से सम्पूर्ण अनुभोदन के पाव थी उसके लिए मुझे दोबी मानना अथवा (मेरे स्थान पर) मि शेक्सपियर के रखने का सरकार का आदेश अनुचित ही होगा।

३ मेरे और समाहर्ता द्वारा भेजे गए अलग रिपोर्ट में भी इन्हीं हकीकतों का व्याख्यान होगा कि जिससे निरपराध दोबी माना जाएगा ऐसा मेरा विश्वास है।

४ समाहर्ता पर हमला होने से पहले मैंने लश्कर की मदद किन कारणों से नहीं ली। उस विषय में मैं मेरे गत दिनांक २२ और २४ के पत्र में बता छुका हूँ। मैं ने धैर्य से दाम लिया। मदद मागने में जल्दमाजी नहीं की। उसे समर्थन देना या न देना इस विषय में तो सरकार ही अपनी विवेकबुद्धि से निश्चित कर सकते हैं। हो सकता है कि दिलेंब के सन्दर्भ में मेरी समझदारी पर किसी को शका हो किन्तु उस स्थिति में जो कदम मैंने उठाया उस तरह किसी ने भी लिया होता या नहीं। फिर सरकार जो उद्देश्य पूरा करना चाहती है उसके लिए मुझे जो सरीका उचित लगा वही तो मैंने

किया जिसके समय में मैं कृतनिश्चयी था। समाहर्ता पर जब हमला हुआ तब उनके साथ कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का नहीं होना तो कोतवाल की लापरवाही और जानबूझ कर किए गए दुर्योगहार का उदाहरण है। उसे मैंने तत्काल ही निलिपि किया इस समय में सरकार को मैंने रिपोर्ट भी किया है।

५ समाहर्ता पर हुए हमले के बाद मैंने जो कदम उठाया उसके लिए मेरी प्रशंसा होगी ऐसा मुझे लगता था। अन्य कोई भी श्रेष्ठ न्यायाधीश भी मैंने जो कदम उठाया उससे अधिक कुछ करने में समर्थ नहीं ही होता। सभी हकीकतों पर ध्यान देंगे तो यह बात समझ में आ जाएगी। मैं यहां याद दिलाता हूँ कि लोगों को बिंदेर दिया गया घट्यत्र तोह दिया गया और कर वसूली अत्यधिक शात और सरल तरीके से बिना किसी भी जानहानि के सम्पन्न की गई थी। यह उपद्रव या विद्रोह शुरू होने के मात्र तीन ही दिन में पूरी की जा सकी है। मैं इन तथ्यों से विपरीत अत्यन्त संतोष और गर्व के साथ कहूँगा कि लोकसेवा निभाते हुए मैंने सभी प्रतिवूलताओं के बीच मेरे पद को गौरवान्वित कर्नेवाले उत्साह और शक्ति के साथ कर्तव्य निभाया है। समझता यह मुझे सफलता का ताज पहनायेगा या नहीं यह विचार मैंने नहीं किया है। सैर फिर भी मैं सरकार की निष्पक्षत कृपा अथवा अनुग्रह को शिरोधार्य करता हूँ।

६ मैं यह लिखते समय अत्यन्त उत्तेजना का अनुभव करता हूँ और आज्ञा करता हूँ कि मुझे मेरी इस भावना से पूरी सहानुभूति का लाभ मिलेगा जब मेरा सार्वजनिक चरित्र प्रतिष्ठा और नौकरी के भविष्य पर असर पड़नेवाला है।

भागलपुर
रात्रि साथे आठ
३१ अक्टूबर १८९९

आपका आङ्गाकारी
जे सेनपति
न्यायाधीश

१ च १८ न्यायाधीश भागलपुर का सरकार को पत्र

५-११ १८९९

(सारांश)

मेरे व्यापार में मुझे अब अत्यन्त जलनी लगता है कि मेरी समझ से अप समाहर्ता के प्रति किसी भी प्रकार की नई वरतना निरर्थक है। जिसने मेरे प्रति और खास कर सरकार को भेजे रिपोर्ट में अत्यन्त घटिया अभिप्राय दर्शाया है। ऐसा उसने मेरे साथ किये पत्राचार में भी किया। (शायद मैं यह बात पहले कहा रिन्हु भी किया)

कामङ्ग पर कुछ भी लाना उचित नहीं माना कर्यों कि जब तक ऐसा करना अनिवार्य न हो जाए तब तक अनुचित समझ कर टालता ही रहा। किन्तु मुझे लगता है ऐसा करना उचित था। पहले समाहर्ता ने अपने दि २१ के पत्र में सरकार को बताया है कि वे कर वसूल करने गए तब उन पर हमला हुआ। वे सच्चाइ छिपा रहे हैं। दूसरा मुझे यह मानने का भी पर्याप्त कारण मिला है कि (ऐसा ही अभिप्राय एक स्थानीय गृहस्थ का है) यदि उन्होंने भीड़ को कोड़े मार कर उर्चित न किया होता तो उन पर हमला न हुआ होता। यद्यपि मुझे इस तथ्य में गहरे उत्सन्न अत्यधिक एकाग्री होना लगता है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस बार की जेल डिलिवरी के समय इस विषय में जाव करने हेतु सर्किट के किसी जज को भेजेगी। तब सरकार को निष्पक्ष बयान मिलने के बाद कोई सदेह नहीं रहेगा।

१ घ १९ पूर्व न्यायाधीश और न्यायाधीश को सरकार का पत्र

१२-११-१८११

जे सेनफोर्ड एस्क

पूर्व न्यायाधीश और न्यायाधीश

मान्यवर

मुझे मान्यवर याइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल की ओर से आपका गत दिनाक ३१ और ५ के पत्रों के मिलने की सूचना देने की सूचना मिली है। साथ ही समाहर्ता पर हुए हमले के लिए पकड़े गए व्यक्ति जिसने मि यूरिंग की बगी रोकी थी और जिसका कबूलात नामा आपके पत्र में उल्लिखित है उसकी जांच करने की आपकी सूचना स्वीकृत हुई है।

२ आपने बताया है कि कर वसूली करने हेतु जाते समय समाहर्ता पर हमला हुआ है इसमें समाहर्ता ने तथ्य छिपाया है। इसमें मुझे भी भताया गया है कि हमला उनके कर वसूली के कारण नहीं हुआ है। उस समय वे स्वामादिक रूप से ही उस ख्यूटी पर थे। अत समाहर्ता का यह बयान सच लगता है। पिर आप यह भी जानते ही होंगे कि समाहर्ता का मात्र यह भी कहना नहीं था कि उनपर यह हमला कर वसूली के कारण ही हुआ। मान्यवर ऐसा मानते हैं कि आप दिए हुए बयान से कथन की त्रुटियाँ पकड़ कर बचने का मार्ग खोज रहे हैं। यह बयान अत्यधिक शीघ्रता में और अतिशीघ्र भेजने की होड़ में शायद शुटिपूर्ण या थोका सत्य से कुछ परे लगा होगा।

३ आपने जो स्पष्टीकरण भेजा है उसके सबध में सरकार का अतिम निर्व्य
अब बाद में बताया जाएगा।

काउन्सिल कक्ष

१२ नवम्बर १८९९

आपका आश्चाकारी

एन बी एड मोन्टेन

सरकार के मुख्य सचिव

१ च २० कार्यवाहक न्यायाधीश भागलपुर को पत्र

६-११-१८९९

(सारांश)

२ मुझे आशा है कि मेरा विनम्र अभिप्राय जो मैं भेज रहा हूँ, उसे केवल मेरी धारणा नहीं मानेंगे। अर्थात् समाहर्ता पर हमला न्यायाधीश के किसी कदम के संदर्भ में या फिर मकान कर की वसूली के कारण नहीं था। वह समग्र रूप से अनहोनी घटना के समान था। मेरा तो यह भी अभिप्राय है कि उसे एक भीड़ का कृत्य नहीं माना जा सकता अपितु कुछ निम्न जाति के लोगों का नशे की हालत में किया गया कृत्य था।

३ इसके आधार रूप न्यायाधीश को मैंने जो रिपोर्ट भेजी थी उसकी प्रतिलिपि भेज रहा हूँ, जिसमें किसी एक व्यक्ति ने मेरा घोड़ा रोक रखा था उसका ही उल्लेख है यिन्तु इससे वहाँ जो अपमानजनक स्थिति बनी थी उसका विस्तृत चिप्र अवश्य मिल सकेगा।

आपका आश्चाकारी

यूर्विंग कार्यकारी न्यायाधीश

१ च २० (ए) जे यूर्विंग का न्यायाधीश भागलपुर को पत्र

२२-१० १८९९

जे सेनफर्ड एस्क

न्यायाधीश भागलपुर

महोदय

फल्लल अली की जिस स्थिति में गिरपत्तारी की गई थी उसे मैं आपको लिखित बताना जरूरी समझता हूँ। यद्यपि भौतिक रूप से मैं बता चुका हूँ।

कल शाम मैं जब मि क्लैक्ट्रोफट के साथ मेरी बमी में जा रहा था तब मैंने हिल हाउस के भींधे कई हजार लोगों को सादे देश में भीड़ में इकट्ठा होते देखा। हम वहाँ

से बेरेक निकल गए। वापस लौटते समय पागल और शराब पीया हुआ लगनेवाला एक मनुष्य घोड़े पर चढ़ आया। किन्तु वह थोड़ा घूँक गया। बमी की शाफ्ट पर घढ़ गया और फिर बगी के पायदान को खींच कर उठते हुए गिर पड़ा। साईंस ने मेरे कहने से उसे पकड़ लिया। मि क्रेक्राफ्ट बाहर कूद पड़े और उस मनुष्य का हाथ पीछे बाध दिया। हम इस में व्यस्त थे तब बड़ी भीड़ हमारे आस पास जमा हो गई लेकिन उसने हमें रोका नहीं। कुछ देर बाद कुछ पीकर आए लोग बकवास करने लगे और उसे छोड़ने के लिए कहने लगे। सर फ्रें हेमिल्टन (अपने वाहनमें) वहाँ आ पहुँचे और उसमें से उतर कर अपने घोड़े से हमारे आसपास एकत्र लोगों को बिखेस्ने लगे। उसके बाद मि हेमिल्टन सवार होकर शहर के पश्चिम की ओर जाने के लिए निकल गए। फिर भीड़ का ध्यान उनकी ओर ही रहा। इधर मैं मेरे लोगों के साथ कैदी को कोतवाली ले जा रहा था। उसे अकेला छोड़ना उचित न था।

मि भागलपुर

फौजदारी अदालत

२२ अक्टूबर १८९९ (नकल)

आपका आङ्गाकारी

जे यूर्झिंग

सहायक

१ घ २० (बी) कार्यकारी न्यायाधीश के पत्र पर सरकार का निर्णय

१९-१९-१८९९

टिप्पणी

बोर्ड ऐसा मानता है कि भागलपुर में उपद्रव की घटना के लिए जात्य के आदेश दिए जा चुके हैं तब आपके उक्त पत्र के सदर्भ में अभी कोई अन्य आदेश जरूरी नहीं लगता।

१ घ २१ न्यायाधीश भागलपुर को सरकार का पत्र

१९-१९-१८९९

प्रस्ताव : (समाजता तथा कार्यकारी न्यायाधीश जे यूर्झिंग के आरोप और प्रथारेप रूपी देर सारे पत्र व्यवहार को ध्यान में रखने के बाद)

गवर्नर जनरल इन काउन्सिल मि सेनेकर्ड थाँह सो भागलपुर के न्यायाधीश और न्यायाधीश के पद का धार्ज के सम्पेन्ड हुए उस दिन से सम्भाल लें ऐसा बताते हुए आनन्द का अनुभव कर रहे हैं। यद्यपि उस पद पर उन्हें स्थायी सौर पर फिर से रखने के लिए निर्णय लेने के सबध में अधिकार सरकार के पास अवाधित रहेगा।

यह भी आदेश है कि उपर्युक्त प्रस्ताव की बातें मि यूर्किंग तथा समाहर्ता भागलपुर को बताएँ। यह भी आदेश है कि सचिव न्यायाधीश और न्यायाधीश भागलपुर को निम्नानुसार पत्र लिखें।

१ च २१ (अ) न्यायाधीश भागलपुर को सरकार का पत्र

११-११ १८११

जे सेनफोड एस्टक
न्यायाधीश तथा न्यायाधीश
भागलपुर

महोदय

सरकार को समाहर्ता भागलपुर की ओर से इन्हें कार्यवाहक न्यायाधीश की ओर से प्राप्त समाहर्ता के एक खलासी गोपालदास के सामने आरोप में दुई जाव की अनुवादित नकल मिलते ही जिस प्रकरण में मकानकर वसूल करते समय किसी लशक्ती साहू की सम्पत्ति जप्ती में लेने और इसके लिए जम्ही द्वारा कर वसूल करने की कार्यवाही और साक्षी जैसी वातों में मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा गया है कि समाहर्ता को अपने नौकर की ओर से जो कुछ अन्याय समझी ऊपर कोर्ट में विनियम प्रक्रिया का मुद्दा उठाया गया है उस सबंध में न्यायिक कार्यवाही करेंगे।

दूसरे मुद्दे पर भताना है कि कार्यवाहक न्यायाधीश ने समाहर्ता ने मकान कर वसूल करने में शीघ्रता का कार्य करने का आषेप करने का कृत्य किया है। यह मत्त और आपरिज्ञनक है। इस प्रकार की जाव करना उनके पद के कार्य दैत्र से बाहर का कार्य भाना जाएगा। इससे तो नमर में जो कुछ भी उपद्रव देखा दिया गया है उसे पुनः अवसर प्राप्त हो जाएगा।

फारनसिल कक्ष
११ नवम्बर १८११

आपका आज्ञाकारी
एन बी एडमोन्स्टन
सरकार के मुख्य सचिव

१ घ २२ समाहर्ता भागलपुर का सरकार को पत्र

२३ १२-१८९९

जी डोक्सवेल एस्क
सरकार के सचिव
फोर्ट विलियम

महोदय

मैं आपको गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को यह बताने की प्रार्थना करता हूँ
कि मकानकर वसूली करते समय मुझे किसी भी प्रकार का विरोध या अवरोध नहीं
हुआ।

भागलपुर समाहर्ता ऑफिस
२३ डिसम्बर १८९९
सोमवार सायकाल ६-००

आपका आङ्गाकारी
एफ हेमिल्टन
समाहर्ता

१ घ २३ समाहर्ता भागलपुर का सरकार को पत्र

१९-१-१८९२

समाहर्ता भागलपुर

महोदय

मुझे गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की ओर से आपके गत दिनांक २३ के पत्र
की प्राप्ति की सूचना देने के लिए कहा गया है।

भागलपुर में शाति स्थापित होने की जानकारी के साथ गवर्नर जनरल इन
काउन्सिल का फरमान है कि मकान कर विषयक इसके बाद की रिपोर्ट बोर्ड ऑफ
रेक्न्यू के माध्यम से भेजते रहेंगे।

काउन्सिल कक्ष
१० जनवरी १८९९

आपका आङ्गाकारी
जी डोक्सवेल
सरकार के सचिव

१ च २४ भागलपुर के समाजता का सरकार को पत्र

१९-२-१८९२

जी डोहस्वेल
सरकार के सचिव
न्यायित्र विभाग
फोर्ट विलियम
महोदय

मुझे पता चला है कि न्यायाधीश भागलपुर ने उनके दिनाक ५ नवम्बर के पत्र में सरकार को ऐसा बताया है कि ता २१ अक्टूबर की शाम के मैंने भीड़ पर कोडे बरसा कर उद्देशित किया। उन्होंने ऐसा सीधा आदेष किया है।

२ इस बात की सच्चाई मेरी भागलपुर में उपस्थिति या अनुपस्थिति से सिद्ध अथवा प्रभावित नहीं होती और शायद यह हकीकत सिद्ध हो कि मैं किसी व्यक्ति को दया या अनाधार करने से रोकता हूँ लेकिन किसी भी स्थिति में न्यायाधीश के पद के नीधा दिखाने के लिए तो कभी नहीं। पिछले चार पाँच दिन से लोगों की भीड़ एकत्रित होती रही इस कारण मैंने ऐसा किया। इससे इस विषय में मैं दृढ़तापूर्वक इन्कार के साथ प्रार्थना करता हूँ कि इस मुद्दे पर पूरी जांच होनी चाहिए। यही प्रार्थना है कि उपद्रवी भीड़ के स्थान पर दूसरा कोई प्रमाण हो। इसमें विस्तका हित सिद्ध हो रहा है कि जिससे मुझे दोषी पुरावार किया जा रहा है। पिर न्यायाधीश स्वयं तो वहाँ थे नहीं।

३ उन लोगों ने मेरी हस्ता की होती तो और मुद्दा हो सकता था किन्तु यहाँ इस जांच में सो सरकार की साख का मुद्दा महत्वपूर्ण है। भीड़ कर का विरोध करने के लिए एकत्रित हुई थी जो कुछ दिनों से दसूल किया जा रहा था। अर्थात् २१ अक्टूबर से पूर्व ही कुछ स्थानों पर शराब मिठाई पढ़े पुरोहितों पुजारी और इधर उधर हँटों का देर दिख रहा था। इस समय मैं सर्किट न्यायाधीश के निम्नलिखित मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मि यूर्विंग ने बर्नी फी लागाम पकड़ ली और आगे जाने से रोका तब ही क्या आक्रमण शुरू नहीं हुआ था? क्या उनके साथ ऐसे सरजन पर हमला नहीं किया गया?

४ मेरा निवेदन है कि न्यायाधीश को बुलाकर पूछा जाए के लोग भीड़ न करें इस हेतु रोकथाम के उपाय के स्वयं मैं उन्होंने क्या कदम उठाया था? हमसे के पहले चार पाँच दिन मैं लोगों की भीड़ को विखोरने के लिए उन्होंने क्या किया था? उसके

बाद १९ अक्टूबर के पत्र के सदर्म में उन्होंने क्या आदेश दिए जिससे मुझे मेरा कर्तव्य पूछ करने में मदद मिले ?

५ अब यह मैं अभी भागलपुर में उपस्थित नहीं रह सकता हूँ और मेरी अनुपस्थिति में सर्किट न्यायाधीश जाय के लिए जा रहे हैं तब मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि उन्हें इस मामले में कोई सूचना जरूरी है तो वे मेजर फ्रेन्कलीन या लिटल जहौन से सम्पर्क करें। ये लोग इस विषय में मेरे जितना ही जानते हैं जिसके लिए मैंने उन्हें कभी पूछा भी नहीं।

६ पिछले दिनों की अत्यन्त ही सूख्म जात हो यह मैं उत्सुकता पूर्वक चाहता था हूँ और मैं अभी भी आशा करता हूँ कि ऐसा होगा ही। और सरकार मुझे ऐसी छलफल की जानकारी देने की कृपा करती तो मैं किसी भी तरह भागलपुर छोड़ता ही नहीं।

७ आज अब जो जाय प्रक्रिया चल रही है उसका सामान्य मुद्दा मेरे ऊपर उल्लata है। अत बार बार कहना चाहता हूँ कि यह बात गौण है। पहली मूल बात और ही थी लेकिन मेरा विलाप तो यही है कि गौण बात में उलझे बिना मूल मुद्दा जो हो सके दिया का है उसे भूलना नहीं चाहिए।

कौलकृता

८ फरवरी १८९२

आपका आश्वाकारी

एफ हेमिल्टन समाहर्ता

१ च २५ सर्किट जज का सरकार को पत्र

१८-२-१८९२

आदेश दिया जाता है कि सचिव भागलपुर में मुर्शिदाबाद विभाग के सर्किट के दूसरे न्यायाधीश को निम्नानुसार पत्र भेजे।

भागलपुर में मुर्शिदाबाद विभाग के सर्किट के दूसरे न्यायाधीश को
महोदय

भागलपुर के समाहर्ता के पत्र की नकल आपको भेजने के साथ ही मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि मान्यवर गवर्नर जनरल इन कारन्सिल घास्ते हैं कि समाहर्ताने जिस स्थिति का वर्णन किया है उसके प्रति आप पूर्ण ध्यान दें उनके स्थान पर आपके पास आवेदन लेकर जो प्रतिनिधि समूह आते

हैं उनके साथ भागलपुर में अभी हुए दर्गों में जाच की जो प्रक्रिया घल रही है उसके अनुकूल रहकर व्यवहार करें।

कारन्सिल कक्ष
१८ फरवरी १८९२

आपका आग्राकारी
जी डोहस्केल
सरकारशी के सक्षिक
न्यायिक विभाग

आदेश है कि इस पत्र की प्रतिलिपि भागलपुर के समाहर्ता को जानकारी हेतु भेजी जाए।

१ च २६ सरकिट के दूसरे न्यायाधीश का सरकार को पत्र

७-३-१८९२

सारांश

३ विनिमय १५ १८९० के तहत कर्तव्यसूली के कार्य में यह के मकानकर के तहसीलदार ने नियमों की अनदेखी की है। उसे समझत इस सम्बन्ध में शपथ नहीं दी गई है। उसने अपने अधिकार का दुरप्पयोग किया है। मकारों यीं स्थानीय भर्यादा लोगों की पात्रता अथवा मूल्यमापन के विषय में किसी भी प्रकार का तारतम्य न करते हुए उसने अर्थन्त पक्षपात्र पूर्ण व्यवहार किया है। जाच करते समय सयोगवश सामने आई कुछ घटनाओं के आधार पर मेरा यह अभिप्राय बना है। परन्तु जिस विषय पर मुझे अहवाल तैयार करना है उसके साथ इसका सम्बन्ध न होने के कारण मैंने उस और बहुत ध्यान नहीं दिया। न तो मैं समाहर्ता को कोई दोष देता हूँ। मैं इसका उल्लेख भी नहीं करूँगा। वह तो स्थान पर ग्रत्यक्ष उपस्थित नहीं था अत इस प्रकार की सेवाओं में उसके जैसे उच्च पदस्थ लोगों के सम्बन्ध में होता ही है उसके अनुस्प स्थानीय लोगों ने उसके साथ छल किया। उसकी जानकारी में भी न होनेवाली अनिट याते वह हुई होंगी। मुझे इतना ही कहना है कि अगर कोई अनिट बात हुई भी होगी तो वह इन दर्गों के मूल कारणों में से एक होगी और महत्वपूर्ण भी होगी। और मेरे दायित्व का जो स्वरूप है उसके तहत वह कितना ही दुखदायक होगा तो भी मैं उसके अनदेखी नहीं करूँगा।

४ सभी प्रकार के लोग जिस विषय में अर्थन्त असन्तुष्ट हैं ऐसे विषय के सरकार भी सन्तुष्ट हो और लोगों की भी सहिष्णुता की सीमा में रहे उस प्रकार से कार्य करना जरा भी सरल मही है। न्यायाधीश और समाहर्ता दोनों के लिये यह

कठिन भयावह और द्वेषपूर्ण स्थिति निर्माण करता है। समाजकारों को इसलिए कि मकान कर की बसूली में जिसे नियुक्त किया जाता है उसे अनुमान दुर्व्यवहार और कपट के लिए इसना व्यापक और निर्वन्य क्षेत्र मिलता है कि उसे पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के कृत्रिम उपायों से सामान्य प्रसरणों में भी प्रामाणिक और विश्वासयोग्य बनाया नहीं जाता है और फिर भी वह चन पर भर भरोसा करने के लिए विवश होता है। न्यायाधीश को इसलिए कि सरकार की इच्छा के विरुद्ध प्रतिकार और विरोध के परिणामों को अन्यथा करने का उसके पास खासताव में कोई साधन या उपाय नहीं होता है। पुलीस की सहायता अथवा स्थानीय दलों की अधिक प्रभावी मदद लेने की बात कर्ता सरल है। परन्तु यह समझना चाहिये कि पुलिस अधिकारी अथवा सेना के सिपाही भी अन्य लोगों के समान ही मकानकर के भोग बने हुए होते हैं। कम से कम उनके परिवारजन तो ब्रह्म होते ही हैं और इस कारण से पुलिस के हृदयमें भी इस अर्थात् अधिकारियों के प्रति द्वेष की भावना होती है। न्यायाधीश को आपात्कालीन सकट के समय हर्दी पुलीस अधिकारियों के निश्चित एवं दमदार सहारे पर निर्भर रहना होता है।

६ गत २१ अक्टूबर की शाम को सर फ्रेडरिक हैमिल्टन के साथ भीड़ ने निश्चित ही कठोर व्यवहार किया होगा। उनको लगा होगा कि श्री यूर्धिंग भयावह सकट में पह गए हैं इसलिए उनको बचाने के उद्देश्य से वे गुस्से से बेकाबू भीड़ के बीच घक्के ही घुस गये होंगे और उन्होंने भीड़ के प्रति आक्रमक व्यवहार भी किया होगा उसके लिये वे प्रशंसा के पात्र हैं फिर भी उनका यह कार्य विवेकबुद्धि नहीं अपितु झल्दवाजी ही मानी जाएगी। क्यों कि वे सुरक्षित बच निकलने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? यदि चार से पाँच हजार अग्रेज लोगों की भीड़ वो भी बिखरने के लिए वे सब में केवल आबुक लेकर घुस जाते तो वे जीवित नहीं रह पाते। उत्तेजना के दश हुए लोगों का व्यवहार पूरे विश्व में एक जैसा ही होता है। और जहां तक सर हैमिल्टन के रूप में सरकार के अपमान का सवाल है इस देश के लोगों को जितना मैं जानता हूँ उनमें सम्भवता और सुसम्भृतता है ही नहीं। जिसे वे अत्याचार पूर्ण और कृत्रिम भलते हैं उस स्थिति में जब वे भयभीत और आतंकित हुए हैं तब वे विघ्नारपूर्वक कुछ कर्मे यह तो सम्भव ही नहीं हैं।

जिला पूर्णिया

७ मार्च १८९२

आपका आशाकारी
झल्यू टी स्निध
सर्किट के दूसरे न्यायाधीश
मुशिदाबाद विभाग

१ च २७ न्यायाधीश भागलपुर को सरकार का पत्र

१८-४-१८९२

आदेश है कि सधिव न्यायाधीश भागलपुर को निम्नानुसार पत्र लिखे।
न्यायाधीश भागलपुर

महोदय

मुख्य सधिव के गत दिनाक १२ नवम्बर के पत्र के अनुसार सर्किंट के न्यायाधीश रमाहर्ता पर हुए हमले से सम्बन्धित परिस्थिति की जाव करे ऐसी सूचना मिलेगी। जिसने मि यूर्विंग की बमी रोकी थी और जिसका स्वीकृतिनामा आने की बात आपके पत्र में भी बताई गई है उसकी प्राप्ति की सूचना दी जा रही है और वह अब मान्यवर के समक्ष प्रस्तुत होगी।

२ सर्किंट के जिस न्यायाधीश ने उन्होंने की हुई कार्यवाही की नकल सरकार को प्रस्तुत की है वे सरकार के समक्ष आ रहे हैं और पूरा शोरशराशा एक व्यक्ति द्वारा दागल का प्रयास करने के साथ ही शुरू हुआ जिसने नशेकी स्थिति में मि यूर्विंग की बगी रोकी थी। समाहर्ता भीड़ में छुस गये और अपनी गाड़ी से उतर कर उन्होंने लोगों को हटाने का प्रयास किया। गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को अब कोई सन्देह नहीं कि जो प्रमाण मिले हैं उनके आधार पर स्पष्ट हैं कि सर फ्रैंकरिक उनके उद्देश्य के लिए विशेष गण प्रयास में अपने कोड़े से कितनों को मार थैठे।

३ इस प्रकार उपर्युक्त घटना (झगड़े का) मूल कारण है और जो उत्तेजना या धाधल हुई इस विषय में समाहर्ता की कार्यवाही के सदर्भ में गवर्नर जनरल इन काउन्सिल मानते हैं कि सर एक हैमिल्टन द्वारा मि यूर्विंग की मदद के लिए जो कुछ किया गया वह जल्दी और प्रशस्ता के पात्र था। यथापि उन्होंने कोड़े का उपयोग किया वह विवेक समत नहीं था कुछ आपकिजनक ही था।

४ उन्मरि वर्धित आंदोलन के सघष में समाहर्ता के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का सापर्य यथा है यह जानना जरूरी है। उसमें बताया गया है कि कर लागू करने के लिए जाते ही उन पर गम्भीर हमला हुआ था। जब कि सर्किंट के न्यायाधीश की रिपोर्ट के अनुसार समाहर्ता को जो घोट लगी वह सब पूछ जाए तो उनकी झूटी करते समय नहीं लगी। यथापि वह कर के दिरोध में एकत्रित लोगों की ही कतरसूल थी। इससे घटना को थे मि यूर्विंग की सहायता करने के लिए गए उस समय पटी है ऐसा मानना चाहिए। अत इस मुद्दे पर सरकार ने जो आदेश दिया है उसमें सुधार करने की

आशयकता है जिसका सदर्भ मुख्य संघिव के दिनांक १२ नवम्बर के पत्र में दिया हुआ है।

५ अतः मान्यवर कारन्सिल मानते हैं और बताते हैं कि एक लोक अधिकारी के लिए यह जरूरी था कि उन्हें प्राप्त पूर्योक्त पत्र के बारे में समाहर्ता पूछ लेते कि इस प्रकार के पत्र का कितना औपचार्य है। जिसे सभवत भेजने से पूर्व न किया जा सके तो बाद में भी पूछा ही जा सकता है। अत आ हा आपको दिये स्पष्टीकरण की बातों के आधार पर कुछ पदका बयान कर सकते हैं।

आपका आज्ञाकारी
जी डोहस्वेल
सरकार के संघिव
न्याय तत्र विभाग

उस्युकत पत्र की नकल न्यायाधीश भागलपुर को दें और यह भी बताएँ कि अपनी जिले में जो आदोलन या अशाति हुई उसके सबध में सरकार के अतिम आदेश समझर्ता भागलपुर को जानकारी के लिए भेज दें।

४ नीति से पलायन की पद्धति

२१ जी डॉहस्वेल पूर्व सीनि मेम्बर योर्ड ऑफ रेवन्यूका सरकार के
मुख्य सचिव एवं यी एस्ट्रॉन्स्टेन को पत्र

(सारांश)

१८-१० १८१९

११ मकान कर निश्चित करने के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है इससे लम्हा है कि बगाल बिहार और उड़ीसा में अल्प समय में ही कार्य पूरा हो सकेगा।

१२ पूर्वानुभव से ऐसा लगता है कि कोलकाता और आसपास के उपनगरों के अलावा अन्य स्थानों पर कर सरकार का उद्देश्य नहीं हो सकता। अन्य स्थानों में (विशेष रूप से शहरों में) मैंने जो कुछ सुना है उससे मैं मानता हूँ कि कर के दारे में तीव्र रोप प्रवर्तमान है। अत यह ऐष थमने तक यह वर्ष यीत जाने देना ही चाहिए।

१३ यदि इस विषय में यह दृष्टिकोण सही मानकर ढलें तो २ से ३ लाख रुपये (मेरे अभिप्राय में कर की रकम उससे अधिक नहीं होगी) छोड़ देना नगर के लोगों के महुत विशाल समुदाय की भावना को शात करने के आगे नग्य है। नहीं हो इससे लोग निकट आकर सरकार के विरुद्ध संगठित होंगे।

१४ फिर भी कर से होनेवाली आय अभी भी अगर सरकार का उद्देश्य है तो विनियम १ १८१९ की धारा १२ से लोगों के अनेक बांगों को जो परवाना दिया जाता है उसके लिए कर समाया जा सकता है ऐसा भेरा सुझाव है। यह कर सो व्यापार में जु़ु़ने वाले लोगों के कारण संख्या में कमी आएगी इससे पुलिस सुधार में अवरोध नहीं होगा उल्टे सहायता होगी क्यों कि अवरोध के स्थान पर मदद मिलेगी कि जिन की जांघ के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है उन व्यापारियों की संख्या कम होगी। और यदि इस विनियम की व्यवस्था पश्चिमी प्रांतों में भी सागू की जाए जो इसके बाद का कदम होगा तो जो यस्ती होगी वह मकान कर से भी अधिक ही होगी।

१५ यदि यह सूचना उचित लगती है तो उस पर अवश्य विचार कर लें कि कोलकाता और उसके उपनगरों में मकान कर घालू रखें या नहीं जहाँ कर के प्रति अभी तो आपत्ति नहीं दिखाई देती।

२ २ मुख्य सचिव का थोर्ड ऑफ रेवन्यू के कार्यवाहक प्रमुख आर रौक और सदस्यों को पत्र

२२-१०-१८११

(सारांश)

५ इस अनुच्छेद में जो कहा गया है उस पर और इस सदर्भ में अन्य सभी स्थिरियों पर विचार करते हुए वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल विनियम १५ १८१० की व्यवस्था से मकान पर कर लागू करने का उपाय रोक देने के लिए तैयार हुए हैं और इस सदर्भ में ये सूचना देने के लिए भी सहमत हुए हैं कि प्रथम तो जहाँ भी मकान कर का काम पूरा नहीं हुआ है वहाँ इसे रोक दें। जहाँ भी यह कर लागू हो दुका है उसे रोक दें और अपवादस्वरूप जहाँ भी इस कर के विरोध में हो-हल्ला हुआ है वहाँ मान्यवर की इच्छा है कि इसे रोकने की पुष्टि के लिए आप आवश्यक आदेश प्रकाशित करें जिसमें समाहर्ता अथवा जिसे यह आदेश दिया गया है उस से रिपोर्ट मांगए और वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल को भेज दें जो कर रोक देने विषयक अतिम आदेश देंगे। यदि कहीं खुला विरोध नहीं हो रहा लगता है तो मार्ने कि वहाँ कर की आशिक अथवा पूरी वसूली करनी है। डॉहस्वेल ने बताए अनेक कारणों से यह आदेश कोलकाता और उसके उपनगरों में लागू करने का इचादा नहीं है।

एन बी एड मॉन्स्ट्रेन
मुख्य सचिव

२२ अक्टूबर १८११

२ ३ फर्लखाबाद के थोर्ड ऑफ कमिश्नर को मुख्य सचिव का पत्र

२२-१०-१८११

थोर्ड ऑफ कमिश्नर्स

सज्जनों

अति आदरणीय वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल ने विनियम १५ १८१० के तहत लगाए गए मकान कर के विषय में उसे शीघ्र निरस्त करने के लिए स्वीकृति दी है। इससे थोर्ड ऑफ रेवन्यू को निर्देश है कि कर निर्धारण की प्रक्रिया जहाँ पूरी नहीं

हुई है वहाँ उसे स्थगित कर दें और कर वसूली का काम जहाँ घालू हो म्या है वही रोक दें परन्तु जहाँ कर लागू होने के प्रति स्पष्ट विरोध या अशान्ति हुई है वहाँ आदेश मिलने तक की अवधि के लिए घालू रखें।

२ साथ ही वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल की इच्छा है कि आप बनारस के समाजसेवकों को आवश्यक सूचनाओं के साथ इस सदर्म की पुष्टि करने और उसके जो परिणाम होते हैं उन्हें वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल की जानकारी हेतु भेजने के लिए लिखें। बनारस सहित बगाल बिहार और उड़ीसा के समाजसेवकों को यह अभिप्राय मिलने के बाद ही कर स्थगित करने के विषय में आदेश दिया जा सकेगा। कोई विरोध नहीं दिखाई देता है तो फर आशिक अथवा पूरा वसूल करना घालू रखें।

आपका आज्ञाकारी

जी सॉफ्टवेल

सरकार के सचिव

महसूल विभाग

फोर्ट विलियम

२२ अक्टूबर १८९१

२ ४ बोर्ड ऑफ रेवन्यू को सरकार का पत्र

३-१२ १८९१

आदेश है कि सचिव बोर्ड ऑफ रेवन्यू को निम्नानुसार पत्र भेजें।

बोर्ड ऑफ रेवन्यू

सज्जनों

मान्यदर गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को सूचना प्राप्त हुई है कि समाजसेवकों भागलपुर को इस आशय का आदेश भेजा गया है कि जिले में मकान कर की वसूली रोक दें।

२ दिनांक २२ अक्टूबर के सरकारी आदेश में बताया गया है कि इस अनुच्छेद में बताई गई जानकारी और नगर में प्रवर्तनमान स्थिति का विवार कर वाइस प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल विनियम १५ १८९० के सहत निश्चित किए गए मकान कर को शीघ्रतापूर्वक निरस्त करने के लिए राजी हो गए हैं। अतः सूचना दी जाती है कि कर निर्धारण का कार्य जहाँ चल रहा है वहाँ रोक दें और करवसूली हो रही है वहाँ वसूली रोक दें। फिर भी जहाँ भी आदेश मिलने तक कर के विरोध में क्रेलाहल तथा विरोध हुआ है वहाँ वसूली घालू रखें।

३ गत २६ अक्टूबर को सरकार यीं ओर से आपको बताया गया है कि

भागलपुर में इस कर के विरोध में ह्यामा हुआ और समाहर्ता को अपमानित करनेवाली घटना घटी है।

४ इसके बाद के मुद्दों से संबंधित जानकारी कर निरस्त करने का आदेश मिलने से पहले ही मिल गई होगी जिसमें सूचित अपवाद सहित जानकारी संविव कार्यालय से भेजी गई होगी। सहज निष्कर्व यह है कि समाहर्ता भागलपुर को आदेश नहीं भेजा जाना चाहिए था। या फिर उनके द्वारा आपको शीघ्र बताया जाना चाहिए था कि उनके कार्यक्षेत्र के जिले में वह लागू नहीं करना है।

५ उपर्युक्त त्रुटि के कारण बहुत उलझनपूर्ण स्थिति निर्माण हुई है। २२ अक्टूबर के आदेश में गवर्नर जनरल इन काउन्सिल ने ऐसे स्थानों में कर निरस्त करने के लिए बताया है जहाँ स्वच्छद विरोध के कारण आशान्ति पैदा हुई है। जब कि दूसरी ओर समाहर्ता के प्रचार पत्र के अनुसार कर वसूली स्थगित करने के बाद पुन घालू करना लोगों के मनमें सार्वजनिक रूप से अस्थिरता की छाप छोड़ेगा। लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है इसलिए सरकार और उसके अधीनस्थ अधिकारियों में अन्तर करने के लिए वे असमर्थ होते हैं।

६ इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मान्यवर लोर्डशीप इन काउन्सिल ने भागलपुर जिले में कर वसूली स्थगित करने के स्थान पर घालू रखना उचित माना है जो दिनांक २२ अक्टूबर के आदेश से उल्टा होगा। अतः गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की इच्छा है कि आप समाहर्ता भागलपुर को बता दें कि विनियम १५ १८१० तहत ही कर वसूल करना घालू रखें।

७ उपर्युक्त परिस्थिति से पता थलता है कि भागलपुर के समाहर्ता ने सरकार के कर समाप्त करने के इरादे की लोगों को जानकारी दे दी है किन्तु यदि उपर्युक्त भौमना भागलपुर को भी हो सके इस प्रकार से तैयार की जाती तो भी काउन्सिल को लक्ष्य है कि समाहर्ता को कर स्थगित करनेवाली जानकारी प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं थी। बताया गया है कि प्रथम तो जहाँ भी निर्धारित प्रक्रिया घालू हो वहाँ उसे रोक दें और जहाँ कर वसूल करना शुरू किया गया है वहाँ उल्लिखित अपवाद सहित वसूली रोक दें।

८ इससे स्पष्ट है कि समाहर्ता ने निर्धारण या वसूली का कार्य स्थिति देखकर ऐसा दिया है और सरकार का आशय सार्वजनिक विकासित अधवा अधिसूचना के बिना ही स्पष्ट हुआ है। यदि बाद में इस विषय में पुनर्विदार या कोई सुधार करना उचित लक्ष्य है तो १५ १८१० में अन्य छिसी विनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया

जाएगा। फिर तो उसे सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ही प्रस्थापित करना होगा।

९ मुझे यह बताने की भी सूधना मिली है कि गवर्नर जनरल इन काउन्सिल को लगता है कि समाहर्ता को अधिसूचना जारी करने का अवसर कभी आ सकता है। अतः सरकार को लगता है कि अधिसूचना तैयार कराई जाए और अपने बोर्ड के द्वारा सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाए। गवर्नर जनरल इन काउन्सिल की इच्छा है कि सरकार की यह भावना अपने अधीनस्थ समाहर्ता को बताएं।

आपका आश्वाकारी

जी डोहस्वेल

सरकार के सचिव

महसूल विभाग

फोर्ट विलियम

३ दिसम्बर १८९१

२ ५ एश्योकेंट जनरल का सरकार को पत्र

८-१-१८९२

जी डोहस्वेल एस्क

सरकार के सचिव

राजस्य तथा न्यायिक विभाग

महोदय

मुझे २४ परगना के समाहर्ता मि थैंकरे को आवेदन देना पड़ा था जिसमें कोलकाता के मोफ्यूसिल में मान्यवर के जो यूरोपीय प्रजाजन रहते हैं जिन्होंने विनियम १५ १८९० के तहत निर्धारित मकान कर न भरने के कारण उन का सामान जमा करने विषयक मेरा अधिकार जानने के लिए मैंने निवेदन किया है।

२ यब हिंज मेजेस्टी के प्रजाजनों को पूरे हिन्दुस्तान में सिविल अध्या किभिन्न विस्तौरों में सुप्रीम कोर्ट के कार्यधार में भी नहीं रखा है तब अधिकारियों को अब एक ही सरकार के अधीन रहनेवाले लोगों के विषय में निर्णय लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यब हिंज मेजेस्टी के यूरोपीय प्रजाजनों को सभी बातों में कोर्ट और विनियम के प्रति विम्बेदार माना जाता है अद्यता जिस राजा ने ससद में मान्यता दे कर जवायदेही निश्चित की है तब तो उन्हें हिन्दुस्तान के प्रजाजन मानकर उल्टा घृण्हार केसे हो सकता है। अतः मुझे यह समझने में अत्यधिक कष्ट हो रहा है कि प्रस्तावित यह के प्रावृत्ति पर हिंज मेजेस्टी के प्रजाजनों की सम्पत्ति जमा की जाए या नहीं ?

३ राजस्व के विषय में यह विवाद हो सकता है कि इस किस्से में मकान कर वसूलने में सख्ती भी की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय में २१ जीईओ ३ सी ७० एस ८ के तहत कोई यूरोपीय दावा दर्ज नहीं कर सकता क्यों कि यह कार्यवाही गवर्नर जनरल इन काउन्सिल के नियमों के अनुसूची की गई है। परंतु जब कोई ऐसा व्यक्ति हिंसा या हत्या करते हुए पकड़ा जाए और जप्ती की जाए तब कानूनी मुद्दा उठाकर इस विनियम से ऐसा होगा कि नहीं इसकी निश्चितता की जानी चाहिए।

४ इस मुद्दे का महत्व देखकर मैंने कम्पनी कस्टोडियन और जूनियर काउन्सिल मि फर्म्युसन और मि रिम्पसन का परामर्श लेना उचित समझा। इस विषय में उनका अभिप्राय है कि यूरोपीय प्रजा को इस कर वसूली में जम्ती का शिकार नहीं बनाया जा सकता। मेरा फिर भी अत्यन्त गमीर निजी अभिप्राय है कि भविष्य में इन लोगों पर कर लागू न होने के विषय में विवाद के गम्भीर रूप धारण करने से पहले एक कानून बनाकर हिज मेजेस्टी के वारसदारों और प्रजाजनों को उनके मकान के बारे में गिरफ्तारी या कैद को छोड़कर अन्यथा जवाबदेह माननेवाला ही कस्टम से सबधित कानून इन विनियमों के लिए भी करना जरूरी है। ये सारे तथ्य प्रातीय न्यायालयों और न्यायाधीश के कार्यक्रम में रखे जाएं और कम्पनी उसके किसी नौकर या अन्य व्यक्ति अथवा उनके अधिकार से या नियम से कर्मचारी या न्यायतत्र के किसी पद पर कार्यस्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने अथवा उससे सबधित उत्तर देने का अवसर उपस्थित होने पर उलझन उत्पन्न न हो। इस स्थिति में उन लोगों के केस की पैरवी अथवा प्रस्तुति सामान्य रूप से हो या फिर इलैनॉन्ड के कानून के अनुसूची हो यह विवाद विनियम रचना की सभी कार्यवाही के विषय में स्पष्ट किया जाए।

२ ६ एह्वोकेट जनरल के अभिग्राय के संबंध में सरकार का थोर्ड ऑफ रेवन्यू
को पत्र

२१-१ १८९२

आदेश है कि सेफ्टरी रेवन्यू थोर्ड को निम्नानुलेप पत्र लिखें।

थोर्ड ऑफ रेवन्यू

सज्जनी

मुझे भान्यवर गवर्नर जनरल इन कारन्सिल ने एह्वोकेट जनरल के पत्र
(अनुच्छेद क्र १ २ ३) का सारांश आपको भेजने के लिए कहा है जिसमें उच्चतम
न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर रहनेवाले ड्रिटिश नागरिकों पर मकान बन लान् करने
वे विषय में कुछ आपणिया दर्शाई गई हैं। इस विषय में भान्यवर इच्छा रखते हैं कि
आप २४ परगना के समाजसेवा को बता दें कि कोलकत्ता के उपनगरीय इलाकों में मकान
कर वसूल करना सार्वत्रिक रूप से रोक दें।

२ गवर्नर जनरल इन कारन्सिल विनियम १५ १८९० की व्यवस्था रद्द
करने का प्रस्ताव पारित करने का विधार कर रहे हैं।

आपका आशाकारी
जी डोस्टवेल
सरकार के सदिव
महसूल विभाग

२ ७ थोर्ड ऑफ रेवन्यू का सरकार को पत्र

२२-१-१८९२

अति आदरणीय

गिसबर्ट लॉर्ड मिन्टे

गवर्नर जनरल इन कारन्सिल

फोर्ट विलियम

माय लॉर्ड

हम समाजसेवा भागलपुर का प्राप्त पत्र आपको प्रस्तुत करने की अनुमति दे
रहे हैं।

हमें जानकारी नहीं है कि उस नगर या स्थान पर कोई यूरोपीय को मकान कर
संघीय उत्पन्न किसी स्थिति का सामना करना पड़ा हो। उसके बाद के आदेशानुसार

लागू नहीं होने की लोगों को वह पूरी जानकारी है।

रेवन्यू बोर्ड

२२ जनवरी १८९२

सादर

आर रॉक और अन्य

२ ८ बोर्ड ऑफ रेवन्यू को सरकार का पत्र

२७-१-१८९२

आदेश है कि सचिव बोर्ड आफ रेवन्यू को यह पत्र लिखे।

(सारांश)

आपकी ओर से प्राप्त पत्र में वर्णित स्थिति के सदर्भ में मान्यवर काउन्सिल को लगता है कि समाहर्ता भागलपुर ने उनके जिले में रहनेवाले यूरोपीय प्रजात्वनों से अक्षण कर वसूल नहीं करना चाहिए।

२ ९ विनियम १५ १८९० को समाप्त करते हुए विनियम ७ १८९२ पारित

१-५-१८२२

गवर्नर जनरल इन काउन्सिल माननीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रेवन्यू विभाग की ओर से गत सितम्बर ११ के पत्र को ध्यान में रखते हुए निम्नानुरूप विनियम पारित कर विनियम ४१ १७९३ के स्थान पर सन् १८९२ विनियम ७ १८९२ के अनुसम्म छापने का आदेश करते हैं।

विनियम १५ १८९० और ४ १८९१ को निरस्त करने का गवर्नर जनरल इन काउन्सिल का आदेश १ मई १८९२ २८ वैशाख १२९९ बगाली सवत १३ वैशाख १२१९ फजली सवत २९ वैशाख १२१९ विलायती सवत १३ वैशाख १८६९ शक सवत और २६ ईबी-इन-सेनी १२२७ हिजरी सन को दिया गया।

विसमें विनियम १५ १८९० और ४ १८९१ में व्यवस्था है कि बगाल विहार उडीसा और बनारस प्रांतों के अनेक शहर और नगर के मकान पर कर लागू किया जा सकता है और गवर्नर जनरल इन काउन्सिल वहाँ के निवासियों की सरलता और सुधारता चाहते हैं। वे प्रस्तुत कर से मुक्त करने के लिए निम्नानुरूप नियम पारित कर फजल विहार उडीसा और बनारस प्रांतों में तत्काल लागू करना निश्चित करते हैं।

अब विनियम १५ १८९० तथा ४ १८९१ इसके द्वारा निरस्त हुए हैं।

५ इंग्लैण्ड स्थित सचालक अधिकारियों के साथ पत्राचार

३१ बंगाल प्रांत से शरणागति स्वीकार किए हुए एवं
विजित प्रांतों के विभाग को पत्र

१२-२-१८९१

(सारांश)

३१ न्यायतत्र विभाग के गत दिनांक २४ नवम्बर के पत्र के साथ आपकी नामदार अदालत को विनियम १५ १८९० जिसका शीर्षक 'ऐस्ट्रलेशन फॉर लैविंग टेक्स ऑन हाउसेस इन सर्टन सिटीज एण्ड टाउन्स इन द प्रोविन्सिझ ऑफ बाल बिहार उझीसा एण्ड बनारस' (बंगाल बिहार उझीसा और बनारस प्रांतों के कुछ शहरों और नगरों में कुछ घरों पर कर लादने समंगी विनियम) था वह भेजा है।

४० अत्यन्त चिन्ता के साथ आप मान्यवर को विदित हो कि विनियम की इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम अत्यन्त असतोष और प्रतिकार उत्पन्न करने वाले सिद्ध हुए हैं और बनारस के स्थानिक अधिकारियों के प्रति रोष और प्रतिकार की भावना भड़क उठी है।

४१ इस विषय में स्थानिक अधिकारी के साथ किए गए पत्राधार की भक्ति अलग से भेजी जा रही है। इन पत्रों को ज्यूडिशियल विभाग में दर्ज किया गया है। लेकिन हमें लगता है कि इस समय केवल सार्वजनिक राजस्व सुधार की योजना करने के लिए आपके पास भेजा जाए।

४२ इस विषय पर कार्यवाहक न्यायाधीश का गत दिनांक २५ दिसम्बर का प्रथम पत्र ही है जिसमें उन्होंने बताया है कि 'लोग बहुत ही हस्ता भवा रहे हैं दूकानें बंद कर दी गई हैं। उनके दैनिक व्यवसाय ढप हैं और उनकी मांग के बारे में मेरे द्वारा किसी निश्चित कदम की मांग के साथ बढ़ी संभव्या में एकत्रित हो रहे हैं। मुझे सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आता तब तक समझौता को नियरिख कर्म रोक देने के लिए समझा रहे हैं। उसके बाद के कार्यवाहक न्यायाधीश के पत्र का कथन

लक्षण समान ही है। यद्यपि लोग हिंसा का आवरण नहीं करते हैं। वे स्थानीय अधिकारियों को सुन भी रहे हैं। अत मैं पहली बार सरकार को कर के सबध में सूक्ष्मा पढ़ा है। क्यों कि लोग काम से (खास कर मजदूरी से) दूर रहने लगे और दृढ़ होकर विशाल सख्त्या में साथ निफलकर उलझन यदा रहे थे। स्पष्ट था कि बड़ी सख्त्या में लोग एकत्रित हुए थे और जिस आशय से वे ऐसा कर रहे थे तब शहर में शांति या सुखा रह नहीं सकती। अत यह अनिवार्य लगता था कि लोगों की भीड़ को बिखरने के लिए शीघ्र ही कदम उठाए जाएँ और यथा सभव धैर्य और समझदारी से काम लिया जाए और अनिवार्य होने पर ही देश के रौन्य बल की मदद लें।

४३ विनियम के घारे में (कार्यवाहक न्यायाधीश को हमारे गत दिनांक ५ के अद्येत्र में दर्शाए अनुसार) प्रमुख शहरों अथवा नगरों में विनियम १५ १८९० अनुसार लागू किया गया मकान कर वापस लेने के लिए कोई उचित कारण हमें नहीं लगा। इससे हमें लगता है कि फोलाहल या दगे के कारण से कर की बलि देना उचित नहीं। यह कर निरस्त करना कोई सामान्य नीति का विषय नहीं लगता।

४४ यद्यपि पर्याप्त विचार के बाद हमें ऐसा लगता है कि किसी न्यायोधित करण से विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए कि जिनकी जीवनशैली ऐसी है कि यह कर लागू होने से प्रभावित होती है इस विचार से कर की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन अथवा सुधार की गुजारश है। अत हमने निश्चित किया है कि बनारस के लोग जो धौकीदार के लिए और फाटक मरम्मत के लिए अपना योगदान देते ही हैं उन्हें इस कर से मुक्ति दें - ऐसी वसूली बनारस को छोड़ और कही नहीं होती। इसके अतिरिक्त धार्मिक भक्त ही नहीं अपितु धार्मिक कार्यों - पूजा पाठ - करानेवाले पुरोहित और धार्मिक अग्रणी अथवा सूत्रधार माने जाने वाले लोग जिस मकान में रहते हों उन सभी को कर से मुक्ति दें और साथ ही वहुत ही गरीब लोगों को भी छूट का लाभ दें। अतः हमें आशा है कि आगे वर्णित आदेश से बनारस के निवासी उन्हें प्राप्त मुक्ति से सतुर्ण होंगे और अब बाद में राजद्रोह की गतिविधियों को छोड़ कर अधिकारियों के उचित आदेश को मानेंगे।

४६ इस प्रकार बनारस में गैरकानूनी डग से एकत्रित लोगों की भीड़ के गत्वयन के बिखर दिया गया। अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार काम चलाया जाएगा। इसके साथ कर प्रस्ताव में जो कुछ सुधार करना आवश्यकता लगता है उस प्रिय में शोर्ड ऑफ रेवन्यू के साथ विचारविमर्श से कार्य किया जाएगा। परन्तु लोगों के लिए कोई नये कर के विषय में व्या स्थिति है इसका ठीक से मूल्याकान विए दिना

स्थिति सदघी रिपोर्ट देना बद नहीं करेगे। क्योंकि लोगों में नागरिक घरेलू तथा धार्मिक बातें एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई होती हैं कि वे स्थापित पद्धति में किसी भी बदल या सुधार के प्रति अत्यन्त संवेदनशील होते हैं।

४७ इस भावना के साथ जब हमने आपकी ओर से प्राप्त सूचना के अनुसार सार्वजनिक स्रोतों में वृद्धि के विषय में विचार करना शुरू किया तब हम इस बात से बहुत ही प्रभावित हुए थे। किना किसी प्रकार के विरोध अथवा असतोष के लोगों पर कर थोपना सरकार के सद्भाष्य के बिना सम्भव नहीं होता है। किन्तु मफन कर मेरे मत से किसी प्रकार का रोप अथवा असतोष करनेवाला नहीं लगता। क्योंकि ऐसा कर कोलकाता जैसे शहर में पहले ही लागू है। दूसरा ऐसा कर पूर्व की स्थानीय सरकार में नहीं था ऐसा भी नहीं है।

४८ यह भी नहीं लगता कि कर की राशि बहुत ही गरीब अथवा फुछ धार्मिक लोग अथवा अपने जीवन के अतिम दिन बनारस में बिताने के लिए आए लोगों को छोड़ और किसी के लिए, अधिक मानी जाएगी।

४९ फिर भी कर के विरोध में हमारी धारणा से परे यही सब्द्या में लोग संगठित हुए हैं। यह अन्ततोगत्वा सरकार और उसके अधिकारियों के विरोध में ही माना जाएगा। ब्राह्मण फकीर और अन्य लोग जनता को उत्तेजित करने में लग गए हैं। लोग स्थानीय अधिकारियों को तिरस्कृत कर रहे हैं। तब सरकार के पास कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए देश की सेना को संगाने के सिवाय कोई थाय नहीं है।

५० अतः लोगों के समझ जाने से अतिम सूधित उपाय करने से (अभी तो) यह गए किन्तु हम यह लोक आन्दोलन की प्रेरणा या कारणों का विचार करते हैं अथवा सेना की प्रत्यक्ष कारबाई के परिणामों का विचार करते हैं तब इसी निष्कर्ष पर आने के लिए वाप्ति हो जाते हैं कि प्रशासन ने कोई भी न्या कर लगाने से पूर्व लोगों के मिजाज को सावधानी और मुद्दिमानीपूर्वक पहचान लेना अत्यत आवश्यक होगा। हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भविष्य में कभी भी विचार करने का अवसर आएगा तो हम ऐसा ही करेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे बाद की सरकार या कर निर्धारण करने वाले अधिकारी भी इस बात की ओर ध्यान देंगे।

३ २ यगाल से प्राप्त न्यायिक पत्र

२९-१०-१८९९

(सारांश)

६२ आप मान्यवर कोर्ट को विंता के साथ लिख रहे हैं कि विनियम १५ १८९० के तहत मकान कर वसूल करने पर भागलपुर में विरोध और उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

६३ समाहर्ता द्वारा कर निर्धारण करने के बाद बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने कर वसूली शुरू करने की सूचनाएँ दी थीं।

६४ विरोध और उपद्रव का सकेत सो तभी मिल गया था जब समाहर्ता ने उसकी छूटी के लिए भेजे अधिकारियों का लोगों के द्वारा विरोध हुआ। ऐसे समय में न्यायाधीश और न्यायाधीश ने बिना पूरा विवार किए ही कल्कटा को कर वसूली रोक देने का आदेश दिया और वह भी इस कारण से कि पटना और मुर्शिदाबाद जैसे शहरों में अभी वसूली शुरू नहीं हुई थी।

६५ न्यायाधीश ने उस आदेश के वापस लिए जाने की बात बताने के साथ समाहर्ता पुनर कर वसूलने की उसकी छूटी के लिए निकले तब लोगों ने उन पर हमला कर उन्हें जख्मी किया था। हमें प्राप्त गुप्त जानकारी के अनुसार समाहर्ता और उसके साथ के सरकारी लोगों पर हुआ अपमानजनक हमला उपरोक्त अन्यायपूर्ण आदेश के कारण से हुआ था। इस कारण से और जाँच प्रक्रिया में प्राप्त जानकारी को घान में रखते हुए हमने न्यायाधीश और न्यायाधीश को ऐसी सार्वजनिक सेवाओं से दूर रखने योग्य माना। इसके स्थान पर अधिक दृढ़ और सत्पर एक अधिकारी को रखने का निश्चय किया। इस दौरान इसके साथ अलग से भेजे जा रहे पत्राधार के आधार पर आप समझ सकेंगे कि भागलपुर में सरकारी अधिकारियों का नियन्त्रण बहाल हो चुका था और कर वसूली का काम उचित रूप से शुरू हो चुका था। इस बीच न्यायाधीश का धार्ज लेने के लिए एक नियायिक स्तर के अधिकारी को भेजना उचित लगा था। उसके बाद हमारे लिए न्यायाधीश के व्यवहार विषयक अतिम आदेश करना ही शेष बहता था। इस विषय में हमें जो कुछ भी सावधानी बरतनी चाहिए और निर्णय में कोई तुटी न रहने पाए तथा दृढ़ निर्णय का अभाव न लगने पाए इस प्रकार से शुद्ध भव्य से निर्णय लेना ही शेष रहता है।

३ ३ बगाल से प्राप्त राजस्व विभाग का पत्र

१४-१२-१८९९

(सारांश)

१०१ जिस दिन विनियम १५ १८९० के तहत लगाए गए मकान कर को निरस्त करने का विद्यार किया गया उसी दिन हमारे विभाग के गत दिनांक १२ फरवरी को आपकी जानकारी के लिए भेजे पत्र में बनारस शहर में कर विषयक प्रश्न पर हुए उपद्रव के बारे में भी लिखा था। इस भीष्म बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने जिन नगरों में निर्धारण का काम पूरा हो गया था ऐसे नगरों की कर से सम्बन्धित रकम विषयक एक विवरण भी भेज दिया था। यह विवरण दर्शाता है कि कोलकाता और उसके उपनगरों को छोड़ सरकार का कर के विषय में कोई आशय नहीं है। वास्तव में निर्धारण के अनुसार कर की मुख्य राशि केवल ३०००००० रु. के लगभग होने जा रही है। अन्त में अनुभव यह आता है कि यह उपज कम ही लगती है। अत जो आर्थिक लाभ होना था। उसकी तुलना में जो अस्तोष और उसके कारण उत्तेजना की समावनाएँ थीं (ऐसा हुआ भी था) उसे सरकार तीन गुना नुकसान के रूप में देखती थी इसलिए केवल बनारस और भागलपुर में ही नहीं अपितु अनेक स्थानों पर भी ऐसा हो सकता है ऐसा विद्यार किया गया था। इन सभी सर्कों के निष्कर्ष स्वल्प कर घालू रखना चाहिए नहीं था। क्योंकि (वह कर) सरकार की जरूरत पूरी करने के लिए लोगों के विरोध यी भवनों को दबाकर सरकार का आधिपत्य मान्य करवाने जैसा था। इस विषय में लोगों ने तो यिन शर्त समर्थन किया ही था। उसे ध्यान में ले कर ही हमने तत्काल ही कर समाप्ता भ कर के रेवन्यू बोर्ड को प्रस्ताव भेजने के माद भी कोई पूट या लाम देने की बात भी स्थगित की। इससे विपरीत जहाँ विरोध था वहाँ उनका आदेश होने तक कर वसूलना घालू रहा।

१०२ मकान कर कोलकाता शहर में लागू ही था अतः उसके उपनगरों में पूट देने के सम्बन्धमें हमें कोई पर्याप्त कारण नहीं लगता है। पत्र की प्रारंभिक अनेक घटों काल्पनिक हैं।

३४ यगाल से प्राप्त राजस्य विभाग का पत्र

३०-१० १८१२

(सारांश)

१११ कोलकत्ता शहर के उपनगरों में मकान कर वसूली और उसके वितरण के मुद्दे पर बोर्ड ऑफ रेवन्यू को रिपोर्ट और उससे संबंधित कार्यवाही का विवरण सारे पत्र के अनुष्ठान १०१ १०२ में घण्टित है। वसूली कुल रु ५ ३०८५ है जबकि उसका वितरण १६०४०६ रु बताया गया है। सरकार का शुद्ध खर्च १० ४०२ १०।

११२ हमने वसूली योग्य कुछ रकम छोड़ देने का आदेश भी दिया है। इस से संबंधित जनकारी कार्यवाही के रिपोर्ट (२८ मार्च ४ अप्रैल ७ मई १५ जून) में देखने का अनुरोध है।

३५ यगाल से प्राप्त रेवन्यू विभाग का गोपनीय पत्र

१६-१-१८१२

फोर्ट विलियम यगाल से हमारे गवर्नर जनरल इन कारन्सिल

१ ६ अक्टूबर १८१० को पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यगाल विहार एक्सीसा और बनारस प्रातों में वसूल किए गए मकान कर और इस विषय पर ११ फरवरी सक के आपके समग्र पत्राचार पर विचार किया गया।

२ यह कर फ्राईनेन्स कमिटी के साथ मिल कर शुरू किया गया लगता है जिसमें कर के विविध माध्यम उनके विवाराधीन थे। इसमें मकानों पर कर का प्रस्ताव संस्कार के ध्यान पर लाया गया होगा। वहाँ के निवासियों के लिए यह नई बात नहीं क्यों कि अलग अलग नाम और कारण से अलग अलग स्थानों पर ऐसा कोई न कोई कर लापू था ही। इससे लोगों के लिए यह कर पूर्वाग्रहित अथवा अप्रिय लगनेवाला नहीं था। कर वसूली विषयक कानून भी कर निर्धारण के कानून की तरह अर्थात् कोलकाता में था उसी प्रकार का ही होने से बोर्ड के लिए विरोध या परेशानी उत्पन्न करनेवाला नहीं है।

३ कमिटी द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार बनारस पटना मुर्शिदाबाद विधान मिर्जापुर दर्दवान गया और यगाल के बड़े नगरों सहित विहार बनारस तथा कोलकाता के उपनगरों से लगभग तीन लाख रुपए की राशि आने का अनुमान है। साथ ही यह अनिप्राय भी दिया जाता है कि फर्लखाबाद आगरा अलाहाबाद और

उपरी प्रात के अन्य नगरों में भी ऐसा कर लागू किया जा सकता है। फिर भी आज की स्थिति में उन स्थानों पर कर लागू करना उचित नहीं है।

४ कर लागू करने से बहुत ही रोपपूर्ण सघर्ष और उपद्रव निर्माण हो या है। हमें लगता है कि हमें गभीर और सावध हो जाना जाहिए। केवल नगर ही नहीं तो आसपास के गांवों के लोग भी भारी सख्त्या में एकत्रित हो रहे हैं। इनमें लगभग प्रत्येक वर्ग के लोग शामिल लगते हैं। दूकाने बद की गई थीं और धंधे भी ठप थे। शहरमें अनाज के अतिरिक्त कुछ भी मिलता नहीं था। बहुत से लोग कोलकाता पहुँचने की सोच रहे थे। न्यायाधीश ने लोगों का रोप शात करने और सरकार के आदेश आने तक अपने घर तथा धंधे पर वापस लौट जाने के लिए समझाने का प्रयास किया था। किन्तु सब निरर्थक सिद्ध हुआ था। लोकज्ञाला अधिक जोर पकड़ रही थी। इस समय न्यायाधीश ने जनरल मेकडोनाल्ड को बुलाकर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए बता दिया था।

५ हमें लगता है कि यह तो सौभाग्य ही हुआ कि धाढ़ली मध्या रहे और जिद से भरे लोगों ने खुली मारकाट या उपद्रव नहीं किया और सेना की सेवाएँ नहीं लेनी पड़ीं। इसके लिए मेजर जनरल मेकडोनाल्ड का प्रतिभाव हमें उचित लगता है कि अपर किसी ग्राहण तथा धार्मिक नेता का रक्षा बढ़ा होता तो परिणाम स्वरूप मम्मीर सप से स्थिति बिगड़ गई होती।

६ आप जिन सुधारों को करना जरूरी समझते थे ये हमारे मतानुसार अनावश्यक थे क्योंकि हमें भिले परामर्श के अनुसार यह कर केवल बनारस से ही नहीं तो जिन शहरों तथा नगरों में समू किया गया है वहाँ से समाप्त करने के लिए विधार कर रहे हैं।

७ कमिटी ऑफ फाइनेन्स ने बताए अनुसार ये मानते हैं कि कोलकाता शहर के मकान कर के आधार पर उन्हें लगता है कि बंगाल गिहार उडीसा और बनारस के बड़े शहरों में तथा भविष्य में उपरी प्रातों के अनेक शहरों में भी कर लागू करने का विधार है। क्योंकि उन्होंने देखा है कि कोलकाता में इस कर के लागू होने से वहाँ के लोगों में किसी भी प्रकार का असतोष या रोप महीं दिखाई दिया था।

८ परन्तु १९८९ के रेकार्ड के सदर्भ में तो हमें लगता है कि कोलकाता के निवासियों में इस कर के प्रति यहुत असतोष प्रवर्तमान था। इस सदर्भ में उन्होंने सरकार को आवेदन भी दिया था जो रिकोर्ड में नहीं है परन्तु जिसे होना चाहिए था।

ज्ञमें क्या था इसकी हमें जानकारी नहीं है परन्तु कमिश्नर के उस समय के कर्मचारी के पत्र से जाना जा सकता है कि कोलकता निवासी कमिश्नर के घर पर एकत्रित हुए थे। उनमें से कुछ लोगों को मुलाकर पूछने पर उन्होंने यताया था कि वे किसी भी प्रकार का कर भरने के लिए राजी नहीं थे। किसी भी प्रकार के कर लागू होने से अस्तोष होता ही। अधिकाश लोग वहाँ से शहर की सीमा के बाहर चले गए थे। क्लैक्ट्रों के बाहर आज का उपनगर बस गया है। आप तो इस उपनगर को भी १८९० के कर के अन्तर्गत ले लेना चाहते हैं।

९ कमिटी ने अपने पुराने और नए करों में स्थित महत्वपूर्ण दो अन्तरों के सम्बन्ध में कुछ निर्देश नहीं दिया है। पहला यह कि कोलकता का कर सरकार की संख्या आय के लिए नहीं अपितु म्युनिसिपालिटी के लिए ही लिया जाता है जिसमें भूमि में कुछ वृद्धि मुहूर्लों और उपनगरों की साफ सफाई आदि के लिए निधारित की जानेवाली है। इस की लोगों को प्रतीति कराने के लिए सरकार ने एकाउन्ट्स कमिश्नर और आदेश दिया कि प्रतिमाह उसका हिसाब प्रकाशित करें और लोगों को आश्वासन दें कि बदई हुई कर की राशि पूरी सावधानी से और न्यायपूर्वक उन हेतुओं के लिए ही उपयोग की जाती है। उसमें एक मुद्दा रहता है कि अनेक प्रश्न भी उठे हैं। दूसरा यह कि कोलकता ग्रिटिंग हुक्मत और नियमों के अनुसार प्रशासन के अन्तर्गत है। स्पेलिंग बाल के अन्य अनेक स्थानों से वह बहुत अलग है। वहाँ सरकार के सर्वोच्च सचिवीय का निवास है। सर्वोच्च सचिवीय वहाँ होने से अनेक यूरोपीय निवासी भी वहाँ हैं। अनेक मकान यूरोपियों के हैं अथवा तो उन्होंने किराए पर लिए हैं। अत अधिकाश निवासी और सम्पत्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सरकार के साथ सकलित है अथवा यूरोपियों की है। इन सभी लोगों की सम्पत्ति वास्तव में कोलकता में रहनेवालों की भी जाती है। अत यूरोपीयों के उदाहरण से तो यह पूरा कर तो कहीं और न जाकर क्लैक्ट्रों में ही रहेगा।

१० मुतरफा या व्यावसायिक परवाना जो कि एक समय में सरकार की महत्वपूर्ण आमदनी थी वह उस समय के लोर्ड कॉर्न वालिस के समय में समाप्त किया गया था। हम मानते हैं कि वह मकानकर था ही नहीं क्योंकि उस कर को खाना दुपारी (फ्रान क्रमाकर्न) कर कहा जाता था। उस बारे में आपने और कमिटी ने अंकेष्ट किया है कि उस समय के निवासी मकान पर लगाया हुआ कर भरते थे। इस समय में हमारे पास कोई रेकोर्ड नहीं है। उस बारे में हमारी पूछताछ में भी कोई

जानकारी मिल महीं सकी। कुछ इलाकों में ऐसा कुछ नगप्य अथवा उस प्रकार का कोई कर होने की बात कही जा रही है जो किसी खास कारण से शुरू किया गया होगा जिसे बाद में प्रणाली के अनुसार मकान कर के साथ जोड़ दिया गया हो परन्तु उस बारे में हमारे पास निश्चित जानकारी न होने से अधिक कुछ कहा महीं जा सकता।

११ हमारी न्यायभावना के प्रति अधिकाश स्थानीय लोगों का विश्वास न रहे ऐसा कुछ भी करना हमारे अभिप्राय में अत्यन्त अविवेक्यूर्ज है। आपके ११ फरवरी १८९१ के पत्र में आपने यो कहा है वह पूर्ण रूप से न्यायसंगत है ऐसा हमें सगता है। आपने लिखा है कि नए कर लगाने से पूर्व घारों और से विघार कर लेना धाहिए क्यों कि लोगों की सामाजिक और पारिवारिक रीतिनीति धार्मिक रीतिनीति से जुड़ी हुई होती है अत यिसी भी प्रकार के बदल या सुधार के प्रति वे अत्यन्त संवेदनशील होते हैं और आपने ठीक ही कहा है कि यिसी भी प्रशासन ने न्ये कर लगाने से पूर्व लोगों के स्वभाव और मिजाज को अच्छी तरह से जाना धाहिए।

१२ दक्षिण और कण्टकीय (प्रातों) में इस प्रकार के कर हैं ही सेकिन आपने प्रस्तावित किया है उसके साथ उनका साम्य होते हुए भी अन्तर भी बहुत है। हम जिस प्रकार के कर की बात करते हैं वह (मकान) किसाया आधारित नहीं क्योंकि मकान या दूकान बहुत कम (साल्या में) किराए पर दिए गए हैं। कहीं यह किसाया जगह के किराए के रूप में लिया जाता है तो अन्य कहीं भजदूरों के दिन पर आधारित गणना होती है। वह आयकर जैसा ही लगता है।

१३ थेन्डर में मकान कर विषयक जानकारी २३ जुलाई १८०६ के पत्र में अनुच्छेद ६३-६७ में भेजी है। सामान्य पत्रावार के रूप में ही यह आप तक पहुंची है।

१४ फोर्ट सेन्ट ज्योर्ज की सरकार ने टाउन झूटी लगाई थी। वह सोगों को पीढ़ादारी लगाती थी इसलिए उसे समाप्त कर उसके स्थान पर कर लागू किया था। (परन्तु दोनों में बहुत अन्तर है।) किन्तु बाद में अप्रैल १८१० में आपने ही जीवन आवश्यक वस्तुओं पर टाउन झूटी के नाम से कठोर कर लागू किए और ६ महीने के अदर ही मकान कर भी लगाया। फोर्ट सेन्ट ज्योर्ज की सरकार को उससे पूर्व के हमारे पत्र में यताए हुए हमारे अभिप्राय के प्रति आप विशेष ध्यान दें ऐसी हमारी इच्छा है। हमारी धारणा है कि कर का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली कमिटी औंवर फर्मेन्टा या

फिर बोई ऑव् रेवन्यू जो आपके मार्गदर्शन में आवश्यक विनियम बनाती है उन्होंने हमारा पत्र पढ़ा होगा ऐसा लगता नहीं है। हमें धिन्ता है कि मकान कर का प्रकल्प शुरू करने से पूर्व हमारी निश्चित अनुमति लेने के समय में सूचनाओं का पालन नहीं किया गया जबकि उस कर को लागू करने का निश्चय आपने ही किया होगा। तब आपको यह स्मरण में नहीं रहा। जब किसी नए कर के प्रस्ताव के समय में विचार किया जाता है तब यह निश्चित कर लेना जरूरी होता है कि पिछली सरकार ने ऐसा कोई कर लगाया था या नहीं। क्या उसे समाप्त किया गया ? यदि वह समाप्त किया गया तो उसके क्या कारण थे ? क्या उस पर चर्चा हुई थी ? वह कितनी लम्बी चली कारण कि हमें लगता है कि जब भी हिन्दुस्तान में राजस्व आय बढ़ाकर सार्वजनिक स्रोत सुदृढ़ करने की बात आती है तब नया कर छालने की अपेक्षा घातू कर में सुधार कर के राजस्व आय बढ़ाई जाना अधिक उपयुक्त होता है।

१५ अब जो सपाय करने के लिए विचार दिया जाएगा उसके लिए अभी दो मुद्दे ध्यान में लेना जरूरी है। हम यहाँ आपको स्पष्ट रूप से बता देना उचित मानते हैं जो कि भविष्य में ऐसी ही किसी स्थिति में उपयोगी होंगे। पहला मकान पर समग्र रूप से ५ प्रतिशत की दर से कर लगाने की अपेक्षा दूकानों पर १० प्रतिशत की दर से कर लगाना। यह तो अत्याधार जैसा भाना जाएगा और (लोगों की) नाराजगी को निपन्नित करेगा भले ही बाद में कर का सामान्य दर उचित ही हो। क्योंकि यदि दुकान का धधा अच्छा चलता है तो उस स्थान का मूल्य अधिक आकर्षक सरकार मुनाफे के अनुपात में ५ प्रतिशत के दर से अधिक आय प्राप्त कर सकती है किन्तु यदि धधा कमजोर है तो बेवी जाने वाली सामग्री के समग्र सौदे पर आधारित कर की आय भी बढ़ाई जानेवाली दर से मिलनेवाले कर की आय जितनी नहीं होगी। फिर समाहर्ता बनारस ने उनके दिनाक २६ नवम्बर के पत्र में बताया है उसकी अनुसार यदि किराए के हिसाब से प्राप्त और छुकाए गए किराए की जानकारी मिलने पर उनकी अपेक्षा के अनुसर उनके अधिकारियों को कर की दर निश्चित करने के लिए उन स्थानों का स्वतंत्र सर्वेषण करने की या लिखने की जरूरत नहीं रहेगी।

१६ यहाँ हम अपनी एक धारणा का भी उल्लेख कर रहे हैं कि हमने जिन समाधानों का विचार किया है ऐसा (समवय) न भी हो क्योंकि हमारे महसूल अधिकारी जब लोगों के घर में अत्यन्त सावधानी के साथ जाते हैं तब भी हिन्दुस्तानी निवासों की एक अलग ही स्थिति होने के कारण से बहुत अप्रिय स्थितिया बनती थी।

इस यात्रा की ओर आप बहुत ही ध्यान दें।

१७ अनारक्ष के हमारे निम्नलिखित कर्मचारियों की अत्यन्त न्यायपूर्ण साक्षात् एव सतर्क एव सुदृढ़ कर्याप्रणाली सतोष प्रदान करनेवाली रही थी।

मि बर्ड का उम्मेद हम प्रथम कर रहे हैं जिन्होंने उस कार्य में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

समझदारी सूझबूझ और पूर्वधारणाओं के लिए हम भेजर जनरल मेकडोनाल्ड के क्रृणी हैं।

मि मुक - सर्किट के मुख्य न्यायाधीश

मि स्लीन - मि बर्ड के सहायक

मि सेलमन - समाझर्ता का भी हम धन्यवाद फूरते हैं।

१८ हम राजा तथा अन्य साह्योगियों के ध्यवहार और प्रभाव के प्रति भी घृतजड़ा ध्यक्त करते हैं। आपने भी उनकी प्रशासनीय सेवाओं के प्रति जो सम्मान दर्शाया है उससे हम प्रसन्न हुए हैं।

१९ हम इस अवसर पर आपको एक खास सिफारीश के साथ यहाँ के लोगों के पूर्वांश्च और विद्यार्थी के प्रति उद्धित ध्यान देने के लिए बता रहे हैं और साथ साथ सोर्ड कॉर्न वालिस ने उनके दिनांक ११ जून १९८० के बोर्ड ऑफ ऐवन्यू को लिखे पत्र में स्पष्ट यताया है कि उस सिद्धान्त पर दृष्टापूर्वक लगे रहने का अनुरोध भी करते हैं जिसमें कहा गया है कि समय समय पर जरूरी आक्तरिक कर लगाना और वसूलना प्राचीनकाल से चली आ रही और सर्वस्वीकृत प्रणाली है अर्थात् सरकार का यह अधिकार है। इस प्रकार का अधिकार पूर्ण रूप से प्रस्थापित कर उससे संभवित कदम उठाने के लिए वर्ष १९८३ में विनियम ८ की उपधारा ८ में स्पष्ट रूप से बताया गया है।

२० दिनांक २० मई १९८८ के हमारे राजस्व पत्र में हमने निम्नानुलिपि यताया है :

हम इस मुद्दे पर आपको बताना उद्धित समझते हैं कि आपके अधीन धर्म रही कम्पमी के वर्तमान आय के साधनों और ध्यय के संदर्भ में पुनर्विधार करें। यात्रा में राजस्व की अधिकांश आय जमीन रो आती है और यह स्थिर आप होने के कारब अन्य किसी भी प्रकार के ध्यय का सामना करने के लिए आवश्यक हो सो भी उरामें वृद्धि न करें। जमीन और जमीन से सम्बन्धित राम्पति के मालिकों के लिए इस प्रकार

की व्यवस्था पूरी करना इतना लाभदायी है कि सेना की व्यवस्था करने के बाद बची हुई राशि स्थानीय दल निर्माण करने की जैसे मर्दों में और हिज मेजेस्टी की कुछ अतिरिक्त रेजिमेन्ट निर्माण करने के लिए सेना के लिए निर्धारित अधिकाश राशि खर्च हो जाती है। अब क्यनी पर अतिरिक्त दोज न आए इस प्रकार अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के प्रश्न में आपका मार्गदर्शन घाहते हैं। इससे पूर्व जमीन कर निश्चित करने की जो व्यवस्था थी तब अनेक न्यायिक संगठनों से रूपया प्राप्त करने की जो व्यवस्था की गई थी उस से प्राप्त लगभग ३८ लाख रुपयों से अधिक खर्च व्यक्तिगत अधिकारों और व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे कार्बों में हो गया। हम मानते हैं कि हमारे प्रात के लोग अपवाद रूप मानी जानेवाली उन्नति की स्थिति का उपभोग ले रहे हैं। अतः जब देशमें शुद्धिमतापूर्ण और हितकारी उपायों से ऐसी स्थिति का निर्माण हो सका है तब आशा कर सकते हैं कि यह स्थिति बनी रहे इसलिए कुछ तो मूल्य घुकाना चाहिए। समृद्धि न्याय वाणिज्य और प्रजा का सुख इस व्यवस्था से ही प्राप्त होते हैं। तब प्राप्त अथवा देश के समग्र हित के लिए या किसी विकट परिस्थिति के लिए कितना योगदान करना है यह आप ही निश्चित कर सकते हैं। कल्टम और स्टैम्प ड्यूटी तथा मादक पेय का कर या फिर आय बद्ध कर फड़ इकट्ठा करने पर विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य कई राजस्व आय के लिए भी विचार किया जा सकता है। यह करते समय राज्य अथवा प्रात की स्थिति स्वामित्व मूल बिगड़ जाए अथवा लोगों को दमन या अत्याधार न लगे उस प्रकार जमीन से सम्बन्धित मूल सिद्धान्तों का उल्लंघन न हो इस प्रकार की सावधानी पूर्वक करें। इस प्रकार हम अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करते हैं।

२१ जमीन के प्रश्न पर स्थायी समाधान और न्यायिक प्रणाली के शुल्क के रूप में हमें राजस्व की बहुत बड़ी राशि खर्च करनी पड़ी है। परन्तु इसके परिणाम स्वरूप झगड़ों के पीछे होनेवाले व्यय की बढ़त हुई है। और बगाल और बिहार जैसे प्रान्तों में दीर्घ काल से शान्ति और उन्नति का वातावरण स्थापित हुआ है और दो आदि पर होने वाले व्यय का बोझ नहीं रहने से अब हम स्थानीय प्रजा के सहयोग की माप कर सकें। व्योंकि आज भी बहुत बड़ा कर्ज अवस्थित है। ऐसे दों और झगड़ों के कारण ही व्यय करना पड़ा था जिसकी भरपाई के विषय में मई १९८८ में भेजे गए पत्र में लिखा है। आपने जो स्टैम्प ड्यूटी की व्यवस्था की है वह हमारी राजस्व आय में सुधार के लिए उपयोग मानी जाएगी। उस विषय में आपके दिनांक ८ अक्टूबर

१८०७ के राजस्व परामर्श पत्र में आपकी सन्तुष्ट परिलक्षित हो रही है। जीते गए जिन प्रान्तों में स्टैम्प पेपर जल्दी होने का (कानून) नहीं था। प्रान्तों में यकि के द्वारा कोरे कागज का उपयोग किए जाने के स्थान पर स्टैम्प युक्त कागज का उपयोग करता है तो उसकी अधिकृतता यह जाती है। आय होती है यह अस्तिरिक्त लाभ है।

३५१ योर्ड का कोर्ट को पत्र

इन्डिया ऑफिस
एड्वाइट होल
१५ जून १८१२

(सारांश)

मुझे कमिशनर फॉर अफेयर्स ऑव् इन्डिया का निर्देश है कि बगात सीक्रेट रेवन्यू ड्रापट २१८ सुधार और बदल के साथ बापस भेज दूँ।

उनमें अधिकांश सुधार बोर्ड ने मौखिक रूप में किए हैं किन्तु कुछ के सदर्म में स्पष्टीकरण और विस्तार जरूरी है। पहला सुधार अनुच्छेद १८ से २० तथा अनुच्छेद २१ का कुछ अश निकाल देना है और अन्य धार को बदलना है जिस के परिणाम स्वरूप कोर्ट ने बंगाल सरकार को विधार करने के लिए कहा है कि 'छूटूटी' का समय या अश पुन स्थापित हो सकता है' यह भाग निकल जाएगा। यह छूटूटी जीवीन समर्पी निपटारे करते समय निरस्त कर दी गई थी किन्तु सुधारित सिद्धान्त के आधार पर किन से सागू की गई। अन्त में योर्ड देश के आन्तरिक सरकारी कस्टम को पूँजीता है कि टाउन छूटूटी और आबकारी रेवन्यू जो वर्तमान में हैं वया वह पुरानी वसूली का एक अश है अथवा उसकी शाखा ही है ?

३५ (२)

एड्वाइट होल
१४ अप्रूष १८१२

महोदय

मुझे कमिशनर फॉर अफेयर्स ऑव् इन्डिया की ओर से ड्रापट न. २१८ आपको दिनांक १५ पून के पत्र के साथ भेजा गया था उसे बापस करने के लिए बताया है। बोर्ड घाहता है कि उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए।

आपका आङ्गाकारी
उहोन मुश

३५ (३) रामसे का पत्र

मि रामसे मि बुश को उनके गत दिनांक १८ के पत्र के लिए अभिवादन के साथ ड्राफ्ट न २१८ वापस भेजते हैं।

३५ (४) बोर्ड का कोर्ट को पत्र

व्हाईट हॉल

२० अगस्त १८९२

महोदय

मुझे कमिश्नर फोर अफेयर्स ऑॅॅ इन्डिया की ओर से वापस भेजा हुआ ड्राफ्ट न २१८ की रसीद देने की सूचना है। और याद दिलाने को कहा है कि १५ जून को उसके साथ भेजा हुआ पत्र वापस नहीं किया गया है।

थोस पर कर्टने

३५ (५) कमिश्नर ऑॅॅ इन्डिया का ईस्ट इन्डिया कम्पनी को लिखा बगाल से प्राप्त दिनांक १६-८-१८९२ का सीक्रेट रेवन्यू डिस्पेच में परिवर्तन संबंधी पत्र

इन्डिया ऑफिस

व्हाईट हॉल

१ सितम्बर १८९२

महोदय

मुझे कमिश्नर फोर अफेयर्स ऑॅॅ इन्डिया ने बगाल सीक्रेट रेवन्यू ड्राफ्ट न २१८ सुधार और बोर्ड के अतिम अनुमोदन के साथ वापस भेजने के लिए सूचना दी है। इसमें अनके (सुधार) मौखिक हैं किन्तु अन्य कुछ में स्पष्टीकरण की विस्तृत जानकारी देना जरूरी है।

पहला महत्वपूर्ण सुधार अनुच्छेद छ ४-६ और ७ का अतिम कुछ अश अनुच्छेद ८-१० १२-२४८ र (छूट जाने) के सदर्भ में है। बोर्ड ने बगाल के रेवन्यू डिस्पेच दिनांक १४ दिसम्बर के क्रमानुसार यह अनुच्छेद छोड़ दिया है। किन्तु यह ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इस्टैंप्ड में प्राप्त और मकान कर कोलकाता शहर और उसके

उपनगरों के अतिरिक्त समग्र रूप से समाप्त करने के सुप्रीम गवर्नरेंट के आशय की जानकारी मिली है। इस बोर्ड के अभिप्राय के अनुसार कर लागू करने से बनारस में जो कुछ हुआ उसकी कार्यवाही में गहरे उत्तरना जल्दी नहीं लगा। जल्दी होता तो इसमें और कई अनुच्छेद जल्दी हो जाते क्योंकि ये ऐसा ही मानते थे कि कर (महसूल) वसूल किया जा रहा है।

बोर्ड ने अनुच्छेद १६ का अंतिम कुछ भाग भी निकाल दिया है क्योंकि उसके बाद का अनुच्छेद निकाल कर नया अनुच्छेद शामिल किया है जो अनुच्छेद १९ और २० से काटे गए भाग से कुछ आगे पीछे करने के बराबर है जो कर लगाते ही स्थानिक सोगों के प्रतिभाव और पूर्णिग्रह के पारे में उत्सेख करता है।

सेन्ट जर्ज सरकार द्वारा बताए अनुसार कोर्ट की भावना समंजी अनुच्छेद १७ के साथ उनके अधीन इलाके में मकान कर से सम्बन्धित अनुच्छेद २१ के प्रारम्भिक भाग का क्रम आगे पीछे होने से कट गया है।

पैरा १८ को छोड़ देने का बोर्ड का कारण यह है कि (उसमें) बगाल सरकार को पूछा गया है कि ढ्यूटी पूरी या फिर आंशिक रूप से पुनः शुरू की गई है या नहीं क्या यह वही ढ्यूटी है जो उससे पूर्व जमीन के विवाद के निपटारे के रूप में वापस ली गई थी। क्या उसमें से कुछ सुधारित सिद्धान्त प्रतिस्थापित विशेष गत थे (इत्यादि जानना चाहता हूँ)। बोर्ड ने इसके लिए सरकार की अन्तरिक कस्टम ढ्यूटी टारन ढ्यूटी और आदकारी राजस्व के बारे में जानकारी मांगी थी। अनुच्छेद का शेष भाग नया कर लगाने से सबधित था जिसे परिच्छेद न २१ के अत में जोड़ा गया है।

इसके अतिरिक्त बोर्ड ने एक और अनुच्छेद क्र २८ निरस्त करने का विषय दिया है जिससे विदेश में स्थित सरकार उस विषय में मुक्त रूप से निर्णय ले सके कि फाटकबद्दी फिर से शुरू की जाय या नहीं और उसित लगाने पर ऐसा निर्णय ले सके।

बगाल प्रेसिडेंसी के अधीन प्रशासन को घलाने में बहुत व्यय होता है जिसके लिए कोर्ट ऑंड डायरेक्टर को अनुच्छेद तैयार करना था वह सेयर ढ्यूटी के कारण से छूट गया था। बोर्ड फ्रापट के अत मैं गवर्नर जनरल इन काउन्सिल का ध्यान आकर्षित करना है कि उसके लिए स्टैप विनियम लाकर अतिरिक्त राजस्व अप्य पिकरित करने की नीति परिच्छेद में बताए अनुसार अपनाई जा राक्षी है और पान तथा तम्बाकू पर फर लगाया जा सकता है यह भी याद दिलाया गया। ये शौधिया

कस्तुरें मानी जाती हैं अत उन पर समग्र प्रात गें आवश्यक कानून के साथ कुछ कर लगाने से राजस्व आय के लिए अद्या स्रोत बनेगा। उस विषय पर बोर्ड फॉर्ट सेन्ट ज्योर्ज की सरकार ने दिनांक २८ फरवरी १८९२ के रेखन्यू पत्र में जो अभिप्राय दिया है उस विषय में अधिक आत्मविश्यास के साथ अभिप्राय देता है कि ग्राम पट्टेदारी प्रणाली के अन्तर्गत माफी देने की अनिश्चितता का उत्तेजक करना आवश्यक लगता था। उनका मानना था कि तत्काल आवश्यकता से प्रेरित होकर माफ की जानेवाली राशि भले किसी भी हो उसकी तुलना में पान और तम्बाकू की बिक्री के लिए लाइसेन्स की प्रथा पुन प्रस्थापित करने का अभिप्राय कर्त्तल मनरो का था यह बताकर उसे वसूलने से ऐसे समय समय पर दी जाने वाली मुक्ति राजस्व आय से अधिक हो सकती है। उन्होंने यथासमव शीघ्रता से उसे पुन लागू करने का अभिप्राय भी दिया है।

आपका आज्ञाकारी

विनम्र सेवक

ब्रह्मन्यू रामसे एस्क

थोस पर कर्त्तने

३ ६ कोर्ट ऑफ छायरेक्टर्स के सीक्रेट स्क्रॉप्ट २१८ से बोर्ड ऑफ कमिशनर द्वारा काटे गए दो अनुच्छेद

२३-५-१८९२

समग्र विषय पर बहुत विमर्श एवं गमीर विचार के बाद सब को विश्वास हो गया होमा कि हम मकान कर समाप्त करने की सूचना देना उचित मानते हैं किन्तु सभवत यह मनकर कि उससे यह भी मान लेने की गलती हो सकती है कि अपनी सरकार अशांति और विद्रोह की स्थिति के सामने घुक गई है और इससे स्थानीय लोगों को और अधिक छूट मानने की प्रेरणा मिल सकती है हम कर विषयक पूरे सिद्धान्त को छोड़ने की स्थिति में आ सकते हैं। जिन वस्तुओं से स्थायी और अधिक कर मिल सकता है ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने का एक विस्तृत दावा बना सकते हैं। यह दावा ऐसा हो कि स्थानीय लोगों को अत्याधारी न लगे। हम आशा कर सकते हैं कि आपने जिन बदल के विषय में विचार किया था और जिस मकानकर के विरुद्ध शिकायत दूर करने की योजना कर रहे थे वह मकान कर आपके १२ फरवरी १८९१ के पत्र के दिन से ही शातिपूर्ण रूप में वसूल किया जा रहा है। परन्तु यदि बदल नहीं किए जाते तो यह कर स्थानीय प्रजा में अत्यन्त विपरीत भाव और पूर्विह निर्माण कर देता। और

भविष्य में अत्यधिक असन्तोष और संघर्ष निर्माण कर देता। अतः आपने यथाशीघ्र उसे धारप स लेने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह काम सरकार की सत्ता के राख बिना समझौता किए करना चाहिए।

इस विचार से ही हमने अधिक स्पष्ट और सीधे आदेश नहीं दिए हैं क्यों कि हम मानते हैं कि यह किस्सा ऐसा है जहा अधिकारियों का अभिग्राय जानने के बाद उसका क्रियान्वयन भारत के स्थानीय प्रशासन की विवेकशुद्धि और अधिकार पर सौंपना चाहिए।

३ ७ यगाल से प्राप्त गोपनीय रेवन्यु पत्र

२८-२-१८९५

(सारांश)

४ आपके उपर्युक्त पत्र में मान्यवर अदालत दो अलग अलग विचार व्यक्त करना चाहते हैं ऐसा लगता है। एक तो १८१० में शुरू किए गए मकान कर विवरक आपकी भावना दर्ज करना जो (कर) अभी समाप्त हुआ है। दूसरा सार्वजनिक स्रोतों में सुधार लाने के लिए आपके स्थान पर जो उपाय किए गए उनको सूचित करना।

५ आपके पूर्वोक्त मुद्दे में सरकार के किसी कदम का बयाव करना जरूरी नहीं है फिर भी आप मान्यवर ने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं इस लिए हम आपने विचार आपके विन्तान हेतु भेज देंगे।

६ मकान कर अन्य कर के समान ही एक कर है अधिक कुछ नहीं। इसलिए इस देश के निवासियों के किसी प्रस्थापित अधिकार का हनन उससे नहीं होता। इससे किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुचती। न इससे सार्वजनिक लाप से नुकसान होता है। ही नया कर लागू होने पर कुछ हल्दयल होती ही है किन्तु लोगों का अंसतोष किस रूप में प्रकट होगा उसकी पूर्वधारणा अथवा पूर्वानुमान करना सम्भव नहीं होता है। अथवा (संभवित) रोप की भावना किस सीमा तक व्यक्त होगी यह भी कहा नहीं जा सकता। मकान कर के प्रति जो कुछ घटित हुआ उसका पूर्वानुमान किया नहीं जा सकता था। यह भी कहा जा सकता है कि विविध उपायों के दौरान अनुभव से समझ में आया कि उसके पीछे यह मनोभाव था कि लोगों यी अपनी सम्पत्ति रार्वजनिका (राज्यकी) सम्पत्ति में बदल रही है। परन्तु आप मान्यवर पटना

की सूखना से ही निश्चित करने के लिए पर्याप्त समर्थ हैं और न्यायोद्यति निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। अतः हम इस कर निवारण के औचित्य के सबै में कोई टिप्पणी करने का विधार नहीं करते। इसके विपरीत हम मानते हैं कि कर समझदारीपूर्वक निरस्त किया गया है। यह कर विषयक मूल सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं था अथवा सार्वजनिक हित के सिद्धान्त के कारण से निरस्त नहीं किया गया था। ऐसी जानकारियों पर इस देश में सावधानीपूर्वक विचार करना फैला कर्त्ता कि उससे प्राप्त होनेवाला राजस्व जो वार्षिक लगभग तीन लाख रुपया अथवा उससे कुछ कम मिलने की घारणा थी यदि लोगों के इतने रोप के बाद प्राप्त होता वह रद करना उचित लगता है।

अभिलेखों के स्रोत

इण्डिया ऑफिस रेकोर्ड्स (आईओआर)

- १ बोर्ड का संग्रह एक/४/३२३ संग्रह क्र ७४०७ : अभिलेख १ क १ से १ क १९ और ३ १ और २
- २ बगाल अपराध न्यायिक परामर्शन श्रेणी १३० खण्ड २७ क्र २ (१७ जनवरी १८११) से १७ (१८ जनवरी १८११) : अभिलेख १ च १ और २ १ ग १ और २
- ३ अभिलेख १ क २० से १ क २४ और १ ६ १ और १ घ २ बगाल अपराध न्यायिक परामर्शन श्रेमी १३० खण्ड २९ क्र ३९ (२२ फ़स्तवरी १८११) क्र ६३ (६ मार्च १८११) और क्र ३ (६ मार्च १८११)
- ४ अभिलेख १ च ३ १ घ ५ से १ च १२ और १ च १५ और १६ बगाल अपराध न्यायिक परामर्शन श्रेणी १३० खण्ड ३९ क ३ (१५ अक्टूबर १८११ और २९ अक्टूबर १८११)
- ५ अभिलेख १ च १३ और १४ १ घ १७ से २१ (अ) बगाल अपराध न्यायिक परामर्शन श्रेणी १३० खण्ड ४० क्र १३ (१२ नवम्बर १८११) और क्र १३ (१९ नवम्बर १८११)
- ६ अभिलेख १ च २४ और २५ बगाल अपराध न्यायिक परामर्शन श्रेणी १३० खण्ड ४५
- ७ अभिलेख १ च २६ और २७ बगाल अपराध न्यायिक परामर्शन श्रेणी १३० खण्ड ४८
- ८ अभिलेख १ च १ १ च २ (अ) १ घ ४ २१ से २३ बगाल राजस्व परामर्शन श्रेणी ५५ खण्ड ४४ क्र ३ (१५ अक्टूबर १८११) और क्र ६ (२९ अक्टूबर १८११)

- ९ अभिलेख २४ बगाल राजस्व परामर्शन श्रेणी ५५ खण्ड ४५ क्र ३ (१५ अक्टूबर १८९१) और क्र ६ (२१ अक्टूबर १८९१)
 - १० अभिलेख १ च २२ और २३ २५ से २८ बगाल राजस्व परामर्शन श्रेणी ५५ खण्ड ४७ क्र ४ (१३ जनवरी १८९२) क्र १ (२१ जनवरी १८९२) और क्र १३ (२७ जनवरी १८९२)
 - ११ अभिलेख १ के २५ बगाल राजस्व परामर्शन श्रेणी ५५ खण्ड ५० क्र ३७ (१६ मई १८९२)
 - १२ अभिलेख २९ बगाल नागरिक न्याय परामर्शन श्रेणी १४८ खण्ड ७५ क्र २४ (९ मई १८९२)
 - १३ अभिलेख ३ ३ एल/ई/३/१७ (१४ दिसम्बर १८९१ का बगाल राजस्व पत्र)
 - १४ अभिलेख ३ ४ एल/ई/३/१८ (३० अक्टूबर १८९२ का बगाल राजस्व पत्र)
 - १५ अभिलेख ३ ७ एल/ई/३/१९ (२८ फरवरी १८९५ का बगाल गोपनीय राजस्व पत्र)
 - १६ अभिलेख ३ ५ एल/एफ/४४२ (१६ सितम्बर १८९२ का बगाल को गोपनीय राजस्व प्रेषण)
 - १७ अभिलेख ३ ५ (१-५) ३ ६ एफ/३/२६ (१६ सितम्बर १८९२ के गोपनीय राजस्व पत्र विषयक बोर्ड और कोर्ट का पत्राधार)
- * पश्चिम बगाल अभिलेखागार
पृ १०१ के आवेदन के सारांश हेतु
- बगाल न्यायिक आपराधिक कार्यवाही : ८ फरवरी १८९१ असल परामर्शन क्र ६

लेखक परिचय

श्री धर्मपालजी का जन्म सन् १९२२ में उत्तर प्रदेश के मुम्पफलनगरमें हुआ था। उनकी शिक्षा डी. ए. बी. कालेज लाहौर में हुई। १९३० में ८ वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार गांधीजी को देखा। उसके एक ही वर्ष बाद सरदार भगतसिंह एवं उनके साथियों को फौसी दी गई। १९३० में ही वे अपने पिताजी के साथ लाहौर में कॉंग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन में गये थे। उस समय से लेकर आजन्म वे गांधीभक्त एवं गांधीमार्गी रहे।

१९४० में १८ वर्ष की आयु में उन्होंने खादी पहनना शुरू किया। घरबे पर सूत कातना भी शुरू किया। १९४२ में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया। १९४४ में उनका परिव्यय भीराबहन के साथ हुआ। उनके साथ मिलकर रुक्की एवं हरिद्वार के बीच सामुदायिक गाँव के निवास का प्रयास किया। उस सामुदायिक गाँव का नाम था 'बापूग्राम'। आज भी बापूग्राम अस्तित्व में है। १९४९ में भारत का विभाजन हुआ। परिणाम स्वरूप भारत में जो शरणार्थी आये उनके पुनर्वसन के कार्य में भी उन्होंने भाग लिया। १९४९ में वे इस्टैप्ड इमरायल और अन्य देशों की यात्रा पर गये। इमरायल जाकर वे वहाँ के सामुदायिक ग्राम के प्रयोग को जानना समझना चाहते थे। १९५० में वे भारत यापस आये। १९६४ तक दिल्ली में रहे। इस समयावधि में वे Association of Voluntary Agencies for Rural Development (AVARD) के मन्त्री के रूप में कार्यरत रहे। अठारह की स्थापक अध्यक्ष श्रीमती कमलादेवी घटोपाध्याय भी परंतु कुछ ही समय में श्री जयप्रकाश नारायण उसके अध्यक्ष बने और १९७५ तक बने रहे। १९६४-६५ में श्री धर्मपालजी आल इण्डिया पचायत परिषद के शोध विभाग के निदेशक रहे। १९६६ में लन्दन गये। १९८२ तक लन्दन में रहे। इन अठारह वर्षों में भारत आसे जाते रहे। १९८२ से १९८७ सेवाग्राम (वर्धा मध्यराज्य) में रहे। उस दौरान ऐसी ही आसे जाते रहे। १९८७ के बाद फिर लन्दन गये। १९९३ से जीवन के अन्त तक सेवाग्राम वर्धा में रहे।

१९४९ में उनका विवाह अंग्रेज युवति फिलिस से हुआ। फिलिस लन्दन में

यापूणाम में दिखी में सेवाग्राम में उनके साथ रहीं। १९८६ में उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी स्मृति में वाराणसी में मानव सेवा केन्द्र के तत्त्वावधान में बालिकाओं के समग्र विकास का केन्द्र चल रहा है। धर्मपालजी एवं फिलिस के एक पुत्र एवं दो पुत्रियां हैं। पुत्र डेविड लन्दन में व्यवसायी हैं पुत्री रोझविता लन्दन में अध्यापक हैं और दूसरी पुत्री गीता धर्मपाल हाईडलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में इतिहास विषय की अध्यापक हैं।

धर्मपालजी अध्ययनशील थे छिन्नतक थे औद्धि प्रामाण्यवादी थे। परिश्रमी शोधकर्ता थे। अभिलेख प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन बारह घण्टे लिखकर लन्दन तथा भारत के अन्यान्य महानगरों के अभिलेखगारों में बैठकर नकल उतारने का कार्य उन्होंने किया। उस सामग्री का सकलन किया निष्कर्ष निकाले। १८ वीं एवं १९ वीं शताब्दी के भारत के विषय में अनुसन्धान कर के लेख लिखे भाषण किये पुस्तकें लिखीं।

उनका यह अध्ययन विन्तन अनुसन्धान विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने के लिये या विद्वता के लिये प्रतिष्ठा पद या धन प्राप्त करने के लिये नहीं था। भारत की जीवन दृष्टि जीवन शैली जीवन कौशल जीवन रचना का परिचय प्राप्त करने के लिये भारत को ठीक से समझने के लिये समृद्ध सुसङ्कृत भारत को अग्रेज़ों ने कैसे तोड़ा उसकी प्रक्रिया जानने के लिये भारत कैसे गुलाम बन गया इसका विस्तैषण करने के लिये और अब उस गुलामी से मुक्ति पाने का मार्ग दूढ़ने के लिये यह अध्ययन था। जितना मूल्य अध्ययन का है उससे भी कहीं अधिक मूल्य उसके उद्देश्य का है।

श्री जयप्रकाश नारायण श्री राम मनोहर लोहिया श्री कमलादेवी घटोपाध्याय श्री मीराबहन उनके मित्र एवं मार्गदर्शक हैं। गांधीजी उनकी दृष्टि में अवतार पुरुष हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय गांधीभक्त हैं फिर भी जाग्रत एवं विवेकपूर्व विश्वेषक एवं आलोचक भी हैं। वे गांधीभक्त होने पर भी गांधीवादियों की आलोचना भी कर सकते हैं।

इस ग्रन्थश्रेणी में प्रकाशित पुस्तकों १९७१ से २००३ तक की सम्पादिति में लिखी गई हैं। विद्वज्ञगत में उनका यथेह स्वागत हुआ है। उससे व्यापक प्रभाव भी निर्माण हुआ है।

मूल पुस्तकों अग्रेजी में हैं। अपी दे हिन्दी में प्रकाशित हो रही हैं। भारत की अन्यान्य भाषाओं में जब उनका अनुवाद होगा तब औद्धिक जगत में यही भारी इलंघल पैदा होगी।

२४ अक्टूबर २००६ को सेवाग्राम में ही ८४ वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ।

